

*Growing  
Evolving  
Transforming*

  
Azadi Ka  
Amrit Mahotsav

**65वीं वार्षिक रिपोर्ट  
65th ANNUAL REPORT  
2021-22**

 केन्द्रीय भण्डारण निगम  
(भारत सरकार का उपक्रम)  
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION  
(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)



**केन्द्रीय भण्डारण निगम  
Central Warehousing Corporation**

**जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone**



श्री सुधांशु पांडे, आईएएस सचिव (एफएंडपीडी) सीडब्ल्यूसी के निदेशकों के साथ 7 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय गोदाम (केआईएडीबी) के उद्घाटन समारोह में।

Shri Sudhanshu Pandey, IAS Secretary (F&PD) along with Directors of CWC in the Inauguration ceremony of Central Warehouse (KIADB) on 7th October, 2022

# वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2021-22



केन्द्रीय भण्डारण निगम  
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION



श्री वीरेंद्र सिंह, (60वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष) श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशकों के साथ 24 सितंबर, 2022 को 60 वीं वार्षिक साधारण बैठक पर दीप प्रज्वलन के अवसर पर

## निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS



श्री अतीश चन्द्रा, आईएएस  
अध्यक्ष  
(05.05.2022 तक)  
Sh. Atish Chandra, IAS  
Chairman  
(upto 05-05-2022)



श्री अशोक के.के. मीना, आईएएस  
अध्यक्ष प्रबंध निदेशक (एफसीआई)  
Sh. Ashok K.K. Meena, IAS  
CMD (FCI)




श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव  
प्रबंध निदेशक  
Sh. Arun Kumar Shrivastava  
Managing Director



सुश्री नन्दिता गुप्ता, आईएएस  
संयुक्त सचिव (संग्रह एवं पीजी)  
(06.10.2022 तक)  
Ms. Nandita Gupta, IAS  
Joint Secretary  
(Storage & PG)  
(upto 06-10-2022)



श्री राकेश कुमार सिन्हा  
निदेशक (कार्मिक)  
(31.07.2022 तक)  
Sh. Rakesh Kumar Sinha  
Director (Personnel)  
(upto 31.07.2022)



श्री अमित कुमार सिंह  
निदेशक (एम एंड सीपी)  
Sh. Amit Kumar Singh  
Director (M&CP)



श्री अनुज कुमार  
निदेशक (वित्त)  
Sh. Anuj Kumar  
Director (Finance)



श्री के.वी. प्रदीप कुमार  
Sh. K.V. Pradeep Kumar



श्री वीरेन्द्र सिंह  
Sh. Virendra Singh



## निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS




श्री एस. चार्ल्स  
निदेशक (वित्त)  
(30.04.2021 तक)  
Sh. S. Charles  
Director (Finance)  
(upto 30.04.2021)



श्री मुकुल एन. डांडिगे  
Sh. Mukul N. Dandige



श्री बी. राघवेन्द्र राव  
Sh. B. Raghavendra Rao,



श्री राजेन्द्र कुमार पी  
Sh. Rajendra Kumar P



श्री सुरेश वॉरियर  
Sh. Suresh Warior



श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी  
Smt. Anupama Singh Lodhi



श्री दिनेश दूबे  
Shri Dinesh Dubey

## प्रबंधन MANAGEMENT



श्री प्रणय प्रभाकर, आई.आर.टी.एस.  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
(25.07.2021 तक)  
Sh. Pranai Prabhakar, IRTS  
Chief Vigilance Officer  
(upto 25.07.2021)



श्री अनिल मानिक राव  
समूह महाप्रबंधक  
(प्रणाली / कार्मिक)  
Sh. Anil Manik Rao  
Group General Manager  
(System/Personnel)



श्री आर.आर. अग्रवाल  
समूह महाप्रबंधक  
(वित्त)  
Sh. R.R. Aggarwal  
Group General Manager  
(Finance)



श्री राजीव के. बंसल  
महाप्रबंधक (वाणिज्य)  
Sh. Rajeev K. Bansal  
General Manager  
(Commercial)



श्री अमित पुरी  
महाप्रबंधक  
(वित्त)  
Sh. Amit Puri  
General Manager  
(Finance)



श्री राजीव विनायक  
महाप्रबंधक (गुणवत्ता प्रणाली)  
Sh. Rajiv Vinaik  
General Manager  
(Quality System)



## प्रबंधन MANAGEMENT



श्री नरेन्द्र कुमार  
महाप्रबंधक  
(एस पी एण्ड सी)  
Sh. Narendra Kumar  
General Manager  
(SP&C)



श्री रुपेन्द्र कुमार शर्मा  
मुख्य अभियंता (आई/सी)  
Sh. Roopendra kr. Sharma  
Chief Engineer (I/c)



श्री पी.के. साव  
महाप्रबंधक (आर एल डी)  
Sh. P.K. Saw  
General Manager (RLD)



श्रीमती जैस्सी जैकब  
सचिव/उप महाप्रबंधक (वित्त)  
Mrs. Jessie Jacob  
Secretary/  
Deputy General Manager  
(Finance)



डॉ. एच.बी. दास  
उप महाप्रबंधक  
(आंतरिक लेखा)  
Dr. H.B. Das  
Deputy General Manager  
(I/A)



श्री अमरीश गौतम  
उप महाप्रबंधक (कार्मिक)  
Sh. Amrisha Gautam  
Deputy General Manager  
(Personnel)



डॉ. सिद्धार्थ रथ  
उप महाप्रबंधक  
(तकनीकी)  
Dr. Sidharth Rath  
Deputy General Manager  
(Technical)



## क्षेत्रीय प्रबंधक REGIONAL MANAGER



श्री जे. नवुक्कारासु  
महालक्ष्मी चार रास्ता, उन्नति विद्यालय के  
सामने पालदी, अहमदाबाद-380007  
Sh. J. Navukkarasu  
Mahalaxmi Char Rasta, Opp. Unnati  
Vidyalaya, Paldi, Ahmedabad-380007



श्री विष्णु वर्धन मंगलम्  
नं.-9, मिशन रोड, पल्लवी कॉम्प्लैक्स,  
बेंगलुरु-560027  
Sh. Vishnu Vardhan Mangalam  
No. 9, Mission Road, Pallavi Complex,  
Bangalore-560027



श्री अनुराग पगारे  
75, अरेरा हिल्स, केन्द्रीय विद्यालय नं. 1  
के सामने, मैदा मिल, भोपाल-462011  
Sh. Anurag Pagare  
75, Arera Hills, Opp. Kendriya  
Vidyalay No. 1, Maida Mill,  
Bhopal-462011



श्री पी. सी. राय  
बे सं. 39-42, सैक्टर-31ए,  
चंडीगढ़-160030  
Sh. P. C. Rai  
Bay No. 39-42, Sector-31a  
Chandigarh-160030



श्री के.के. पांडा  
थिरुवल्लरीलम, 4, नॉर्थ एवेन्यू, श्री नगर  
कॉलोनी, सैदापेट, चेन्नई-600015  
Sh. K.K. Panda  
Thiruvallurillam, No. 4, North Avenue, Sri  
Nagar Colony, Saidapet, Chennai-600015



डॉ. अनुराग त्रिपाठी  
स्कोप मीनार, कोर-3, प्रथम तल, लक्ष्मी नगर,  
डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली-110092  
Dr. Anurag Tripathi  
Scope Minar, Core-3, 1<sup>st</sup> Floor, Laxmi  
Nagar District Centre, Delhi-110092



श्रीमती इमिली एस. ब्रिसोहबार  
39, सप्तसवाहद पथ, सारुमटोरिया,  
दिसपुर, गुवाहाटी-781006  
Smt. Emily S. Brisohbar  
39, Saptashvahid Path, Sarumotoria,  
Dispur, Guwahati-781006



श्री अजय जादू  
वेअरहाउसिंग सदन, गांधी भवन के पीछे,  
पीबी सं.-34, नामपल्ली, हैदराबाद-500001  
Sh. Ajay Zadoo  
Warehousing Sadan, Behind Near Gandhi  
Bhawan, Post Box No.-34, Nampally,  
Hyderabad-500001



श्री मनीष तायल  
ए-25, सिद्धार्थ हाउस, उद्योग भवन के सामने  
तिलक मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर-302005  
Sh. Manish Tayal  
A-25, Sidharth House, Opp. Udyog  
Bhawan, Tilak Marg, "C" Scheme  
Jaipur-302005



## क्षेत्रीय प्रबंधक REGIONAL MANAGER



श्री मनीष बी आर  
2253 डी. मावेली रोड, गांधी नगर,  
कदवंतरा, कोच्चि-682020  
Sh. Maneesh B R  
2253 D, Maveli Road, Gandhi Nagar  
Kadavanthara, Kochi-682020



श्री देबापती साहा चौधरी  
सीएमसी बिल्डिंग, फेस-1 छटा तल, न्यू मार्केट  
कॉम्प्लेक्स, 15-एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,  
कोलकाता-700087  
Sh. Debapati Saha Chowdhury  
CMC, Building, Phase-I, 6<sup>th</sup> Floor,  
New Market Complex, 15-N, Nellie  
Sengupta Sarani, Kolkata-700087



श्री शिवानंद राय  
वेअरहाउसिंग भवन रोडवेज वर्कशाप के निकट,  
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
Sh. Shivanand Rai  
Warehousing Bhawan, Near Roadways  
Workshop, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow-226010



श्री बी. निर्मल  
तुर्भे के पास रेलवे स्टेशन, वाशी,  
नवी मुंबई-400613  
Sh. B. Nirmal  
Near Turbhe, Railway Station,  
Vashi, Navi Mumbai-400613



श्री अभिषेक आनन्द  
मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल,  
डाक बंगला रोड, पटना-800001  
Sh. Abhishek Anand  
Maurya Lok Complex, Block-A,  
2<sup>nd</sup> Floor, Dak Bungalow Road,  
Patna-800001



श्री विनय चिरानिया  
(बीडीएल&सी) एन.ई. रीज़न  
Sh. Binay Chirania  
(BDL&C) N.E. Region



## बैंकर्स Bankers

State Bank of India

भारतीय स्टेट बैंक

Punjab National Bank

पंजाब नेशनल बैंक

Canara Bank

केनरा बैंक

Central Bank of India

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

UCO Bank

यूको बैंक

Bank of India

बैंक ऑफ इंडिया

Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा

IDBI Bank

आईडीबीआई बैंक

Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Punjab &amp; Sind Bank

पंजाब एंड सिंध बैंक

HDFC Bank

एचडीएफसी बैंक

शाखा लेखा परीक्षक  
Branch Auditors

मध्य क्षेत्र व उत्तरी क्षेत्र

Central Zone and Northern Zone

मैसर्स जे के सरावगी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

M/s. J K Sarawgi &amp; Company, Chartered Accountants

पूर्वी क्षेत्र

Eastern Zone

मैसर्स एम सी भंडारी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

M/s. M C Bhandari &amp; Co., Chartered Accountant

दक्षिण क्षेत्र

Southern Zone

मैसर्स ए वी रत्नम एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

M/s. A V Ratnam &amp; Co., Chartered Accountants

पश्चिमी क्षेत्र

Western Zone

मैसर्स छाजेड़ एंड दोशी, चार्टर्ड एकाउंटेंट

M/s. Chhajed &amp; Doshi, Chartered Accountants





## विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अशंधारियों को सूचना	xii
2.	लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य	xiii
3.	प्रमुख विशिष्टताएं	xv
4.	अध्यक्ष का अभिभाषण	1
5.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	6
6.	निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियों पर रिपोर्ट	45
7.	कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	53
8.	कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाणपत्र	65
9.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	67
10.	तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखे के विवरण (सामान्य निधि)	75
11.	सामान्य निधि अनुसूचियाँ	82
12.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	124
13.	केन्द्रीय भण्डारणग्रहों की सूची एवं उनकी भंडारण क्षमता	126

## CONTENTS

S. No.	Subject	Page
1.	Notice to Shareholders	154
2.	Mission, Vision & Objectives	155
3.	Highlights	157
4.	Chairman's Address	159
5.	Directors' Report	164
6.	Report on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities	203
7.	Report on Corporate Governance	211
8.	Compliance Certificate on Corporate Governance	223
9.	Auditors' Report	225
10.	Balance Sheet and Profit & Loss Accounts (General Fund)	233
11.	General Fund Schedules	240
12.	Report of the C&AG of India	282



## केन्द्रीय भण्डारण निगम (भारत सरकार का एक उपक्रम)

सं. केभनि / बीएण्डसी / एजीएम / 2022

दिनांक: 24 अगस्त, 2022

### सूचना

केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम, 20 के साथ पठित भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 13 (1) के अनुसरण में तथा कोविड-19 को देखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन हेतु जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि केन्द्रीय भण्डारण निगम के अंशधारियों की 60वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के द्वारा दिनांक 24.09.2022 को दोपहर 12.00 बजे केन्द्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, वेअरहाउसिंग भवन, 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जायेंगे:-

1. वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों तथा इन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के कार्यकलापों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट पर चर्चा तथा इनका अंगीकरण ।
2. वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अंतरिम लाभांश एवं घोषित अंतिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना ।
3. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/2/2016-नीति, दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा-निर्देशों पर निगम के अनुपालन नोट का अनुमोदन करना ।
4. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय ।

बैठक में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) द्वारा भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को प्रोक्सी फार्म (होलोग्राम लगा हुआ) (मूल-1) प्रमाणीकरण अधिकारी की मुहर के तहत विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प की एक प्रति के साथ भेजना होगा। प्रोक्सी फार्म (मूल-1)/संकल्प पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए तथा समय से पूर्व डाक/कोरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि वह सचिव कार्यालय, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली में दिनांक 20 सितम्बर, 2022 को 17.00 बजे तक अवश्य पहुँच जाएं। यह अनुरोध है कि संलग्न अनुलग्नक-क का संदर्भ लें जिसमें (वीसी/ओएवीएम) द्वारा की जाने वाली वर्चुअल बैठक के संबंध में विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं।

मौजूदा कोविड स्थिति के कारण तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम में प्रोक्सी-फार्म(मूल-1)/संकल्प समय पर जमा/प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे डाक/कोरियर द्वारा भेजने के अलावा अंशधारियों को सलाह दी जाती है कि वे विधिवत रूप से भरे हुए तथा स्कैन किए हुए होलोग्राम सहित प्रोक्सी फार्म को ई-मेल द्वारा secycwc@cewacor.nic.in पर अथवा व्हॉट्सएप नम्बर +919971236904 पर भेजें।

प्रोक्सी-1 फार्म/संकल्प प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा बैठक में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक को प्रोक्सी-1 फार्म/संकल्प में उपलब्ध कराए गए ई-मेल/मोबाइल पर 24.09.2022 को 10.00 बजे तक शेयर किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिभागी के मोबाइल के नंबर में व्हॉट्सएप सुविधा हो।

अंशधारी द्वारा वर्चुअल मीटिंग में सफल लॉग-इन उपस्थिति की गणना के लिए ई-वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति की पुष्टि करता है।

**u/w**

अधिनियम नियमों और सामान्य विनियमों के संबंधित प्रावधान

- क. कोई भी अंशधारी या प्रोक्सी धारक निगम की वार्षिक साधारण बैठक में शामिल अथवा वोट नहीं कर सकता जब तक प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी की मुहर के तहत हस्ताक्षरित विधिवत प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि तथा निर्धारित प्रपत्र विशेषकर वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान के उद्देश्य से प्रोक्सी-1 फार्म (मूल रूप में)/संकल्प को निगम के निगमित कार्यालय में 20 सितम्बर, 2022 को 17.00 बजे तक या उससे पूर्व डाक द्वारा भेजकर जमा न कराया जाए। सूचना की तिथि अर्थात् 24.08.2022 से पहले जारी और दिनांक 20.09.2022 के बाद जमा की प्रोक्सी-1/संकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा (केन्द्रीय भण्डारण निगम (सामान्य) विनियम, 1965 के विनियम 31 व 32)।
- ख. निगम का अंश रजिस्टर 26 अगस्त, 2022 से 24 सितम्बर, 2022 तक 30 दिनों के लिए बंद रहेगा (वेअरहाउसिंग कारपोरेशन नियम, 1963 का नियम 21)।
- ग. नियम के अनुसार, अंशधारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय भण्डारण निगम में दिनांक 24.09.2022 को 12.00 बजे आयोजित होने वाली अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने के लिए टीए/डीए के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

भवदीया

*जैसी जैसा*

**ह t c 1/2**

सचिव

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124 फैक्स नं.: 26518013

जन-जन के लिए भण्डारण / Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4/1, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016

Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016

ईपीबीएक्स EPBX: 011-26566107, एक्स. Extn. 263 ई-मेल E-mail: secycwc@cewacor.nic.in, वेब web: www.cewacor.nic.in



## लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण-अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

## दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

## उद्देश्य

- वैज्ञानिक भण्डारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भण्डारण, हैंडलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैंकिंग संस्थाओं एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भण्डारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैंडलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी.एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भण्डारण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।



## 2021-22 के दौरान निगम के निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

1. निगम ने पिछले वर्ष के 2168.13 करोड़ रुपये की तुलना में 2021-22 के दौरान 2232.20 करोड़ रुपये का व्यापार किया।
2. वित्त वर्ष 2021-22 दौरान कर पूर्व लाभ 589.73 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष 565.55 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष कर पश्चात् लाभ 438.17 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 450.56 करोड़ रहा।
3. वर्तमान वर्ष में खाद्यान्न का कुल क्षमता उपयोग 55.33 लाख मी.टन रहा जो पिछले वर्ष 49.92 लाख मी.टन था।
4. 14 राज्यों के 35 क्षेत्रों में 3,45,354 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।
5. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निवल मूल्य के 5% की दर से 141.25 करोड़ रुपये की लाभांश राशि भुगतान किया गया।
6. कीट नियंत्रण सेवाओं से 40.89 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।



श्री सुधांशु पांडे, आईएएस, सचिव (एफ एंड पीडी) श्री अशोक के.के. मीना, आईएएस, सीएमडी (एफसीआई) और श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक सीडब्ल्यूसी 7 अक्टूबर, 2022 को केआईएडीबी में सेन्ट्रल वेअर हाउस का उद्घाटन करते हुए





पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्य-निष्पादन की विशेषताएं

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल आय	1582.94	1604.62	1727.63	2168.13	2232.20
1क	परिचालन आय	1502.09	1519.51	1612.30	2056.75	2130.56
1ख	अन्य आय	80.85	85.11	115.33	111.38	101.64
2	व्यय	1417.17	1291.26	1236.66	1514.67	1548.64
3	ब्याज	4.40	1.04	0.82	0.89	0.76
4	मूल्यह्रास और परिशोधन	133.75	86.90	80.48	87.02	93.07
5	कर पूर्व आय (ईबीटी)	27.62	225.42	409.67	565.55	589.73
6	ब्याज और करों से पूर्व आय (ईबीआईटी)	32.02	226.46	410.49	566.44	590.49
7	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	31.88	163.61	372.32	438.17	450.56
8	ब्याज, कर और मूल्यह्रास/परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पूर्व आय	165.77	313.36	490.97	653.46	683.56
9	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए	10.47	19.53	28.42	30.14	30.62
10	वर्ष के लिए लाभांश	31.88	49.08	118.47	131.47	141.25
10क	पीएटी की % के रूप में लाभांश	100.00	30.00	31.82	30.00	31.35
10ख	निवल संपत्ति के % के रूप में लाभांश	1.66	2.41	5.01	5.12	5.00
10ग	शेयर पूंजी के % के रूप में लाभांश	46.87	72.16	174.17	193.28	207.66
11	कुल संपत्तियां	3010.27	2942.84	3317.58	3384.91	3638.54
12	परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात (%)	52.58	54.53	52.08	64.05	61.35
13	शेयर पूंजी	68.02	68.02	68.02	68.02	68.02
14	आरक्षित एवं अधिशेष	1856.51	1965.42	2298.58	2499.88	2756.94
15	व्यापार प्राप्तियां	409.31	309.75	250.36	170.26	295.75



क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
16	प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्तियां	99	74	57	30	51
17	31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या	3570	3042	2880	2642	2288
18	प्रति कर्मचारी आय	0.44	0.53	0.60	0.82	0.98
19	औसत क्षमता उपयोग (%)	78.73	82.91	84.35	87.09	89.57
20	वर्तमान अनुपात (%)	1.57	1.63	1.80	1.87	1.99
21	निवल मूल्य	1923.23	2032.36	2365.73	2567.90	2824.96
22	औसत निवल मूल्य	1923.38	1977.80	2199.05	2467.25	2696.43
23	निवल मूल्य पर वापसी (%)	1.66	8.27	16.93	17.76	16.71
24	कुल नियोजित पूंजी	1923.23	2032.36	2365.73	2567.90	2824.96
25	नियोजित पूंजी पर वापसी (%)	1.66	11.14	17.35	22.06	20.90
26	प्रति शेयर आय (ईपीएस) राशि रुपये में	468.68	2405.29	5473.60	6441.75	6623.80



श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, श्री अमित कुमार सिंह निदेशक (एमसीपी) और श्री अनुज कुमार निदेशक (वित्त) 60वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर शेयरधारकों के साथ बातचीत करते हुए

# अध्यक्ष का अभिभाषण



श्री वीरेंद्र सिंह, (60वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष) 24 सितंबर, 2022 को 60वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर शेयरधारकों को संबोधित करते हुए



## प्रिय अंशधारियों,

मैं निगम की 60वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के साथ जुड़ना खुशी की बात है, और आज आपकी मेजबानी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निगम और उसके प्रबंधन के प्रति आपके निरंतर विश्वास, प्रोत्साहन और विशेष सहयोग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह वास्तव में प्रशंसनीय है कि आपका निगम मजबूत और समृद्ध होकर उभर रहा है और नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे अपनी टीम वर्क और समर्पण पर पूरा भरोसा है। हम समय के अनुसार लगातार बढ़ते और विकसित होते हुए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य की ओर अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे आपको परिचालित किए गए हैं और आपकी सहमति से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानूंगा। इससे पहले कि मैं आपके निगम के प्रदर्शन के बारे में आपसे बात करूँ, मैं संक्षेप में आर्थिक परिदृश्य और वेअरहाउसिंग क्षेत्र में प्रचलित मौजूदा रुझानों पर ध्यान देना चाहता हूँ जिसमें आपका निगम काम कर रहा है।

## आर्थिक परिदृश्य

भारतीय वेअरहाउसिंग बाजार ने पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और घरेलू संस्थागत निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। वेअरहाउसिंग उन व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भौतिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, निर्यात और परिवहन में लगे हुए हैं। आज के समय के गोदाम निम्न-श्रेणी से गोदाम इन्सुलेशन, वेंटिलेशन, क्लाइमेट प्रूफिंग, निगरानी और मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं और आईटी बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण होकर स्मार्ट वेअरहाउस में बदल गए हैं। विशेष रूप से फार्मास्युटिकल, ई-कॉमर्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के विस्तार के बाद बड़े पैमाने पर असंगठित एवं भारी उद्योग से भारत में वेअरहाउसिंग का भी विकास हुआ है। हाल के वर्षों में अनुकूल सरकारी नीतियों और संस्थागत निवेशों से यह विकास संभव हो पाया है।

संयोग से, 2020 में फैली कोरोना वायरस महामारी वेअरहाउसिंग क्षेत्र में विकास, निवेश और तकनीकी प्रगति की गति को तेज करने में सफल रही है।

भारत का वेअरहाउसिंग क्षेत्र बड़े पैमाने पर निवेश के साथ धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। ऑटोमेशन और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए गोदाम के तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए बहुत सारी पूंजी आवंटित की जाती है।

## सरकारी नीतियां

वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक क्षेत्र के आगे बढ़ने और शहरी परिवहन को निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क और अन्य पहल स्थापित करने की सरकार की योजना के पीछे निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2022 ने आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता के लिए 7 इंजनों को शामिल करते हुए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के निष्पादन पर जोर दिया है।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। मास्टर प्लान की कसौटी विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढाँचा और लोगों और माल दोनों के आवागमन के विभिन्न तरीकों के बीच लॉजिस्टिक्स तालमेल होगा और शहरी परिवहन को रेलवे से जोड़ने के लिए परियोजनाओं और पहलों का स्थान नए वेअरहाउसिंग और देश भर में लॉजिस्टिक को बहुत बढ़ावा देगा।

## भंडारण में तकनीकी सुधार

प्रौद्योगिकी हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक निरंतर विकसित और निरंतर प्रभावशाली हिस्सा है – और यह इतनी



तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यह अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है कि आगे क्या होने वाला है। वेअरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में यह भावना विशेष रूप से सच है। यदि आप अपने ऑपरेशन में खरीदारी करते हैं, या खरीद को प्रभावित करते हैं, तो आप 'स्मार्ट वेयरहाउस' के उद्भव के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। स्मार्ट वेयरहाउस का सपना आज एक वास्तविकता बन रहा है, जो रेडी-टू-परचेज प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित है जो गोदामों के व्यवसाय करने के तरीके को बदल रहे हैं।

### वित्तीय विशिष्टताएं

आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष के 2168.13 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 2232.20 करोड़ रुपये रहा अर्थात् इसमें 64.07 करोड़ रुपये यानि गत वर्ष की तुलना में 2.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 565.55 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान कर पूर्व लाभ 589.73 करोड़ रुपये रहा अर्थात् 4.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 438.17 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2021-22 में कर पश्चात् लाभ 450.56 करोड़ रु. रहा यानि इसमें 2.83 प्रतिशत की वृद्धि दिख रही है।

### आपरेशनल प्रदर्शन

आपके निगम ने 102.63 लाख मीट्रिक टन (प्रबंधन क्षमता को छोड़कर) की कुल परिचालन भंडारण क्षमता वाले 424 वेअरहाउस का प्रचालन किया है। इसमें 39 कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस, 21 सीएफएस/डीपीई/आईसीडी, 01 इंटीग्रेटेड रेल टर्मिनल- कलंबोली, 01 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी)-गोवा, अकम्पनीड बैगेज वेयरहाउस (एबीडब्ल्यू)-आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम, दिल्ली, 01 तापमान नियंत्रित यूनिट-वाशी, 02 एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) - अटारी और पेट्रापोल शामिल हैं। वर्ष के दौरान, 14 राज्यों में 35 स्थानों पर 3.45 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है और वेअरहाउसों के अपग्रेडेशन की योजना के अनुरूप पहले से मौजूद 45 वेअरहाउसों में 1.23 लाख मी.टन क्षमता को अपग्रेड किया गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान परिसंपत्ति मुद्रीकरण के अन्तर्गत 3.83 लाख मी.टन क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले कुल 4.68 लाख मी.टन क्षमता का निर्माण/अपग्रेडेशन किया गया।

निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष के 87.09% की तुलना में औसत क्षमता उपयोग 89.57 प्रतिशत दर्ज किया है।

### सूचना प्रौद्योगिकी

आपके निगम ने कार्यों के डिजिटलीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे: -

ई-लिटिगेशन पोर्टल, डेटा लीक प्रिवेंशन, सी कार्गो मेनिफेस्ट तथा ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन, बोर्ड स्तर की बैठकों के स्वचालन तथा अन्य आईटी टूल्स शुरू किए हैं। इसके अलावा वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (WMS) को अपनाने के साथ वेअरहाउस को सभी गतिविधियों तथा पूरे संचालन में दक्षता और रीयल टाइम जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

### गुणवत्ता प्रबंधन

वर्तमान में आपका निगम आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस: गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), 14001:2015 (ईएमएस: पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), 45001:2018 (ओएचएसएस: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) और एबीएमएस 37001:2016 (एबीएमएस: रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली) के तहत प्रमाणित है। निगम ने आग, संधमारी (Burglary), दुर्घटना और भूकंप आदि के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/गोदामों में आईएसओ मानदंडों के तहत सुरक्षा लेखा परीक्षा का कार्यान्वयन भी शुरू किया है।



## भविष्य का दृष्टिकोण

ऐसी संभावना है कि तकनीकी नवीनता और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण, वेअरहाउसिंग की मूल संरचना में बदलाव होना अनिवार्य है। इसे दो भागों में बांटा जाएगा

अर्थात् (1) कृषि उत्पादों की बल्क भंडारण एवं उनका रख-रखाव के साथ-साथ उनकी प्रोसेसिंग तथा (2) तैयार व्हाइट/ब्राउन गुड्स के भंडारण, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग और वितरण।

इसे ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय भंडारण निगम उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां 100% स्वचालन के साथ बल्क भंडारण अवसंरचना (जैसे साइलोज) का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम रेल और सड़क दोनों के माध्यम से ऐसी वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आने का प्रयास करेगा।

दूसरे प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे केन्द्रीय भंडारण निगम ने मुख्य रूप से माना है उनमें मुख्य ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खरीदे, संग्रहीत और वितरित किए गए माल के लिए होगा। इसलिए, केन्द्रीय भंडारण निगम स्वचालन के साथ समर्थित ई-कॉमर्स की जरूरतों के अनुसार इन सुविधाओं को अपग्रेड करेगा।

वेअरहाउस प्रचालन को मजबूत करने, लचीले वेअरहाउस डिजाइन और प्रचालन बनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आईटी टूल्स के उपयोग के माध्यम से निगम वैश्विक परिदृश्य के साथ विकसित होने और बदलने की राह पर है।

## राज्य भंडारण निगम

31 मार्च, 2022 को 19 राज्य भण्डारण निगम हैं। आपके निगम के पास इन 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) में 50% इक्विटी है, शेष 50% इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों की है। 31 मार्च, 2022 तक ये राज्य भंडारण निगम 502.60 लाख मी.टन की कुल भंडारण क्षमता वाले 2190 वेअरहाउसों के नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं।

## सहायक कंपनी: सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (CRWC)

सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) 2007 से निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निगम ने उनकी इक्विटी में 40.56 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सीआरडब्ल्यूसी 3.55 लाख मी.टन की कुल भंडारण क्षमता तथा 2.59 लाख मी.टन की रेटेड क्षमता के साथ 20 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) चला रहा है। वर्ष 2021-22 के दौरान सीआरडब्ल्यूसी ने केन्द्रीय भंडारण निगम को 8.50 करोड़ रु लाभांश दिया। दिनांक 06.07.2021 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने केन्द्रीय भंडारण निगम के साथ सीआरडब्ल्यूसी के विलय की कैबिनेट मंजूरी की सूचना दी तथा अब इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं निगमित प्रशासन(कारपोरेट गवर्नेंस)

आपका निगम सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के निर्देशों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित कर रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में 802.52 लाख रुपये खर्च किए हैं। निगम ने हितधारकों के लिए अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का पालन किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र वर्ष 2021-22 की निदेशक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में दिया गया है।



## पुरस्कार और सम्मान

आपके निगम को वर्ष 2021 के लिए निगम की गृह पत्रिका भंडारण भारती को सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को भी वर्ष 2021-22 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) द्वारा राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है।

## स्वीकृति

निदेशक मंडल की ओर से, मैं सभी हितधारकों अर्थात् हमारे शेयरधारकों, जमाकर्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, रणनीतिक भागीदारों, बैंकों, बीमा कंपनियों के विश्वास और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने प्रमुख जमाकर्ताओं जैसे भारतीय खाद्य निगम, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, नेफेड, भारतीय कपास निगम और विशेष रूप से कृषक समुदाय को उनके निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आने वाले वर्षों में बेहतर सेवाएं देने का आश्वासन देता हूँ।

मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

निगम को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं सभी कर्मचारियों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके निरंतर समर्थन के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं निदेशक मंडल और प्रबंधन की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम अपने सभी हितधारकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेंगे।

धन्यवाद, जय हिंद।



केन्द्रीय भण्डारण निगम

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट



केन्द्रीय भण्डार अहमदाबाद-I





**प्रिय अंशधारियो,**

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखों के विवरण सहित निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास, लेखा परीक्षकों के अनुपालन प्रमाण पत्र सहित कारपोरेट गवर्नेंस, लेखों के लेखा परीक्षित विवरण के साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) की टिप्पणी और केंद्रीय भण्डारण निगम (केभनि) के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने अब तक का अधिकतम टर्नओवर और लाभ प्राप्त किया है।

**1.) वित्तीय परिणाम**

(करोड़ रु. में)

विवरण	2021-22	2020-21
प्रचालनों से राजस्व	2130.56	2056.75
अन्य आय	101.64	111.38
कुल आय	2232.20	2168.13
कुल खर्च	1642.47	1602.58
प्रचालित लाभ	488.08	454.16
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	589.73	565.55
मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ (पीबीडीटी)	682.80	652.57
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	450.56	438.17
नियोजित पूंजी	2824.96	2567.90
निवल मूल्य	2824.96	2567.90
औसत निवल मूल्य	2696.43	2467.25
पूंजी व्यय	253.04	239.66
पूंजी व्यय तीसरी तिमाही अर्थात् 31 दिसम्बर समाप्त होने के बाद	188.56	123.52
प्रदत्त लाभांश/देय	141.25	131.47
लाभांश/कर पश्चात् लाभ (%)	31.35	30.00
प्रचालन लाभ/प्रचालनों से राजस्व (%)	22.91	22.08
पीएटी/निवल मूल्य (%)	15.95	17.06
पीएटी/औसत निवल मूल्य (%)	16.71	17.75
लाभांश/निवल मूल्य (%)	5.00	5.12
प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्ति योग्य व्यापार	51	30



### 1.1 वित्तीय विशिष्टताएं

आपके निगम का टर्नओवर गत वर्ष के 2168.13 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 में 2232.20 करोड़ रुपये रहा अर्थात् इसमें 64.07 करोड़ रुपये यानि गत वर्ष की तुलना में 2.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 565.55 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान कर पूर्व लाभ 589.73 करोड़ रुपये रहा अर्थात् 4.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गत वर्ष के 438.17 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2021-22 में कर पश्चात लाभ 450.56 करोड़ रु. रहा यानि इसमें 2.83 प्रतिशत की वृद्धि दिख रही है।

### 1.2 लाभांश


वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड ने पहले ही 127.12 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान कर दिया है और 14.13 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश प्रस्तावित है जो इसके 2824.96 करोड़ रु. के निवल मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से कुल 141.25 करोड़ रु. है। निगम लाभांश के भुगतान के लिए निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के दिनांक 27.05.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी दिशा-निदेशों का पालन कर रहा है जिसमें न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान कर पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत की दर या निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर (जो भी अधिक हो) से भुगतान करने का प्रावधान है। निगम ने वर्ष 2021-22 के दौरान 180.97 करोड़ रु. के कुल लाभांश का भुगतान किया है जिसमें बोर्ड/वार्षिक साधारण बैठक द्वारा अनुमोदित वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 127.12 करोड़ रु, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 15.91 करोड़ रु., 2019-20 के लिए 6.80 करोड़ रु. और वर्ष 2015-16 के लिए 31.14 करोड़ रु. शामिल हैं। वर्ष 2021-22 के लिए देय 14.13 करोड़ रु. के प्रस्तावित लाभांश को इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बहियों में लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

### 1.3 लॉजिस्टिक लागत में कमी

निगम समय के साथ अपनी दक्षता बढ़ा रहा है और निगम द्वारा किए गए लॉजिस्टिक लागत में कमी आई है जिससे सामान्य किसानों और विशेष रूप से खाद्यान्न के व्यापारियों में लॉजिस्टिक क्षेत्र को लाभ होगा। भा.खा.नि. द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम को देय भंडारण प्रभार वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5.39 रुपये प्रति बैग प्रति माह से कम करके वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 4.96 रुपए प्रति बैग प्रति माह कर दिया गया है।

भा.खा.नि. द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम को देय भंडारण प्रभारों का तुलनात्मक प्रभार निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	प्रत्येक माह प्रति बैग राशि (रुपए में)
1	2018-19	5.39
2	2019-20	5.07
3	2020-21	4.96





## 2. प्रचालनात्मक निष्पादन

2.1 आपका निगम 424 वेअरहाउस चला रहा था जिनकी कुल प्रचालनात्मक भंडारण क्षमता 102.63 लाख मी. टन (प्रबंधन क्षमता को छोड़कर) है। इसमें 39 कस्टम बांडेड वेअरहाउस, 21 सीएफएस/आईसीडी, एक एकीकृत रेल टर्मिनल-कॉलम्बोली एवं 1 एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी)-गोवा, एक अकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू)-आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालम, दिल्ली, 1 तापमान नियंत्रित यूनिट-वाषी, 2 एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) अटारी एवं पेट्रापोल हैं। वर्ष के दौरान 3,45,354 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया।

वर्ष 2021-22 के दौरान 87.09 प्रतिशत की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 89.57 प्रतिशत रहा। गत दो वर्ष की तुलना में रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम के भौतिक निष्पादन की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है:-


क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21	2019-20
1	औसत प्रचालन क्षमता (लाख मी.टन)	114.58	106.78	100.18
2	औसत क्षमता उपयोग (लाख मी.टन)	102.63	93.00	84.50
3	वस्तुवार औसत उपयोग (%)	89.57	87.09	84.35

वर्ष 2021-22 के दौरान वस्तुवार औसत उपयोगिता नीचे दी गई है

क्र.सं.	विवरण	2021-22
1.	औसत प्रचालन क्षमता (लाख मी.टन)	114.58
2.	औसत क्षमता उपयोग (लाख मी.टन)	102.63
3.	औसत क्षमता उपयोग (%)	89.57
4.	वस्तुवार औसत उपयोग (लाख मी.टन)	
(i)	खाद्यान्न	55.33
(ii)	डेडिकेटिड वेअरहाउसिंग	15.67
(iii)	कॉटन	12.76
(iv)	सीएफएस/आईसीडी और आईसीपी	14.68
(v)	अन्य वस्तुएं	4.19
(vi)	कुल	102.63

### 2.2 आईसीडी/सीएफएस/एसीसी/एबीडब्ल्यू का प्रचालन:

कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं मुख्य पोर्टों पर कंटेनरों की "डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी" में वृद्धि के बावजूद आपके निगम ने रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने 21 कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैंड क्लियरेंस डिपो (आईसीडी) द्वारा 8.77 लाख टीईयू हैंडल किए। वर्ष के दौरान आपके निगम ने गोवा में एक एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) एवं आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली में एक अकम्पनीड बैगेज वेअरहाउस (एबीडब्ल्यू) का प्रचालन भी किया है।



### 2.3 कार्गो टर्मिनल एवं एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी):

एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी), अटारी (अमृतसर के पास भारत-पाक सीमा पर) के कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा निगम को सौंपा गया है। भारत-पाक सीमा पर आवाजाही में प्रतिबंध के कारण इस आईसीपी का निष्पादन प्रभावित हुआ है तथा यहां 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई और वर्ष 2021-22 के दौरान 8.93 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर पैट्रपोल, (पश्चिम बंगाल) में लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) सड़क मार्ग से बांग्लादेश के साथ आयात-निर्यात व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है, इसे 12 फरवरी, 2016 में एकीकृत चैक पोस्ट (आईसीपी) में परिवर्तित कर दिया गया। आईसीपी, पैट्रपोल सुविधा का प्रबंधन कार्य लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीएआई) द्वारा आपके निगम दीर्घ अवधि आधार पर सौंपा गया। समीक्षा वर्ष के दौरान, इस सुविधा से 113% क्षमता उपयोग दर्ज किया गया और 23.54 करोड़ रु. का सकल राजस्व अर्जित किया गया।

### 2.4 कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) प्रचालन:

निगम लगातार अन्य कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) की ट्रेनों के माध्यम से लोनी तथा मुंद्रा एवं पिपावाव बन्दरगाहों के बीच आयात-निर्यात कंटेनरों के परिवहन के अतिरिक्त जेएन पोर्ट तथा आईसीडी, तुगलकाबाद के बीच कंटेनर ट्रेन चला रहा है। निगम ने वर्ष 2020-21 के दौरान आईसीडी, एसीटीएल बल्लभबढ़ के माध्यम से आईसीडी पटपडगंज और गेट वे बंदरगाहों के बीच एकजीम कंटेनरों के परिवहन के लिए दिनांक 7.10.2021 को मैसर्स एसीटीएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने वर्ष 2018-19 में शुरू किए गए आईआरटी, कालम्बोली में रेल द्वारा कार्गो परिवहन की हैंडलिंग जारी रखी।

### 2.5 वेअरहाउसिंग (विकास एवं विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन वेअरहाउसों का पंजीकरण:

31.03.2022 को निगम के कुल 344 वेअरहाउस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत किए गए हैं जिसका उद्देश्य डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत ऐसे वेअरहाउसों द्वारा जारी इलैक्ट्रानिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों एवं अन्य को ऋण की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निगम के 37 वेअरहाउसों को सब मार्केट यार्ड के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वेअरहाउसों को ई-नाम (ई-एनएम) के साथ भी जोड़ा गया था और ये मार्केट यार्ड के रूप में काम करेंगे जहां किसान अपने उत्पाद का भंडारण और बिक्री कर सकते हैं। इसके साथ ही निगम के हरियाणा में 24



श्री वीरेंद्र सिंह (60वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष), प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अन्य निदेशकों के साथ 24 सितंबर, 2022 को 60वीं वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर 65वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए।

सैंट्रल वेअरहाउसों को हरियाणा सरकार द्वारा नवम्बर, 2020 में और सैंट्रल वेअरहाउस, पुडुचेरी किसान उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्यिक अधिनियम, 2020 के अंतर्गत व्यापार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। राजस्थान के जयपुर क्षेत्र के 21 सैंट्रल वेअरहाउस को वेअरहाउस आधारित बिक्री के लिए मंडी यार्ड घोषित किया गया था।

### 2.6 निजी फ्रेट टर्मिनलों (पीएफटी) का विकास:

निगम ने पूर्व में नाभा एवं कालम्बोली में शुरू किए पीएफटी के बाद अपना तीसरा पीएफटी बामनहेड़ी, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) में शुरू किया है। पीएफटी बामनहेड़ी, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) का संचालन फरवरी, 2021 से शुरू हुआ है। निगम मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर को वाशी में ग्रीनफील्ड पीएफटी और मिराज (महाराष्ट्र) में ब्राउनफील्ड पीएफटी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है।

### 2.7 आईआरटी वेअरहाउस, कालम्बोली और पीएफटी बामनहेरी में हैंडल की गई गुड्स ट्रेन:

आईआरटी, कालम्बोली में वर्ष के दौरान 274 गुड्स ट्रेन हैंडल की गईं और 52 गुड्स ट्रेन पीएफटी बामनहेरी में हैंडल की गईं थीं।

### 3. पूंजी संरचना

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह क्रमशः 100 करोड़ रु. और 68.02 करोड़ रु. रही। अंशधारण पद्धति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, अन्य अधिसूचित बैंक, सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां और कृषि उत्पादों का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएं/कंपनियां अंशधारी हैं। निगम का शेयर होल्डिंग पैटर्न निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रु. में)	अंश का प्रतिशत (%)
1	केन्द्र सरकार	37.42	55.02
2	भारतीय स्टेट बैंक	14.74	21.67



3	अन्य अधिसूचित बैंक	10.92	16.05
4	बीमा कम्पनिया	04.78	7.02
5	सरकारी क्षेत्र में शेयरधारिता संस्थान	0.15	0.23
6	कृषि उत्पाद और अन्य अधिसूचित वस्तुओं में डीलिंग करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान	0.01	0.01

#### 4. पूंजी व्यय:

नई भंडारण क्षमता के निर्माण, मौजूदा वेअरहाउसिंग क्षमता का अपग्रेडेशन, भूमि अधिग्रहण, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्नीचर और अन्य उपकरण इत्यादि पर 253.04 करोड़ रु. का पूंजी व्यय किया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान 14 राज्यों में 35 स्थानों पर 3,45,354 मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया। वर्ष के दौरान गोदाम के अपग्रेडेशन की योजना के अनुरूप 45 मौजूदा गोदामों में 1,22,22 मी.टन क्षमता का अपग्रेडेशन किया गया। इस प्रकार वर्ष के दौरान संपत्ति मुद्रीकरण के तहत 383 लाख मी.टन के लक्ष्य के मुकाबले कुल 4.68 लाख मी.टन क्षमता का निर्माण किया गया। केन्द्रवार क्षमता का विवरण नीचे दिया गया है:

#### सौपी गई क्षमता का केन्द्रवार विवरण 2021-22

क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य	केन्द्र	क्षमता (मी.टन में)
1	अहमदाबाद	गुजरात	कराचिया	1382
2	अहमदाबाद	गुजरात	शाहआलम	12000
3	बंगलौर	कर्नाटक	देवेनगिरी	1500
4	बंगलौर	कर्नाटक	सेदम	7645
5	बंगलौर	कर्नाटक	हुबली	12267
6	बंगलौर	कर्नाटक	केआईएडीबी	126583
7	भोपाल	मध्य प्रदेश	छिंदवाडा	13063
8	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	मण्डी	612
9	चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश	देहरा	3231
10	चंडीगढ़	पंजाब	नाभा	12528
11	चैन्नई	तमिलनाडु	मदुराई	1048
12	चैन्नई	तमिलनाडु	माधवरम	4720
13	चैन्नई	तमिलनाडु	त्रिची	6264
14	चैन्नई	तमिलनाडु	थंजावुर	2800
15	गुवाहाटी	त्रिपुरा	जोरहाट	843
16	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	अनकापल्ली	6264
17	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	विजाग-1,	8062
18	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कडप्पा	6264
19	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	विजयवाडा	9300
20	हैदराबाद	तेलंगाना	बोधन	3237
21	जयपुर	राजस्थान	बारन	12654
22	जयपुर	राजस्थान	कोटपुतली	9155



क्र. सं.	क्षेत्र	राज्य	केन्द्र	क्षमता (मी.टन में)
23	जयपुर	राजस्थान	सीकर	6903
24	जयपुर	राजस्थान	हनुमानगढ़	3020
25	जयपुर	राजस्थान	चौमू	13805
26	कोच्चि	केरल ज़मतंस	थल्लासिरी	12522
27	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बहराइच	1839
28	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बस्ती	2016
29	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	बेस डिपो मुजफ्फरनगर-पीएफटी	15155
30	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	लखनऊ-2	1616
31	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	राबटर्सगंज	1839
32	मुम्बई	महाराष्ट्र	नागपुर	7435
33	मुम्बई	महाराष्ट्र	अंबड नासिक	8039
34	पटना	उड़ीसा	बरगढ़	1147
35	पटना	उड़ीसा	जटनी	8596
			<b>कुल</b>	<b>345354</b>
36	45 वेअरहाउसों का अपग्रेडेशन			122922
			<b>कुल योग</b>	<b>468276</b>

31.03.2022 को 65 वेअरहाउसों के अपग्रेडेशन का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके निगम ने देश के विभिन्न स्थानों में 3.84 लाख मी.टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता के देश भर में खाली पड़ी जमीन पर सैन्ट्रल वेअरहाउस कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों को शुरू किया है।

संपत्ति मुद्रीकरण के तहत केन्द्रीय भंडारण निगम के मौजूदा वेअरहाउसों में ई-कामर्स, कोल्ड चैन और मोबाइल टावर कम्पनियों द्वारा 25 करोड़ रु. के लक्ष्य के मुकाबले 90.69 करोड़ रु. का निजी निवेश किया गया है।

## 5. सूचना प्रौद्योगिकी

5.1 वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस), वेअरहाउसिंग की सभी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए निगम के सभी गोदामों में क्लाउड-आधारित एप्लिकेशन लागू किया गया है और इसे ई-चालान, वित्तीय लेखांकन और बैंकिंग समाधानों के साथ विधिवत एकीकृत किया गया है। वर्ष के दौरान 'ग्राहक प्रतिक्रिया', प्रबंधन वेअरहाउसिंग, व्यावसायिक अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, डब्ल्यूडीआरए रिपोर्टिग के साथ एकीकरण आदि के लिए नई सुविधाओं को शामिल किया गया है।

5.2 गोदामों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए देशभर में 418 वेअरहाउसों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। 310 गोदामों का लाइव सीसीटीवी वेब फीड कॉर्पोरेट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

5.3 केन्द्रीय भंडारण निगम और सीआरडब्ल्यूसी के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम (बीटीएस) को एक मंच के माध्यम से बिलों की मूवमेंट और ऑनलाइन भुगतान की स्थिति को ट्रैक करने के लिए लागू किया गया है।

5.4 एचआरएमएस एप्लीकेशन कर्मचारियों के पेरोल और कर्मचारियों की सेल्फ सर्विस के लिए लागू किया गया है जिसमें वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, परिवीक्षा पूर्णता रिपोर्ट, छुट्टी, उपस्थिति, यात्रा अनुरोध, ऑनलाइन परिवीक्षा मंजूरी के लिए मॉड्यूल की प्रतिपूर्ति, ऑफिशियल ड्यूटी का ऑनलाइन नियमितीकरण, लैपटॉप/मोबाइल खरीद और



प्रतिपूर्ति आदि शामिल हैं। सीआरडब्ल्यूसी के लिए भी एचआरएमएस एप्लीकेशन लागू किया गया है। सीडब्ल्यूसी का हैंडी एचआर मोबाइल एप्लीकेशन, जियो-फेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में सीआरडब्ल्यूसी के लिए लाइव किया गया है।

5.5 लंबित अदालती मामलों/मध्यस्थता मामलों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई-लिटीगेशन पोर्टल को लाइव कर दिया गया है।

5.6 निगमित कार्यालय में सभी विभागों के लिए मासिक निष्पादन रिपोर्ट के ऑनलाइन जेनरेशन को स्वचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।

5.7 डेटा लीक प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉफ्टवेयर निगमित कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सिस्टम में लागू किया गया है। यह संबंधित पीसी/लैपटॉप पर गतिविधियों की निगरानी करता है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

5.8 सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेगुलेशन (एससीएमटीआर) पूरे भारत में 10 स्थानों पर लागू किया गया है। सीमा शुल्क से संबंधित मामलों/प्रश्नों के पंजीकरण और निगरानी के लिए ई-वॉल्ट सॉफ्टवेयर को लाइव कर दिया गया है।

5.9 एक अद्यतन करियर पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और इसे निगमित कार्यालय तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए करियर पोर्टल के माध्यम से कंसल्टेंट और एडवाइज़र के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने को सक्षम किया गया है। सीआरडब्ल्यूसी के लिए करियर पोर्टल को लाइव कर दिया गया है और करियर पोर्टल के माध्यम से कंसल्टेंट और एडवाइज़र के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। बाद में आने वाली प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण करने सहित संशोधित कैरियर पोर्टल शुरू किया गया है।

5.10 आईसीडी/सीएफएस सॉफ्टवेयर सीएफएस/आईसीडी में प्रचालन के प्रबंधन के लिए सीएफएस/आईसीडी में प्रदान की गई सेवाओं के लिए चालान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर एकाउंटिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकृत है। ग्राहकों को UPI के माध्यम से चालान का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए ई-इनवाइस पर bc2 UPI QR कोड लागू किया गया है।

5.11 सरकारी संस्थानों से लेकर निजी जमाकर्ताओं, ई-कामर्स कंपनियों तक सभी प्रकार की व्यवसायिक आवश्यकताओं के लिए ऑन-डिमांड वेअरहाउसिंग स्पेस प्रदान करने के लिए निगम के वेअरहाउस एग्रीगेशन पोर्टल के फेज-1 को लाइव बना दिया गया है, जहां ग्राहक अपने इच्छित स्थान को ढूंढ कर स्पेस बुक कर सकते हैं।

5.12 निरीक्षण विभाग के लिए सिक्थोरिटी ऑडिट कम्प्लायंस सॉफ्टवेयर लाइव बना दिया गया है जहां आवश्यक मानीटरिंग और रिकार्ड रखना महत्वपूर्ण है उसके लिए/किसी भी गैर अनुपालन के मामले में सॉफ्टवेयर विभाग को सक्रिय रूप से निगरानी करने और आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। निगम में सुरक्षा अनुपालन के लिए विभाग उत्तरदायी है।

5.13 निगम द्वारा सतर्कता ई-बुक "सतर्कता संवेदन 2021", डिजीटली लांच की गई। वर्ष 2022 के डिजीटल कैलेण्डर और डिजीटल डायरी भी लांच की गई।

5.14 ई-ऑफिस-ट्रांजेक्शन, मानीटरिंग मॉड्यूल लांच किया गया जिसको ई-ऑफिस द्वारा निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक, विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंधक की भी पहुंच में है।

5.15 निगमित कार्यालय में स्वतः प्रशिक्षण प्रक्रिया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) लांच किया गया है।

5.16 डायनमिक री-डिजाइनड कॉरपोरेट वेबसाइट लॉन्च की गई।

5.17 अभियांत्रिकी विभाग के प्रत्येक चरण की स्वचालित ट्रेकिंग के लिए अभियांत्रिकी विभाग में अनुबंध प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है।





5.18 सीएफएस व्हाइटफील्ड में जमाकर्ताओं को उनके मौजूदा स्टाफ को देखने की अनुमति देने के लिए, उनके कार्गो की वर्तमान स्थिति जानने के लिए, पेमेंट गेट वे का उपयोग करके भुगतान न किए गए बिलों का भुगतान करने के लिए ओर विभिन्न अन्य स्वयं सर्विस के लिए थर्ड पार्टी मॉड्यूल लागू किया गया है।

5.19 बोर्ड स्तर की बैठकों के स्वचालन के लिए सॉफ्टवेयर लागू किया गया है।

5.20 आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा एप्लीकेशन को लाइव शुरू किया गया है, इससे आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की प्रक्रियाओं को पेपरलेस कार्य के साथ रिपोर्ट जारी करने में सक्षम बनाने, उत्तर प्रस्तुत करने और इसके सिंगल विंडो संकल्पना में अनुपालन किया है। लेखा परीक्षित के साथ-साथ लेखा परीक्षित को पोर्टल के माध्यम से उत्तर/टिप्पणियां/अनुपालन देने में आसानी होती है, जिससे रिपोर्ट की ट्रेकिंग के साथ-साथ त्वरित आवाजाही होती है। पोर्टल के माध्यम से रिपोर्ट को कहीं से भी और कभी भी देखा जा सकता है। एप्लीकेशन न केवल पारदर्शिता लाती है बल्कि निगरानी और एक्सेस में आसानी होती है ओर ऑडिट चक्र के समय को कम करता है।

## 6. मानकीकरण/प्रमाणन

वर्तमान में आपका निगम आईएसओ 9001:2015 (क्यूएमएस: गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), 14001:2015 (ईएमएस: पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), 45001:2018 (ओएचएसएस: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) और एबीएमएस 37001:2016 (एबीएमएस: रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली) के तहत प्रमाणित है।

निगम ने आग, संधमारी, दुर्घटना और भूकंप आदि के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/गोदामों में आईएसओ मानदंडों के तहत सुरक्षा लेखा परीक्षा का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। निगम ने बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और पर्यावरण के संबंध में गोदामों को अपग्रेड करने के लिए भी पहल की है। निगम के कर्मचारियों को विभिन्न आईएसओ प्रमाणनों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

## 7. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी):

सैंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सीआरडब्ल्यूसी) केंद्रीय भंडारण निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका गठन 2007 को किया गया था और इसने 24 जुलाई, 2007 को व्यावसायिक शुरुआत के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया। केंद्रीय भंडारण निगम ने इसकी इक्विटी में 40.56 करोड़ रुपये का निवेश किया है। सीआरडब्ल्यूसी संपूर्ण भारत वर्ष में 3.55 लाख मी.टन की भंडारण क्षमता के साथ 20 रेलसाइड वेअरहाउस कॉम्प्लेक्सों का परिचालन कर रही है। सीआरडब्ल्यूसी के निष्पादन बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

### 7.1 आय और लाभ

सीआरडब्ल्यूसी ने परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में उत्कृष्ट वृद्धि हासिल की है और वर्ष के दौरान अब तक का सबसे अधिक कारोबार और कर पश्चात लाभ हासिल किया है। कंपनी की कुल आय 31 प्रतिशत बढ़कर 128.55 करोड़ रु हो गई जो वित्त वर्ष 2020-21 में 98.12 करोड़ थी। वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी 63 प्रतिशत बढ़कर 31.65 करोड़ रु. हो गया जो वित्त वर्ष 2020-21 में 19.37 करोड़ रु. था।


(करोड़ रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
टर्नओवर	128.55	98.12
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	42.54	25.91
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	31.65	19.37
वर्ष के लिए लाभांश	9.50	7.50



## 7.2 भौतिक प्रदर्शन

31 मार्च, 2022 तक, सीआरडब्ल्यूसी ने 3.55 लाख मी.टन की कुल परिचालन क्षमता और 2.59 लाख मी.टन की रेटेड क्षमता के साथ 20 रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स संचालित किए। राजस्व (पीएमटी) के आधार पर वर्ष 2020-21 में 72.06 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए औसत क्षमता उपयोग 97.89 प्रतिशत रहा। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में 63.02 लाख मी.टन को हैंडल किया है जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 48.63 लाख मी.टन का हैंडल किया है।



## 7.3 निर्माणाधीन परियोजनाएं:

### क) मंचेश्वर, ओडिशा में रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स

मंचेश्वर में आरडब्ल्यूसी के निर्माण कार्य का अनुबंध मार्च, 2020 में 9500 मीट्रिक टन क्षमता के साथ दिया गया था और मेसर्स राइट्स लिमिटेड को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे दिसंबर, 2022 तक पूरा करने की योजना है।

### ख) गांधीधाम, गुजरात में रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स

गांधीधाम में आरडब्ल्यूसी के निर्माण कार्य के लिए 13500 मीट्रिक टन क्षमता का अनुबंध जून, 2021 में दिया गया है और मेसर्स राइट्स लिमिटेड को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। निर्माण मई, 2021 में शुरू हो गया है और दिसंबर, 2022 तक पूरा करने की योजना है।

### ग) पश्चिम बंगाल के संकरैल में रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स

संकरैल, पश्चिम बंगाल में आरडब्ल्यूसी के निर्माण कार्य के लिए 13500 मी. टन क्षमता का अनुबंध जून, 2021 में प्रदान किया गया था। हालांकि, संरचना के पुनः डिजाइन के कारण प्रदान किया गया कार्य बंद कर दिया गया है और नई निविदा आमंत्रित की जा रही है। इसे दिसंबर, 2023 तक पूरा करने की योजना है।

### घ) गाजियाबाद, यूपी में रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स

7500 मीट्रिक टन क्षमता के साथ गाजियाबाद, यूपी में मौजूदा आरडब्ल्यूसी में अतिरिक्त गोदाम का निर्माण कार्य नवंबर, 2021 में प्रदान किया गया था। निर्माण कार्य चल रहा है और नवंबर, 2022 तक पूरा करने की योजना है।

### ड) भोपतपुर, यूपी में गुड्स शेड:

इज्जतनगर मंडल पर शाहजहांपुर और पीलीभीत स्टेशन के बीच गुड्स शेड फ्रेट टर्मिनल के विकास के लिए कार्य आदेश अक्टूबर, 2021 में दिया गया था और यह प्रक्रियाधीन है। इसे जुलाई, 2022 तक पूरा करने की योजना है।

## 7.4 निर्माण के लिए नियोजित नई परियोजनाएं:

### (क) रेल मंत्रालय के साथ संशोधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन



दिनांक 14.05.2021 को रेल मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और सीआर डब्ल्यूसी के बीच संशोधित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर को हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसने विस्तार के लिए सीआरडब्ल्यूसी के लिए व्यापक गुंजाइश और व्यावसायिक संभावनाओं की पेशकश की है। संशोधित समझौता ज्ञापन के अनुसार, सीआरडब्ल्यूसी को रेलवे साइडिंग/रेलवे के किसी भी हिस्से/ गुड्स शेड एरिया में कहीं भी रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स, साइलोज, स्टील यार्ड, लिक्विड टैंक बनाने और संचालित करने का अधिकार है। हाल ही में, रेल मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 2012/टीसी(एफएम)/23/09 दिनांक 08.04.2022 द्वारा रेलसाइड गोदाम परिसरों के विकास के लिए निम्नलिखित दस स्थानों को मंजूरी दी है: -

स्थान	राज्य
चारियालि	असम
असरवा और वटवा	गुजरात
जिरानिया	त्रिपुरा
जगन्नाथपुर और कटक	ओडिशा
नंदगंज और दोहना	उत्तर प्रदेश
चंगड़ा बंध और हासीमारा	पश्चिम बंगाल

**(ख) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन:**

गति शक्ति मिशन के एक अंग के रूप में सीआरडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी और केआरसीएल के बीच दिनांक 04.03.2022 को अपने ग्राहकों की लॉजिस्टिक्स आवश्यकता को पूरा करने और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों/ माल-शेड के साथ-साथ अन्य स्थानों (माल-शेड/आस-पास के क्षेत्र के भीतर) पर केआरसीएल के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भूमि पर माल शेड और रेलसाइड वेयरहाउस कॉम्प्लेक्स (आरडब्ल्यूसी) के विकास और रखरखाव के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। केआरसीएल के तहत 12 स्थानों की सूची इस प्रकार है: -

स्थान	राज्य
चिपलून, रत्नागिरी, जराप, खेड़, करंजडी और इंदापुर	महाराष्ट्र
वेरना	गोवा
कारवार, अंकोला, उडुपी, थोकुर और सुरथकाल	कर्नाटक

इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) मेसर्स राइट्स लिमिटेड को प्रदान किया गया है।

**(ग) फार्म- गेट परियोजनाएं:**

एपीएएमबी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों जिनमें लोअर सुबनसिरी, चांगलांग और लोहित में फार्म गेट लॉजिस्टिक्स की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 100 प्रतिशत पूंजी व्यय देने की मंजूरी दे दी है और सीआरडब्ल्यूसी 50-50 प्रतिशत लाभ के बंटवारे के साथ सुविधा का प्रचालन करेगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सीआरडब्ल्यूसी को एपीएएमबी से पूंजी निवेश (1 फरवरी 2022) के लिए 150.00 लाख प्राप्त हुए हैं। फार्म गेट लॉजिस्टिक्स की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है और इसके सितंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

**7.5 कानूनी अनुपालन :**

कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बनाए गए सभी अनुपालनों का और अन्य संवैधानिक उत्तरदायित्वों का अनुपालन किया गया। निगमित प्रशासन और जोखिम प्रबंधन का ईमानदारी से पालन किया गया।



## 7.6 सीआरडब्ल्यूसी का सीडब्ल्यूसी में विलय

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र सं. F-No-9-32/2020-SG-I दिनांक 06.07.2021 (12.07.2021 को प्राप्त) ने सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के साथ सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) के विलय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत कराया है। तत्पश्चात, दिनांक 13.08.2021 सीआरडब्ल्यूसी द्वारा अपनी 75वीं निदेशक मंडल की बैठक में और सीडब्ल्यूसी द्वारा दिनांक 01.09.2021 को आयोजित निदेशक मंडल की 363वीं बैठक में विलय की योजना को मंजूरी दी गई थी।

तदनुसार, एनसीएलटी के पास विलय के लिए आवेदन दायर किया गया है। यह मामला फिलहाल एनसीएलटी में लंबित है। सीडब्ल्यूसी कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की तलाश कर रही है यानी मंदी की बिक्री या उपहार विलेख के माध्यम से सभी संपत्तियों और देनदारियों के साथ व्यावसायिक इकाई का हस्तांतरण और बाद में सीआरडब्ल्यूसी को बंद करना।

## 8. राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी) :

दिनांक 31 मार्च, 2022 को 19 राज्य भंडारण निगम हैं। आपके निगम की इन 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) में 50 प्रतिशत इक्विटी है तथा शेष 50 प्रतिशत इक्विटी संबंधित राज्य सरकारों की है। 31 मार्च, 2022 को ये राज्य भंडारण निगम 502.60 लाख मी.टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ 2190 वेअरहाउस चला रहे थे।

राज्य भंडारण निगमों द्वारा परिचालित भंडारण क्षमता का विवरण नीचे तथा अनुलग्नक-1 में दिया गया है :-

(क्षमता लाख मी.टन में)

भंडारण क्षमता	2021-22	2020-21	2019-20
स्व निर्मित	195.55	190.74	195.72
किराये की (कवर्ड)	223.84	179.20	76.70
प्लिंथ	44.91	35.77	9.68
प्रबंधन वेअरहाउसिंग	38.30	33.41	115.14
कुल	502.60	439.12	397.24
वेअरहाउसों की संख्या	2190	2203	2093

31 मार्च, 2022 को आपके निगम द्वारा राज्य भंडारण निगमों की इक्विटी में 61.79 करोड़ रु. का कुल निवेश किया गया। राज्य भंडारण निगमों में किए गए निवेश का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान 12 राज्य भंडारण निगमों ने अपनी वार्षिक साधारण बैठक आयोजित की तथा लाभांश के रूप में 23.75 करोड़ रु. की राशि निगम द्वारा लाभांश के रूप में प्राप्त की। राज्य भंडारण निगम द्वारा घोषित लाभांश एवं केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा प्राप्त राशि का ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

## 9. मानव संसाधन विकास :

9.1 आपके निगम का विश्वास है कि उसकी सफलता उसके प्रतिबद्ध कार्यबल के तालमेल तथा निष्पादन पर निर्भर करती है। संगठन के लिए दीर्घ अवधि योजना तथा वर्तमान तथ्यों के आधार पर मूल्य सृजित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है:-

- कर्मचारी उत्पादकता का संवर्धन कर सर्वश्रेष्ठ वर्ग स्तर तक पहुंचने और प्रतिस्पर्धी वेतन लागत के लिए प्रयास करके लाभप्रदता में सुधार करना। कार्यबल के सभी स्तरों में नेतृत्व का विकास तथा प्रतिभा एवं कर्मचारी निष्पादन का प्रबंधन करना।
- 31 मार्च, 2022 तक निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 2288 थी जबकि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 2642 थी। आपके निगम के पास एक संतुलित और युवा जनशक्ति है। आपके निगम के पास उद्योग जगत



के लिए लगभग 40 वर्ष की औसत कर्मचारी आयु के दृढ़ एवं युवा जनशक्ति है। यह गतिशील और प्रगतिशील जनशक्ति एक नवाचार उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित संगठन की दृष्टि का पूरक है।

- निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडा वर्गों के आरक्षण पर भारत सरकार के अनुदेशों को मानता है। वर्तमान में निगम की कुल मानव संसाधन क्षमता में से 29.16 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर) के हैं।

31 मार्च, 2022 को समूहवार मानव संसाधन क्षमता निम्नानुसार थी:-

समूह	कुल कर्मचारी	अनु. जाति	अनु. जन जाति	कुल अनु जाति / अनु.जन जाति	अनु. जाति/अनु जन जातियों का प्रतिशत
क	277	52	32	84	30.32
ख	706	139	48	187	26.49
ग	1150	198	111	309	26.87
घ (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	91	18	12	30	32.97
कुल	2224	407	203	610	27.42
घ (सफाई कर्मचारी)	64	34	0	34	53.13
कुल योग	2288	441	203	644	28.15

## 9.2 अभ्यास और विकास :

आपका निगम उत्पादकता विकास के अनुरूप शिक्षण प्रबंधन पद्धतियों और संसाधनों को समायोजित करता है। आपके निगम ने अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने में सदैव निवेश किया है। कार्यात्मक और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ निगम की व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधन और विशेषज्ञ कौशल विकास दोनों क्षेत्रों में, योजनाएं बनाई गई और निष्पादित की गई।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) के कर्मचारियों द्वारा भी भाग लिया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	निगमित कार्यालय तथा हापुड में प्रशिक्षण कर्मचारियों की संख्या			क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण कर्मचारियों की संख्या			कुल
		के.भ.नि.	रा.म.नि.	अन्य	के.भ.नि.	रा.म.नि.	अन्य	
1.	इनहाउस कार्यक्रम निगमित कार्यालय / हापुड संख्या 42 क्षेत्रीय कार्यालय 09	1099	-	02	80	-	-	1181
2.	हापुड में भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 08 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	29	35	117	-	-	-	181
3.	हापुड में गैर भुगतान आधार पर आईजीएमआरआई के लिए 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	34	24	-	-	-	58




गोदाम प्रबंधन समाधान पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आईजीएमआरआई, हापुड़

4.	डब्ल्यूडीआरए के लिए भुगतान आधार पर 02 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	49	-	18	-	-	-	67
5.	अन्य संस्थानों को नामांकन	509	-	-	-	-	-	509
<b>कुल</b>		<b>1686</b>	<b>69</b>	<b>161</b>	<b>80</b>	-	-	<b>1996</b>

कोविड-19 महामारी के बावजूद, निगम ने अत्यंत सावधानी के साथ 36 वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें निगम के कर्मचारियों की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप और अनुकूल स्तरों का बनाने के लिए तैयार किया गया था। निगम में कुशल रख-रखाव, दस्तावेजीकरण तथा वेअरहाउसों में अधिसूचित संबद्ध वस्तुओं के स्टॉक के अनुरक्षण के लिए वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) मॉड्यूल शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त, ई-ऑफिस और नेतृत्व विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम ने आईजीएमआरआई, हापुड़ की सुविधाओं को "सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में विकसित करने हेतु एवं फसल उपरांत खाद्यान्नों और अन्य कृषि उत्पादों के प्रबंधन पर प्रशिक्षण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 (31 मई, 2018 को 05 वर्षों के लिए पुनः बढ़ाया गया) के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आईजीएमआरआई परिसर, हापुड़ स्थित प्रशिक्षण संस्थान ने 08 मई 2013 से कार्य करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्रीय भंडारण निगम ने भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकार की एजेंसियों, निजी उद्यमों तथा डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के लाभ के लिए निगम तथा राज्य भंडारण निगमों के कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों में 54 आंतरिक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान, निगम ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर, अन्य विभागों/राज्य भंडारण निगमों/संस्थाओं/निजी प्रतिभागियों के 277 प्रतिभागियों (डब्ल्यूडीआरए द्वारा प्रायोजित 67 प्रतिभागियों सहित) को प्रशिक्षित किया तथा हॉस्टल एवं कोर्स फीस के लिए कुल 37,47,467/-रु. (जीएसटी सहित) प्राप्त किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल मानव दिन 6,752 रहे।



### 9.3 स्वच्छ भारत मिशन

निगम ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 16.02.2022 से 28.02.2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2022 मनाया। इस अवधि के दौरान, 'स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व' पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, दिन-प्रतिदिन के जीवन में प्लास्टिक बैग के उपयोग को कम करने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जूट बैग का वितरण किया गया, निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, फील्ड यूनिटों में स्वच्छता पखवाड़ा-2022 के अनुपालन पर बैनर लगाए गए तथा कार्यालयों एवं आसपास के क्षेत्रों आदि में कर्मचारियों द्वारा सघन सफाई अभियान चलाया गया।



'स्वच्छता पखवाड़ा' पर स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए निगम के निदेशक (कार्मिक), निदेशक (एमसीपी) और निदेशक (वित्त) और अन्य अधिकारी



एंड्रयुजगंज आंगनवाड़ी में पोषण माह कार्यक्रम के अवसर पर पोषण किट वितरित करते सीडब्ल्यूसी अधिकारी।

#### 9.4 पोषण माह

केंद्रीय भंडारण निगम ने माह सितंबर 2021 के दौरान चौथा राष्ट्रीय पोषण माह –2021 मनाया। पोषण माह के अंतर्गत माह कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों जैसे – कार्यालयों और क्षेत्र इकाइयों में वृक्षारोपण अभियान, कार्यस्थल पर '5 मिनट योग प्रोटोकॉल' विषय पर ऑनलाइन वेबिनार, 'फोर्टिफाइड चावल के लाभ' विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और वंचित महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया।

#### 9.5 केंद्रीय भंडारण निगम का कोविड-19 प्रबंधन :

कोविड-19 को कार्यालयों में फैलने से रोकने के लिए समय-समय पर कार्यालयों एवं क्षेत्र ईकाइयों में कार्यरत सभी नियमित कार्मिक आउटसोर्स कर्मचारियों सहित का आरटीपीसीआर टैस्ट किया गया। इससे स्पर्शोन्मुख कोविड-19 रोगियों की पहचान भी होगी और कार्यस्थल पर कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई भी सुनिश्चित होगी। निगमित कार्यालय में चार बार ऑनसाइट कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें कुल 861 व्यक्तियों को कोविड-19 का पहला और दूसरा टीकाकरण किया गया। वे निगम के नियमित कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य और आउटसोर्स कर्मचारी, डीएफपीडी कर्मचारी और नेफेड कर्मचारी थे। कार्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य स्थल, वाहनों का दैनिक सैनीटाइजेशन किया गया और सप्ताहांत के दौरान पूरे कार्यालय भवन को गहनता से सैनीटाइजेशन किया गया। कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। अन्य उपकरणों के साथ, सीडब्ल्यूसी ने आकस्मिक उपयोग के लिए 03 ऑक्सीजन कॉनसनट्रेटर भी खरीदे।

#### 9.6 आज़ादी का अमृत महोत्सव

केंद्रीय भंडारण निगम ने भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने की दिशा में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया है। निगम ने एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें 75 अलग-अलग स्थानों पर 75 अलग-अलग विषयों यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अनसुने नायकों पर आधारित 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। 31 मार्च, 2022 तक निगम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कुल 75 कार्यक्रमों में से 54 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसमें 06 क्वालिटी इनरीच कार्यक्रम भी शामिल है जो स्थानीय कलाकारों की मदद से नुक्कड़ नाटक के रूप में किए जाते हैं।

#### 9.7 स्थापना दिवस

दिनांक 06.03.2022 को सिरीफोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्यापार संवर्धन के लिए निगम ने बिग बास्केट के साथ एक





नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) की ओर से निगम को वर्ष 2021 के लिए 'भंडारण भारती' इन-हाउस पत्रिका के सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

क्रिकेट मैच का आयोजन किया। मैच के दौरान दोनों संगठनों के अधिकारी मौजूद रहे। खेल अत्यंत मैत्रीपूर्ण तरीके से खेला गया। यह एक बहुत ही रोमांचक मैच था और एक रोमांचक अंत था। आखिरी ओवर में बिग बास्केट ने मैच जीत लिया। निदेशक एम एंड सीपी ने दोनों टीमों को पुरस्कार प्रदान किए।

### 9.8 औद्योगिक संबंध :

आपके निगम का प्रबंधन सभी संबंधितों की सामूहिक भागीदारी के साथ खुले और पारदर्शी परामर्श की प्रक्रिया में विश्वास करता है। वर्ष 2021-22 के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और औद्योगिक अशांति या हड़ताल की कोई घटना नहीं हुई।

### 10 विशेष उपलब्धियाँ :

आपके निगम ने अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र में उत्कृष्टता बनाए रखी तथा वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए :-

रिपोर्ट वर्ष के दौरान आपके निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2021 हेतु निगम की गृह पत्रिका "भंडारण भारती" को श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी, को भी नराकास (उपक्रम) द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया।

### 11. तकनीकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण

#### 11.1 गुणवत्ता नियंत्रण एवं परिरक्षण:-

हमारा निगम वैज्ञानिक भंडारण के लिए एक प्रमुख संगठन के तौर पर अपने मूल्यवान महत्वपूर्ण जमाकर्ताओं के स्टॉक को उसकी डिलीवरी तक अच्छी स्थिति में परिरक्षित करने के लिए पूरा प्रयास करता है, बशर्ते कि निगम के नियंत्रण



से परे कोई प्राकृतिक संकुचन, नमी सूखन और आपदाएं न आए। निगम के योग्य एवं प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय-समय पर, जब आवश्यक हो रोग-रोधी एवं उपचारात्मक उपायों द्वारा स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखी जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस प्रकार के किए गए कार्य का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	लाख मी.टन में
1	रोग-रोधी उपचार किए गए स्टॉक की मात्रा	464.06
2	प्रारंभिक प्रधूमन सहित प्रधूमित स्टॉक की मात्रा	170.46

### 11.2 नमूना विश्लेषण प्रयोगशालाएँ:

स्टॉक की प्राप्ति, भंडारण और डिलीवरी के समय खाद्यान्नों के स्टॉक का विश्लेषण नियमित रूप से किया जा रहा है। वेअरहाउस में प्राप्त स्टॉक की गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण के दौरान लिए गए कुछ नमूनों को चंडीगढ़, हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित केन्द्रीय भंडारण निगम अनाज विश्लेषण प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, 975 नमूनों का विश्लेषण किया गया।

### 11.3 किसान विस्तार सेवा योजना:

इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भण्डारण, सार्वजनिक गोदामों के उपयोग तथा कृषक समुदाय को वेअरहाउस रसीद गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु जागरूकता पैदा करना है। यह योजना पूरे देश में 255 वेअरहाउसों के माध्यम से चलाई जा रही है। वर्ष 2021-22 के दौरान, 5716 गांवों का दौरा किया गया और 229843 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। किसानों को फसल बाद की हानि को कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा, किसानों को भंडारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 एवं ई-नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी देने के लिए 20 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 1000 किसानों ने भाग लिया।

### 11.4 संगरोध प्रधूमन:

वेअरहाउस में जब भी खाद्यान्न का स्टॉक कीटग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो उसका संगरोध प्रधूमन किया जाता है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, निगम ने 27838 मी. टन स्टॉक का संगरोध प्रधूमन किया।



सीडब्ल्यू-1, रायपुर में किसान विस्तार योजना के तहत किसानों का प्रशिक्षण।



भंडारित खाद्यान्न का उपचारात्मक और रोगनिरोधी उपचार

### 11.5 भंडारण हानियाँ:

खाद्यान्न स्टॉक के मामले में भंडारण अवधि के दौरान भंडारण हानि/लाभ एक प्राकृतिक घटना है और यह जलवायु कारकों पर निर्भर करती है। वर्ष 2021-22 के दौरान, भंडारण हानियों को न्यूनतम रखा गया तथा उचित भंडारण और परिरक्षण तकनीकों द्वारा यह 0.02 प्रतिशत रहा।

### 12. पैस्ट नियंत्रण सेवाएं

केन्द्रीय भंडारण निगम 1968 से किसानों, व्यापारियों, निर्यातकर्ताओं, आयातकर्ताओं तथा शिपिंग एजेंटों आदि के लाभ के लिए पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं को रेलवे कोचों, हवाई जहाजों, जहाजों और कंटेनरों में आयात तथा निर्यात किए जाने वाले कार्गो, विमानपत्तनों, अस्पतालों, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स, शैक्षिक संस्थाओं, बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के लिए विस्तारित भी किया गया है। निगम ने पैस्ट नियंत्रण गतिविधि से वर्ष 2021-22 में 40.89 करोड़ रु. अर्जित किए। 2020-21 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण, कीटाणुशोधन सेवा एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभरी और 200 से अधिक संगठनों में यह सुविधा प्रदान करके 14.59 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। निगम ने छिड़काव कार्य, मच्छर नियंत्रण, कॉकरोच नियंत्रण, कृंतक नियंत्रण आदि सेवाओं सहित सामान्य कीटाणुशोधन के क्षेत्र से 17.83 करोड़ रुपये की राशि अर्जित की। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने कंटेनर प्रधूमन, विमान प्रधूमन, शिप प्रधूमन तथा वस्तुओं के प्रधूमन जैसी विभिन्न प्रधूमन सेवाओं से 5.44 करोड़ रु. अर्जित किए। निगम ने वेक्टर नियंत्रण तथा दीमक-रोधी उपचार तथा अपनी सेवाओं के अन्य क्षेत्रों जैसे, वीड, खटमल एवं छिपकली नियंत्रण में लगातार प्रयास करके 3.03 करोड़ रु. का राजस्व भी अर्जित किया।

### 13. अनुसंधान एवं विकास

पिछले वर्षों से निगम के अनुसंधान एवं विकास उप-विभाग ने 200 से अधिक वस्तुओं जिनमें कृषि उत्पाद, औद्योगिक रसायन और अन्य अधिसूचित वस्तुएं शामिल हैं, के लिए "कोड ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिसिस" तैयार किया है। यह स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फील्ड यूनिटों को दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु मौजूदा 'स्टोरेज प्रैक्टिसिस में सुधार का कार्य भी कर रहा है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए:-

- क. चावल तथा गेहूं में हानि/लाभ की सीमा की पहचान करने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) नई दिल्ली को सौंपे गए खाद्यान्नों में भंडारण लाभ/हानि मानदंडों के निर्धारण एवम् सिफारिशों पर भा.खा.नि./के.भ.नि./राज्य भंडारण निगम का एक सहयोगपूर्ण अध्ययन पूरा किया गया तथा चावल एवम् गेहूं के भंडारण लाभ/हानि के नए मानदंड कार्यान्वित किए गए।
- ख. सेंट्रल वेअरहाउस, मोहाली में चावल के स्टॉक पर CO<sub>2</sub> प्रधूमन का अध्ययन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तीन स्थानों पर उच्चतम मूल्य की वस्तुओं पर हर्मेटिक/CO<sub>2</sub> प्रधूमन पर



श्री वीरेंद्र सिंह (60वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष), प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव अन्य निदेशकों के साथ 24 सितंबर, 2022 को 60 वीं वार्षिक साधारण बैठक के 'भंडारण भारती-राजभाषा विशिष्ट अवसर' का विमोचन करते हुए

आगे और अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है।

- ग. प्याज तथा अन्य हार्टिकल्चर वस्तुओं के भंडारण के लिए तापमान नियंत्रित वेअरहाउसों को स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- घ. केंद्रीय भंडारण निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों के भंडारण के लिए परीक्षण आधार पर वैकल्पिक डनैज (पॉली पैलेट्स) के उपयोग पर अध्ययन किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए पॉली पैलेट्स की खरीद पर 1177.22 लाख रु. की राशि खर्च की गयी है।

#### 14. राजभाषा

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आपके निगम द्वारा वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रभावी कदम उठाए गए। राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा हेतु निगमित कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान निगमित कार्यालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में पूर्ण दिवसीय चार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें 83 अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान आपके निगम ने छमाही गृह पत्रिका भंडारण भारती के दो अंक "भंडारण विशेषांक" तथा "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किए। इन पत्रिकाओं में वैज्ञानिक भंडारण एवं अन्य विषयों सहित निगम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रकाशित की गई। दिनांक 28.09.2021 को आयोजित निगम के अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान "भंडारण भारती-राजभाषा विशेषांक" का प्रकाशन तथा विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम में सितम्बर, 2021 को हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें निगमित कार्यालय के 11 विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान



किए गए। वर्ष के दौरान हिन्दी में अधिकाधिक नोटिंग-ड्राफ्टिंग करने के लिए 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं डिक्टेशन के लिए 04 अधिकारियों को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया। निगमित कार्यालय के 03 विभागों को हिन्दी में उल्लेखनीय कार्य के लिए राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई। क्षेत्रीय यूनिटों में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निगम को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2021 के लिए निगम की गृह पत्रिका "भंडारण भारती" को श्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को भी नराकास (उपक्रम) द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु पुरस्कार प्रदान किए गए।

वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निगमित कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं वेअरहाउसों में राजभाषा नीति कार्यान्वयन एवं अनुवाद कार्य से जुड़े कर्मिकों के लिए दिनांक 14-15 मार्च, 2022 को अखिल भारतीय स्तर पर वर्चुअल माध्यम से दो दिवसीय राजभाषा कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 37 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वर्ष 2021-22 के दौरान, निगमित कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ तथा पटना का ई-निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद एवं चंडीगढ़ का भी भौतिक रूप से राजभाषा निरीक्षण किया गया। दिनांक 27.09.2021 तथा 02.03.2022 को संसदीय राजभाषा समिति की द्वितीय उप-समिति ने क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद तथा भोपाल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्यों ने क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग पर संतुष्टि व्यक्त की।

## 15. सतर्कता

वर्ष 2021-22 के दौरान, सतर्कता विभाग ने 09 निवारक जांच, 16 औचक जांच तथा 07 सीटीई किए। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। वर्ष के दौरान 06 मामलों की जाँच पूरी की गई। मेजर पैनेल्टी के 04 मामलों जिसमें 13 कार्मिक शामिल थे तथा माइनर पैनेल्टी के 07 मामलों जिसमें 21 कार्मिक शामिल थे, की जाँच कार्रवाई शुरू की गई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप इस अवधि में 06 मामलों की माइनर पेनेल्टी चार्जशीट में शामिल 19 अधिकारी तथा 05 मामलों की मेजर पैनेल्टी में शामिल 09 कार्मिकों के संबंध में निर्णय लिया गया। निवारक जाँच के कारण ठेकेदारों से कुल 11.98 लाख रु. की वसूली की गई।

दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर "सतर्कता संवेदन" नामक पुस्तिका का 21वां संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें केंद्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों में सतर्कता मामलों के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों सहित सतर्कता मामलों पर लेख शामिल किए गए। प्रभावपूर्ण तकनीकी द्वारा सतर्कता प्रशासन में सुधार लाने, नियामक प्रवर्तन के निर्वहन तथा निगम के अन्य कार्यों में ई-गवर्नेंस टूल्स के प्रभावशाली प्रयोग द्वारा पारदर्शिता की संस्कृति का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बल दिया गया है। निवारण जांच के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर जांच एवं पूछताछ कार्रवाई तथा पद्धति में सुधारों पर दिशा-निर्देश जारी किए गए।

केन्द्रीय भंडारण निगम दिनांक 27.10.2020 को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रिश्वत रोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। अब हमने एक वर्ष पूरा कर लिया है तथा प्रथम वर्ष की लेखापरीक्षा भी सफलतापूर्वक हो गई है। दिसंबर, 2021 तथा जनवरी, 2022 में बीआईएस (BIS) द्वारा द्वितीय वर्ष के लिए सर्विलेंस आडिट किया गया था। दिनांक 16.09.2021 से 17.09.2021 तक दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। सतर्कता विभाग द्वारा निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता समन्वयक नामित किए गए जिससे सतर्कता संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के अलावा संगठन के जमीनी स्तर तक सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए।



## 16. आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

**16.1** व्यापार प्रचालनों के सुचारू, प्रभावी और कुशल संचालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रासंगिक विधि और विनियमों के अनुपालन के लिए निगम के पास मजबूत प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं, जो निगम की प्रकृति और आकार के अनुरूप हैं।

इसके पास शक्तियों का प्रत्यायोजन, नीतियों और प्रक्रियाओं, मैनुअल, दिशानिर्देशों के रूप में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्ण रूप से प्रलेखित प्रणाली है, जो वित्तीय और अन्य ऑपरेटिंग कार्यों की सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को समाहित करती है। इन्हें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन और विनियामक तथा सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने सहित उच्चतम स्तर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सभी बैंक एवं बैलेंस की उपयुक्तता तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की व्यवस्था, नियमितता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम आंतरिक लेखा परीक्षा समिति है। बोर्ड स्तरीय उप-समिति होने के कारण लेखा परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर तीखी नजर रखी जाती है जिसमें योजना बनाना, निगरानी रखना भी शामिल हैं।

**16.2** आपके निगम के पास निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है:-

- व्यावसायिक प्रचालनों की क्षमता एवं प्रभावशीलता;
- अनधिकृत एक्सेस, उपयोग एवं व्यवस्था से परिसंपत्तियों की संरक्षा;
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता;
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन; तथा
- विभिन्न विधियों और विनियमों का अनुपालन;

**16.3** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न पर आगे बढ़ा-

**16.3.1** वर्चुअल मोड के माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा करना:

वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड स्तरीय उप-समिति की अनुमोदित योजना के अनुसार 189 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गयी। महामारी के दौरान वर्चुअल माध्यम से आंतरिक लेखा परीक्षा करने की संभावना तलाशते हुए विभिन्न ई-टूल्स के प्रयोग से वर्चुअल माध्यम से कुल 38 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई।

**16.3.2** आंतरिक लेखा परीक्षा का डिजिटलीकरण :

निगम के इतिहास में पहली बार डिजिटलीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए सभी 189 यूनिटों की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की गयी तथा इन्हें आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

**16.3.3** आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल की तृतीय पार्टी समीक्षा:

आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल जो दस वर्षों से अधिक पुराना था, की समीक्षा का कार्य तृतीय पार्टी समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति के निर्देशानुसार दिनांक 07.03.2022 को दिया गया था।

## 17. सामान्य एवं तकनीकी निरीक्षण:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी 14 क्षेत्रों में 418 सामान्य निरीक्षण किए गए तथा 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया और वर्ष के दौरान 1165 तकनीकी निरीक्षण किए गए।



## 18. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) को निगम में लागू किया गया है इसमें निगमित कार्यालय में समूह महाप्रबंधक (कार्मिक) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और क्षेत्रीय प्रबंधक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नामित किए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन निदेशक (कार्मिक) को अपीलीय प्राधिकारी, नोडल अधिकारी एवं पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अपीलीय प्राधिकारी/सीपीआईओ/पीआईओ/नोडल अधिकारी, सहायक महाप्रबंधक (कार्मिक)/पारदर्शिता अधिकारी के नाम निगम की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। रिपोर्ट वर्ष 2021-22 के अधीन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले 253 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निस्तारण किया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी 68 अपीलें प्राप्त की गईं और उनका निस्तारण किया गया।

## 19. निदेशक दायित्व विवरण

आपके निदेशकों द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को तैयार करते समय संगत लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है और इसमें कोई भी विचारणीय अंतर नहीं है। लेखा नीतियों का चयन कर उन्हें निरंतर रीति से लागू किया गया है। निर्णय एवं तैयार किए गए प्राक्कलन उचित एवं विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष को निगम के कामकाज और लाभ की स्पष्ट एवं सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके। निगम की परिसम्पत्तियों के संरक्षण एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के उद्देश्य से वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 के प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखाकरण के उचित एवं पर्याप्त रिकार्ड रखने हेतु पूरी सावधानी रखी गई है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों को "गोईंग कन्सर्न" आधार पर तैयार किया गया है।

निगम द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ये पर्याप्त हैं तथा इन्हें प्रभावी रूप से संचालित किया गया।

सभी लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली बनाई गई है एवं ये प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालित की गईं।

## 20. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास गतिविधियाँ

निगम समाज के सर्वांगीण विकास, हित और उत्थान के लिए सीएसआर गतिविधियाँ चला रहा है। सीएसआर गतिविधियों में शामिल होना न केवल अनिवार्य है बल्कि यह समाज के लिए करुणा विचार सहानुभूति सहित एक सामाजिक रूप से संगठित जिम्मेदार संगठन के रूप में निगम की छवि को भी सुधारता है। निगम ने सीएसआर विजन को बिजनेस विजन में शामिल किया है।

निगम ने दिनांक 21.10.2014, 10.12.2018 के कार्यालय ज्ञापन तथा कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के माध्यम से जारी सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों को अपनाया है। वित्त वर्ष 2021-21 की सीएसआर गतिविधियों के तहत लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने सामान्य थीम के रूप में "मेकशीपट अस्पताल तथा अस्थायी कोविड केयर सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड संबंधी मानदंडों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य एवम् स्वच्छता" की घोषणा की। निगम भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में सीएसआर खर्च उठा रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम द्वारा निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास पर 793.58 लाख रु. खर्च किए गए।

निगम ने 802.52 लाख रु. खर्च किए। उपरोक्त राशि एम्बुलेंस, इंसुलेटिड वैक्सीन कैरियर वैंस, मेडीकल लोडिंग वाहन, आईसीयू बैड्स, पेडीएट्रिक आईसीयू कोट्स, एएनएम को इलैक्ट्रिक स्कूटर तथा अन्य मेडीकल उपकरण जैसे-एक्सरे



मशीन, ईसीजी मशीन, पल्स ऑक्सीमीटर इत्यादि की खरीद पर खर्च की गई। मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर, छोटी सिचाई प्रणाली की स्थापना तथा ऑक्सीजन पाइप लाईन की स्थापना, मेकषिपट कोविड केयर सेंटर की स्थापना, मेटरनिटी वार्ड तथा रेलवे ट्रैक पर ग्रीन कॉरिडोर की स्थापना तथा अपग्रेडेशन पर खर्च किया गया। निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास पर रिपोर्ट अनुलग्नक-क पर संलग्न है।

## 21. प्रबंधन के विचार और विश्लेषण रिपोर्ट

आपूर्ति शृंखला किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। वर्ष 2020 में महामारी ने आपूर्ति शृंखला को बाधित किया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता की मांग गिर गयी। वर्ष 2021 में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कुल मिलाकर रिकवरी काफी उत्साहवर्धक रही। वास्तव में कई क्षेत्रों में मांग इतनी तेजी से बढ़ी कि आपूर्ति अंतराल के कारण अड़चनें आईं। मैक्रो इकोनॉमिक रिकवरी तथा ऑनलाइन रिटेल प्रवेश में वृद्धि की पृष्ठभूमि के विरुद्ध ई-कॉमर्स और 3पीएल फर्मों के निरंतर विस्तार से वेअरहाउसिंग सेगमेंट में लीजिंग कोविड से पूर्व के स्तर को तोड़ने और एक नई ऊंचाई पर पहुंचने की संभावना है।

भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने पर काफी जोर दिया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, ई-कॉमर्स तथा डी2सी रिटेल सेगमेंट के आगे बढ़ने से यह लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित वेअरहाउसिंग तथा परिवहन सुविधाओं के निर्माण की दिशा में सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अतः 2023 में आगे बढ़ते समय हमें निम्न विन्दुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी लचीली/सक्रिय सप्लाई चेन की आवश्यकता है।

### भारत में वेअरहाउसिंग का विकास

हाल के वर्षों में भारत में वेअरहाउसिंग क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इसका पहला प्रमुख उछाल 2017 में जीएसटी की शुरुआत के माध्यम से आया जिसने इस क्षेत्र को 2015-17 के दौरान 35 मिलियन वर्ग फुट (एमएसएफ) से बढ़कर 2018-20 में 77 एमएसएफ कर दिया। पिछले वर्ष कोविड-19 के दौरान से भारत के उभरते सेक्टर में से वेअरहाउसिंग एक बढ़ते हुए सेक्टर की तरह उभरा है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि किराए के भंडारण स्थान की गतिविधियां नई ऊंचाइयों को छुएंगी क्योंकि महामारी एक मजबूत आपूर्ति शृंखला को मजबूत करती है। वर्ष 2020 में वेअरहाउसिंग बाजार 12.2 बिलियन डालर वर्ष 2025 तक 19.5 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।

कोविड-19 से पहले वैश्विक व्यवसाय वैकल्पिक केंद्रों की ओर एक स्पष्ट बदलाव देख रहा था। हाल के वर्षों में घरेलू क्षमताओं में सुधार के लिए धन्यवाद कहना होगा जिसमें भारत वैश्विक व्यवसाय आपूर्ति शृंखला में तेजी से एक सक्रिय प्रचालक बन गया। इसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा पीएलआई योजना जैसी सरकारी अभियानों का समर्थन मिला है। परिणामस्वरूप औद्योगिक तथा वेअरहाउसिंग (आईएनडब्ल्यू) क्षेत्र में मांग बढ़ी, जिससे यह लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की मुख्य वृद्धि में से एक बन गया है।

ई-कॉमर्स तथा ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी से वृद्धि वेअरहाउसिंग को आगे बढ़ाने का एक कारक है जिसने व्यवसायों को डिलीवरी में सुधार के लिए आपूर्ति और भंडारण को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। आने वाले वर्षों में लॉजिस्टिक्स पार्को तथा फ्री ट्रेड वेअरहाउस जोन की स्थापना जैसी आधिकारिक नीतियों से बाजार के विकास में तेजी आने की संभावना है। 3पीएल तथा सुपरग्रीड लॉजिस्टिक्स की शुरुआत विकास को बढ़ावा देने का एक अन्य कारक है।

### बाजार अंतर्दृष्टि:

वर्ष 2020 में वेअरहाउसिंग बाजार का भारतीय मूल्य 1050 बिलियन था। वित्त वर्ष 2021 में स्थान की आवश्यकता 265 मिलियन वर्ग फुट थी। वर्ष 2026 में कुल राजस्व 2243.79 बिलियन रु. होने का अनुमान है जो 10.90 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ा है। वर्ष 2026 में स्थान की आवश्यकता 483 मिलियन वर्ग फुट होने की संभावना है जो 12.77 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रही है। अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली तथा पुणे आधुनिक वेअरहाउसिंग क्षमता वाले मुख्य 6 शहर हैं।





### सेगमेंट अंतर्दृष्टि:

वर्ष 2021 में ई-कॉमर्स के साथ-साथ थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स ने (3पीएल) अधिकतम वेअरहाउसिंग स्थान अधिग्रहित किया है। 3 पीएल,ई-कॉमर्स, एफएमसीडी, एफएमसीजी ने क्रमशः 31%,31%,5%,5% 4% वेअरहाउसिंग स्थान का अधिग्रहण किया। एफएमसीडी, एफएमसीजी तथा रिटेल सेक्टर अपने स्थान की आवश्यकताओं को 3पीएलसे आउटसोर्स प्लेयर करते हैं इसलिए उनके वेअरहाउसिंग स्थान की आवश्यकता 3पीएल सेक्टर से कम है।

### कोविड-19 प्रभाव विश्लेषण:

यद्यपि पिछले वर्ष के दौरान अन्य वाणिज्यिक रियल एस्टेट संपत्ति वर्गों जैसे आतिथ्य, खुदरा और कार्यालय में मांग गंभीर रूप से प्रभावित हुई है, वेअरहाउसिंग बाजार अपेक्षाकृत प्रतिकूल रूप से कम प्रभावित हुआ है।

- महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण ई-कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आई है।
- स्टॉक-आउट के संबंध में इन्वेंट्री स्तरों में वृद्धि।
- जैसे-जैसे प्रचालक आपूर्ति शृंखला की पुनः रणनीति बनाते हैं, एकीकरण पीछे हो जाता है।
- वैश्विक विनिर्माण के विकेन्द्रीकरण से भारत को लाभ।
- कोल्ड चेन वेअरहाउसिंग को लाभ हुआ।
- बढ़ती हुई ई-कॉमर्स मांग को पूरा करने के लिए इन-सिटी वेअरहाउसिंग।
- गति बढ़ाने के लिए वेअरहाउसिंग सेगमेंट का संस्थानीकरण।
- वेअरहाउसिंग ऑटोमेशन की आवश्यकता बढ़ी।
- द्वितीय वेअरहाउसिंग बाजारों को विकास में और बढ़ावा मिला।

### भारत में भंडारण स्थान की आपूर्ति और लीजिंग

3पीएल, ई-कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरों की मांग से प्रेरित, औद्योगिक और वेअरहाउसिंग स्पेस एबसॉर्प्शन ने 2021 में भारत के टियर-I शहरों में साल-दर-साल 35 प्रतिशत की वृद्धि देखी। 2020 में एबसॉर्प्शन 26 मिलियन था। टियर-I शहरों जिसमें मुख्यतः दिल्ली-एनसीआर, बंगलूरु, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता और पुणे शामिल हैं, में नए स्थानों की आपूर्ति में एक साल पहले की अवधि के 22 मिलियन वर्ग फुट से 36 मिलियन वर्ग फुट तक की साल-दर-साल 64 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी देखी गई।

अन्य शहरों में से दिल्ली-एनसीआर ने क्रमशः 11.4 मिलियन वर्ग फुट और 8.1 मिलियन वर्ग फुट की उच्चतम आपूर्ति वृद्धि और एबसॉर्प्शन रिपोर्ट की। इसके बाद मुंबई का स्थान था, जहां 7.5 मिलियन वर्गफुट की आपूर्ति की गई थी; जबकि एबसॉर्प्शन लगभग 6.0 मिलियन वर्ग फुट था। 60 प्रतिशत से अधिक मांग 3पीएल और ई-कॉमर्स क्षेत्रों द्वारा की गई थी; इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14 फीसदी पर है। एफएमसीजी और खुदरा क्षेत्र-एक साथ मिलकर-एबसॉर्प्शन आवश्यकता का लगभग 13 प्रतिशत हिस्सा था।

2021 में टियर-I शहरों में वेअरहाउसिंग स्पेस स्टॉक 266 मिलियन वर्ग फुट था। 2022 में इसके 304 मिलियन वर्ग फुट और 2023 में 345 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंचने की उम्मीद है, जो क्रमशः 14 प्रतिशत और 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।

टियर-I शहरों में रिक्तियों का स्तर 2021 में बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया है (2020 में 8.4 प्रतिशत से बढ़कर)।

राजपुरा, लखनऊ, कोयंबटूर, जयपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, नागपुर, कोच्चि/एर्नाकुलम, इंदौर, होसुर और पटना जैसे टियर II और टियर III शहरों में 2021 में लगभग 8.6 मिलियन वर्ग फुट का उपयोग देखा गया।



कोयंबटूर के बाद होसुर, राजपुरा और इंदौर सबसे लोकप्रिय छोटे शहरों में से थे, जिन्होंने एक मिलियन वर्ग फुट से अधिक जगह का उपयोग देखा।

### लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र काफी हिस्सों में बंटा हुआ है, और भारत में लगभग 14 प्रतिशत लॉजिस्टिक लागत दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, तो इस लागत को एक अंक में लाने की जरूरत है। आगामी केंद्रीय (सेंट्रली) फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं जो लॉजिस्टिक की लागत को कम करने में सहायता करती हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे •दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी) • चेन्नई-बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी) •मुंबई-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एमबीआईसी) •अमृतसर-दिल्ली-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर(एकेआईसी) परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतमाला के विकास जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर पहल ने प्रमुख शहरों और कस्बों में रेल और सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार किया है। इन परियोजनाओं के तहत कई नए एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित हैं।

### पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान

इकॉनॉमिक जोन से मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है। इन परियोजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और लागत को नियंत्रण में रखने के लिए 16 मंत्रालय और विभाग इसका हिस्सा होंगे।

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को काफी बढ़ावा देगा और शिपिंग लागत में कटौती होगी। पीएम गति शक्ति परियोजना को गति देने के लिए सरकार द्वारा फाइनेंस किए गए 20,000 करोड़ रुपये से लोगों और सामानों की तेजी से आवाजाही की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के साथ राज्यों के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सात इंजन शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, अगले तीन वर्षों में विकसित किए जाने वाले 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को काफी गति प्रदान करेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए वर्ष 2022-23 के बजट को बूस्टर के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर लागत को कम करके समन्वित योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

### प्रतिस्पर्धा विश्लेषण

बाजार में काम कर रहे कई असंगठित प्रचालकों से भारतीय वेअरहाउसिंग उद्योग काफी बंटा हुआ है। उद्योग में कुल बाजार का केवल 10% संगठित प्रचालक हैं, जबकि देश में लगभग 90% वेअरहाउसिंग संस्थान असंगठित प्रचालकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कम या बिना मशीनीकरण से छोटे आकार के वेअरहाउसों का प्रबंधन करते हैं। यह क्षेत्र अभी भी एक प्रारंभिक चरण में है, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता एक चुनौती है, जैसे भारत ने अन्य क्षेत्रों में देर से प्रवेश करने के बाद भी तेजी से अपने आपको अनुरूप बनाया, उसी प्रकार भारतीय वेअरहाउसिंग अगले 2-3 वर्षों में विश्व मानकों तक पहुंच जाएगा।

### भविष्य का दृष्टिकोण

#### निगम की कल्पना और योजना

##### (i) इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव

यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त परिवर्तनों/नवप्रवर्तनों के कारण वेअरहाउसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होना निश्चित है। इसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा अर्थात् (1) प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन इकाइयों के साथ



थोक में कृषि-उत्पादों का भंडारण और संचालन और (2) तैयार और सफेद/भूरे रंग के सामानों का भंडारण, पैकेजिंग, प्रसंस्करण, हैंडलिंग और वितरण सुविधाएं।

**क.** इसे ध्यान में रखते हुए, निगम उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां 100% ऑटोमेशन के साथ थोक भंडारण अवसंरचना (साइलोज जैसे) का निर्माण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, निगम रेल और सड़क दोनों माध्यम से ऐसी वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स का कार्य करने का प्रयास करेगा। यह माना गया है कि अगर बाजार खुलता है तो पीडीएस में बदलाव होगा या इसका औचित्य समाप्त हो सकता है और इसी कारण से प्रत्यक्ष खाद्यान्न का वितरण रुक जाएगा और प्रसंस्कृत सामग्री उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय होने वाली है इसलिए, सीडब्ल्यूसी अपने कृषि गोदामों में प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का भी प्रयास करेगा जहाँ से क्षेत्र की माँग को पूरा करने के लिए सीधे तैयार/प्रसंस्कृत सामग्री की आपूर्ति की जा सकती है।

ऐसी सुविधाओं के परिरक्षण के लिए रसायनों के उपयोग के पैटर्न को बदलना होगा। निगम लंबे समय तक स्टॉक को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल और अधिक प्रभावी जैव-रसायनों का प्रयोग करने का प्रयास करेगा। वर्तमान/मौजूदा रसायनों के स्थान पर हार्मेटिक उपचार, CO<sub>2</sub> आदि के प्रयोग पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

**ख.** दूसरे प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे निगम ने माना है, वह मुख्य रूप से ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खरीदे, संग्रहीत और वितरित किए गए तैयार माल के लिए होगा। वर्तमान में ई-कॉमर्स व्यवसाय मुख्य रूप से टियर I और II शहरों में फल-फूल रहा है। आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से इसकी पहुंच सभी प्रकार के शहरों/ग्रामीण क्षेत्रों तक होगी। निगम की अधिकांश सुविधाएं खाद्यान्न भंडारण को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थीं, इसलिए मुख्य रूप से टियर III और IV शहरों में हैं। आने वाले समय में ये सुविधाएं ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए हॉट केक साबित होंगी। अतः निगम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर/व्यवसाय के लिए उस समय ऑटोमेशन, एआई और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के साथ समर्थित ई-कॉमर्स की आवश्यकताओं के अनुसार इन सुविधाओं को अपग्रेड करेगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने 158 स्थानों पर ई-कॉमर्स कंपनियों को लगभग 6.5 लाख वर्गमीटर का स्थान दिया है। निगम ने वर्ष 2022-23 के दौरान इसे दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

### (ii) अन्य आधुनिक भंडारण सुविधाएं

ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में खराब होने वाले/पके भोजन की मांग बढ़ने वाली है। अतः निगम को उत्पादन और उपयोग क्षेत्रों के पास कोल्ड स्टोरेज/सीएएमए स्टोर और ऐसी अन्य सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

जहां एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और वितरण सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, वहां फार्म-गेट भंडारण सुविधाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

देश भर में कोल्ड-स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण में बड़े निवेश की आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा सुविधाएं बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। सरकार को ऐसी सुविधाओं के निर्माण या फाइनेंसिंग को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में भोजन, दवाओं, टीकों और अन्य फार्मा उत्पादों तक पहुंच आसान हो जाएगी। निगम नासिक, इंदौर, सूरजपुर, आरपी बाग और वाशी में प्याज और अन्य खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण की योजना बना रहा है। निगम ने बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर सै.वे., बड़ौदा-1 में लगभग 600 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण का कार्य भी सौंपा है।

### (iii) वेअरहाउस संचालन का समेकन

आर्थिक लाभ प्राप्त करने और एक ही सुविधा में कई वेअरहाउसों का संचालन करने के लिए अधिक से अधिक केंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए निगम लगभग सभी बड़े शहरी क्षेत्रों के बाहरी



इलाके में एक बड़ा वेअरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगा, जहां से स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम सार्वजनिक, निजी/व्यक्तियों के स्वामित्व वाली सभी प्रकार की वेअरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर/सुविधाओं को एक मंच पर लाने के लिए असंगठित वेअरहाउस क्षेत्र को व्यवस्थित करने का भी प्रयास करेगा ताकि देश में समग्र भण्डारण इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग किया जा सके और देश की समग्र अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया जा सके।

#### (iv) लचीले वेअरहाउस डिजाइन और संचालन

उपभोक्ता की मांग और रुचि अक्सर बदलती रहती हैं इसलिए वेअरहाउस को पुनः डिजाइन करने की आवश्यकता होगी ताकि स्थान का भली-भांति उपयोग करने के लिए इसे और अधिक लचीला बनाया जा सके, कुशल धाराप्रवाह कार्य सुनिश्चित किया जा सके और नए और बेहतर उत्पादों के लिए वेअरहाउस को तैयार रखा जा सके। निगम नए डिजाइनों का पता लगाने की कोशिश करेगा जो गोदाम संचालन में लचीलापन ला सकते हैं।

यह इंजीनियरिंग आईटी, वित्त, मार्किटिंग, ग्राहक सेवाओं और फीडबैक आदि सहित अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए वेअरहाउस संचालन और उत्पाद प्रवाह में परस्पर लचीलापन लाने में डिजाइन मदद करेगा।

आने वाले समय में सभी वेअरहाउसिंग एजेंसियों का फोकस सही समय पर (जस्ट-इन-टाइम) होगा। पारंपरिक वेअरहाउसिंग संचालन से हटकर, निगम को आपूर्ति श्रृंखला के बीच उत्पाद प्रवाह को तेज करने के लिए अपने वेअरहाउसिंग संचालन को पुनः डिजाइन करना होगा। इसे बेंच मार्केटिंग के माध्यम से किया जाएगा और आगे सुधार के लिए वर्तमान वेअरहाउसिंग संचालन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाएगा।

#### (v) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आईटी टूल्स का उपयोग

आने वाले वर्षों में हम जो बदलाव महसूस कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से समग्र आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करेगा और सूचना प्रौद्योगिकी के उचित प्रयोग के बिना इसका सामना नहीं किया जा सकता है। निगम इन वर्षों के दौरान प्रचलित मांग को पूरा करने के लिए अपनी वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली को विकसित/पुनः डिजाइन करने का प्रयास करेगा। इस प्रणाली से स्थान, श्रमिक, उपकरण, कार्य, सामग्री प्रवाह आदि सभी प्रबंधन वेअरहाउस के अंदर करने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन्वेंट्री को बाजार में अत्यधिक कुशल ढंग से ले जाया जा सके।

इसके अलावा, अत्यंत सटीकता लाने और गोदामों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर ट्रेकिंग टूल, बारकोडिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्प्युनिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि का प्रयोग/पता लगाया जाएगा।

#### विजन 2025

सामाजिक दायित्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्धक और एकीकृत भण्डारण और लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना। भण्डारण क्षमता के विस्तार और उन्नयन, कम्प्यूटरीकरण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा आसानी से व्यापार सुनिश्चित करना। किसानों के कल्याण हेतु वैज्ञानिक भण्डारण प्रशिक्षण प्रदान करना, साइलो का निर्माण, पैस्ट नियंत्रण एवं प्रधूमन के लिए पर्यावरण के अनुकूल रसायनों का प्रयोग कर योगदान देना। 2020-25 की अवधि के लिए कारपोरेट योजना के तहत कार्यनीतिक पहल में मार्च, 2025 तक 102 स्थानों पर 17.46 लाख मीट्रिक टन की नई भण्डारण क्षमता की योजना शामिल है। किसानों को लाभ देने तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के भारत सरकार के प्रयासों को पूरक बनाने, पीएफटी, कोल्ड स्टोरेज, साइलोज आदि में विविधीकरण के उद्देश्य से वेअरहाउस आधारित कृषि उत्पाद व्यापार को सुविधाजनक बनाने हेतु मंडी यार्ड और व्यापार क्षेत्र के रूप में डब्ल्यूडीआरए से मान्यता प्राप्त गोदामों को अधिसूचित किया जाएगा। भारत सरकार के मजबूत जनादेश और वेअरहाउसिंग उद्योग में बदलते समय के अनुरूप, निगम ने पारंपरिक खाद्यान्न भण्डारण से हमारे स्वयं/निजी निवेश के



माध्यम से कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क/पीएफटी की स्थापना, टियर-II और टियर-III शहरों में ई-कॉमर्स वेअरहाउसिंग व्यवसाय का विस्तार, कोल्ड चेन इकाइयों की स्थापना विशिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए कंपनियों और सरकार के लिए एजेंट के रूप में और परिवहन व्यवसाय में भी कार्य जैसी अन्य आधुनिक वेअरहाउसिंग सुविधाओं की ओर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया है।

भारतीय वेअरहाउसिंग बाजार की संभावनाएं आने वाले वर्षों में आपके निगम के लिए बहुत तेजी से विस्तार का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही हैं और निगम इस अवसर का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपकी कंपनी मार्केटिंग में नए कदम उठाकर और ग्राहकों के लिए विष्वसनीय और लागत प्रभावी मूल्य संवर्धित सेवाओं के प्रति उनकी अपेक्षाओं को पूरा करके प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा दी गई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।

आपका निगम अत्यंत मजबूत मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है और देश में वेअरहाउसिंग उद्योग की आवश्यकता को संभालने के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ अवसंरचना तैयार कर रही है। हमें पूर्ण आशा है कि वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हम पूरा कर लेंगे।

### 21.1 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता

केन्द्रीय भण्डारण निगम में व्यापार के सुचारु और कुशल संचालन के लिए मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और यह संबंधित कानूनों और नियमों का अनुपालन करता है। इसके पास शक्तियों का प्रत्यायोजन, नीतियों और प्रक्रियाओं, मैनुअल, दिशानिर्देशों के रूप में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्ण रूप से प्रलेखित प्रणाली है, जो वित्तीय और अन्य ऑपरेटिंग कार्यों की सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण गतिविधियों को समाहित करती है। इन्हें आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन और विनियामक तथा सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने सहित उच्चतम स्तर के कारपोरेट गवर्नंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारे निगम में व्यावसायिक प्रचालन के सुचारु, प्रभावी और कुशल संचालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिसंपत्तियों की सुरक्षा और संबंधित कानूनों और नियमों के अनुपालन करने के लिए मजबूत प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

सभी चैक एवं बैलेंस की उपयुक्तता तथा सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की व्यवस्था, नियमितता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम के अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के सहयोग से चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की अनुभवी फर्मों द्वारा संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम में निदेशक मंडल स्तर की लेखापरीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन एवं उनकी उपयुक्तता पर कड़ी निगरानी रखती है।

आपके निगम के पास निम्नलिखित व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है:—

- व्यावसायिक प्रचालनों की क्षमता एवं प्रभावशीलता;
- अनधिकृत एक्सेस, उपयोग एवं व्यवस्था से परिसंपत्तियों की संरक्षा;
- वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और तत्परता;
- निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन; तथा
- विभिन्न विधियों और विनियमों का अनुपालन;

### 21.2 स्मॉट (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

निगम की प्रमुख शक्ति इसका अखिल भारतीय स्तर पर 424 वेअरहाउसों का व्यापक नेटवर्क, इसकी विविध गतिविधियां, प्रतिबद्ध एवं सक्षम जनशक्ति है। दुर्गम इलाकों में वेअरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लदाख और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुल चार स्थानों पर 16704 मी.टन क्षमता के गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निगम के पास विभिन्न वस्तुओं के भंडारण की सुविधा है, जिसमें एफसीआई, नेफेड, भारतीय कपास निगम, राज्य



नागरिक आपूर्ति निगम, उर्वरक कंपनियों, ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे बिग बास्केट, अमेज़ॉन, रिलाइन्स, इंडस्ट्रीयल गुड्स, एफएमसीजी एवम् एग्री वेअरहाउसिंग प्रशिक्षित एवं अनुभवी तकनीकी मैन पावर द्वारा प्रबंधित पेस्ट कंट्रोल सर्विस शामिल है। व्यापक क्लाइंट बेस है तथा इसकी प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति द्वारा स्टॉक का संग्रह एवं परिरक्षण पूर्ण सक्षमता से किया जाता है। वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में इसकी अग्रणी भूमिका है। निगम ने वर्ष 2021-22 के दौरान 3.45 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता जोड़ी है और 90 करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित किया है। निगम केवल वेअरहाउसिंग करने के बाद मूल्य वर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक आदर्श बदलाव कर रहा है। तथापि, वर्तमान में निगम अत्यंत प्रतिस्पर्धा सेवा सेक्टर में प्रचालन कर रहा है तथा निगम अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे-एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, सीएफएस/आईसीडी/आईसीपी/सीआरटी का प्रचालन एवं पीसीएस प्रचालन में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

**शक्तियाँ:** निगम की प्रमुख शक्ति वेअरहाउसों का आसानी से सुलभ होना है एवं विस्तृत नेटवर्क में ग्राहक सेवा स्तर तथा वितरण नेटवर्क, वेअरहाउस भंडारण प्रबंधन (डब्ल्यूएमएस) विविध वस्तुओं के पोर्ट फोलियो और वेअरहाउसों में खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण एवं परिरक्षण में मूल सक्षमता के साथ अधिकतर वेअरहाउस व्यापक क्लाइंट बेस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत है। निगम अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जन-शक्ति द्वारा पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करके पैस्ट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभा रहा है। निगम ने डब्ल्यूडीआरए के अंतर्गत सभी 345 वेअरहाउसों को पंजीकृत करके मानकीकृत किया है।

गुणवत्ता, पर्यावरण एवं सुरक्षा के लिए निगम के आईएसओ प्रमाणित संस्था होने के कारण ग्राहकों द्वारा अपने सामान के भंडारण और सेवाओं के लिए वरीयता दी जाती है। बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए नियमित अंतराल पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उन्हें वैज्ञानिक भंडारण क्षेत्र में नवीनतम तकनीक एवं ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है।

**कमियाँ:** निगम के लिए उसका पुराना इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सेवानिवृत्ति से कर्मचारियों की कमी तथा देश के सभी जिलों विशेषकर नए औद्योगिक लॉजिस्टिक हब सहित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर एवं बड़े शहरों में निगम की गैर मौजूदगी मुख्य चिंता का विषय हैं। मौजूदा खाली जमीनों पर नए वेअरहाउसों के निर्माण, नए गोदामों के निर्माण के लिए नई जमीन की खरीद या ऐसेट लाइट मॉडल के तहत प्राइवेट वेअरहाउस मालिकों से वेअरहाउस किराए पर लेना, नई भर्ती, अतिरिक्त क्षमता के निर्माण द्वारा मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार एवं उन्नयन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं तथा अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजन पर बल दिया जा रहा है।

**अवसर:** पड़ोसी देशों के साथ सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एकीकृत चैक पोस्ट और लैण्ड कस्टम स्टेपन खोलने से निगम को इन सुविधाओं के प्रबंधन कार्य का अवसर मिला है। वर्तमान में निगम द्वारा दो आईसीपी का प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। चूंकि एलपीएआई और अधिक संख्या में आईसीपी की स्थापना करने के प्रयास में है, निगम इस क्षेत्र में आगे और अधिक अवसर प्राप्त करना चाहता है। निगम ने नाभा, बामनहेरी तथा कालम्बोली में एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल स्थापित किया है और वाषी तथा मिराज में दो और पीएफटी की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इनसे विद्यमान वेअरहाउसिंग कॉम्प्लैक्स में अतिरिक्त व्यापार मिलेगा।

ई-कॉमर्स ने देश में अपनी पकड़ मजबूत की है और संभावना है कि आने वाले दिनों में इंटरनेट कनेक्टिविटी से ई-कॉमर्स व्यापार में वृद्धि होगी। खास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करना ताकि स्टील कार्गो यार्ड, धान प्रसंस्करण के लिए एकीकृत सुविधाओं के विकास के माध्यम से ग्राहकों के एक समूह में समान सेवाएं प्रदान की जा सकें। टियर-1 शहरों में कुल 30 स्थानों की पहचान की गई और उन्हें खाद्यान्न मुक्त बनाया गया। निगम के पास अखिल भारतीय स्तर पर अपनी मौजूदगी से इस बढ़ते हुए बाजार से लाभ उठाने का अवसर है।

केन्द्रीय भंडारण निगम अन्य एजेंसियों को वेअरहाउसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रशिक्षण/परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) विकसित की जा रही है एवं यह कई वेअरहाउसों पर पहले से ही लगा दी गई है। निगम वेअरहाउसिंग कुशलता में सुधार के लिए कुछ चिन्हित स्थानों पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स और



मल्टी स्टोरी गोदामों के निर्माण की योजना बना रहा है। बेहतर पारदर्शिता के लिए डिपो ऑनलाइन सिस्टम (डीओएस) और ई-एपीएआर मोड्यूल विकसित किए गए हैं।

**चुनौतियाँ:** निगम वर्तमान में अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण में कार्य कर रहा है और अपने समस्त व्यापार क्षेत्रों जैसे—एग्री वेअरहाउसिंग, औद्योगिक वेअरहाउसिंग, कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)/इनलैण्ड क्लीयरेंस डिपो(आईसीडी), कंटेनर रेल ट्रांसपोर्टेशन (सीआरटी) में यह अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। एग्री वेअरहाउसिंग क्षेत्र में अत्यधिक संगठित और बड़े प्लेयर्स के प्रवेश, निजी वेअरहाउस प्रदाताओं की कम लागत की तुलना में केंद्रीय भंडारण निगम की बड़ी लागत से प्रतियोगिता और कड़ी हो गई है। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न और अन्य कृषि वस्तुओं की भंडारण क्षमता के सृजन में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए पीईजी टैक्स प्रोत्साहन, पूंजीगत निवेश सब्सिडी इत्यादि जैसी विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

## 22. जोखिम एवं चिन्ताएं

आपका निगम घरेलू व्यावसायिक वातावरण में होने वाली घटनाओं से आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है जिसमें वे प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं जो वास्तविक जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आपके निगम ने बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर भी जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जिससे निगम को जोखिम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, वृद्धि को बनाए रखने तथा हितधारियों के लिए मूल्य सृजित करने में सहायता मिलती है। रिपोर्ट वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन नीति भी आईएसओ प्रमाणित दस्तावेज के तहत सम्मिलित की गई है।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने दिनांक 05 मार्च, 2014 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए अनुमोदन से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन नीति को अपनाया है। तब से निगम में जोखिम प्रबंधन सुदृढ़ हुआ है। यह नीति निगम में व्यापार जोखिमों के प्रबंधन कार्य हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह नियमित रूप से एवं दी गई समय-सीमा के भीतर जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने तथा उसे कम करने की सुनिश्चितता पर बल देती है।

निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन पर नज़र रखती है जिसकी निगरानी बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) द्वारा की जाती है। निगमित स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति वित्तीय वर्ष में दो बार अर्धवार्षिक आधार पर जोखिम और उसके कम होने की स्थिति की समीक्षा करती है और इसकी रिपोर्ट निगम के मुख्य जोखिम अधिकारी को देती है। मुख्य जोखिम अधिकारी जोखिम रिपोर्ट तैयार करता है और उसे गत वर्ष पहचाने गए जोखिमों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ समीक्षा के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

निगम के समक्ष आए मुख्य जोखिमों का विश्लेषण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा विस्तार से किया जाता है। मुख्य जोखिम क्षेत्रों की समीक्षा निगमित स्तर और बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा नियमित रूप से की जाती है।

## 23. समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों पर कार्य निष्पादन

निगम ने 01.02.2022 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंडों हेतु समेकित आधार पर केंद्रीय भंडारण निगम और सीडब्ल्यूसी के लिए निर्धारित वार्षिक कार्य-निष्पादन लक्ष्यों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समेकित लक्ष्य (सीडब्ल्यूसी+सीआर डब्ल्यूसी) में वित्तीय और गैर-वित्तीय मानदंड (100 अंक) और अनुपालन मानदंड (12 अंक नेगेटिव) शामिल हैं। लेखापरीक्षित खातों के आधार पर समझौता ज्ञापन लक्ष्यों पर निष्पादन अनुलग्नक-क एमओयू में संलग्न है।

## 24. आभार

आपके निदेशक निगम के मामलों के प्रभावी प्रबंधन में भारत सरकार, विशेष रूप से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए तथा मुख्यतः निगम



द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले सभी ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड निवर्तमान अध्यक्ष श्री अतिश चन्द्रा तथा निदेशक श्री एस. चार्ल्स, निदेशक (वित्त) को निगम के बोर्ड में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान तथा सभी हितधारियों को उनके निरंतर सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है।

अंततः, आपके निदेशक निगम को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे उत्कृष्ट निष्पादन और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति सुनिश्चित करने हेतु निगम की टीम द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत, प्रतिबद्धता, बहुमूल्य योगदान और अथक प्रयासों के लिए अत्यंत सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल आप सभी को यह आश्वासन भी देना चाहेगा कि आपका निगम अपने हितधारियों की संतुष्टि के लिए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने एवं सभी स्तरों पर अपने कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता को निरंतर उन्नत करने के लिए हरसंभव प्रयास करता रहेगा।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 / 07 / 2022





राज्य भण्डारण निगमों के केन्द्रों, भण्डारण क्षमता (स्वनिर्मित, किरायों के, प्लिंथ एवं प्रबंधन)  
सूची आकड़ों का विवरण यथा 31.03.2022

(क्षमता लाख मी.टन )

क्रम सं.	एस.डब्ल्यू.सी.के नाम	केन्द्रों का संख्या	स्वनिर्मित	किराये के	प्लिंथ	प्रबंधन	कुल क्षमता	धारिता	
								योग	% उम्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	148	8.23	1.90	--	5.83	15.96	11.54	72
2.	असम	42	1.89	0.11		--	2.00	1.29	65
3.	बिहार	67	5.20	0.94	-	2.20	8.34	7.86	94
4.	छत्तीसगढ़	135	16.27	3.78	--	--	20.05	18.77	94
5.	गुजरात	45	1.43	3.48	--	--	4.91	4.02	82
6.	हरियाणा	112	16.42	2.01	--	--	18.43	10.86	59
7.	कर्नाटक	159	16.97	0.44	--	--	17.41	10.09	58
8.	केरल	55	1.98	0.37	--	--	2.35	2.11	90
9.	मध्य प्रदेश डब्ल्यू. एल.सी.	278	23.24	168.23	42.72		234.19	140.47	60
10.	महाराष्ट्र	205	16.53	1.68	--	1.55	19.76	14.00	71
11.	मेघालय	6	0.18	--	--		0.18	0.16	89
12.	उड़ीशा	69	5.20	0.10	--		5.30	4.01	76
13.	पंजाब	120	27.08	23.94	2.17	--	53.19	49.36	93
14.	राजस्थान	93	13.43	1.04	--	--	14.47	9.19	64
15.	तमिलनाडु	60	7.61	0.15	--	--	7.76	6.71	86
16.	तेलंगाना	280	5.19	7.94	--	15.73	28.86	29.68	103
17.	उत्तर प्रदेश	161	26.32	2.68	0.02	11.11	40.13	34.98	87
18.	उत्तराखण्ड	14	1.01	0.29	--	--	1.30	1.15	88
19.	पश्चिम बंगाल	141	1.37	4.76	--	1.88	8.01	7.15	89
	योग	2190	195.55	223.84	44.91	38.30	502.60	363.40	72



## दिनांक 31.03.2022 को राज्य भंडारण निगमों की शेयर पूंजी में निवेश (लागत पर)

क्र. सं.	राज्य भंडारण निगम का नाम (एसडब्ल्यू सी)	शेयरों की संख्या		राशि (रुपए)	
		वर्तमान वर्ष 2021-22	गत वर्ष 2020-21	वर्तमान वर्ष 2021-22	गत वर्ष 2020-21
1.	आंध्र प्रदेश	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2.	तेलंगाना	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
3.	असम	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
4.	बिहार	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
5.	छत्तीसगढ़	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
6.	गुजरात	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
7.	हरियाणा	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
8.	कर्नाटक	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
9.	केरल	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
10.	मध्य प्रदेश डब्ल्यूएलसी	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
11.	महाराष्ट्र*	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
12.	मेघालय	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
13.	ओडिशा	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
14.	पंजाब	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
15.	राजस्थान	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
16.	तमिलनाडु	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
17.	उत्तर प्रदेश	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18.	उत्तराखंड	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19.	पश्चिम बंगाल	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
	<b>कुल (क)</b>	<b>62,03,624</b>	<b>62,03,624</b>	<b>61,79,38,400</b>	<b>61,79,38,400</b>

1. \$ निगम ने मध्य प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एमपीएसडब्ल्यूसी) में 480 लाख रु. का निवेश किया जो मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन (एमपीडब्ल्यूएलसी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (सीएसडब्ल्यूसी) के रूप में विभाजित हो गया। इसके अतिरिक्त, इन दोनों राज्य भंडारण निगमों में प्रत्येक को 50 लाख रु. की इक्विटी दी गई। विभाजन से पूर्व इक्विटी शेयर पूंजी में दिए गए अंशदान को एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा 2011-12 तक ऋण एवं 2012-13 से पूंजी के रूप में माना जा रहा है, किंतु निगम इससे सहमत नहीं है क्योंकि इक्विटी को ऋण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एमपीएसडब्ल्यूसी की प्रदत्त अंश पूंजी विनियोजन को एमपीडब्ल्यूएलसी को (68.35 प्रतिशत) तथा सीएसडब्ल्यूसी को (31.65 प्रतिशत) तथा इक्विटी का 20 प्रतिशत की दर से लाभांश देने के संबंध में 16.11.2012 को अधिसूचना जारी की है तथा दिनांक 06.03.2014 के पत्र सं. 7-01/2013-एसजी द्वारा भी इसकी पुनः पुष्टि की गई है। मामले का समाधान अभी भी नहीं हुआ है।
2. \*वर्ष 1996-97 के दौरान जारी किए 24,240 शेयर महाराष्ट्र राज्य भंडारण निगम द्वारा बोनस शेयरों के रूप में शामिल हैं।
3. भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगम में धारित निवेश हस्तांतरणीय नहीं हैं।

## कॉरपोरेशन विभाग

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य भंडारण निगमों द्वारा घोषित एवं प्राप्त लाभांश तथा आयोजित की गई वार्षिक साधारण बैठकों की तिथि को दर्शाने वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य भंडारण निगम का नाम	वार्षिक साधारण बैठक आयोजित होने का वर्ष अथवा होने वाली वार्षिक साधारण बैठक की तिथि	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि	सीडब्ल्यूसी का निवेश (राशि रुपए में)	घोषित लाभांश		
					दर में %	देय राशि	आज तक प्राप्त रकम (राशि रुपए में)
1	आंध्र प्रदेश	2015-16	-	2,61,50,200	2019-20 अंतरिम लाभांश	-	2,32,52,898
2	असम	2017-18	-	5,47,00,000	-	-	-
3	बिहार	2013-14 2014-15	13.07.2021	3,20,99,400	उपलब्ध लाभ का 20%	-	47,58,376
4	छत्तीसगढ़	2019-20	-	2,01,92,000	वर्ष 2018-19 के लिए 20% इक्विटी	-	40,38,400
5	गुजरात	2013-14	-	2,00,00,000	-	-	-
6	हरियाणा	2018-19	16.06.2021	2,92,03,700	कर उपरांत लाभ का 15%	-	3,02,40,830
7	कर्नाटक	2020-21	18.03.2022	3,90,00,000	-	-	-
8	केरल	2019-20	10.03.2022	5,75,00,000	-	-	-
9	मध्यप्रदेश डब्ल्यूएलसी	2019-20	25.02.2022	3,78,08,000	इक्विटी का 32%	-	1,20,98,560
10	महाराष्ट्र	2020-21	30.09.2021	4,11,32,000	कर उपरांत लाभ का 5.08%	-	1,90,00,000
11	मेघालय	2018-19	06.10.2021	1,22,56,200	-	-	-
12	ओडिशा	2018-19	-	1,80,00,000	-	-	-
13	पंजाब	2017-18	30.06.2021	4,00,00,000	-	-	-
14	राजस्थान	2020-21	10.02.2022	3,92,63,000	इक्विटी का 50%	-	1,96,31,500
15	तमिलनाडु	2019-20	29.09.2021	3,80,50,000	कर उपरांत लाभ का 30% अंतरिम लाभांश (2020-21)	-	1,80,83,263 1,80,82,676
16	तेलंगाना	2015-16	-	1,86,88,900	2020-21 में अंतरिम लाभांश	-	7,50,00,000
17	उत्तर प्रदेश	2017-18	08.12.2021	5,39,77,000	इक्विटी का 24%	-	1,29,54,480
18	उत्तराखंड	2015-16 2016-17 2017-18	24.12.2021	18,48,000	(2021-22) में अंतरिम लाभांश	-	3,69,600
19	पश्चिम बंगाल	2017-18	-	3,80,70,000	-	-	-
		कुल		61,79,38,400			23,75,10,583



वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां (समेकित) (अनुलग्नक क-एमओयू)								
क्र. सं.	मानदंड	यूनिट	अंक	वास्तविक आंकड़े 2020-21 (समेकित सीडब्ल्यूसी + सीआरडब्ल्यूसी)	समझौता ज्ञापन लक्ष्य 2021-22	वास्तविक आंकड़े 2021-22	स्कोर 2021-22	टिप्पणी
1	प्रचालन से राजस्व	करोड़ रु.	10	2148.83	2170.00	2257.31	10.00	
2	संपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	62.88	63.61	61.87	4.86	
3	राजस्व के % के रूप में ईबीआईटीडीए	%	10	30.40	30.01	31.23	10.00	
4	निवल मूल्य पर रिटर्न	%	10	17.53	17.34	18.91	10.00	
5	नियोजित मूल्य पर रिटर्न	%	5	21.85	21.57	21.49	4.98	
6	गत वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय में वृद्धि (10%)	%	15	6726	7399	7931	15.00	
7	क्षमता उपयोग का %	%	25	87	87	89.76	25.00	
8	प्रचालनों से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्ति योग्य व्यापार	दिनों की सं.	5	31	31	50	0.00	
9.1	पूंजी व्यय (कैपेक्स)	करोड़ रु.	10	252.34	226.00	275.63	10.00	
9.2	तीसरी तिमाही (31 दिसम्बर) के अंत तक कैपेक्स उपलब्धि = लक्ष्य का 90%—	करोड़ रु.	3		203.00	208.58	3.00	
10	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पीबीटी के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी/ नवपरिवर्तन पहल पर व्यय (सी.आर.डब्ल्यूसी. सहित 13.79 करोड़ रु. खर्च किए जाने हैं।)	%	2		13.79	13.47	1.95	
	कुल		100			उत्कृष्ट	94.79	



नकारात्मक अंक (अनुपालन पैरामीटर)	यूनिट	अंक	लक्ष्य	उपलब्धि	स्रोत / सत्यापन
1 जैम पोर्टल से कुल खरीद {जैम के अनुसार वर्ष के दौरान जैम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद गत वर्ष के दौरान संबंध पोर्टल * 100 के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद}	%	2	25	62.91	प्रशासनिक मंत्रालय GeM- पोर्टल और संबंध पोर्टल के आधार पर। सीडब्ल्यूसी के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 123 करोड़ रुपये की खरीद-संबंध पोर्टल में दर्ज है। GeM पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2021-22 के दौरान खरीद-76.18 करोड़ है (उपलब्धि 61.93% है)
2 चुनिंदा मामलों पर डीपीई दिशा-निर्देशों का अनुपालन		2			निगम ने डीपीई के इन सभी दिशानिर्देश का अनुपालन किया है। संदर्भ के लिए अनुपालन प्रमाण पत्र और बीओडी एजेंडा और कार्यवृत्त संलग्न हैं। (प्रशासनिक मंत्रालय, सीएजी रिपोर्ट आदि के आधार पर)
(i) वेतन संशोधन दिशा-निर्देशों तथा वेतन संशोधन के लिए सीपीएसई की लाभप्रदता की समीक्षा				अनुपालन	
(ii) व्यय प्रबंधन आर्थिक उपाय और व्यय का औचित्य				अनुपालन	
(iii) सुगम्य भारत अभियान पर दिशा-निर्देश				अनुपालन	
(iv) प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन पर दिशा-निर्देश				अनुपालन	
(v) सीपीएसई द्वारा सीएसआर पर समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश				अनुपालन	
3 कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 (या सेबी (एलओडीआर) विनियमों में प्रावधानों का अनुपालन जैसे:		3			वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 (प्रशासनिक मंत्रालयसीएजी / सांविधिक / सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिपोर्ट) के आधार पर)
(i) निदेशक मंडल की संरचना				अनुपालन	
(ii) बोर्ड समितियाँ (लेखा परीक्षा समिति आदि)				अनुपालन	
(iii) बोर्ड मीटिंग का आयोजन				अनुपालन	
(iv) संबंधित पार्टी लेन देन				अनुपालन	
(v) प्रकटन एवं पारदर्शिता				अनुपालन	
4 दीपम/नीति आयोग द्वारा दिए गए लक्ष्य		2			प्रशासनिक मंत्रालय दीपम/नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर। वर्ष 2021-22 के दौरान 3.83 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले अतिरिक्त क्षमता उन्नयन सहित, 4.68 लाख मीट्रिक टन के गोदामों का निर्माण के पूरा हुआ। निजी निवेश के संबंध में यह 25 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 90.69 करोड़ रुपये रहा
(i) लाभांश भगतान				अनुपालन	
(ii) संपत्ति मुद्रीकरण उपलब्धि				अनुपालन	
(iii) विशिष्ट विनिवेश उपलब्धि				कोई लक्ष्य नहीं	



	नकारात्मक अंक (अनुपालन पैरामीटर)	यूनिट	अंक	लक्ष्य	उपलब्धि	स्रोत / सत्यापन
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीद और समय पर भुगतान {एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद (वर्ष के दौरान संबंध पोर्टल के अनुसार एससी/एसटी एमएसई से 4% और महिला एमएसई से 3% सहित)/वर्ष के दौरान संबंध पोर्टल *100 के अनुसार सेवाओं और वस्तुओं की कुल खरीद}	%	2	25	35.01	प्रशासनिक मंत्रालय संबंध पोर्टल के आधार पर (31.03.22 तक एमएसई के माध्यम से खरीद 34.80% है जिसमें से 4.91% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई से है और 34.67% महिलाओं एमएसई से है
6	मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम एवं पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे)		1		अनुपालन	मंत्रालय ने दिनांक 21.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा डीपीई को निम्नलिखित लक्ष्यों के लिए अग्रेषित किया: i) 75% कर्मचारियों का टीकाकरण—मार्च 2022 तक अनुपालन: 99.25% कर्मचारियों का टीकाकरण (22.05.21 / 03.07.2021 / 14.08.2021 और 25.09.2021) ii) कार्यस्थल पर कोविड-19 का प्रसार को रोकने के लिए तथा स्पर्शोन्मुख रोगियों की पहचान करने के लिए समय-समय पर RTPCR परीक्षण, स्टाफ और आउटसोर्स कर्मियों दोनों के लिए किया गया। टेस्ट की संख्या का लक्ष्य 3 है निगम ने लक्ष्य अनुपालन किया है (आरटीपीसीआर टेस्ट, रेगुलर के साथ-साथ आउटसोर्स स्टाफ पर 16.04.2021 / 22.05.2021 और 07 / 01 / 2022 आयोजित किया गया था
	कुल		12			



केन्द्रीय भण्डारण निगम

# निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर रिपोर्ट एवं सुस्थिर विकास वित्तीय वर्ष 2021-22



केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, धौलपुर राजस्थान, के लिए एम्बुलेंस एवं लोडिंग वाहन की खरीद।



**31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए  
निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट**

1. कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति पर : संक्षिप्त रूपरेखा

1.1 केंद्रीय भण्डारण निगम निगमित सामाजिक दायित्व के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण एवं संवेदनशील है तथा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए जागरूकता से कार्य कर रहा है। समाज के सतत और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध, निगम ने निगमित सामाजिक दायित्व तथा सुस्थिरता पर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.10.2014 द्वारा जारी डीपीई के दिशानिर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची- VII, निगमित सामाजिक दायित्व नियम, 2014, एवं कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 में निहित प्रावधानों के साथ अपनाया है। केंद्रीय भण्डारण निगम का उद्देश्य निगमित सामाजिक दायित्व से नीचे दी गई गतिविधियों द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य एवं दूरदर्शिता प्राप्त करना है :-

• निगमित सामाजिक दायित्व दूरदर्शिता

“लोगों, ग्रह और परोपकार पर ध्यान देते हुए समाज का समावेशी विकास”

• निगमित सामाजिक दायित्व लक्ष्य

➤ समाज के विकास सहित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं देश के आकांक्षी जिलों के विकास की ओर ध्यान देना है। इन क्षेत्रों में यह गतिविधियां शामिल होंगी:-

i.) पीने का स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सफाई प्रदान करना।

ii.) शिक्षा/कौशल विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना।

iii.) महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करना।

iv.) अवसंरचनात्मक विकास।

2. निगमित सामाजिक दायित्व समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री सुरेश वारियर	अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक	03	03
2.	श्री राकेश कुमार सिन्हा	सदस्य, निदेशक (कार्मिक)	03	03
3.	श्री बी.राघवेंद्र राव	सदस्य, नामित निदेशक	03	03

3. वह वेब-लिंक दें, जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं सीएसआर परियोजनाओं को दर्शाया गया है।-

[https://cewacor.nic.in/MasterStatic/Corporate\\_Social\\_Responsibility](https://cewacor.nic.in/MasterStatic/Corporate_Social_Responsibility)

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में की गई निगमित सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के प्रभावी आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट साथ लगाएं)। - लागू नहीं





5. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई है, का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई है (रु. में)
1.	2020-21	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (रु.)
2018-19	222,55,08,417
2019-20	408,68,99,252
2020-21	559,12,59,536
औसत निवल लाभ	396,78,89068

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत	793.58 लाख रु.
(ख) गत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई है	शून्य
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) बाध्यता (7क+7ख-7ग)	793.58 लाख रु.

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि (लाख रु. में)	खर्च नहीं की गई राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार खर्च नहीं किए गए सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे नियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि (लाख रु. में)	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि (लाख रु. में)	अंतरण की तिथि
802.52	-	-			

- (ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची-VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मदद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिये आबंटित राशि (लाख रु. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि में अंतरित राशि (लाख रु. में)	लागू करने की पद्धति - सीधे (हाँ/ नहीं) नाम	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन पद्धति		
				राज्य	जिला					सीएसआर पंजीकरण सं.		
1	विभिन्न कोविड क्लिनिक के लिए 02 एंबुलेंस की खरीद।	(i)	जी हाँ	मध्य प्रदेश	छत्तरपुर	2 वर्ष	24.00	12.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं



2	कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीद।	(i)	जी हाँ	मध्य प्रदेश	पान्ना	2 वर्ष	10.00	05.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	शासकीय कन्या माध्यमिक शाला के लिए विभिन्न सामग्रियों की खरीद।	(ii)	जी हाँ	मध्य प्रदेश	पान्ना	2 वर्ष	09.44	04.72	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	पर्यावरण सुस्थिरता के लिए रेलवे ट्रैक पर ग्रीन कॉरीडोर प्रदान करना।	(iv)	जी हाँ	दिल्ली	दिल्ली	2 वर्ष	25.00	12.50	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
5	01 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	अरुणाचल प्रदेश	नामसई	2 वर्ष	20.00	10.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
6	10 सरकारी आंगनवाड़ी सेंटर को मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर में बदलना।	(i)	जी हाँ	असम	बारपेटा	2 वर्ष	10.00	05.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
7	10 बेड वाले वार्ड का निर्माण।	(i)	जी हाँ	असम	करीम गंज	2 वर्ष	20.75	10.37	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8	4 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	असम	माजुली	2 वर्ष	20.00	10.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
9	03 मौजूदा आंगनवाड़ी सेंटर का मॉडल आंगनवाड़ी सेंटरों में अपग्रेडेशन।	(i)	जी हाँ	मणिपुर	इंफाल	2 वर्ष	20.00	10.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
10	कोविड मेटरनिटी केअर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	असम	काछर	2 वर्ष	62.97	31.49	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11	02 सरकारी आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी में बदला गया तथा 01 ट्यूब सीलर की खरीद की गई।	(i)	जी हाँ	असम	उदलगुरी	2 वर्ष	20.00	10.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
12	टाटा ट्रस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कासरगोड में कोविड मरीजों के उपचार के लिए डायलिसिस मशीनों की स्थापना।	(i)	जी हाँ	केरल	कासरगोड	2 वर्ष	20.00	20.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
13	कोविड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटरों में 02 डिजिटल एक्स-रे मशीन और 04 ईसीजी मशीनों की खरीद।	(i)	जी हाँ	केरल	कोल्लम	2 वर्ष	09.40	04.70	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
14	फैमिली हेल्थ सेंटर, बेपोर में कोविड/ पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट सुविधाओं की स्थापना।	(i)	जी हाँ	केरल	कोशिककोड	2 वर्ष	10.00	05.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
15	राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका अवासीय विद्यालय के लिए 18 ऑटोमैटिक रोटी मेकर की खरीद।	(i)	जी हाँ	राजस्थान	बारन, धौलपुर, हनुमान गढ़, जैसलमेर, कारोली तथा सिसरोही	2 वर्ष	53.69	26.84	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
16	हॉस्पिटल बेड लगाना, मैटरसिस, एबीजी मशीनें, शव ले जाने वाले वाहन की खरीद तथा मोर्चरी की स्थापना	(i)	जी हाँ	ओडिशा	कालाहांडी	2 वर्ष	30.90	15.45	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
17	लोहारडागा, झारखंड में एक जैसे 02 पोस्ट कोविड केअर सेंटर की स्थापना।	(i)	जी हाँ	झारखंड	लोहारडागा	2 वर्ष	29.99	15.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
18	जिला अस्पताल में 20 बेड वाले पीडियेट्रिक आईसीयू की स्थापना।	(i)	जी हाँ	झारखंड	छत्रा	2 वर्ष	30.08	15.04	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
19	मलकानगिरि, ओडिशा में जिला कोविड अस्पताल का सुदृढीकरण।	(i)	जी हाँ	ओडिशा	मलकानगिरि	2 वर्ष	33.15	16.58	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं



20	सीएचसी बोरियो, साहिबगंज में ऑक्सीजन पाइपलाइन को इंस्टॉल करना एवं सदर अस्पताल एवं कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उपयोग के लिए 8एचएफएनसी (हाई फ्लो नैज़ल कोन्नुला) की खरीद।	(i)	जी हाँ	झारखंड	साहिबगंज	2 वर्ष	30.00	15.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
21	10 बेड वाले पीडियेट्रिक कोविड हॉस्पिटल की स्थापना।	(i)	जी हाँ	ओडिशा	नबरंगपुर	2 वर्ष	35.07	17.54	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
22	20 रेडियंट वार्मर, 02 पोर्टेबल एक्स-रे, 60 बेड साइड लॉकर, स्ट्रिप सहित 20 ग्लूकोमीटर, कंप्रेसर सहित 10 बाइपैप, 08 एमरजेंसी क्रैश कार्ट ट्रॉली, 30 पीआईसीयू बेड, 30 मेटरेसिस की खरीद।	(i)	जी हाँ	झारखंड	सिमडेगा	2 वर्ष	30.70	15.35	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
23	कुल 162 बेड के साथ 20 बेड वाले कोविड वार्ड की स्थापना।	(i)	जी हाँ	झारखंड	पालामऊ	2 वर्ष	29.97	14.99	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
24	बेहतापालर पंचायत, बड़ागांव में कॉम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	उत्तर प्रदेश	झासी	2 वर्ष	20	10.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
25	सांग खोला, पूर्वी सिक्किम में मॉडल आईसीडी सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	सिक्किम	गंगटोक	2 वर्ष	7.57	3.79	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
26	01 सरकारी आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी में बदलना।	(i)	जी हाँ	मणिपुर	सेनापाटी	2 वर्ष	10.00	5.00	-	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
							622.68	321.36				

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची-VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	लागू करने की पद्धति - सीधे (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन पद्धति - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
1	रेसुबेलपारा के तहत कोविड ओपीडी एवं टेस्टिंग लैब	(i)	जी हाँ	मेघालय	नार्थ गारो हिल्स	7.50	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
2	05 सरकारी आंगनवाड़ी सेंटर को मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर में बदला गया।	(i)	जी हाँ	मिजोरम	लुंगले	6.50	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
3	जिला अस्पताल में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा उपकरणों एवं कंज्यूमेबल्स के साथ कोविड केअर सुविधाओं का सुदृढीकरण।	(i)	जी हाँ	मिजोरम	मामित	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
4	उपकरण के साथ 02 मेडिकल मोबाइल यूनिट	(i)	जी हाँ	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
5	01 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन की खरीद।	(i)	जी हाँ	त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
6	असेसरीज़ एवं अन्य विविध व्ययों के साथ 01 100एम एक्स-रे मशीन।	(i)	जी हाँ	असम	धुबरी	40.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं



7	एबॉक पीएफसी में 100 बेड वाले अस्थायी मेकशिप्ट कोविड केअर सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	मिज़ोरम	आइज़ॉल	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
8	गंगटोक में हेल्थ केअर तथा न्यूट्रिशन सेंटर का निर्माण और सांग खोला, पूर्वी सिक्किम में मॉडल आईसीडी सेंटर का निर्माण।	(i)	जी हाँ	सिक्किम	गंगटोक	12.43	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
9	02 सरकारी आंगनवाड़ी को मॉडल आंगनवाड़ी में बदलना तथा 25 केवीए जेनरेटर की खरीद।	(i)	जी हाँ	मणिपुर	सेनापाटी	15.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
10	खेती बढ़ाने के लिए वस्तुओं का वितरण।	(iv)	जी हाँ	तेलंगाना	वानापार्थी	39.66	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एंजुलैस एवं मेडिसिन लोडिंग वाहन।	(i)	जी हाँ	राजस्थान	धौलपुर	31.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
12	जिला अस्पताल, सिरोही, राजस्थान में चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	(i)	जी हाँ	राजस्थान	सिरोही	15.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
13	पीएचसी कोयला में 14 लाख रु. की 01 एंजुलैस की खरीद।	(i)	जी हाँ	राजस्थान	बारन	13.97	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
14	26 लाख रु. की 01 टाटा एडवांस लाइफ सपोर्ट एंजुलैस की खरीद तथा मेडिसिन के इंटर हॉस्पिटल डिस्ट्रिब्यूशन के लिए 5 लाख रु. का लोडिंग वाहन।	(i)	जी हाँ	राजस्थान	जैसलमेर	31.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
15	मेडिकल गैस पाइपलाइन लगाना तथा ऑक्सीजन मेनीफोल्ड रूम का निर्माण।	(i)	जी हाँ	केरल	कोट्टयम	7.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
16	ऑक्सीजन सुविधा और महत्वपूर्ण उपकरणों के साथ ऑब्जर्वेशन बेड, बुखार और पोस्ट कोविड क्लिनिक।	(i)	जी हाँ	केरल	एर्नाकुलम	9.95	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
17	परिवार स्वास्थ्य केंद्र, बिनानीपुरम, अलुवा, एर्नाकुलम में कोविड / पोस्ट कोविड सुविधाओं की स्थापना।	(i)	जी हाँ	केरल	एर्नाकुलम	10.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
18	जिला अस्पताल में पीडियट्रिक इंटेसिव केअर यूनिट की स्थापना।	(i)	जी हाँ	केरल	इदुक्की	7.08	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
19	पीडियट्रिक आईसीयू कॉट्स / फीवर क्लिनिक तथा पोस्ट कोविड केअर एवं पुनर्वास की स्थापना।	(i)	जी हाँ	केरल	वायनाड	7.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं



20	19 लाख रु.की 1 इंसुलेटेड वैक्सिन कैरिअर वैन (महिंद्रा जायो चेसिस) की खरीद + केरल के पटानमथिष्टा जिले में 1 लाख रु. का पंजीकरण और बीमा।	(i)	जी हाँ	कोच्चि	पटानम थिष्टा	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
21	5 कोविड अस्पतालों में आईसीयू बेडों की खरीद।	(i)	जी हाँ	उत्तर प्रदेश	झाँसी	35.91	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
22	सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम) के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिले में इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद।	(i)	जी हाँ	बिहार	पश्चिमी सिंहभूम	30.91	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
23	2 माइक्रोटोम (प्रत्येक 7,50,000/-रु.) तथा 1 टिशू प्रोसेसर (13,00,000/-रु.)	(i)	जी हाँ	बिहार	रांची	26.97	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
24	आंगनवाड़ी का निर्माण तथा कोविड केअर के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।	(i)	जी हाँ	मणिपुर	चंदेल	20.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
25	पीएचसी कुरुमथुर (कन्नूर जिला) में कोविड केअर बढ़ाना।	(i)	जी हाँ	केरल	कन्नूर	15.00	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>कुल</b>						<b>481.16</b>			

- (घ) प्रशासनिक उपरिव्यय पर खर्च की गई राशि— शून्य
- (ङ.) प्रभावी आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो— शून्य
- (च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड)— 802.52 लाख रु.
- (छ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो :-

क्र. सं.	विवरण	राशि (लाख रु. में)
(i)	धारा 135(5) क अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	793.58
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	802.52
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	8.94
(iv)	गत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	8.94

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि का विवरण :-

क्र. सं.	पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत खर्च न की गई राशि में अंतरित राशि (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्धारित किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई है तो			आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख रु. में)
				निधि का नाम	राशि (लाख रु.में)	अंतरण की तिथि	
1	2018-19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



2	2019-20	143.73	103.39	पीएम केयर्स	40.34	03.04.2020	शून्य
3	2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	143.73	103.39		40.34		

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(षों) की जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :-

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	जिस वित्तीय वर्ष में परियोजना शुरू हुई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (लाख रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च की गई संचयी राशि (लाख रु. में)	परियोजना की स्थिति – कार्य पूर्ण/ जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शून्य								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि के माध्यम से ऐसी सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण)

(i) पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	शून्य
(ii) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि	शून्य
(iii) उस इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण दें जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	शून्य
(iv) सृजित या अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण दें (पूंजीगत परिसंपत्ति के संपूर्ण पते एवं स्थान सहित)	शून्य
11. यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है तो कारण बताएं।	अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार खर्च की गई संपूर्ण राशि

हस्ताक्षर/-

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक

हस्ताक्षर/-

(सुरेश वारियर)  
(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 / 07 / 2022



केन्द्रीय भण्डारण निगम

## कॉरपोरेट गवर्नेस



प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, श्री वीरेंद्र सिंह (60वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष) को गुलदस्ता भेंट करते हुए और सुश्री जैस्सी जैकब, सचिव, सीडब्ल्यूसी, 60वीं वार्षिक साधारण बैठक 24 सितंबर, 2022 के अवसर पर शेरधारकों को संबोधित करते हुए



## 1. निगम की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दूरदर्शिता

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संबंध में केन्द्रीय भण्डारण निगम का उद्देश्य पारदर्शिता, समुचित प्रकटन एवं रिपोर्टिंग को इस तरह सुनिश्चित करके लम्बी अवधि के लिए अंशधारियों के अंशों के मूल्य को बढ़ाना है जिससे संपूर्ण संगठन में सांविधिक विनियमों के अनुपालन सहित नैतिक आचरण भी प्रोन्नत हो सके। केन्द्रीय भण्डारण निगम सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रबन्धन की न्यासिता, सशक्तीकरण एवं जवाबदेही के माध्यम से सुशासन में विश्वास करता है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम का लक्ष्य सामाजिक दायित्व एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत-प्रभावी, मूल्य संवर्द्धन तथा एकीकृत भण्डारण एवं लॉजिस्टिक सेवाएं मुहैया करना है। निगम की दूरदर्शिता हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के संबल के रूप में एकीकृत भण्डारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना है।

निगम कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है ताकि वह स्टोकहोल्डर्स के प्रति अपने कॉरपोरेट गवर्नेंस के दायित्वों को पूरा कर सके।

## 2. निदेशक मंडल का गठन

निगम के निदेशक मंडल का गठन वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 7(1) के अंतर्गत हुआ है। इसमें प्रकार्यात्मक, नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं। निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सहित 6 अंशकालिक निदेशक हैं जिन्हें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया गया है, अंशधारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नामित एक स्वतंत्र निदेशक, 3 निदेशक संबंधित श्रेणी के अंशधारियों द्वारा निर्वाचित हैं, प्रबंध निदेशक तथा तीन प्रकार्यात्मक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है।

31.03.2022 को निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार था :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	क्र.सं.	अन्य निदेशक मंडलों में निदेशक	क्र.सं.	निदेशक मंडल की उप समिति जिसके सदस्य/अध्यक्ष हैं
1	श्री अतीश चन्द्रा, आईएस-अध्यक्ष 23.07.2021 से	नामित	(i)	भारतीय खाद्य निगम	(i) (ii)	अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, केभनि अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, भाखानि
2	सुश्री नंदिता गुप्ता	नामित	(i)	सीआरडब्ल्यूसी लि.	(i)	सदस्य-कार्यकारी समिति, केभनि
3	श्री वीरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र		शून्य	(i)	अध्यक्ष- मानव संसाधन उप-समिति, केभनि
4	श्री के.वी. प्रदीप कुमार	स्वतंत्र		शून्य	(i) (ii) (iii) (iv)	अध्यक्ष- पारिश्रमिक समिति, केभनि सदस्य- लेखा परीक्षा समिति, केभनि सदस्य-कार्यकारी समिति, केभनि सदस्य- मानव संसाधन उप-समिति, केभनि
5	श्री बी. राघवेंद्र राव	स्वतंत्र		शून्य	(i)	सदस्य- सीएसआर समिति, केभनि
6	श्री मुकुल एन. डानडिगे	स्वतंत्र	(i)	सेंट्रल बैंक हाउस फाइनेंस लिमिटेड	(i) (ii)	सदस्य-क्रेडिट प्रबंधन समिति, सीबीएचएफएल सदस्य-जोखिम प्रबंधन समिति, सीबीएचएफएल





7	श्री राजेन्द्र कुमार पी.	स्वतंत्र	(i) (ii)	इंटरनेशनल चैंबर ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल्स जंबो बैग लिमिटेड	(i) (ii) (iii) (i) (ii)	अध्यक्ष- लेखा परीक्षा समिति, केभनि सदस्य- पारिश्रमिक समिति, केभनि सदस्य- बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, केभनि सदस्य- नामांकन समिति, जेबीएल सदस्य- पारिश्रमिक समिति, जेबीएल
8	श्री सुरेश वॉरियर	स्वतंत्र		शून्य	(i) (ii) (iii) (iv)	अध्यक्ष- सीएसआर समिति, केभनि सदस्य- पारिश्रमिक समिति, केभनि सदस्य- बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, केभनि सदस्य- मानव संसाधन उप-समिति, केभनि
9	श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	स्वतंत्र	(i)	सृष्टि सृजन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	(i) (ii)	अध्यक्ष- बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, केभनि सदस्य- लेखा परीक्षा समिति, केभनि
10	श्री दिनेश दूबे 25.11.2021 से	स्वतंत्र		शून्य		शून्य
11	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	प्रकार्यात्मक	(i) (ii)	सीआरडब्ल्यूसी भारतीय खाद्य निगम	(i) (i) (ii) (iii) (iv) (i) (ii)	सदस्य-कार्यकारी समिति, केभनि सदस्य-सीएसआर समिति, सीआरडब्ल्यूसी सदस्य-पारिश्रमिक समिति, सीआरडब्ल्यूसी सदस्य-जोखिम प्रबंधन समिति, सीआरडब्ल्यूसी सदस्य-लेखा परीक्षा समिति, सीआरडब्ल्यूसी सदस्य-लेखा परीक्षा समिति, भाखानि सदस्य- बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति, भाखानि
12	श्री राकेश कुमार सिन्हा	प्रकार्यात्मक	(i) (ii) (iii)	उत्तर प्रदेश, एसडब्ल्यूसी महाराष्ट्र, एसडब्ल्यूसी बिहार, एसडब्ल्यूसी	(i) (ii)	सदस्य- सीएसआर समिति, केभनि सदस्य- मानव संसाधन उप-समिति, केभनि
13	श्री अमित कुमार सिंह	प्रकार्यात्मक	(i) (ii) (iii)	हरियाणा, एसडब्ल्यूसी मेघालय, एसडब्ल्यूसी तमिलनाडु वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन		शून्य
14	श्री अनुज कुमार 01.11.2021 से	प्रकार्यात्मक	(i) (ii) (iii)	कर्नाटक, एसडब्ल्यूसी ओडिशा, एसडब्ल्यूसी एमपीडब्ल्यूएलसी		शून्य

### निदेशक मंडल में परिवर्तन:

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

- (i) श्री डी.वी. प्रसाद, आईएस के स्थान पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम के निदेशक मंडल में दिनांक 23.07.2021 को अध्यक्ष के रूप में श्री अतीश चन्द्रा, आईएस को नामित किया गया।
- (ii) श्री एस. चार्ल्स, निदेशक (वित्त) के स्थान पर श्री अनुज कुमार, निदेशक (वित्त) भारत सरकार द्वारा अपनी नियुक्ति होने पर दिनांक 01.11.2021 को कार्यग्रहण कर बोर्ड में सम्मिलित हुए।
- (iii) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम के निदेशक मंडल में दिनांक 25.11.2021 को श्री दिनेश दूबे, गैर-सरकारी निदेशक को नामित किया गया।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-



(क) जो निदेशक कार्यमुक्त हुए :

नाम	कार्यमुक्ति की तिथि	श्रेणी
श्री एस. चार्ल्स	30.04.2021	प्रकार्यात्मक निदेशक

(ख) जिन निदेशकों ने कार्यभार ग्रहण किया:

नाम	कार्यभार ग्रहण की तिथि	श्रेणी
श्री अतीश चन्द्रा	23.07.2021	नामित निदेशक
श्री अनुज कुमार	01.11.2021	प्रकार्यात्मक निदेशक
श्री दिनेश दूबे	25.11.2021	स्वतंत्र निदेशक

### 3 निदेशकों का पारिश्रमिक

केन्द्रीय भण्डारण निगम भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसमें प्रबंध निदेशक तथा 3 प्रकार्यात्मक निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके संबंधित वेतनमानों एवं परिलब्धियों पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रबंध निदेशक तथा प्रकार्यात्मक निदेशक पांच वर्ष की अवधि अथवा उनकी अधिवर्षिता की तारीख अथवा अगले आदेशों तक, जो भी स्थिति पहले हो, के लिए नियुक्त किए जाते हैं। गैर-सरकारी अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा नामित किए जाते हैं अथवा संबंधित अंशधारियों की श्रेणी (क्रमशः सहकारी समितियां, बीमा कंपनियां इत्यादि एवं अन्य अनुसूचित बैंकों) द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। निदेशक मंडल तथा निदेशक मंडल की उप समितियों अर्थात् (कार्यकारी समिति, लेखा परीक्षा समिति, एचआर उप समिति, पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर समिति तथा निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबन्धन समिति) की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी निदेशकों को भुगतान किया जाने वाला सिटिंग शुल्क 10,000/-रु. है।

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र) :

नाम	पदनाम	सिटिंग शुल्क (रु.)
श्री वीरेन्द्र सिंह	निदेशक	1,90,000/-
श्री के.वी.प्रदीप कुमार	निदेशक	3,10,000/-
श्री राजेन्द्र कुमार पी.	निदेशक	2,10,000/-
श्री सुरेश वॉरियर	निदेशक	2,50,000/-
श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	निदेशक	2,10,000/-
श्री दिनेश दूबे	निदेशक	40,000/-

(ii) अंशकालिक निदेशक (नामिती एवं स्वतंत्र) :

नाम	पदनाम	सिटिंग शुल्क (रु.)
श्री अतीश चन्द्रा, आईएएस	निदेशक (नामिती)	शून्य



सुश्री नंदिता गुप्ता (आईएएस)	निदेशक (नामिती)	शून्य
श्री बी. राघवेंद्र राव	निदेशक (स्वतंत्र)	शून्य
श्री मुकुल एन. डानडिगे	निदेशक (स्वतंत्र)	शून्य

**(iii) प्रकार्यात्मक निदेशक:**

प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्ण कालिक निदेशक का नाम					कुल राशि (लाख रु. में)
		श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक 12186के	श्री सावरी मुत्थु चार्ल्स, निदेशक (वित्त) 12183ई	श्री राकेश कुमार सिन्हा, निदेशक (कार्मिक) 12189डी	श्री अमित कुमार सिंह, निदेशक (एमसीपी ) 16492ई	श्री अनुज कुमार, निदेशक (वित्त), 20024	
			30.04.2021 को सेवानिवृत्त			केभनि में 01.11.2021 को कार्यभार ग्रहण किया	
(क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुरूप वेतन	54.02	29.30	53.09	49.15	22.29	207.85
(ख)	पीआरपी	32.43	25.79	27.12	0.00	0.00	85.34
(ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	1.20	0.03	0.26	0.21	0.07	1.77
(घ)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>सकल वेतन कुल (क+ख+ग+घ)</b>	<b>87.65</b>	<b>55.12</b>	<b>80.47</b>	<b>49.36</b>	<b>22.36</b>	<b>294.96</b>

श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक ने दिनांक 01.05.2021 से 31.10.2021 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला।

**4. निदेशक मंडल की बैठकें :**

सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठक निगम के निगमित कार्यालय या निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित स्थान पर प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार होती है तथा इसकी तारीख तथा समय पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। निदेशक मंडल की बैठकें संरचित कार्यसूची के आधार पर होती हैं तथा निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य चर्चा हेतु कार्यसूची में किसी विषय को शामिल करने के लिए सिफारिश करने हेतु स्वतंत्र है। विस्तृत कार्यसूची के कागजात पहले ही परिचालित कर दिए जाते हैं ताकि निदेशक इन पर विचार कर निर्णय ले सकें। यथासंभव विस्तृत कार्यसूची दस्तावेज



अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि निदेशकों को भलीभांति विचार कर निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों तथा 28 सितंबर, 2021 को हुई 59वीं वार्षिक साधारण बैठक में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	31.05.21	15.06.21	02.07.21	09.07.21	16.08.21	01.09.21	27.09.21	27.10.21	10.12.21	06.01.22	18.01.22	23.03.22	निदेशक मंडल की बैठकों में उपस्थिति की संख्या	दिनांक 28.09.21 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति
श्री अतीश चन्द्रा, आईएएस, अध्यक्ष, केमनि (अतिरिक्त प्रभार)	नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	वीसी	वीसी	वीसी	वीसी	वीसी	X	X	6/8	जी हां
सुश्री नदिता गुप्ता, आईएएस	नामित निदेशक	वीसी	X	X	X	वीसी	X	वीसी	वीसी	वीसी	वीसी	X	X	6/12	जी नहीं
श्री वीरेन्द्र सिंह	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	✓	✓	वीसी	✓	✓	✓	वीसी	✓	वीसी	✓	✓	12/12	जी हां
श्री के.वी. प्रदीप कुमार	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12	जी हां
श्री बी.राघवेंद्र राव	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	X	वीसी	वीसी	वीसी	X	X	X	X	X	वीसी	X	5/12	जी हां
श्री मुकुल एन. डानडिगे	स्वतंत्र निदेशक	X	वीसी	X	वीसी	X	X	X	वीसी	X	X	वीसी	वीसी	5/12	जी नहीं
श्री राजेन्द्र कुमार पी	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	वीसी	वीसी	X	✓	वीसी	वीसी	✓	11/12	जी हां
श्री सुरेश वॉरियर	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	वीसी	✓	✓	वीसी	✓	✓	✓	✓	12/12	जी हां
श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	स्वतंत्र निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	वीसी	✓	वीसी	✓	✓	वीसी	✓	12/12	जी हां
श्री दिनेश दूबे	स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	4/4	लागू नहीं
श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक	प्रकार्यात्मक निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	वीसी	12/12	जी हां
श्री राकेश कुमार सिन्हा	प्रकार्यात्मक निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	11/12	जी हां
श्री अमित कुमार सिंह	प्रकार्यात्मक निदेशक	वीसी	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12	जी हां
श्री अनुज कुमार	प्रकार्यात्मक निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	✓	✓	✓	4/4	लागू नहीं

✓ बैठक में उपस्थित

एनए- लागू नहीं (पद पर नहीं)

X बैठक में भाग नहीं लिया

वीसी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग

### 5. निदेशक मंडल की समितियां :

निदेशक मंडल ने अपनी सुस्पष्ट भूमिका, प्राधिकार तथा जवाबदेही के साथ निम्नलिखित समितियां गठित की हैं :

- (क) कार्यकारी समिति
- (ख) लेखा परीक्षा समिति
- (ग) पारिश्रमिक समिति
- (घ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति
- (ङ) जोखिम प्रबंधन समिति
- (च) मानव संसाधन- उप समिति

### (क) कार्यकारी समिति

वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा-12 के अधीन कार्यकारी समिति (ईसी) गठित की गई जिसमें



अंशकालिक अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक तथा निदेशक मंडल द्वारा निदेशकों में से निर्वाचित दो सदस्य होते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यकारी समिति की 04 बैठकें हुईं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	23.06.2021	सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस (वीसी के माध्यम से) श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस को बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
2	01.10.2021	सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस (वीसी के माध्यम से) श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	श्री अतीश चन्द्रा, आई.ए.एस. (वीसी के माध्यम से)
3	03.03.2022	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (वीसी के माध्यम से)	श्री अतीश चन्द्रा, आई.ए.एस. (वीसी के माध्यम से)
4	08.03.2022	सुश्री नंदिता गुप्ता, आईएएस (वीसी के माध्यम से) श्री के.वी. प्रदीप कुमार (वीसी के माध्यम से) श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (वीसी के माध्यम से)	श्री अतीश चन्द्रा, आई.ए.एस. (वीसी के माध्यम से)

#### (ख) लेखा परीक्षा समिति

निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक इसके सदस्यों के रूप में शामिल हैं, इनमें से एक स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं। लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में लेखा परीक्षा कार्य पर निगरानी रखना, महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करना, लेखा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों को सहमति देना है। इसके अतिरिक्त, निगम की अधिशेष निधि के निवेश, निगम के पास उपलब्ध निधियों का स्तर एवं बकाया, निगम में अपनाई जा रही लेखा प्रणाली एवं परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कारकों का निर्धारण करना है। वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	22.06.2021	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	श्री राजेंद्र कुमार पी
2	06.07.2021	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	श्री राजेंद्र कुमार पी
3	06.09.2021 एवं 07.09.2021	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी (06.09.2021 को वीसी के माध्यम से)	श्री राजेंद्र कुमार पी
4	15.11.2021	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी (वीसी के माध्यम से)	श्री राजेंद्र कुमार पी
5	14.02.2022	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	श्री राजेंद्र कुमार पी
6	28.02.2022	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	श्री राजेंद्र कुमार पी
7	23.03.2022	श्री के.वी. प्रदीप कुमार श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी	श्री राजेंद्र कुमार पी



निदेशक (वित्त) ने 15.11.2021 से लेखा परीक्षा समिति की अंतिम चार बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में समिति की सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों ने छह बैठकों में विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा समिति की सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

#### (ग) पारिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक हैं तथा उनमें से एक स्वतंत्र निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। पारिश्रमिक समिति की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	22.10.2021	श्री सुरेश वॉरियर श्री राजेंद्र कुमार पी	श्री के.वी प्रदीप कुमार

समूह महाप्रबंधक (कार्मिक) ने पारिश्रमिक समिति की बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में पारिश्रमिक समिति की सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

#### (घ) निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति

निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति में दो स्वतंत्र निदेशक तथा निदेशक (कार्मिक) सहित एक स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में होता है। वर्ष 2021-22 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई थीं। निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिरता समिति की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है :-

क्र.सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	12.08.2021	श्री बी. राघवेंद्र राव (वीसी के माध्यम से) श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री सुरेश वॉरियर (वीसी के माध्यम से)
2	22.09.2021	श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री सुरेश वॉरियर (वीसी के माध्यम से)
3	12.01.2022	श्री बी. राघवेंद्र राव (वीसी के माध्यम से) श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री सुरेश वॉरियर (वीसी के माध्यम से)

#### (ङ) जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति में तीन स्वतंत्र निदेशक सदस्यों के रूप में होते हैं, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक समिति का अध्यक्ष होता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें हुई थीं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	09.12.2021	श्री राजेंद्र कुमार पी श्री सुरेश वॉरियर	श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी
2	24.03.2022	श्री राजेंद्र कुमार पी (वीसी के माध्यम से) श्री सुरेश वॉरियर	श्रीमती अनुपमा सिंह लोधी



### (च) मानव संसाधन उप-समिति

वर्ष 2021-22 के दौरान मानव संसाधन उप-समिति की सात बैठकें हुईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	बैठक की तिथि	उपस्थित सदस्य	अध्यक्ष
1	04.10.2021	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
2	22.10.2021	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
3	21.12.2021	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
4	19.01.2022	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
5	08.02.2022	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
6	22.02.2022	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह
7	10.03.2022	श्री के.वी.प्रदीप कुमार श्री सुरेश वॉरियर श्री राकेश कुमार सिन्हा	श्री वीरेन्द्र सिंह

समूह महाप्रबंधक (कार्मिक) ने मानव संसाधन उप-समिति की बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में समिति की सहायता के लिए चर्चा में भाग लिया।

### 6. वार्षिक साधारण बैठक

निगम की वार्षिक साधारण बैठकें निगम के निगमित कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। गत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान हुई इन बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:-

वा.सा.बैठक	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित किया गया
57वीं वा.सा. बैठक	28.09.2019- 11.00 पूर्वाह्न	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली	शून्य
58वीं वा.सा. बैठक	28.09.2020- 12.00 पूर्वाह्न	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली	शून्य
59वीं वा.सा. बैठक	28.09.2021- 12.00 पूर्वाह्न	निगमित कार्यालय, नई दिल्ली	शून्य

### 7. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने अपने सभी सदस्यों तथा निगम के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। यह



आचार संहिता निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

## 8. पर्दाफाश की नीति

केन्द्रीय भण्डारण निगम में जून, 2004 से पर्दाफाश नीति अपनाई गई है।

## 9. सहायक कंपनियां

केन्द्रीय भण्डारण निगम ने रेलसाइड वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्सों (आरडब्ल्यूसी) के प्रचालन और प्रगति के लिए सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) नामक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाई। सीआरडब्ल्यूसी लि. 10 जुलाई, 2007 को बनाई गई थी और 24 जुलाई, 2007 से इसने कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। केन्द्रीय भण्डारण निगम ने सीआरडब्ल्यूसी को 40.56 करोड़ रुपए का अंशदान शेयर पूंजी के रूप में दिया।

04 मई, 2010 को लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों के चेप्टर 6 के अनुसार केवल वे सहायक कंपनियाँ ही सहायक कंपनियाँ मानी जाएंगी जिनका टर्नओवर या निवल पूंजी तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में उस कंपनी के क्रमशः टर्नओवर या निवल पूंजी के 20% से कम न हो। निगम की सहायक कंपनी सीआरडब्ल्यूसी लि. सहायक कंपनी की इस परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। अतः यह केन्द्रीय भण्डारण निगम पर लागू नहीं है।

## 10. प्रकटन

- (i) वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों के साथ लेन-देन का कोई मामला नहीं है जो व्यापक रूप से निगम के हितों के विरुद्ध हो।
- (ii) संबंधित पार्टी प्रकटनों के विवरणों को लेखों की टिप्पणी के भाग के रूप में कवर किया गया है।
- (iii) निगम ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण किया है।
- (iv) रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान निगम के साथ किसी भी स्वतंत्र निदेशक का आर्थिक अथवा लेन-देन का कोई संबंध नहीं है।
- (v) निदेशक मंडल निगम पर लागू होने वाले सभी कानूनों की अनुपालनात्मक रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जिसमें किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन न करने पर निगम पर कोई दण्ड लगाया गया हो।
- (vi) निगम ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए उपाय किए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, निगम ने निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार कदाचार कोड एवं नीतिशास्त्र तैयार किया है।
- (vii) व्यय के उस किसी भी मद को लेखा-खातों में 'डेबिट' नहीं किया गया है जो कारोबार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। निदेशक मंडल के निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन के लिए कार्यालय कार्य को सुविधाजनक बनाने तथा उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार संविदागत बाध्यताओं को छोड़कर ऐसा किसी भी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है, जो निजी प्रकृति का हो।
- (viii) निदेशक मंडल द्वारा निगम की जोखिम प्रबंधन नीति को अनुमोदित कर दिया गया है। आईसीडी/सीएफएस सहित वेअरहाउसों में भण्डारित स्टॉक सभी प्रकार के जोखिम जैसे आग, बाढ़, चोरी, संधमारी, दंगे, हड़ताल एवं उपद्रव इत्यादि के लिए पर्याप्त रूप से बीमाकृत होता है। इसके अतिरिक्त, जोखिम निर्धारण तथा न्यूनतम उपाय के रूप में सुरक्षित भण्डारण एवं परिरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए निगम के सतर्कता विभाग द्वारा आवधिक निरीक्षण, लेखा परीक्षा एवं निवारक जांच की पद्धति मौजूद है।





### 11. कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

निगम द्वारा वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया गया। निगम के लेखा परीक्षकों द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस का अनुपालन प्रमाण पत्र रिपोर्ट के अंत में दिया गया है।

### 12. अंशधारियों के संबंध में सूचना

**सूचना का साधन:** निगम के वार्षिक परिणाम वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अन्दर घोषित किए जाते हैं तथा इन्हें निगम की वेबसाइट [www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in) पर भी दिया जाता है।

**वार्षिक साधारण बैठक:** निगम की 60वीं वार्षिक साधारण बैठक 24 सितम्बर, 2022 को 12.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी निश्चित हुई है।

**खाताबन्दी की तारीखें:** वार्षिक साधारण बैठक एवं इस बैठक में लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से सदस्यों की शेयर हस्तांतरण बहियां एवं रजिस्टर 26 अगस्त, 2022 से 24 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

**लाभांश का भुगतान :** पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त लाभांश का विवरण (लाभांश वितरण कर को छोड़कर) नीचे दिया गया है:-

वर्ष	लाभांश राशि (करोड़ रु. में)	प्रदत्त पूंजी पर प्रतिशत (%में)
2019-20 (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश)	25.29	37.20
2020-21 (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश) - 12 मई, 2020	64.98	95.59
2020-21 (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश) - 27 अक्टूबर, 2020	46.70	68.70
2020-21 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतरिम लाभांश) - 02 दिसंबर, 2020	115.56	170.00
2021-22 (वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अंतिम लाभांश) - 25 अक्टूबर, 2021	15.91	23.40
2021-22 (वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अतिरिक्त लाभांश) - 25 अक्टूबर, 2021	6.80	10.01
2021-22 (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पहला अंतरिम लाभांश) - 05 जनवरी, 2022	53.70	79.00
2021-22 (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त लाभांश) - 29 जनवरी, 2022	31.14	45.81
2021-22 (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूसरा अंतरिम लाभांश) - 31 मार्च, 2022	73.42	108.00

**अंश हस्तांतरण प्रणाली:** वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार केंद्रीय भंडारण निगम के शेयर अंशधारियों की विशिष्ट श्रेणी के अलावा हस्तांतरित नहीं होते। 31.03.2022 को अंशधारियों की विभिन्न श्रेणियों की शेयर धारिता इस प्रकार है :-



श्रेणी	अंशों की संख्या	कुल प्रदत्त पूंजी का शेरधारिता प्रतिशत (%में)
केन्द्र सरकार	3,74,250	55.02
भारतीय स्टेट बैंक	1,77,140	21.75
अन्य अधिसूचित बैंक	1,40,848	15.99
सहकारी समितियाँ	1482	0.21
बीमा कम्पनियाँ	51,454	7.02
अन्य	76	0.01
<b>कुल</b>	<b>7,45,250</b>	<b>100.00</b>

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

*जैसो जैब*

सचिव,

पत्राचार का पता:

सचिव,

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,

अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास,

नई दिल्ली-110 016

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26/07/2022

ईमेल: secycwc@cewacor.nic.in



## कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में

सभी अंशधारी  
केन्द्रीय भण्डारण निगम

हमने केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (दिशा-निर्देश) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा निर्देशों में अनुबंधित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जांच इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी कॉरपोरेट गवर्नेंस की मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार निष्पादित की गई जो कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न कोई लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरण पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने उपरोलिखित दिशा-निर्देशों में अनुबंधित कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का निम्न के अतिरिक्त अनुपालन किया है:-

1. वर्ष के दौरान, 03 (तीन) निदेशक बोर्ड में शामिल हुए तथा 01 (एक) निदेशक सेवानिवृत्त हुए।
2. श्री एस. चार्ल्स निदेशक (वित्त) के पद से दिनांक 30.04.2021 को सेवानिवृत्त हुए।
3. दिनांक 23.07.2021 को श्री अतीश चन्द्रा, (आईएस) बोर्ड में श्री डी.वी.प्रसाद, (आईएस) के स्थान पर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए।
4. दिनांक 01.11.2021 को श्री एस. चार्ल्स, निदेशक (वित्त) के स्थान पर श्री अनुज कुमार बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त हुए।
5. दिनांक 25.11.2021 को श्री दिनेश दूबे, बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए।
6. श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक ने दिनांक 01.05.2021 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 31.10.2021 तक संभाला।
7. बोर्ड स्तर की समितियों के कार्यवृत्त उनकी आगामी बैठक में पुष्टि के बाद निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं, जो प्रबंधन नियंत्रण को प्रभावित करते हैं।



इसके अतिरिक्त, हमारा यह कहना है कि ऐसा अनुपालन न तो निगम के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही उसके कार्यकौशल या प्रभावकारिता का आश्वासन है जिसके अनुसार प्रबंधन ने निगम के कार्य किए हैं।

कृते जे.के. सारावगी एंड कम्पनी,  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन: 006836सी



*J.K. Sarangi & Co.*

(एल.एस. खंडेलवाल)  
पार्टनर  
यूडीआईएन: 22009878AQMLRC6236  
सदस्य सं.: 009878

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 01.09.2022

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

जे.के. सारावगी एंड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट



केन्द्रीय भण्डारण निगम

## लेखा परीक्षक की रिपोर्ट





## जे.के. सरावगी एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,  
सभी अंशधारी,  
केन्द्रीय भंडारण निगम

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

#### राय

हमने मैसर्स केन्द्रीय भंडारण निगम ("निगम") के सामान्य निधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 के तुलन-पत्र तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य स्पष्ट सूचना सहित (इसके बाद वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन नियम, 1963 और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी एवं लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं तथा 31 मार्च, 2022 को निगम की वित्तीय स्थिति इसी वर्ष को समाप्त इसके लाभ (वित्तीय निष्पादन) एवं नकदी प्रवाह विवरण की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप सही एवं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

#### राय का आधार

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के तहत हमारे दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में भी उल्लेखित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक अपेक्षाओं जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित हैं, इकाई के लिए स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त हुए लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

#### मामले पर बल

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) 7449 लाख रु. के 45 भूमि साइटों का लीज डीड/टाइटल डीड एवं 211.66 लाख रुपये के 39 फ्लैट्स के संबंध में, जो अभी किया जाना है (अनुसूची-II की टिप्पणी सं.3)।
- (ख) निगम का कब्जा 13 लीजहोल्ड भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और मौजूदा आधार पर लीज किराये का भुगतान किया जा रहा है के संबंध में (अनुसूची-II की टिप्पणी सं 4)।
- (ग) लेखा नीति संख्या 9 (ए), 9 (बी), 9 (ई), 10, 14, 19, 25, 29 (बी) में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में तथा नई लेखा नीति की शुरुआत संख्या 16 (एफ) और 33 (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी सं 01)। नई लेखा नीति संख्या



16 (एफ) की शुरुआत पर विशेष ध्यान, जो नोट में बताए गए राजस्व में कमी पर प्रभाव डालता है और वित्तीय विवरण में नहीं माना जाता है, हालांकि 'बैलेस शीट की तारीख के बाद की घटनाओं' के तहत कवर किया गया है।

- (घ) निर्धारित के अनुसार ब्याज सहित संख्या 2 के सरकारी अनुदान की वापसी के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 06)।
- (ङ) प्रावधानों के संबंध में आकस्मिक देयता जिसमें पिछले वर्षों के प्रावधान के पुनर्मूल्यांकन पर शर्त देयता बनाकर वापस लिखित प्रावधान शामिल है (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 16)।
- (च) पूर्व के वर्षों में किए गए प्रावधानों से अशोध्य ऋणों 4105.37 लाख रुपये और अतिरिक्त रूप से सीधे डेबिट 157.08 लाख रुपये को बढ़े खाते में डालने के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 17)।
- (छ) व्यापार प्राप्तियों से देय डेबिट शेष, अन्य वसूली योग्य और आपूर्ति व्यय आदि के कारण क्रेडिट शेष, पुष्टियां / समाधान के अधीन है और उसके मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन पर उसके परिणामी के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 19)।
- (ज) एमएसएमईडी अधिनियम के तहत अनुपालन जिसके लिए निगम ने चालान ट्रेकिंग प्रणाली शुरू की है के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 2)3।
- (झ) सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन नियम, 1963 के तहत निर्धारित खातों के प्रारूप और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार बेहतर प्रस्तुति के लिए उससे भिन्नता के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 25)।
- (ञ) निगम (वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1962 के तहत) को कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत) में बदलना जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 25 (3))।
- (ट) सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) के सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) के साथ विलय जो वर्तमान में एनसीएलटी में लंबित है के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 26)।
- (ठ) कोविड-19 महामारी के प्रभाव और गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने और उस आधार पर खातों के रखरखाव/तैयारी के संबंध में (अनुसूची-XXIX की टिप्पणी संख्या 27)।

उक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

### अन्य मामले

हमने निगम के वित्तीय विवरणों में शामिल पूर्व, पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को कुल 1924.26 करोड़ रुपये की संपत्ति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष को 1514.09 करोड़ रुपये का कुल राजस्व दर्शाया गया था जैसा कि इन क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों में माना गया है, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक यह राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय इन क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में पूरी तरह से क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।



## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा जिन पर प्रशासन का प्रभार है उनका उत्तरदायित्व

निगम का प्रबंधन वित्तीय विवरणों को तैयार करने संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और निगम के नकदी प्रवाह का सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में निगम की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और आवेदन, निर्णय लेने के लिए भंडारण निगम अधिनियम 1962 के साथ पठित केंद्रीय भंडारण निगम नियम 1963 के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव और अनुमान भी शामिल है जो उचित और विवेकपूर्ण हैं एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करते हैं, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं जो एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि से होने वाली भौतिक गलत जानकारी से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन, गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने, प्रकटीकरण जैसा लागू हो, महामारी (कोविड-19) के मामूली प्रभाव सहित यदि कोई है तो गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के गोइंग कंसर्न आधार का प्रयोग करके निगम की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदारी लेता है जब तक प्रबंधन या तो निगम को बंद या उसके प्रचालन को समाप्त करना चाहता हो या उसके लिए ऐसा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प न हो। जिनके पास प्रशासन का प्रभार है वे निगम के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख के उत्तरदायी हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व हमारा उद्देश्य यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण धोखा या त्रुटि किसी भी कारण से होने वाली जानकारी से पूरी तरह मुक्त है तथा ऑडिट रिपोर्ट जारी करने में हमारी राय भी शामिल है। यथोचित आश्वासन उच्चस्तरीय है किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानदण्डों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा ही गलत जानकारी यदि कोई हो, का पता लगा सके। धोखा, गलत विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं और यह विचारणीय सामग्री हो सकती है, यदि यह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हो। यह सामान्यतः इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले आर्थिक निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं।

हमने लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी ले ली है ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया जा सके जो निगम के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं अपितु परिस्थितियों के उपयुक्त हो।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अनुसार और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी दिशा-निर्देश और उप-निदेश पर अनुलग्नक 'ए' में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम के लेखों और रिकॉर्ड की जांच के आधार पर अपनी रिपोर्ट संलग्न करते हैं।
2. लेखांकन नीतियों के साथ पठित उपरोक्त टिप्पणियों के अधीन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों के अधीन हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि: –
  - क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।





- ख) हमारी राय में भण्डारण निगम नियम, 1962 की धारा 31(1) के साथ पठित भण्डारण निगम अधिनियम 1963 के नियम 45 के तहत अपेक्षित उचित लेखा बही निगम द्वारा रखी गई हैं, जहां तक उन लेखों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- ग) निगम के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और हमने इस पर समुचित रूप से कार्य करते हुए रिपोर्ट तैयार की है।
- घ) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बही के अनुरूप हैं।

कृते जे.के. सारावगी एंड कंपनी

एफआरएन नं. 006836 सी



(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)

पार्टनर

एम.नं. 009878

स्थान: ऋषिकेश, उत्तराखंड

दिनांक: 11.06.2022

यूडीआईएन: 22009878AKVPLQ1516



### स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए “अनुलग्नक क”

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर केंद्रीय भंडारण निगम के सदस्यों को हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अन्य कानूनी विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखापरीक्षक का उत्तर																		
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को प्रोसेस करने के लिए कोई सिस्टम है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रोसेसिंग के वित्तीय प्रभावों सहित खातों की समग्रता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम के पास आईटी सिस्टम यानि टैली ईआरपी-9 के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखांकन लेन-देन प्रोसेस/निष्पादित नहीं किया गया। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/लेखा इकाइयों की एकाउंटिंग टैली ईआरपी पर की जाती है और निगमित कार्यालय में टैली ईआरपी-9 सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे समेकित किया जाता है। खातों की समग्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।																		
2	क्या कोई मौजूदा ऋण की पुनर्रचना या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों को ठीक से लेखाबद्ध किया जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू हैं)।	निगम की बहियों में किसी ऋण का उल्लेख नहीं है और इसलिए यह लागू नहीं होता है।																		
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसकी निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	वर्ष 2021-22 के दौरान कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। 2021-22 के दौरान सरकारी अनुदानों की प्राप्तियों, उपयोग और वापसी का विवरण और 31.03.2022 को उनकी शेष राशि निम्नानुसार है  लाख रु में <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>उद्देश्य</th> <th>केंद्र का नाम</th> <th>अथशेष</th> <th>वापिस किया गया अनुदान</th> <th>अंतशेष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>पूँजी अनुदान</b></td> <td></td> <td><b>a</b></td> <td><b>b</b></td> <td><b>c=(a-b)</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>पुराक्काड, एलेप्पी में गोदाम का निर्माण— केरल सरकार (#क) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2014-15</td> <td>सं. वे. पुराक्काड</td> <td>488.00</td> <td>-</td> <td>488.00</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	उद्देश्य	केंद्र का नाम	अथशेष	वापिस किया गया अनुदान	अंतशेष		<b>पूँजी अनुदान</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a-b)</b>	1	पुराक्काड, एलेप्पी में गोदाम का निर्माण— केरल सरकार (#क) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2014-15	सं. वे. पुराक्काड	488.00	-	488.00
क्र. सं.	उद्देश्य	केंद्र का नाम	अथशेष	वापिस किया गया अनुदान	अंतशेष															
	<b>पूँजी अनुदान</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a-b)</b>															
1	पुराक्काड, एलेप्पी में गोदाम का निर्माण— केरल सरकार (#क) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2014-15	सं. वे. पुराक्काड	488.00	-	488.00															



2	पिपावाव (गुजरात) में स सीएफएस की स्थापना- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (#बी) से प्राप्त वित्त वर्ष 2011-12	सीएफएस पिपावाव	155.64	155.64	-
3	आईसीडी-पटपड़गंज (दिल्ली) में आधुनिकीकरण और स्वचालन सुविधा - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (#बी) से प्राप्त वित्त वर्ष 2012-13	आईसीडी पटपड़गंज	385.36	385.36	-
कुल			1029.00	541.00	488.00

#टिप्पणी:

क) निगम ने मुख्य सचिव, केरल सरकार से लेखांकन अनुमति के लिए, 'केरल संरक्षण धान भूमि और आर्द्र भूमि अधिनियम 2008' में संशोधन करके केरल के अलाप्पुझा जिले के पुरक्कड़ (जिसके लिए सरकारी अनुदान स्वी.त किया गया था) में गोदाम निर्माण जारी रखने के लिए संपर्क किया है ताकि किसी भी सरकारी संगठन को किसी भी गीली भूमि में निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मामला मुख्य सचिव, केरल सरकार के कार्यालय में विचाराधीन है।

ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उनके पत्र दिनांक 24.02.2022 के निर्देशों के अनुसार, 155.64 लाख रुपये और 385.36 लाख रुपये के अनुदान को 684.33 लाख रुपये के ब्याज के साथ दिनांक 02.03.2022 को मंत्रालय को वापस कर दिया गया है और पूर्व के वर्षों के अतिरिक्त ब्याज प्रावधान 78.23 लाख रुपये को वापस लिखा जा चुका है।

कृते जे.के. सारावगी एंड कंपनी

एफआरएन नं. 006836 सी



*K. Sundilwal*

(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)

पार्टनर

एम.नं. 009878

यूडीआईएन: 22009878AKVPLQ1516

स्थान: ऋषिकेश, उत्तराखंड

दिनांक: 11.06.2022



आईसीडी दशरथ-I



**केन्द्रीय भण्डारण निगम**

**तुलन पत्र तथा लाभ और हानि के  
विवरण (सामान्य निधि)**

**65<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट  
2021-22**



31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

पूँजी एवं देयताएं	अनुसूची के अनुसार	31.03.2022 को ₹	31.03.2021 को ₹
अंश पूँजी	I	68,02,10,000	68,02,10,000
आरक्षित			
– धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित	IV	27,56,94,32,731	24,99,88,24,328
– अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित	IV	2,58,67,76,761	2,96,33,39,748
– अन्य आरक्षित	IV		
– हितकारी निधि के लिए आरक्षित		4,50,55,781	4,37,77,961
भारत सरकार से प्राप्त अनुदान		4,88,00,000	10,29,00,000
बकाया देयताएं एवं प्रावधान			
– बकाया देयताएं	V	5,49,11,16,709	5,92,86,25,132
– वेतन एवं भत्तों के लिए प्रावधान	VI	42,13,84,213	39,45,99,845
आस्थगित कर देयता (निवल)		84,00,95,897	73,57,66,341
आयकर के लिए प्रावधान		1,28,78,96,018	96,33,20,011
अदावाकृत लाभंश		13,47,782	11,04,933
<b>कुल</b>		<b>38,97,21,15,892</b>	<b>36,81,24,68,299</b>

इसी तारीख को हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार  
कृते जे.के. सरावगी एण्ड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट  
एफआरएन: 006836 सी



(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)  
पार्टनर  
सदस्य सं. 009878

स्थान: ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)  
दिनांक: 11.06.2022



## 31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र (सामान्य निधि)

संपत्ति एवं परिसंपत्तियां	अनुसूची के अनुसार	31.03.2022 को ₹	31.03.2021 को ₹
स्थायी परिसंपत्ति	II	19,25,05,03,698	17,72,52,54,080
निवेश (लागत पर)	III		
– राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन		61,79,38,400	61,79,38,400
– अन्य		48,88,89,773	48,88,89,773
निवेशों पर उपार्जित आय		-	3,54,32,640
चालू परिसंपत्तियां			
– स्टोर एवं स्पेयर्स	VII	8,28,85,401	7,90,92,858
– भंडारण एवं अन्य शुल्क उपार्जित		82,50,96,052	93,07,94,637
– विविध देय	VIII		
प्राप्त माना		2,95,73,96,449	1,70,24,24,585
संदिग्ध माना		2,33,76,45,062	2,67,09,71,636
– ऋण एवं अग्रिम	IX		
प्राप्त माना		32,22,62,614	40,30,42,350
– अन्य चालू परिसंपत्तियां	X		
प्राप्त माना		3,38,10,87,741	2,69,74,69,665
संदिग्ध माना		24,91,31,699	25,69,35,472
नकद एवं बैंक शेष	XI	8,45,92,79,003	9,20,42,22,203
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	XXVIII		
लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियां	XXIX		
<b>कुल</b>		<b>38,97,21,15,892</b>	<b>36,81,24,68,299</b>

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग है  
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(अनुज कुमार)  
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

व्यय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2022 ₹	गत वर्ष 31.03.2021 ₹
वेअरहाउसिंग लाइसेंस फीस		87,57,613	76,32,839
रसायनों, कवर्स एवं डनेज का प्रयोग	XII	11,88,21,542	10,72,83,193
वेतन तथा भत्तें (प्रावधान सहित)	XIII	4,31,47,13,872	4,61,68,75,087
यात्रा भत्ते	XIV	5,30,22,048	4,32,73,007
स्थापना (अन्य)		1,26,95,33,503	1,32,00,32,815
मजदूरी		20,39,24,176	20,80,84,632
मरम्मत एवं रखरखाव	XV	28,48,27,793	25,86,70,730
किराया, दरें तथा कर	XVI	1,02,43,73,956	1,10,47,80,736
बीमा		21,58,36,036	18,46,02,067
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		1,67,80,041	1,81,07,061
विविध खर्च	XVII	1,07,27,02,130	90,62,85,562
विपणन सुसाध्य खर्च		6,03,07,79,008	5,20,46,69,485
कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन खर्च		18,52,87,837	21,72,72,633
कीट नियन्त्रण सेवाओं के खर्च	XVIII	20,57,28,910	16,90,27,809
बैंक प्रभार		7,17,676	6,74,595
ब्याज (खर्च)	XIX	76,45,504	89,23,058
सी.एस.आर. एवं सुस्थिर विकास व्यय		-	5,97,17,605
निदेशकों का पारिश्रमिक (शुल्क, यात्रा भत्ते इत्यादि)		52,97,527	10,46,200
लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं खर्च	XX	1,06,76,996	1,08,23,032
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां		3,67,15,829	2,40,85,620
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में		42,62,45,623	4,70,21,225
मूल्यहास/परिशोधन		93,06,87,625	87,01,72,870
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित		-	65,03,85,175
		16,42,30,75,245	16,03,94,47,036
<b>वर्ष के लिए लाभ</b>		5,89,89,34,723	5,64,18,43,640
<b>कुल</b>		<b>22,32,20,09,968</b>	<b>21,68,12,90,676</b>
<b>वर्ष के लिए लाभ</b>		5,89,89,34,723	5,64,18,43,640
घटाया: पूर्व अवधि समायोजन	XXI	16,22,448	(1,36,63,051)
<b>कर पूर्व लाभ</b>		5,89,73,12,275	5,65,55,06,691
घटाया: कर व्यय	XXII	1,39,17,34,215	1,27,37,62,931
<b>कर के बाद लाभ अधोनीत</b>		4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
<b>प्रति अंश अर्जन</b>			
मूल		6,623.80	6,441.75
मिश्रित		6,623.80	6,441.75

इसी तारीख को हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन: 006836 सी



(लक्ष्मण स्वरुप खण्डेलवाल)

पार्टनर

सदस्य सं. 009878

स्थान: ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)

दिनांक: 11.06.2022





## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा (सामान्य निधि)

आय	अनुसूची के अनुसार	इस वर्ष 31.03.2022 ₹	गत वर्ष 31.03.2021 ₹
वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)	XXIII	11,32,55,45,241	12,63,26,51,016
विपणन सुसाध्य आय		7,10,93,29,461	5,95,29,56,570
कंटेनर रेल परिवहन (सीआरटी) परिचालन से आय		18,94,57,829	23,55,32,467
रणनीतिक भागीदारी के अन्तर्गत सीएफएस/आईसीडी से आय		84,85,93,340	66,86,09,542
कीट नियन्त्रण सेवाओं से आय		40,88,68,398	46,42,71,812
ब्याज (आय)	XXIV	54,82,51,821	55,19,03,939
लाभांश आय	XXV	32,25,10,583	24,12,83,134
विविध प्राप्तियां	XXVI	60,50,84,524	82,19,10,540
अधिक देयता, प्रावधान एवं मूल्यह्रास पुरांकित	XXVII	96,32,01,598	10,20,47,925
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		11,67,173	1,01,23,731
<b>कुल</b>		<b>22,32,20,09,968</b>	<b>21,68,12,90,676</b>

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग है  
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(अनुज कुमार)  
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
को		
विनियोजन:		
अन्य निधि		
i. हितकारी निधि के लिए आरक्षित	4,50,55,781	4,38,17,438
ii. छुट्टी लाभ के लिए आरक्षित निधि (आय कर देयता पर निवल ब्याज)	-	5,25,47,994
iii. निगमित सामाजिक दायित्व एवं सुस्थिर विकास (संदर्भ अनुसूची XXIX, नोट-20)	8,02,51,711	
लाभांश		
i. वर्ष के लिए (अंतरिम)	1,27,11,81,494	1,15,56,19,540
ii. वर्ष 2020-21 के लिए (अंतिम)	15,90,67,630	-
iii. वर्ष 2019-20 के लिए	6,80,45,534	1,11,68,04,355
iv. वर्ष 2015-16 के लिए (अतिरिक्त)	31,14,00,627	-
धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि	2,57,05,75,283	2,01,29,54,433
<b>कुल</b>	<b>4,50,55,78,060</b>	<b>4,38,17,43,760</b>

इसी तारीख को हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.के. सरावगी एण्ड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन: 006836 सी



(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)

पार्टनर

सदस्य सं. 009878

स्थान: ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)

दिनांक: 11.06.2022



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का लाभ तथा हानि विनियोजन लेखा (सामान्य निधि)

विवरण	इस वर्ष ₹	गत वर्ष ₹
द्वारा		
कर में कमी पश्चात लाभ	4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
कुल	4,50,55,78,060	4,38,17,43,760

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग है  
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(अनुज कुमार)  
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक



केन्द्रीय भण्डारण निगम

लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियाँ  
(सामान्य निधि)

65<sup>वीं</sup> वार्षिक रिपोर्ट  
2021-22





31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)  
अनुसूची - 'I': अंश पूंज

	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
क) प्राधिकृत प्रत्येक 1000/- रु. 1000000 अंश	100,00,00,000	100,00,00,000
ख) निर्गमित 745250 अंश प्रत्येक 1000/- रु.	74,52,50,000	74,52,50,000
ग) अभिदत्त 745250 अंश प्रत्येक 1000/- रु.	74,52,50,000	74,52,50,000
घ) मांगी गई एवं प्रदत्त i 663950 अंश प्रत्येक 1000/- रु. पूर्ण आमंत्रित एवं प्रदत्त	66,39,50,000	66,39,50,000
ii 81300 अंश प्रत्येक 1000/-रु. प्रति अंश 200 रु. मांगी गई एवं प्रदत्त	1,62,60,000	1,62,60,000
कुल	68,02,10,000	68,02,10,000

क्र. सं.	अंशधारी	अंशों की संख्या	निर्गमित एवं अभिदत्त ₹	मांगी गई एवं प्रदत्त ₹
1	केन्द्र सरकार	3,74,250	37,42,50,000	37,42,50,000
2	भारतीय स्टेट बैंक	1,77,140	17,71,40,000	14,79,40,000
3	अन्य अनुसूचित बैंक	1,40,848	14,08,48,000	10,87,09,600
4	सहकारी समितियाँ	1,045	10,45,000	10,26,600
5	भारतीय जीवन बीमा निगम सहित बीमा कंपनियाँ	51,454	5,14,54,000	4,77,74,000
6	कृषि उत्पाद का व्यापार करने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाएँ	71	71,000	71,000
7	कृषि उत्पाद आदि का व्यापार करने वाली कंपनियाँ	5	5,000	5,000
	कुल	7,44,813	74,48,13,000	67,97,76,200
8	सहकारी समितियाँ (अयोग्य अंशधारी) अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को लम्बित हस्तांतरण (टिप्पणी सं. (i) देखें)	437	4,37,000	4,33,800
		7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000
	गत वर्ष	7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000

- (i) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जो वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा (घ) के अनुसार अंशधारी रहने के योग्य नहीं है, को अनुज्ञेय श्रेणी के अधीन अंशधारियों के रूप में अयोग्य घोषित किया गया है। अनुज्ञेय श्रेणी के अंशधारियों को इन अयोग्य अंशधारियों के अंशों का हस्तांतरण लंबित क्रम सं. 8 यानि सहकारी समितियों (अयोग्य अंशधारी) के अधीन दर्शाया गया है। वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन्स नियम, 1963 के नियम 26 (3) के अनुसार ऐसे अंशों के लिए लाभांश का भुगतान देय नहीं है।



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची - 'II': स्थायी परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	लागत			
		01.04.2021 को सकल राशि ₹	वर्ष के दौरान जोड़ी गई ₹	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन ₹	31.03.2022 को सकल राशि ₹
<b>संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण</b>					
<b>मूर्त संपत्ति</b>					
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	71,96,20,966	2,19,45,115	-	74,15,66,081
2	भूमि (पट्टे पर)	3,53,59,99,730	80,10,101	-	3,54,40,09,831
3(क)	छत (प्री-कोटिड गॉलवेल्यूम शीट)	92,98,35,421	65,06,55,155	1,10,83,055	1,56,94,07,521
3(ख)	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	21,70,99,683	23,73,40,623	87,527	45,43,52,779
3(ग)	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	98,78,66,602	92,76,19,098	-	1,91,54,85,700
3(घ)	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	12,83,52,42,454	1,00,45,69,131	13,99,87,337	13,69,98,24,248
4	कंटेनर यार्ड	1,06,44,57,518	9,25,56,704	-	1,15,70,14,222
5	विद्युत इंस्टालेशन	61,22,32,096	5,74,95,527	1,26,990	66,96,00,633
6	जल इंस्टालेशन	4,27,61,528	33,61,839	10,14,368	4,51,08,999
7	प्लांट एवं मशीनरी	-	-	-	-
8	कार्यालय बिल्डिंग	30,00,80,061	-	17,91,090	29,82,88,971
9	आवासीय फ्लैट्स	18,63,48,319	7,02,143	-	18,70,50,462
10	फर्नीचर	21,51,63,160	48,78,296	30,05,581	21,70,35,875
11	कार्यालयीय उपकरण	10,65,36,989	1,05,22,366	(19,65,839)	11,90,25,194
12	मोबाइल फोन	1,29,62,891	6,77,680	9,44,100	1,26,96,471
13	वाहन	2,04,59,977	36,93,380	5,74,888	2,35,78,469
14	प्रयोगशाला उपकरण	2,61,20,807	77,55,855	8,83,832	3,29,92,830
15	पीड़क जन्तु नाशक उपकरण	4,32,00,579	86,51,049	47,98,535	4,70,53,093
16	निर्माण उपकरण	6,38,230	-	77,051	5,61,179
17	अन्य उपकरण	93,61,63,575	7,33,98,700	1,35,35,341	99,60,26,934
18	लकड़ी के क्रेट्स	3,66,10,246	1,74,49,600	34,12,955	5,06,46,891
19	रैक्स	1,40,36,662	10,500	21,78,962	1,18,68,200
20	टिन ट्रे	2,23,032	-	28,800	1,94,232
21	रेलवे साइडिंग्स	8,27,89,923	-	-	8,27,89,923
22	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	20,45,90,437	1,93,80,468	1,01,22,937	21,38,47,968
23	एच.बी.एल. शीट	3,60,70,910	-	82,55,513	2,78,15,397
24	पीसीसी ब्लॉक्स	45,10,374	-	-	45,10,374
25	पोली पैलेट्स	2,34,03,151	-	-	2,34,03,151
26	पोली पैलेट्स (आर एण्ड डी)	-	11,77,21,736	-	11,77,21,736
27	परिवर्तनीय पिलंथ्स	1,11,30,131	-	-	1,11,30,131
28	अपरिवर्तनीय पिलंथ्स	2,22,81,260	-	-	2,22,81,260
		<b>23,22,84,36,712</b>	<b>3,26,83,95,066</b>	<b>19,99,43,023</b>	<b>26,29,68,88,755</b>
29	कार्य प्रगति पर	2,26,45,08,666	1,53,73,01,427	2,31,67,08,793	1,48,51,01,300
30	लॉरी-वे-ब्रिज (इंस्टालेशन में) हस्तगत उपकरण	2,44,89,823	17,44,255	55,55,585	2,06,78,493
	<b>उप-योग</b>	<b>25,51,74,35,201</b>	<b>4,80,74,40,748</b>	<b>2,52,22,07,401</b>	<b>27,80,26,68,548</b>
<b>अमूर्त परिसंपत्तियाँ :</b>					
31	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	50,00,00,000	-	-	50,00,00,000
32	भूमि के उपयोग का अधिकार	15,54,750	-	-	15,54,750
33	सॉफ्टवेअर	2,72,70,964	4,71,36,129	57,50,648	6,86,56,445
34	प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	1,27,48,278	-	21,83,000	1,05,65,278
	<b>उप-योग</b>	<b>54,15,73,992</b>	<b>4,71,36,129</b>	<b>79,33,648</b>	<b>58,07,76,473</b>
	<b>कुल</b>	<b>26,05,90,09,193</b>	<b>4,85,45,76,877</b>	<b>2,53,01,41,049</b>	<b>28,38,34,45,021</b>
	<b>गत वर्ष</b>	<b>23,66,71,40,853</b>	<b>3,71,60,49,985</b>	<b>1,32,41,81,645</b>	<b>26,05,90,09,193</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची - 'II': स्थायी परिसंपत्तियाँ

क्र. सं.	विवरण	मूल्यहास/क्षीणता/परिशोधन				अग्नेनीत राशि/डब्ल्यू.डी.वी	
		01.04.2021 तक ₹	गत वर्ष के ₹	वर्ष के दौरान पुराकित/समायोजित ₹	31.03.2022 तक ₹	31.3.2022 को ₹	31.03.2021 को ₹
<b>संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण</b>							
<b>मूर्त संपत्ति :</b>							
1	भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	74,15,66,081	71,96,20,966
2	भूमि (पट्टे पर)	98,43,77,303	7,99,84,654	-	1,06,43,61,957	2,47,96,47,874	2,55,16,22,427
3(क)	छत (प्री-कोटिड गॉलवेल्यूम पीट)	5,19,48,848	4,45,72,472	1,95,950	9,63,25,370	1,47,30,82,151	87,78,86,573
3(ख)	फर्श (सीमेंट कंक्रीट)	2,00,88,246	1,06,98,124	83,174	3,07,03,196	42,36,49,583	19,70,11,437
3(ग)	सड़क (सीमेंट कंक्रीट)	6,73,70,437	5,28,95,203	-	12,02,65,640	1,79,52,20,060	92,04,96,165
3(घ)	वेअरहाउस एवं गोदाम और सहायक	4,51,19,24,488	50,18,86,023	8,33,19,988	4,93,04,90,523	8,76,93,33,725	8,32,33,17,966
4	कंटेनर यार्ड	51,54,75,997	4,03,08,994	(1,95,950)	55,59,80,941	60,10,33,281	54,89,81,521
5	विद्युत इंस्टालेशन	51,86,77,959	1,83,86,824	(1,67,569)	53,72,32,352	13,23,68,281	9,35,54,137
6	जल इंस्टालेशन	3,71,99,539	6,16,522	9,63,649	3,68,52,412	82,56,587	55,61,989
7	प्लांट एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-
8	कार्यालय बिल्डिंग	5,81,00,907	47,57,450	13,54,002	6,15,04,355	23,67,84,616	24,19,79,154
9	आवासीय फ्लैट्स	7,24,94,627	29,03,889	1	7,53,98,515	11,16,51,947	11,38,53,692
10	फर्नीचर	17,28,20,647	66,62,004	27,29,598	17,67,53,053	4,02,82,822	4,23,42,513
11	कार्यालयी उपकरण	6,54,02,113	1,39,44,884	(21,80,587)	8,15,27,584	3,74,97,610	4,11,34,876
12	मोबाइल फोन	1,02,20,409	13,26,053	8,45,802	1,07,00,660	19,95,811	27,42,482
13	वाहन	1,57,16,998	9,24,544	5,46,144	1,60,95,398	74,83,071	47,42,979
14	प्रयोगशाला उपकरण	1,86,84,522	31,87,580	7,32,200	2,11,39,902	1,18,52,928	74,36,285
15	पीड़क जन्तु नाशक उपकरण	3,21,99,103	62,02,421	44,51,371	3,39,50,153	1,31,02,940	1,10,01,476
16	निर्माण उपकरण	5,89,808	10,488	73,298	5,26,998	34,181	48,422
17	अन्य उपकरण	47,45,29,945	7,80,80,258	1,35,56,292	53,90,53,911	45,69,73,023	46,16,33,630
18	लकड़ी के क्रेट्स	3,63,20,920	15,70,797	42,13,500	3,36,78,217	1,69,68,674	2,89,326
19	रैक्स	1,31,59,524	84,475	20,68,944	1,11,75,055	6,93,145	8,77,138
20	टिन ट्रे	2,15,008	-	28,600	1,86,408	7,824	8,024
21	रेलवे साइडिंग्स	2,72,42,421	42,48,011	-	3,14,90,432	5,12,99,491	5,55,47,502
22	कम्प्यूटर्स एवं लैपटॉप	16,31,13,508	1,82,75,204	93,76,562	17,20,12,150	4,18,35,818	4,14,76,929
23	एच.बी.एल. पीट	3,43,29,715	-	78,46,965	2,64,82,750	13,32,647	17,41,195
24	पीसीसी ब्लॉक्स	5,51,243	5,45,094	-	10,96,337	34,14,037	39,59,131
25	पोली पैलेट्स	2,15,67,771	9,18,299	-	2,24,86,070	9,17,081	18,35,380
26	पोली पैलेट्स (आर एण्ड डी)	-	44,60,366	-	44,60,366	11,32,61,370	-
27	परिवर्तनीय पिलंथ्स	49,71,388	5,02,183	-	54,73,571	56,56,560	61,58,743
28	अपरिवर्तनीय पिलंथ्स	2,11,67,197	-	-	2,11,67,197	11,14,063	11,14,063
		<b>7,95,04,60,591</b>	<b>89,79,52,816</b>	<b>12,98,41,934</b>	<b>8,71,85,71,473</b>	<b>17,57,83,17,282</b>	<b>15,27,79,76,121</b>
29	कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	1,48,51,01,300	2,26,45,08,666
30	लॉरी-वे-ब्रिज (इंस्टालेशन में) हस्तगत उपकरण	-	-	-	-	2,06,78,493	2,44,89,823
	<b>उप-योग</b>	<b>7,95,04,60,591</b>	<b>89,79,52,816</b>	<b>12,98,41,934</b>	<b>8,71,85,71,473</b>	<b>19,08,40,97,075</b>	<b>17,56,69,74,610</b>
<b>अमूर्त परिसंपत्तियाँ :</b>							
31	कंटेनर ट्रेन चलाने के लिए पंजीकरण शुल्क	35,62,50,000	2,50,00,000	-	38,12,50,000	11,87,50,000	14,37,50,000
32	भूमि के उपयोग का अधिकार	14,61,102	13,904	-	14,75,006	79,744	93,648
33	सॉफ्टवेयर	2,14,19,574	1,05,36,044	54,61,348	2,64,94,270	4,21,62,175	58,51,390
34	प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस	41,63,846	10,56,528	69,800	51,50,574	54,14,704	85,84,432
	<b>उप-योग</b>	<b>38,32,94,522</b>	<b>3,66,06,476</b>	<b>55,31,148</b>	<b>41,43,69,850</b>	<b>16,64,06,623</b>	<b>15,82,79,470</b>
	<b>कुल</b>	<b>8,33,37,55,113</b>	<b>93,45,59,292</b>	<b>13,53,73,082</b>	<b>9,13,29,41,323</b>	<b>19,25,05,03,698</b>	<b>17,72,52,54,080</b>
	<b>गत वर्ष</b>	<b>7,58,96,84,911</b>	<b>85,34,91,696</b>	<b>10,94,21,494</b>	<b>8,33,37,55,113</b>	<b>17,72,52,54,080</b>	<b>16,07,74,55,942</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

### अनुसूची-II पर टिप्पणी, स्थायी परिसंपत्तियां

- वेअरहाउसों और गोदामों की अनुषंगी में वेअरहाउस परिसर के सभी अनुषंगी सिविल कार्य जैसे बिटुमिनस रोड, कार्यालय ब्लॉक, लेबर शेड, फेंसिंग, चारदीवारी, वेमेंट केबिन, लैवेटरी ब्लॉक, सेनेटरी बॉक्स, वर्षा जल संचयन, तार की जाली, स्टीज दरवाजे शामिल हैं।
- क) छत (प्री-कोटिड, गॉलवेल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट) की उपयोगी अवधि वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि से अलग है और इसे अलग-अलग पूंजीकृत तथा मूल्यहासित किया गया है। वेअरहाउस और गोदाम की उपयोगी अवधि पूरी होने पर स्थिति के अनुसार उनकी मरम्मत की जाती है या उन्हें बदला जाता है। वेअरहाउस एवं गोदाम और उसकी अनुषंगी में किए गए सभी अतिरिक्त कार्य को उसकी उपयोगी अवधि अर्थात् जो 30 वर्ष के आधार पर मूल्यहासित किया गया है।  
ख) जब भी नई सड़क (सीमेंट कंक्रीट), वेअरहाउसों की छत (प्री-कोटिड, गॉलवेल्यूम स्टील शीट), तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) का निर्माण किया गया है, पुराने बिटुमिनस रोड, ए सी छत और फर्श की मान्यता रद्द कर दी गई है।
- भूमि (फ्री होल्ड एवं पट्टे पर) स्थानों पर निगम ने कब्जा लिया है। 45 स्थानों जिनमें (क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद-5, बेंगलुरु-3, पटना-20, भोपाल-2, चंडीगढ़-2, कोलकाता-2, दिल्ली-2, गुवाहाटी-4, लखनऊ-2, मुम्बई-2, हैदराबाद-1 के लीज डीड/टाईटल डीड जिनका मूल्य 7499 लाख रु. है, अभी निष्पादित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद के 25, भोपाल के 3 और मुम्बई के 11 फ्लैट्स की लीज डीड/टाईटल डीड जिनका मूल्य 211.66 लाख रु. है का निष्पादन नहीं किया गया है। लेखा नीति संख्या 12 के अनुसार।
- निगम के कब्जे की 13 लीज होल्ड भूमि के संबंध में, लीज अवधि समाप्त हो गई है। इन भूखण्डों के लिए लीज के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। देय नवीनीकरण प्रीमियम की अनुपलब्धता को देखते हुए उपलब्ध सूचना के आधार पर लीज किराए हेतु देयता को लेखाबद्ध किया गया है।
- निगम को खबली और शिमला में पीडीएस गतिविधि के लिए गोदाम निर्माण हेतु उपयोग के आधार पर वन भूमि आबंटित की गई थी। इन भूखण्डों पर वन विभाग का स्वामित्व है तथा कब्जा निगम के पास है। इन भूखण्डों की लागत को भूमि उपयोग के अधिकार के रूप में अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।
- बिहार सरकार के कृषि विभाग ने उपयोग के अधिकार पर खाद्यान्नों के लिए भंडारण हेतु आधारभूत ढांचा बनाने के लिए मुंगेर, खगडिया और बेतिया में भूमि आबंटित की है। इस भूमि का स्वामित्व कृषि विभाग, बिहार सरकार के पास है और कब्जा निगम के पास है। चूंकि इन भूखण्डों को निःशुल्क आबंटित किया गया है, अतः इन्हें अमूर्त परिसंपत्तियों में नहीं दर्शाया गया है।
- पटना क्षेत्र में सैन्ट्रल वेअरहाउस, मधेपुरा की भूमि का टाईटल निजी पार्टी के पास है, लेकिन इसका कब्जा निगम के पास है।
- सै.वे. मुन्द्रा की लीज होल्ड भूमि जो निगम के कब्जे में है, पट्टाकर्ता ने सामान्य वेअरहाउसिंग के लिए भूमि के





### 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

उपयोग का विवाद दाखिल किया है। निगम ने माननीय उच्च न्यायालय, गुजरात में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है।

9. 9345.59 लाख रू. (गत वर्ष 8534.92 लाख रू.) की मूल्यह्रास राशि में 38.72 लाख रू. (नेट डेबिट) गत वर्ष 166.81 लाख रू. (नेट क्रेडिट) का पूर्व अवधि मूल्यह्रास शामिल है।
10. केन्द्र सरकार द्वारा 0.25 एकड़ की भूमि निशुल्क आवंटित की है, पोर्ट ब्लेयर को चेन्नई के लेखा खातों में 1 रुपये के मामूली मूल्य के लिए विधिवत लेखांकित किया गया था।
11. तंजावुर, चेन्नई में 63.18 एकड़ की भूमि में से 0.5 एकड़ एफसीआई को पट्टे पर दी गई थी।
12. सीटीटी, तिरुवोट्टीयूर, चेन्नई में व्यवसाय संचालन के लिए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से 11.76 एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पर ली गई है।
13. वर्ष के दौरान 1177.22 लाख रू. के पोली पैलेट (आर एण्ड डी) की खरीद अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से की गई थी।



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – 'III': निवेश (लागत पर)

(क) राज्य भंडारण निगम (एसोसिएट) में दीर्घ अवधि निवेश (वेअरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 19 (2) के अंतर्गत निवेश (अनुधृत)

क्र. सं.	राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के नाम	इक्विटी अंशों की संख्या (अनुधृत) (अंकित मूल्य 100 ₹)		राशि (₹)	
		इस वर्ष	गत वर्ष	इस वर्ष	गत वर्ष
1	आन्ध्र प्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2	असम राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
3	बिहार राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
4	छत्तीसगढ़ राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
5	गुजरात राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
6	हरियाणा राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
7	कर्नाटक राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
8	केरल राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
9	मध्य प्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
10	महाराष्ट्र राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन (24240 बोनस शेयर सहित)	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
11	मेघालय राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
12	ओडिसा राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
13	पंजाब राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
14	राजस्थान राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
15	तमिलनाडु राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
16	तेलंगाना राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
17	उत्तर प्रदेश राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18	उत्तराखण्ड राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19	पश्चिमी बंगाल राज्य वेअरहाउसिंग कारपोरेशन	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
<b>कुल (क)</b>		<b>62,03,624</b>	<b>62,03,624</b>	<b>61,79,38,400</b>	<b>61,79,38,400</b>
<b>(ख) अन्य निवेश</b>					
1	<b>सब्सिडी में निवेश (दीर्घावधि) (अनुधृत)</b> सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लि. (सहायक) 4,05,59,990 अंश प्रत्येक का अंकित मूल्य 10/- ₹.			40,55,99,900	40,55,99,900
2	<b>अन्य (दीर्घावधि/वर्तमान)</b> क इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (आईसीईएक्स) के अनुधृत 5,89,63,956 शेयरों, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 5 ₹. प्रति शेयर है # दीर्घ अवधि निवेश (आईसीईएक्स में 5% शेयरधारकों 2,66,75,373 अंश अर्थात् 5 ₹. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या) वर्तमान निवेश (शेयरधारकों आईसीईएक्स में 6.05% , 3,22,88,583 अंश अर्थात् 5 ₹. वाले अंकित मूल्य के शेयरों की संख्या)			3,76,80,451	3,76,80,451
<b>कुल योग (क)+(ख)</b>				<b>1,10,68,28,173</b>	<b>1,10,68,28,173</b>

टिप्पणी :

- भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य भंडारण निगमों में किया गया निवेश हस्तांतरणीय नहीं है।
- आईसीईएक्स ने एनएमसीई में शेयर के बदले निगम को 5/-₹. प्रत्येक के 5,89,63,956 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। निगम के आईसीईएक्स की इक्विटी में 11.05% शेयर है। एसईसीसी विनियम, 2018 के विनियम 17 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 5% से अधिक नहीं रख सकता है। सेबी के दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के परिपत्र के अनुसार, निगम ने आईसीईएक्स में अपनी इक्विटी को कम करने के कदम उठाए हैं ताकि इसे निर्धारित सीमा के भीतर लाया जा सके। इस विनियम का अनुपालन 31 मार्च 2022 तक किया जाना है।  
प्रयासों के बावजूद, सूचीबद्ध शेयर न होने के कारण किसी भी संभावित खरीददार द्वारा 6.05% की इक्विटी को ऑफलोड/प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तदनुसार सेबी से अनुरोध किया गया है कि वह आईसीईएक्स में 15% तक की हिस्सेदारी रखने की अनुमति दें। इसके अतिरिक्त एसईसीसी विनियमों द्वारा वर्तमान में निर्धारित सीमा से अधिक की इक्विटी के बायबैक के लिए आईसीईएक्स से भी अनुरोध किया गया है।  
आईसीईएक्स ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेबी ने अपनी दिनांक 24.03.2022 की मेल के माध्यम से उत्तर दिया और इस विनियम के अनुपालन को 31.12.2022 तक बढ़ा दिया।
- दिनांक 23.03.2022 को आयोजित निदेशक मण्डल की 369 वीं बैठक में बोर्ड ने केरल राज्य भंडारण निगम को 1.50 करोड़, रुपये असम राज्य भंडारण निगम को 2.53 करोड़ ₹. और मेघालय राज्य भंडारण निगम को 0.91 करोड़ ₹. की राशि के अतिरिक्त शेयर पूंजी योगदान को मंजूरी दी, ताकि राज्य सरकार के बराबर योगदान किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में निगम ने संबंधित राज्य भंडारण निगम को इक्विटी का योगदान दिया है। बोर्ड ने कर्नाटक राज्य भंडारण निगम को उनकी अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए लम्बित 12.85 करोड़ ₹. की अतिरिक्त शेयर पूंजी को मंजूरी नहीं दी।



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

## अनुसूची – IV: आरक्षित

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	<b>धारा 30 (1) के अधीन आरक्षित निधि</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	24,99,88,24,328	
	जोड़ा : अदावाकृत लाभांश (वर्षों से अधिक पुराना)	33,120	
	जोड़ा : पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानांतरण	2,57,05,75,283	27,56,94,32,731
			24,99,88,24,328
2	<b>अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित</b>		
क	<b>प्राप्य व्यापार</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,67,09,71,636	
	जोड़ा : अतिरिक्त प्रावधान किया गया	19,33,16,789	
	घटाया : आरक्षित पुरांकित	11,73,29,496	
	घटाया : आरक्षित पर बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	40,93,13,867	2,33,76,45,062
			2,67,09,71,636
ख	<b>अन्य चालू परिसंपत्तियां</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	25,69,35,472	
	जोड़ा : अतिरिक्त प्रावधान किया गया	7,35,777	
	घटाया : आरक्षित पुरांकित	73,16,445	
	घटाया : आरक्षित पर बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	12,23,105	24,91,31,699
			25,69,35,472
ग	<b>निवेश पर प्रोदभूत आय</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,54,32,640	
	जोड़ा : अतिरिक्त प्रावधान किया गया	-	
	घटाया : आरक्षित पुरांकित	3,54,32,640	
	घटाया : आरक्षित पर बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	-	-
			3,54,32,640
3	<b>अन्य आरक्षित</b>		
क	<b>हितकारी निधि के लिए आरक्षित</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4,37,77,961	
	जोड़ा : पी एण्ड एल विनियोग खाते से स्थानांतरण	4,50,55,781	
	घटाया : हितकारी निधि ट्रस्ट को किया गया भुगतान	4,37,77,961	4,50,55,781
			4,37,77,961

## अनुसूची – V: बकाया देयताएँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	फुटकर ऋणदाता (एमएफ एवं परियोजनाओं सहित)	1,81,22,29,077	2,21,95,40,452
2	सांविधिक देयताएँ	27,50,27,110	29,16,07,336
3	आपूर्तिकर्ताओं/जमाकर्ता से ईएमडी/एसडी	1,44,01,07,279	1,10,12,93,024
4	अन्य देयताएँ	48,81,87,740	29,11,26,202
5	वापसी योग्य जमा	14,48,89,213	23,77,54,506
6	व्यय के लिए देयताएँ	80,83,71,424	1,07,72,78,131
7	व्यय एवं पूंजीगत कार्यों के लिए प्रावधान	50,19,75,489	62,71,65,175
8	जमा कार्य (अन्य)	21,98,677	42,13,077
9	स्टाम्प ड्यूटी के लिए देयता	1,81,30,700	7,86,47,229
	<b>कुल</b>	<b>5,49,11,16,709</b>	<b>5,92,86,25,132</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – VI: वेतन एवं भत्तें हेतु प्रावधान

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	<b>उत्पादकता से जुड़ा प्रोत्साहन</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,11,99,462	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	6,13,64,917	
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	4,34,26,984	3,91,37,395
2	<b>निष्पादन संबंधित वेतन</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	25,58,78,232	
	घटाया : पीआरपी के लिए देयता में स्थानान्तरण	25,58,78,232	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	26,25,78,779	26,25,78,779
3	<b>ग्रेच्युटी</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6,01,83,773	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	9,89,81,729	
	घटाया : कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट को भुगतान	15,05,67,964	85,97,538
4	<b>एलटीसी</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2,36,31,544	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	31,61,696	
	घटाया : वर्ष के दौरान किया गया भुगतान (नकद पैकेज सहित)	67,96,395	1,99,96,845
5	<b>छुट्टी लाभ के लिए निधि</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	5,10,10,086	
	जोड़ा : चिन्हित निवेश पर ब्याज	-	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	7,26,81,232	
	घटाया : किया गया भुगतान	26,33,00,467	
	जोड़ा : एलआईसी से वसूली योग्य	13,96,09,149	-
6	<b>सेवा निवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना</b>		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(1,73,03,252)	
	जोड़ा : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	8,43,14,954	
	घटाया : पीआरएमबी ट्रस्ट को किया गया भुगतान	6,07,70,646	62,41,056
7	<b>01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पीआरएमबी प्रावधान</b>		8,48,32,600
	<b>कुल</b>	<b>42,13,84,213</b>	<b>39,45,99,845</b>

अनुसूची – VII: स्टोर्स एवं स्पेयर्स

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	<b>स्टोर्स एवं स्पेयर्स</b> रसायन एवं प्रधूमक (निम्न वेटेज औसत लागत पर या निवल वसूली योग्य मूल्य)	6,06,44,923	4,93,18,430
	अन्य हस्तगत स्टोर (निम्न लागत मूल्य पर (एफआईएफओ) एवं निवल वसूली योग्य मूल्य	2,22,40,478	2,54,31,903
	मार्ग में माल	-	43,42,525
	<b>कुल</b>	<b>8,28,85,401</b>	<b>7,90,92,858</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)  
अनुसूची – VIII: फुटकर देनदार

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	फुटकर देनदार (वेअरहाउसिंग प्रभार)		
	प्राप्त माना	2,17,44,42,847	1,04,31,00,972
	संदिग्ध माना	2,20,06,22,806	2,47,95,89,052
2	फुटकर देनदार (विपणन सुसाध्य प्रभार एवं अन्य)		
	प्राप्त माना	78,29,53,602	65,93,23,613
	संदिग्ध माना	13,70,22,256	19,13,82,584
	<b>कुल</b>	<b>5,29,50,41,511</b>	<b>4,37,33,96,221</b>

अनुसूची – IX: ऋण एवं अग्रिम

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि0 (सीआरडब्ल्यूसी) को ऋण (प्रतिभूत)		
	प्राप्त माना	13,66,82,283	20,29,00,000
2	नकदी या वस्तु या मूल्य के लिए प्राप्त किए जाने वाले वसूली योग्य अन्य अग्रिम प्राप्त		
	अच्छा माना गया		
	क) स्टाफ को अग्रिम	57,90,191	1,07,27,376
	ख) पूंजी अग्रिम	1,26,32,582	1,83,72,494
	ग) अन्य अग्रिम	16,71,57,558	17,10,42,480
	<b>कुल</b>	<b>32,22,62,614</b>	<b>40,30,42,350</b>

अनुसूची – X: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	जमा एवं अन्य पर प्रोदभूत ब्याज (बचत बैंक खाता सहित)	14,44,66,017	13,98,65,565
2	स्रोत पर काटा गया आय कर		
	प्राप्त माना	1,41,45,76,212	1,64,63,64,253
	संदिग्ध माना	-	37,31,632
3	आय कर विभाग से वसूली योग्य	56,93,93,652	62,64,995
4	अन्य वसूली योग्य		
	(i) जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट	7,56,74,408	17,73,39,970
	(ii) वसूली योग्य व्यय, बीमा दावा और बचाव		
	प्राप्त माना	49,93,63,755	
	संदिग्ध माना	7,56,88,233	27,15,47,185
	(iii) अन्य वसूली योग्य		
	प्राप्त माना	53,91,26,683	
	संदिग्ध माना	17,34,43,466	60,55,65,194
5	हस्तगत एफडीआर (निगम के पक्ष में एफडीआर के रूप में कांटेक्टर्स से प्राप्त प्रतिभूतियाँ)	9,44,11,904	4,20,72,871
6	बैंक गारंटी के विरुद्ध एफडीआर गिरवी	4,40,75,110	6,16,53,472
	<b>कुल</b>	<b>3,63,02,19,440</b>	<b>2,95,44,05,137</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – XI: नकद एवं बैंक शेष

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	हस्तगत नकदी		
	हस्तगत नकदी / स्टाम्प नकदी	48,45,512	54,66,956
2	बैंक में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगी :		
	(i) बचत / फ्लैक्सी / चालू खाते में	36,89,16,743	27,51,99,637
	(ii) जमा खाते में	2,20,93,00,000	68,69,719
	अन्य अनुसूचित बैंक :		
	(i) बचत / फ्लैक्सी / चालू खाते में	72,85,75,405	1,37,62,90,455
	(ii) जमा खाते में	5,14,76,41,343	7,54,03,95,436
	कुल	8,45,44,33,491	7,54,03,95,436
		<b>8,45,92,79,003</b>	<b>9,20,42,22,203</b>

अनुसूची – XII: रसायन, कवर्स एवं डनेज का उपभोग

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	रसायन	8,18,02,774	6,96,50,111
2	पॉलीथिन कवर्स	1,56,22,836	1,11,10,185
3	डनेज	2,13,95,932	2,65,22,897
	कुल	<b>11,88,21,542</b>	<b>10,72,83,193</b>

अनुसूची – XIII: वेतन एवं भत्तें (प्रावधानों के साथ)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	68,96,172	63,99,088
3	प्रकार्यात्मक निदेशक	1,60,71,032	1,18,57,226
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	3,12,42,28,961	3,39,22,04,265
5	भविष्य निधि में योगदान	24,37,89,436	26,81,45,549
6	पेंशन निधि में योगदान	18,28,56,211	20,13,18,412
7	सेवानिवृत्त पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि में योगदान	16,91,47,554	6,56,29,947
8	मृत्यु मुआवजा	33,82,260	3,98,19,820
	प्रावधान :		
9	ग्रेच्युटी	9,82,90,755	13,62,53,778
10	निष्पादन आधारित वेतन	6,13,64,917	2,19,96,910
11	उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन	26,25,78,779	25,58,78,232
12	छुट्टी लाभ	6,89,31,071	27,49,18,458
13	एलटीसी	30,39,084	96,07,594
14	वेतन संशोधन प्रावधान	-	2,22,56,050
15	विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एसवीआरएस) मुआवजा	20,35,05,935	3,05,31,928
	घटाया : प्रशासनिक ओवरहेड	12,93,68,295	11,99,42,170
	कुल	<b>4,31,47,13,872</b>	<b>4,61,68,75,087</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

**अनुसूची – XIV: यात्रा भत्ते इत्यादि**

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	अध्यक्ष	-	-
2	प्रबन्ध निदेशक	35,719	47,633
3	प्रकार्यात्मक निदेशक	6,50,394	81,921
4	अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी	5,23,35,935	4,31,43,453
	कुल	<b>5,30,22,048</b>	<b>4,32,73,007</b>

**अनुसूची – XV: मरम्मत एवं रखरखाव**

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	बिल्लिंग	22,10,24,116	19,46,97,525
2	उपकरण	6,38,03,677	6,39,73,205
	कुल	<b>28,48,27,793</b>	<b>25,86,70,730</b>

**अनुसूची – XVI: किराया, दर एवं कर**

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	कार्यालय का किराया	29,05,830	28,73,252
2	गोदामों का किराया	70,35,78,816	75,42,83,538
3	लीज का किराया	16,69,63,276	15,28,19,881
4	दर एवं कर	15,09,26,034	19,48,04,065
	कुल	<b>1,02,43,73,956</b>	<b>1,10,47,80,736</b>



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

अनुसूची – XVII: विविध खर्च

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	स्थापना कस्टम खर्च	3,29,01,994	7,00,50,026
2	स्टाफ प्रशिक्षण खर्च	60,51,234	15,25,869
3	प्रचार एवं प्रसार	13,43,193	2,13,600
4	रॉयल्टी	1,08,58,822	39,75,146
5	सेमिनार एवं सम्मेलन	22,995	3,64,005
6	कारोबार संवर्धन व्यय	27,36,602	21,97,993
7	तौल प्रभार	69,80,084	94,50,992
8	इंसेंटिव- सीएमएस पेमेंट गेटवे	51,159	-
9	विज्ञापन खर्च	1,66,12,792	1,58,79,095
10	वाहन चार्ज	4,66,42,133	4,32,82,433
11	जमाकर्ताओं को मुआवजा	1,90,168	41,98,141
12	कंप्यूटरीकरण प्रभार	6,09,00,812	4,16,88,387
13	वर्क इन प्रोग्रेस रिटिन आफ	14,873	-
14	मनोरंजन	1,29,60,691	98,57,936
15	मालभाड़ा एवं चुंगी	65,62,480	49,97,642
16	गेस्टहाउस खर्च	7,96,296	9,25,386
17	इंटर कार्टिंग/आंतरिक हैंडलिंग	2,89,33,524	15,70,082
18	कानूनी खर्च	9,36,72,086	6,44,56,964
19	समाचार पत्र, किताबें एवं पत्रिकाएं	11,53,968	10,37,385
20	डाक/तार एवं टेलेक्स	28,29,054	36,26,193
21	पैसे को पूर्ण मानने में आया अंतर	(21,986)	23,046
22	अंशदान एवं सदस्यता शुल्क	22,12,367	11,27,821
23	स्टाफ कार खर्च-पैट्रोल	29,86,991	26,11,086
24	स्टाफ कार खर्च-रखरखाव	11,17,091	7,85,545
25	टेलीफोन खर्च	1,80,22,064	1,63,07,053
26	जल एवं विद्युत प्रभार	21,49,33,593	14,64,25,531
27	प्रोफेशनल प्रभार	2,98,41,196	1,71,35,674
28	किसान विस्तार सेवा योजना खर्च	1,82,062	89,900
29	कार्यालय खर्च	84,54,204	81,05,499
30	विदेशी विनिमय में अन्तर	-	3,43,040
31	आईएसओ खर्च	28,940	11,064
32	प्रयोग न किए गए जीएसटी/इनपुट क्रेडिट	32,18,53,495	30,64,47,947
33	बीमा मुआवजा हानि	56,11,169	22,54,068
34	एफएसएसआई लाइसेंस के लिए लेब प्रशिक्षण एवं अन्य खर्च	16,14,965	9,58,848
35	कोविड-1 रोकथाम उपाय व्यय	61,44,498	78,52,682
36	पीआईएलएच में किए गए निवेश पर हानि	-	88,02,187
37	अन्य विविध खर्च	12,75,06,521	10,77,07,296
	<b>कुल</b>	<b>1,07,27,02,130</b>	<b>90,62,85,562</b>





## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

## अनुसूची – XVIII: पेस्ट कंट्रोल सेवाएं खर्च

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	रसायन	5,23,56,967	4,07,24,873
2	अन्य खर्च	15,33,71,943	12,83,02,936
	<b>कुल</b>	<b>20,57,28,910</b>	<b>16,90,27,809</b>

## अनुसूची – XIX: ब्याज (व्यय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सरकार	-	-
2	बैंक	-	-
3	अन्य	76,45,504	89,23,058
	<b>कुल</b>	<b>76,45,504</b>	<b>89,23,058</b>

## अनुसूची – XX: लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	लेखा परीक्षा शुल्क	72,45,000	64,29,200
2	यात्रा खर्च	15,22,436	23,43,232
3	कर लेखापरीक्षा शुल्क	15,76,000	18,01,900
4	अन्य सेवाओं के लिए	3,33,560	2,48,700
	<b>कुल</b>	<b>1,06,76,996</b>	<b>1,08,23,032</b>

## अनुसूची – XXI: पूर्व अवधि समायोजन (निवल)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	आय	(26,06,340)	2,34,389
2	व्यय	42,28,788	(1,38,97,440)
	<b>कुल</b>	<b>16,22,448</b>	<b>(1,36,63,051)</b>

## अनुसूची – XXII: कर व्यय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	चालू कर	1,28,78,96,018	96,33,20,011
2	आस्थागित कर	10,43,29,556	40,60,41,717
3	पूर्व वर्षों का कर समायोजन	(4,91,359)	(9,55,98,797)
	<b>कुल</b>	<b>1,39,17,34,215</b>	<b>1,27,37,62,931</b>

## अनुसूची – XXIII: वेअरहाउसिंग प्रभार (आय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	वेअरहाउसिंग प्रभार	11,48,05,89,492	12,79,95,36,707
	घटाया: सहकारी समितियों और अन्य को छूट	15,50,44,251	16,68,85,691
	<b>कुल</b>	<b>11,32,55,45,241</b>	<b>12,63,26,51,016</b>

## अनुसूची – XXIV: ब्याज (आय)

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	जमा/बचत बैंक खाते से	43,33,71,661	44,48,73,364
2	निम्न को ऋण एवं अग्रिम से:		
	स्टाफ	11,122	29,789
	अन्य	11,48,69,038	10,70,00,786
	<b>कुल</b>	<b>54,82,51,821</b>	<b>55,19,03,939</b>



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंग के रूप में अनुसूचियां (सामान्य निधि)

## अनुसूची – XXV: लाभांश आय

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	सहयोगियों के साथ निवेश से (रा.भ.नि.)	23,75,10,583	11,73,18,374
2	सहायक कम्पनियों के साथ निवेश से (सीआरडब्ल्यूसी)	8,50,00,000	12,39,64,760
	कुल	<u>32,25,10,583</u>	<u>24,12,83,134</u>

## अनुसूची – XXVI: विविध प्राप्तियाँ

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	प्रचालन :		
	अभियांत्रिकी परामर्शी सेवाओं से	15,48,238	68,96,484
	अन्य विविध प्रचालन प्राप्तियाँ	47,00,84,708	60,65,17,959
		<u>47,16,32,946</u>	<u>61,34,14,443</u>
2	गैर-प्रचालन :		
	विदेशी विनिमय में अंतर (निवल लाभ)	4,18,046	-
	अन्य गैर-प्रचालन विविध प्राप्तियाँ	13,30,33,532	20,84,96,097
		<u>13,34,51,578</u>	<u>20,84,96,097</u>
	कुल	<u>60,50,84,524</u>	<u>82,19,10,540</u>

## अनुसूची – XXVII: अतिरिक्त देयताएँ, प्रावधान और मूल्य ह्रास

क्र. स.	लेखा शीर्ष	इस वर्ष (₹)	गत वर्ष (₹)
1	अतिरिक्त देयताएँ, प्रावधान और मूल्य ह्रास पुरांकित (प्रचालन)		
	क. अतिरिक्त देयताएँ और पुरांकित व्यय	60,92,51,748	
	ख. अतिरिक्त मूल्यह्रास पुरांकित	17,04,408	
	ग. अशोध्य और संदिग्ध ऋण पुरांकित के लिए अतिरिक्त जमा	53,51,82,913	
	घटाया : वर्ष के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान	<u>19,40,52,566</u>	34,11,30,347
2	अतिरिक्त प्रावधान पुरांकित (गैर प्रचालन)	1,11,15,095	10,20,47,925
	कुल	<u>96,32,01,598</u>	<u>10,20,47,925</u>

## अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### लेखांकन का आधार

- (1) निगम के वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (इंडियन जीएएपी) के अनुसार लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों (जहाँ तक लागू हो) का अनुपालन किया जाता है।

### आकलन का प्रयोग

- (2) भारतीय जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए अपेक्षित है कि प्रबंधन आकलन तथा अनुमान बनाए जो वित्तीय विवरणों की तिथि तक आकस्मिक देयताओं के प्रकटन, परिसंपत्तियों एवं देयताओं की दर्ज की गई राशि एवं रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की दर्ज की गई राशि को प्रभावित करे। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

### वस्तु सूचियाँ

- (3) रसायन एवं निर्माण सामग्री का मूल्यांकन निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। खरीद की लागत में शुल्क, कर, भाड़ा तथा व्यापार छूट, रियायत एवं अन्य समान मदों के अन्य निवल खर्च सम्मिलित हैं।
- (4) हस्तगत स्टोर जैसे प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, वर्दियां, पॉलीथीन कवर एवं डनेज आदि को “प्रथम प्रवेश प्रथम निकास” आधार पर निम्न लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है।
- (5) अनुप्रयोज्य/पुरानी निर्माण सामग्री को निम्न वार्षिक वेटेज औसत लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आंका गया है।
- (6) खरीदे गए स्टॉक को निम्न लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य के अनुसार आंका गया है। लागत “प्रथम प्रवेश. प्रथम निकास” आधार पर निकाली जा रही है।

### पूर्व अवधि व्यय/आय

- (7) प्रत्येक मद हेतु 1,00,000/-₹. या इससे कम की पूर्व अवधि व्यय/आय तथा प्रीपेड व्यय को वर्तमान वर्ष में मान्यता दी गई है।

### नकदी प्रवाह विवरण

- (8) (क) नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है जो “नकदी प्रवाह विवरण” में लेखांकन मानक (एएस-3) पर निर्धारित होता है जिसमें कर पूर्व लाभ/हानि, गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों को कोई आस्थगन या पूर्व प्रोद्भूत या भविष्य की ऑपरेटिंग नकद प्राप्तियों या भुगतान और नकदी प्रवाह में वित्त पोषण या निवेश से जुड़े आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है।
- (ख) नकद और नकद समतुल्य में नकदी हस्तगत, अल्पावधि और बैंक शेष राशि, अत्यधिक लिक्विड निवेश शामिल हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के मामूली जोखिम के अधीन हैं।

### संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा मूल्यहास

- (9) (क) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों को ऐतिहासिक लागत से कम संचित मूल्यहास/परिशोधन तथा संचित न्यूनतम हानि पर लिया गया है। तथापि, पूर्णरूपेण मूल्यहासित परिसम्पत्ति को अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा गया है।



अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(ख) निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवशिष्ट मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

स्थायी परिसंपत्तियाँ	उपयोग अवधि (वर्ष में)	अवशिष्ट मूल्य (%)
<b>संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/मूर्त परिसंपत्तियाँ</b>		
वेअरहाउस एवं गोदाम तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्डस, छत (प्री-कोटेड गालवॉल्यूम, स्टील शीट्स) फर्श-सीमेंट कंक्रीट, सड़क-सीमेंट कंक्रीट (सीसी)	30	5
परिवर्तनीय प्लिंथ	30	5
अपरिवर्तनीय प्लिंथ	5	5
कार्यालय भवन	60	5
आवासीय प्लैट्स	60	5
जल एवं विद्युत संस्थापना	10	5
प्लांट एवं मशीनरी/रेलवे साइडिंग/लॉरी वेब्रिज	15	5
फर्नीचर एवं फिटिंग्स/विद्युत उपकरण	10	5
कार्यालय उपकरण	5	5
अन्य उपकरण/निर्माण उपकरण	6	5
मोबाइल फोन	3	5
एचबीएल शीट	4	5
मोटर वाहन/मोटर लॉरी/मोटर कार	8	5
प्रयोगशाला उपकरण	5	5
कीटनाशन उपकरण	4	5
लकड़ी के क्रेट	6	5
पीसीसी ब्लॉक्स	8	5
रैक्स/टिन ट्रे	10	5
पोली पैलेट्स	10	5
कंप्यूटर्स	3	5
<b>अमूर्त परिसम्पत्तियाँ</b>		
कंटेनर ट्रेनों के लिए पंजीकरण शुल्क	20	NIL
भूमि प्रयोग का अधिकार	10	NIL
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	NIL
लाइसेंस फीस-प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल	10	NIL

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोग अवधि/परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा की जाती है और पिछले आंकलनों से महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखाबद्ध किया जाता है।

(ग) वेअरहाउस/भवन तथा अनुषंगी, कंटेनर यार्ड, छत (प्री-कोटेड गालवॉल्यूम स्टील शीट), फर्श (सीमेंट कंक्रीट), सड़क(सीमेंट कंक्रीट) तथा लीज़होल्ड भूमि पर निर्मित/सृजित अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास



### अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

उनकी उपरोल्लिखित उपयोगी अवधि के अनुसार प्रभारित किया गया है, चूंकि लीज़ अवधि की समाप्ति के बाद ही सामान्यतः लीज़ नवीकृत होती है। यदि भूमि की लीज़ नवीकृत नहीं हुई हो तो इन परिसंपत्तियों पर प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि से ह्रासित मूल्य तथा लाभ या हानि, यदि कोई है, से समायोजित कर लेन-देन को बही खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

- (घ) जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/-रु. तक है, उन्हें राजस्व में प्रभारित किया गया है। जिन परिसंपत्तियों का मूल्य 500/-रु. से अधिक और 5000/-रु. तक है, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और उन पर मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया है जिससे प्रत्येक ऐसी परिसम्पत्ति के लिए एक रु. का नाममात्र मूल्य रह जाता है।
- (ङ) पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद परिशोधित/मूल्यह्रासित होती है।
- (च) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों, जो उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं हैं, को किए जा रहे पूंजीगत कार्य में सम्मिलित किया गया है।
- (छ) अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के तहत) के लिए क्षतिपूर्ति पर ब्याज, लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित होते हैं।
- (ज) वेअरहाउस एवं गोदामों के महत्वपूर्ण घटकों जैसे छत (प्री-कोटेड गालवॉल्यूम स्टील पीट या समकक्ष), सड़कें (सीमेंट कंक्रीट) तथा फर्श (सीमेंट कंक्रीट) को पृथक रूप से पूंजीकृत एवं मूल्यह्रासित किया गया है।
- (10) जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी। यदि किसी परिसंपत्ति को एक इकाई से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो स्थानांतरण के महीने तक स्थानांतरणकर्ता यूनिट की बहियों में मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभारित किया जाता है। स्थानांतरी यूनिट अगले महीने से मूल्यह्रास/परिशोधन प्रभारित करेगी।

### भूमि तथा सिविल कार्यों पर व्यय

- (11) गोदामों का पूंजीकरण, भंडारण-योग्यता के पूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर है तथा गोदामों के कार्य प्रारंभ होने के प्रमाणपत्र के आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है।
- (12) भूमि अर्जन से संबंधित वास्तविक व्यय को वर्तमान दर पर देय स्टैम्प ड्यूटी के साथ पूंजीकृत किया गया है। प्रदत्त एवं पहले से पूंजीकृत स्टैम्प ड्यूटी में अंतर के लिए आवश्यक समायोजन भुगतान/अधिकार विलेख के निष्पादन के वर्ष में किया गया है।
- (13) जोखिम एवं लागत ठेके (सिविल) पर व्यय यदि उपलब्ध प्रतिभूति जमा से अधिक है, तो इसे वसूली वाले लंबित पूंजी या मरम्मत कार्यों (जैसा भी मामला हो) में प्रभारित किया गया है।
- (14) पूंजीगत कार्यों पर निर्माण उपरी व्यय निम्नानुसार आबंटित और पूंजीकृत किया गया है:
  - (i) कार्य लागत के 7% (सात प्रतिशत) की दर से केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है।
  - (ii) बाहरी एंजेसी के माध्यम से कार्य पर्यवेक्षण किया जाता है-एंजेसी को देय शुल्क/प्रभार।



### अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(15) किसी सिविल ठेके में माध्यस्थ निर्णय के अनुसरण में प्रदत्त क्षतिपूर्ति/ब्याज, लाभ में कमी इत्यादि जैसे राजस्व प्रकृति की देय राशि को राजस्व में प्रभारित किया गया है एवं प्रदत्त क्षतिपूर्ति/पूंजी प्रकृति की देय राशि को पूंजीकृत किया जाएगा।

#### राजस्व मान्यता

(16) राजस्व को मान्यता दी जाती है जब दी गई सेवाओं से प्राप्त की जाने वाली विचारणीय राशि के संबंध में कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न हो।

(क) भंडारण सेवाओं से प्राप्त आय को ग्राहकों के साथ उन्हें निम्न के प्रयोग से दी जाने वाली सेवाओं के अनुसार समझौते/व्यवस्था के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(i) कार्गो की प्राप्ति/रिलीज पर आयातित कार्गो के लिए सम्पूर्ण सेवा संविदा पद्धति।

(ii) निगम द्वारा प्रदान की गई सभी अन्य सेवाओं के लिए समानुपातिक सम्पूर्ण पद्धति जिसमें निगम द्वारा किए गए जमा कार्य पर प्रभारित परामर्श फीस/पर्यवेक्षण फीस से प्राप्त आय शामिल है।

(iii) बिक्री प्रक्रिया से कालातीत बॉन्ड/लंबी अवधि के कार्गो पर इसकी वसूली के संबंध में।

(ख) खाली और बेकार (जैसे पुराने अखबार) वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

(ग) लाभांश आय को तभी मान्यता है जब वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो।

(घ) ब्याज आय को तभी मान्यता है जब इसकी मापनीयता या संग्रहणीयता के अनुसार कोई उल्लेखनीय अनिश्चितता न हो। इसे समय अनुपातिक आधार पर बकाया राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखकर मान्यता दी जाती है।

(ङ.) विदेश व्यापार योजना, 2015-20 के तहत निगम को सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम (एसईआईएस) से प्राप्त रिवार्ड/लाभ को डीजीएफटी द्वारा जारी एसईआईएस स्क्रिप्स की बिक्री के वर्ष में दर्ज किया गया है।

(च) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित भंडारण प्रभारों की दर के पूर्वव्यापी पुनरीक्षण का वित्तीय प्रभाव उस वर्ष में दर्ज किया जाता है जिसमें निगम को प्रशासनिक मंत्रालय का निर्णय प्राप्त होता है।

#### उपभोज्य वस्तुओं की लागत

(17) काली पोलीथिन फिल्मों, मल्टी-लेअर्ड क्रॉस लेमिनेटेड कवर्स, बाँस की चटाइयों, पीवीसी फ्लोर डनेज और पॉलीथिन कवर्स तथा इस प्रकार की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की लागत को उनके उपयोग के लिए जारी किए गए वर्ष के राजस्व में प्रभारित किया गया है।

#### स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना व्यय

(18) सेवांत लाभों (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय सहित) को उसी वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है जिसमें वे प्राप्त हुए हैं।

#### बीमा दावे

(19) प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा दावे के निपटान में यदि कोई अंतर हो, तो बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय इसे लेखाबद्ध किया जाता है।



### अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

बीमाकर्ता की ओर से दावा प्राप्त होने पर राशि का भुगतान जमाकर्ता को या जमाकर्ता के खाते में जमा किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

#### माध्यस्थ निर्णय

(20) निगम के विरुद्ध माध्यस्थ निर्णय को तभी माना गया जब इसके लिए कोई विवाद नहीं उठाया गया। फिर भी, निगम के पक्ष में दी गई राशि को वसूली के समय ही लेखाबद्ध किया जाता है, क्योंकि इसकी वसूली अनिश्चित होती है।

#### ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध करना

(21) जहां पर यथोचित वसूली निश्चित हो, वहां ठेकेदारों/पार्टियों के विरुद्ध दावों को लेखाबद्ध किया जाता है।

#### अदावाकृत लाभांश

(22) जिन लाभांश वारंट को इनकैश नहीं किया गया है उन्हें "अदावाकृत लाभांश" शीर्ष के तहत देयता के रूप में दर्शाया गया है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हों।

#### विदेशी मुद्रा लेन.देन

##### (23) प्रारंभिक मान्यता

विदेशी मुद्राओं में किए जाने वाले लेन.देन को लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया गया है।

##### बाद में मान्यता

रिपोर्टिंग की तिथि को गैर.मौद्रिक वस्तुओं (राजस्व मद एवं स्थाई परिसम्पतियाँ) जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत में नामित शर्तों पर रखा गया है, को लेन.देन की तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करके दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा में सभी मौद्रिक परिसम्पतियों एवं देयताओं (वर्तमान परिसम्पतियाँ एवं वर्तमान देयताएं) को तुलन पत्र तिथि पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए पुनः दिया गया है एवं विनिमय अन्तर को लाभ-हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

#### सरकारी अनुदान

(24) सरकारी अनुदान तभी स्वीकृत किए जाते हैं जब इसमें युक्तिसंगत आश्वासन दिया जाता है कि इसे प्राप्त किया जाएगा और इससे जुड़ी सभी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(क) विशिष्ट स्थायी परिसम्पतियों से संबंधित पूंजी अनुदान को संबंधित परिसम्पतियों के सकल मूल्य से घटाया गया है।

(ख) राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चे घटाकर लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

#### निवेश

(25) निवेश को वर्तमान एवं लम्बी अवधि के निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।



## अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### कर्मचारी लाभ

- (26) (क) सभी लघु अवधि कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में छूट रहित राशि पर मान्यता दी गई है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।
- (ख) भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ निधि को अंशदान योजना में पारिभाषित किया गया है। वर्ष के दौरान दिए गए अंशदान की राशि को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।
- (ग) छुट्टी नकदीकरण, ग्रेच्युटी तथा एलटीसी के संबंध में परिभाषित लाभ योजनाओं के अधीन कर्मचारी लाभों की परिभाषित लाभ देयता को वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी गई तथा वर्ष के अंत में प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर गणना की गई। वर्ष के दौरान योजना परिसंपत्तियों की अधिकता को वास्तविक देयता के रूप में मान्यता दी गई है।
- (घ) सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के भुगतान को प्रोद्भूत आधार पर लाभ-हानि खाते में मान्यता दी गई है।

### पट्टे

- (27) प्रचालन पट्टे :

#### जहाँ निगम पट्टाकर्ता है :

वे पट्टे जिनमें निगम महत्वपूर्ण रूप से परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों का हस्तांतरण नहीं करता, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टों की परिसम्पत्तियाँ, स्थाई परिसम्पत्तियों में सम्मिलित हैं। प्रचालन पट्टे पर आय को लाभ-हानि लेखों में पट्टे की शर्त पर स्ट्रेट लाइन आधार पर मान्यता दी गई है। मूल्यह्रास सहित लागत को व्यय के रूप में लाभ हानि लेखे में मान्यता दी गई है।

#### जहाँ निगम पट्टेदार है :

जहाँ पर पट्टाकर्ता पट्टे की मदों के स्वामित्व के सभी जोखिमों एवं लाभों को प्रभावी रूप से रखता है, वहाँ पट्टेदार को प्रचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन पट्टे भुगतान को पट्टे शर्तों पर स्ट्रेट लाइन आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

### आय पर कर

- (28) (क) आयकर व्यय में चालू कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। चालू कर के लिए प्रावधान निर्धारण योग्य लाभ पर आधारित है तथा इसकी गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है। आस्थगित कर को मान्यता दी गई है, बशर्ते कि एक अवधि में होने वाले कर-योग्य एवं लेखाबद्ध आय/व्यय के बीच अंतर से होने वाले समय अंतराल पर स्वविवेक के अधीन एक या एक से अधिक आगामी अवधि में उसकी वापसी सुनिश्चित कर दी गई है।
- (ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां केवल तभी मान्य होगी, जब यह सुनिश्चित हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी, जिस पर ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल की जा सकेंगी। यदि निगम ने अनामेलित मूल्यह्रास तथा कर हानियां, अग्रेषित की हैं, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा वास्तविक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सकेगी।





### अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- (ग) कर विधियों के अनुसार प्रदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) जो भविष्य के आयकर देयताओं के समायोजन के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभों में बढ़ोतरी करते हैं, उन्हें परिसंपत्ति के रूप में तभी माना जाए जब यह विश्वसनीय साक्ष्य हो कि निगम भविष्य में सामान्य कर का भुगतान करेगा। निगम प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में इसकी समीक्षा करता है और मैट क्रेडिट पात्रता की अग्रेषित राशि को उस सीमा तक पुरांकित करता है, जब तक ऐसा कोई वास्तविक साक्ष्य न रह जाए कि निगम विनिर्दिष्ट अवधि में क्रेडिट का उपयोग करने के योग्य होगा।

### अमूर्त परिसंपत्तियाँ

- (29) (क) कंटेनर रेल परिवहन के लिए भारतीय रेलवे को दी गई लाइसेंस फीस/पंजीकरण फीस को "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में पूंजीकृत किया गया है और 20 वर्ष की अवधि अर्थात् प्रचालन प्रारम्भ करने के वर्ष से रेलवे द्वारा जितनी अवधि के लिए अनुमति दी गई है, में परिशोधित किया गया है।
- (ख) ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार उपयोग के अधिकार" की अवधि को ध्यान में रखे बगैर प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखांकन नीति सं. 9(ख) में उल्लिखित है। यदि "प्रयोग का अधिकार" वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है और लेन.देन को लेखाबहियों में तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।
- (ग) जो सॉटवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है, उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना गया है और 03 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।
- (घ) निजी फ्रेट टर्मिनल के लिए लाइसेंस की लागत को 10 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

### परिसंपत्तियों में क्षीणता

- (30) यदि परिसंपत्तियों के रख-रखाव की लागत इसकी वसूली योग्य कीमत से बढ़ जाती है तो उन सम्पत्तियों को क्षीण माना जाता है। क्षीणता हानि को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्तियों की क्षीणता का पता चलता है। यदि वसूली योग्य राशि के प्राक्कलन में परिवर्तन होता है तो पूर्व लेखांकन अवधि में मान्य क्षीणता हानि प्रत्यावर्तित हो जाती है।

### प्रावधान, आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

- (31) (क) पिछली घटना के फलस्वरूप जब निगम के वर्तमान दायित्व होते हैं, तब प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा संभव है कि दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक संसाधनों के आउटप्लो की आवश्यकता हो और जिसके बारे में वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है।
- (ख) निगम के विरुद्ध दावों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि ऋण उपलब्ध सूचना तथा प्रबंधन के फैसले के आधार पर निर्धारित किए गए तथा लेखों की टिप्पणियों द्वारा प्रकट किए गए। तथापि, आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्यता दी गई और न ही उन्हें प्रकट किया गया है।



### अनुसूची-XXVIII: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- (ग) पूर्वव्यापी प्रभाव के लेखों के परिचालन की तिथि के बाद लिए गए निर्णय के कारण देयताओं/अर्जित आय को सीधे संबद्ध लेखा शीर्ष के अधीन लेखाबद्ध किया गया है।
- (घ) कर्मचारियों के यात्रा व्यय तथा छुट्टी यात्रा रियायत संबंधी देयताओं, जहाँ यात्रा वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारंभ होती है लेकिन बिलों की प्रतीक्षा रहती है, बशर्ते कि उन्हें अग्रिम का भुगतान किया गया है और बिलों का आवश्यक समायोजन अगले वर्ष बिल प्राप्ति पर किया जाता है।
- (ङ) जब तक कि कोई विवाद न हो संपत्ति कर को प्राप्त माँग तथा उपलब्ध सूचना के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

### अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

- (32) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तभी किए जाते हैं, जब देनदार/ऋण एवं अग्रिम की वसूली संदिग्ध मानी जाती है।

### देयताओं/देयों को पुरांकित करना

- (33) देयताओं का भुगतान किए जाने की तारीख से निगम के लेखा बहियों में देयताओं को लगतार 5 वर्षों (सरकारी पार्टियों के लिए) 3 वर्षों (अन्य पार्टियों के लिए) लेखाबद्ध किया जाता है छठे वर्ष या चौथे वर्ष, जैसा भी मामला हो, इन देय देयताओं/व्यापार राशि को निगम के लेखा बहियों में पुरांकित किया जाता है तथा यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत इन्हें आय (प्रचालन/गैर प्रचालन) में जमा किया जाता है।

भविष्य में उपरोक्त देयताओं पर दावे/वास्तविक भुगतान (यदि कोई हो) उत्पन्न होते हैं तो उन्हें भुगतान/निपटान वाले वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

1. लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

नई नीति संख्या	लेखांकन नीति (पुरानी)	लेखांकन नीति (संशोधित)	लाभ पर प्रभाव (लाख रु. में)
9 (क)	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों को ऐतिहासिक लागत से कम संचित मूल्यहास तथा संचित न्यूनतम हानि पर लिया गया है। तथापि, पूर्णरूपेण मूल्यहासित परिसम्पत्ति को अवष्टि मूल्य पर बनाए रखा गया है।	संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की मदों को ऐतिहासिक लागत से कम संचित मूल्यहास /परिशोधन तथा संचित न्यूनतम हानि पर लिया गया है। तथापि, पूर्णरूपेण मूल्यहासित परिसम्पत्ति को अवशिष्ट मूल्य पर बनाए रखा गया है।	शून्य (प्रभावहीन)
9(ख)	निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवष्टि मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (संदर्भ अनुसूची XXVIII क्र.सं. 9 (ख) प्रोपर्टी, प्लांट एवम् उपकरण तथा मूल्यहास/परिशोधन)	निगम द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों (मूर्त/अमूर्त) पर मूल्यहास/परिशोधन को परिसंपत्तियों की निर्धारित उपयोग अवधि तथा अवष्टि मूल्य के आधार पर सीधी रेखा पद्धति से (परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि पर तकनीशियनों की रिपोर्ट पर आधारित) प्रभारित किया गया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवष्टि मूल्य, उपयोग अवधि/परिशोधन अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा की जाती है और पिछले आंकलनों से महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखाबद्ध किया जाता है।	शून्य (प्रभावहीन)
9(ड.)	पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मूल्यहासित होती है।	पट्टे पर भूमि अधिग्रहण (किश्त) की लागत और उस पर बने ओपेन एरिया की लागत पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद परिशोधित/मूल्यहासित होती है।	शून्य (प्रभावहीन)
10	जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी।	जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी परिसंपत्ति में कोई वृद्धि की जाती है या जब किसी परिसंपत्ति को बेचा, समाप्त या नष्ट किया जाता है तब ऐसी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की गणना यथानुपात आधार पर उनकी उपयोग अवधि जो उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने के माह से अथवा उनके बेचने, समाप्त या नष्ट करने के माह तक, जैसा भी मामला हो, के आधार पर की जाएगी। यदि किसी परिसंपत्ति को एक इकाई से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो स्थानांतरण के महीने तक स्थानांतरणकर्ता यूनिट की बहियों में मूल्यहास/परिशोधन प्रभारित किया जाता है। स्थानांतरी यूनिट अगले महीने से मूल्यहास/परिशोधन प्रभारित करेगी।	शून्य (प्रभावहीन)



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

14	विभागीय रूप से निष्पादित पूंजीगत कार्यों पर हुए निर्माण उपरीव्यय को कार्य की लागत के @7% (सात प्रतिशत) की दर से आबंटित किया गया है। बाहरी एजेंसी के माध्यम से निष्पादित पूंजीगत कार्यों के लिए एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार देय वास्तविक राशि पर पूंजीकृत किया जाएगा।	पूंजीगत कार्यों पर निर्माण उपरी व्यय निम्नानुसार आबंटित और पूंजीकृत किया गया है: (i) कार्य लागत के @7% (सात प्रतिशत) की दर से केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण किया जाता है। (ii) बाहरी एजेंसी के माध्यम से कार्य पर्यवेक्षण किया जाता है—एजेंसी को देय शुल्क/प्रभार।	शून्य (प्रभावहीन)
16(च)	कोई योजना नहीं है।	प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित भंडारण प्रभारों की दर से पूर्वव्यापी पुनरीक्षण का वित्तीय प्रभाव उस वर्ष में दर्ज किया जाता है जिसमें निगम को प्रशासनिक मंत्रालय का निर्णय प्राप्त होता है।	2033.02 लाख रु. (लाभ में वृद्धि) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए
19	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा दावे के निपटान में यदि कोई अंतर हो, तो बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय इसे लेखाबद्ध किया जाता है। बीमाकर्ता से दावा प्राप्त होने के उपरांत जमाकर्ता को भुगतान किया जाता है।	प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर बीमा कंपनी से बीमा दावे के रूप में वसूल की जाने वाली राशि को किए गए दावे के वर्ष में मान्यता दी जाती है। बीमा दावे के निपटान में यदि कोई अंतर हो, तो बीमा कंपनी से सर्वे रिपोर्ट/दावे की वास्तविक प्राप्ति के समय इसे लेखाबद्ध किया जाता है। बीमाकर्ता की ओर से दावा प्राप्त होने पर राशि का भुगतान जमाकर्ता को या जमाकर्ता के खाते में जमा किया जाता है, जैसा भी मामला हो।	शून्य (प्रभावहीन)
25	निवेश को वर्तमान एवं गैर वर्तमान के निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।	निवेश को वर्तमान एवं लम्बी अवधि के निवेश में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान निवेश न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध मूल्य पर दिखाया गया है। प्रबंधन की राय में लम्बी अवधि के निवेश लागत पर दिखाए गए हैं तथा कीमत में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट अस्थायी के अलावा हो।	शून्य (प्रभावहीन)



**अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ**

29(ख)	<p>ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रासित सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार उपयोग के अधिकार" की अवधि को ध्यान में रखे बगैर प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखांकन नीति सं. 9(ख) में उल्लिखित है। यदि "प्रयोग का अधिकार" वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है और लेन-देन को लेखाबहियों में तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।</p>	<p>ऐसी भूमि जिन पर "प्रयोग का अधिकार" आधार पर कब्जा लिया गया है, उनके लिए प्रदत्त राशि को 'अमूर्त परिसंपत्ति' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उन पर 10 वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इन परिसंपत्तियों की उपयोग अवधि तथा तकनीकी प्रमाणीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसी भूमि पर निर्मित वेअरहाउसों/भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रासित सामान्य उपयोगी अवधि के अनुसार उपयोग के अधिकार" की अवधि को ध्यान में रखे बगैर प्रभारित किया जाता है, जैसा कि लेखांकन नीति सं. 9(ख) में उल्लिखित है। यदि "प्रयोग का अधिकार" वाली भूमि वापस ली गई है तो ऐसे वेअरहाउस/भवन एवं अन्य निर्मित परिसंपत्तियों को सौंपने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति को उनके पुरांकित मूल्य तथा लाभ या हानि यदि कोई हो, पर समायोजित कर दिया जाता है और लेन-देन को लेखाबहियों में तदनुसार लेखाबद्ध किया जाता है।</p>	<p>शून्य (प्रभावहीन)</p>
33	<p>कोई योजना नहीं</p>	<p>देयत देयताओं का भुगतान किए जाने की तारीख से निगम के लेखा बहियों में देयताओं को लगतार 5 वर्षों (सरकारी पार्टियों के लिए) 3 वर्षों (अन्य पार्टियों के लिए) लेखाबद्ध किया जाता है छठे वर्ष या चौथे वर्ष, जैसा भी मामला हो, इन देय देयताओं/व्यापार राशि को निगम के लेखा बहियों में पुरांकित किया जाता है तथा यथोचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत इन्हें आय (प्रचालन/गैर प्रचालन) में जमा किया जाता है। भविष्य में उपरोक्त देयताओं पर दावे/वास्तविक भुगतान (यदि कोई हो) उत्पन्न होते हैं तो उन्हें भुगतान/निपटान वाले वर्ष में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।</p>	<p>शून्य (प्रभावहीन)</p>

**2. सिविल अनुबंधों पर पूंजी प्रतिबद्धता :**

31.03.2022 को निष्पादित किए जाने वाले शेष पूंजी लेखा पर सिविल ठेकों की अनुमानित राशि 18719.22 लाख रु. (गत वर्ष 11122.55 लाख रु. है)।

**3. अभियांत्रिकी ओवरहेड्स का आबंटन**

लेखांकन नीति संख्या-14 के अनुसार 1293.68 लाख रु. (गत वर्ष 1199.42 लाख रु.) की राशि के अभियांत्रिकी ओवरहेड्स को वर्ष के दौरान निगम द्वारा किए गए पूंजी कार्यों के लिए आबंटित किया गया है।



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

4. राजस्व मान्यता

क) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उनके पत्र दिनांक 02 फरवरी, 2022 के पत्र संख्या एफ.सं.6-21/2019-एसजी-1 के अनुसार) ने वर्ष 2019-20 के लिए आरक्षण के आधार पर एफसीआई स्टॉक के लिए भंडारण दरों को संशोधित कर 5.39 रु. से 5.07 रु. प्रति बैग प्रति माह कर दिया है। 01.04.2019 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए ऐसे स्टॉक के संबंध में 5726.75 लाख रु. के आय को चालू वर्ष में रिवर्स किया गया है। वर्ष 2021-22 की आय 5.07 रु. प्रति बैग प्रति माह की दर से लेखाबद्ध की गई है इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया है।

ख) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन के उद्देश्य से असाधारण मदें

केन्द्रीय भंडारण निगम सेंट्रल वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन नियम, 1963 के नियम 45 के तहत निर्धारित खातों के प्रारूप का पालन कर रहा है। उपरोक्त असाधारण वस्तुओं को दर्शाने के लिए कोई लाइन आइटम नहीं है। तदनुसार, उपरोक्त के आधार पर, निगम के प्रचालन से राजस्व और कर पूर्व लाभ (पीबीटी) डीपीई द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 10 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एम-03/0003/2020-डीपीई (एमओयू) द्वारा जारी किए गए एमओयू दिशानिर्देशों के अनुरूप है। उपरोक्त 4 (ए) पर उपर्युक्त असाधारण मदों पर विचार करने से पहले पुनर्गणना की गई और निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है:

वित्तीय वर्ष 2021-22	प्रचालन से राजस्व (₹.लाख में)	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (₹.लाख में)
असाधारण मदों पर विचार करने के बाद राशि	213055.14	58973.12
जोड़ें: असाधारण मदें	5726.75	5726.75
असाधारण वस्तुओं पर विचार करने से पूर्व राशि	218781.89	64699.87

5. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

(क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में लेन-देन नहीं किया गया है।

(ख) वर्ष के दौरान 4.18 लाख रु. (आय) (गत वर्ष 3.43 लाख रु. (व्यय)) के निवल विनिमय अन्तर को मान्यता दी गई जो विदेशी मुद्रा में निवल भुगतान/प्राप्ति योग्य से संबंधित है।

6. सरकारी अनुदान:

वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी अनुदान की प्राप्ति एवं उपयोगिता तथा दिनांक 31.03.2022 को उनके शेष का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(लाख रु. में)

क्र. सं.	उद्देश्य	केन्द्र का नाम	अथ शेष	वापिस किया गया अनुदान	अंत शेष
क	पूँजी अनुदान		क	ख	ग = (क-ख)
1	पुराक्कड़, अलीप्पे में गोदाम का निर्माण-केरल सरकार से प्राप्त (#क) वित्त वर्ष 2014-15	सै.वे. पुराक्कड़	488.00	-	488.00
2	पिपावाव (गुजरात) में सीएफएस की स्थापना-वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (#ख) वित्त वर्ष 2011-12	सीएफएस पिपावाव	155.64	155.64	-



### अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

3	आईसीडी-पटपड़गंज (दिल्ली) में आधुनिकीकरण एवं ऑटोमेशन सुविधा लगाना- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से प्राप्त (#ख) वित्त वर्ष 2012-13	आईसीडी पटपड़गंज	385.36	385.36	-
	<b>कुल अनुदान</b>		<b>1029.00</b>	<b>541.00</b>	<b>488.00</b>

#### #टिप्पणी:

- क) निगम ने मुख्य सचिव, केरल सरकार से 'केरल संरक्षण धान भूमि और आर्द्र भूमि अधिनियम 2008' में संशोधन करके केरल के अलाप्पुझा जिले के पुरक्कड़ (जिसके लिए सरकारी अनुदान स्वीकृत किया गया था) में गोदाम निर्माण जारी रखने की अनुमति के लिए संपर्क किया है ताकि किसी भी सरकारी संगठन को किसी भी गीली भूमि में निर्माण के लिए आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मामला मुख्य सचिव, केरल सरकार के कार्यालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
- (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.02.2022 के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय को 155.64 लाख रु. और 385.36 लाख रु. का अनुदान, 684.33 लाख रु. ब्याज और पिछले वर्ष के 78.23 लाख रु. अतिरिक्त ब्याज प्रावधान सहित 02.03.2022 को वापस कर दिए गए थे, को पुरांकित किया गया है।

### 7. कर्मचारी लाभ का प्रकटन

#### (क) परिभाषित अंशदान योजना

- (i) (क) वर्ष के लिए के.भ.नि. कर्मचारी भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान 2437.89 लाख रु. (गत वर्ष 2681.45 लाख रु.) है और प्रकार्यात्मक निदेशकों के लिए नियोक्ता का योगदान 14.71 लाख रु. है।
- (ख) वर्ष के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम पेंशन निधि में नियोक्ता का योगदान 1828.56 लाख रु. (गत वर्ष 2013.18 लाख रु.) है और प्रकार्यात्मक निदेशकों के लिए नियोक्ता का योगदान 11.04 लाख रु. है।
- (ii) (क) वर्ष के लिए केभनि सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ निधि में नियोक्ता का योगदान 1691.48 लाख रु. (गत वर्ष 656.30 लाख रु.) निर्धारित किया गया है और प्रकार्यात्मक निदेशकों के लिए नियोक्ता का योगदान 5.14 लाख रु. है।
- (ख) पीआरएमबी योजना में भाग लेने वाले सेवानिवृत्त तथा मौजूदा कर्मचारियों ने समूह 'क' को 1500/-रु., समूह 'ख' को 1200/-रु., समूह 'ग' को 900 रु. एवं समूह 'घ' को 600/-रु. का वार्षिक योगदान करना आवश्यक है।

#### (ख) परिभाषित लाभ योजना

- (i) कर्मचारी लाभ अर्थात् ग्रेच्युटी, छुट्टी लाभ एवं छुट्टी यात्रा रियायत का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन कर दिया गया है।
- (ii) 31.03.2022 को छुट्टी नकदीकरण के अंतर्गत देयता को "बीमा नियामक विकास प्राधिकरण" (आईआरडीए) द्वारा विधिवत अनुमोदित बीमा कंपनी (एलआईसी) से योग्य बीमा पॉलिसी के माध्यम से योजना संपत्ति के अंतर्गत निधिबद्ध किया जाता है और 31.03.2022 को वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किए जाते हैं। 31.03.2022 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर एलआईसी से 1396.09 लाख रुपये देय है।



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

(iii) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में निगम के पास ग्रेच्युटी एवं छुट्टी लाभ के सिवाय कोई योजना परिसम्पत्तियां नहीं हैं। योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का विवरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रु. में)

क्रम संख्या	विवरण	ग्रेच्युटी (निधिकारी)		छुट्टी लाभ (निधिकारी)		एलटीसी (अनिधिकारी)	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
01	अप्रैल को देयता का वर्तमान मूल्य	195.92	247.08	113.75	122.53	2.36	2.99
	जोड़ा : ब्याज लागत	11.65	16.80	7.06	8.33	0	0
	जोड़ा : चालू सेवा लागत	5.70	6.56	6.95	8.27	0.31	0.97
	जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
	जोड़ा : पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	0	0	0	0	0	0
	घटाया : प्रदत्त लाभ	(67.55)	(79.95)	(34.12)	(41.61)	(0.67)	(1.60)
	देयता में बीमाकित (लाभ)/हानि (संतुलन आंकड़ा)	3.99	5.43	0.86	16.23	0	0
31	मार्च को देयता का वर्तमान मूल्य	149.71	195.92	94.50	113.75	2.00	2.36
1	अप्रैल को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	189.91	238.88	108.65	0	0	0
	जोड़ा : योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित रिटर्न	12.91	16.24	7.39	0	0	0
	जोड़ा : योगदान	15.05	15.86	23.92	108.65	0	0
	जोड़ा : निधि ट्रांसफर (इन्वर्ड्स)	0	0	0	0	0	0
	घटाया : प्रदत्त लाभ	(67.55)	(79.95)	34.12	0	0	0
	योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमाकित (लाभ/हानि (संतुलन आंकड़ा)	(1.47)	(1.12)	0.21	0	0	0
31	मार्च को योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	148.85	189.91	106.05	108.65	0	0
	मानक के अनुसार तत्काल मान्यता दिए जाने वाले कुल बीमाकित मूल्यांकन लाभ/(हानि)	(5.46)	(6.56)	(0.65)	(16.23)	0	0
	निवेश पर रिटर्न से क्रेडिट (कर का निवल)	0	0	0	5.25	0	0
	लाभ एवं हानि लेखे में मान्य व्यय	9.90	13.68	7.27	27.58	0.31	0.97
	पूँजीकृत व्यय	0	0	0	0	0	0
	कुल व्यय	9.90	13.68	7.27	27.58	0.31	0.97





**अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ**

- (iv) मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात् प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) का प्रयोग करके कर्मचारियों के लाभ की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया।
- (v) कर्मचारी लाभ की देयताओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए गए बीमांकिक पूर्वानुमान निम्नलिखित हैं:-

वित्तीय पूर्वानुमान	ग्रेच्युटी		छुट्टी लाभ		एलटीसी	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
छूट दर	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की संभावित दर	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%	लागू नहीं	लागू नहीं
भविष्य में अनुमानित वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मार्टेलिटी 12-14 अंतिम
प्रतिवर्ष संघर्षण/निकासी दर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
औसत भावी कार्यशील अवधि (वर्ष में)	18.89	17.50	18.89	17.50	18.89	17.50

- (vi) इस वर्ष तथा गत चार वर्षों की परिभाषित लाभ देयता (योजना परिसम्पत्तियों का निवल) का वर्तमान मूल्य नीचे दिया गया है :-

(लाख रु. में)

परिभाषित लाभ	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
ग्रेच्युटी	85.89	601.84	820.07	640.41	8605.69
छुट्टी लाभ	(1155.03)	510.10	12252.79	12910.45	14085.90
एलटीसी	199.97	236.32	299.26	297.13	258.41

- (vii) निगम ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए समूह टर्म इश्योरेंस प्लान लिया है जिसमें मृत कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को सीमा के अनुसार यानी संबंधित कर्मचारी के वार्षिक मूल वेतन का 3.5 गुना मृत्यु मुआवजे का भुगतान किया जाएगा जो कि न्यूनतम बीमा कवरेज 30 लाख रु. और अधिकतम बीमा कवरेज 70 लाख रु. के अधीन होगा।

**(ग) 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एक अलग योजना/ट्रस्ट का गठन**

दिनांक 16.08.2021 को आयोजित निगम की 362वीं बैठक में निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय की स्वीकृति से वित्त वर्ष 2021-22 में 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों की चिकित्सा और अन्य आवश्यकताओं के लिए एक अलग योजना/ट्रस्ट का गठन किया जाएगा।

दिनांक 08.07.2009 के डीपीई दिशा-निर्देश पैरा 5 (iv) के अनुसार, योजना के संचालन के प्रारंभिक वर्ष में, योजना की फंडिंग के लिए गत वर्षों के 1.5 % से अधिक कर पूर्व लाभ की अनुमति नहीं होगी। आगामी वर्षों



### अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

में, आवश्यकता के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो कोष में अंशदान किया जाएगा। तथापि, किसी भी वर्ष, किसी भी मामले में गत वर्ष के कर पूर्व लाभ के 1.5 % से अधिक कोष में योगदान नहीं होगा।

चूंकि 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से एक अलग योजना की परिकल्पना की गई है। अतः उपर्युक्त डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8,48,32,600 /-रु. कर पूर्व लाभ (565.55 करोड़ रु.) का 1.5 % होने के कारण लेखाबही में प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त राशि 01.01.2007 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के वार्षिक पीआरएमबी खर्चों को 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों के बराबर करने के लिए पर्याप्त होगी।

#### 8. सेगमेंट रिपोर्टिंग

प्रबंधन की राय में निगम के पास कोई अलग-से रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है।

#### 9. संबंधित पार्टी प्रकटन

लेखांकन मानक 18 के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्नानुसार है:-

##### क) संबंधित पार्टियाँ और उनकी सम्बद्धता की सूची:

क्र. सं	संबंधित पार्टी का नाम	संबंध
i)	सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि.(सीआरडब्ल्यूसी)	सहायक कंपनी
ii)	19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (अनुसूची-III)	सहयोगी
	<b>मुख्य प्रबंधन कार्मिक</b>	
iii)	श्री अतीश चन्द्रा	अध्यक्ष
iv)	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	प्रबन्ध निदेशक
v)	श्री राकेश कुमार सिन्हा	निदेशक (कार्मिक)
vi)	श्री अमित कुमार सिंह	निदेशक (एम एंड सीपी)
vii)	श्री एस.चार्ल्स (30.04.2021 तक)	निदेशक (वित्त)
viii)	श्री अनुज कुमार (01.11.2021 से)	निदेशक (वित्त)

##### (ख) संबंधित पार्टियों से लेन-देन :

(लाख रु. में)

(i) सी.आर.डब्ल्यू.सी. (सहायक कम्पनी)	2021-2022
-निवेश 100% स्वामित्व सहायक कम्पनी	4056.00
-टर्म ऋण : 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष	2029.00
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्रदत्त	470.00
घटाया: वर्ष के दौरान प्राप्त	1132.18
31.03.2022 को अंत शेष	1366.82
-प्राप्य प्राप्त / ब्याज: 7.35% (01.04.2021 to 19.08.2021) 7.30% (20.08.2021 to 31.03.2022)	159.74
- प्राप्त लाभांश	850.00
- सीआरडब्ल्यूसी को प्रदान की गई पीसीएस सेवाएं	0.32



### अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

– सीआरडब्ल्यूसी को प्रदान की गई टर्मिनल प्रवेश एवं तौल सेवाएं	8.31
– ऑफिस एवं फ्लैट किराया एवं बिजली	54.33
<b>(ii) 19 राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) (सहयोगी)</b>	
– राज्य भण्डारण निगमों से प्राप्त लाभांश आय	2375.11
– उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	8.34
– गुजरात राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	343.92
– कर्नाटक राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	2.91
– असम राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त गोदाम किराया	7.87
– गुजरात राज्य भण्डारण निगम को प्रदत्त रॉयल्टी	4.09
<b>(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिक</b>	
(क) श्री अतीश चन्द्रा	शून्य
(ख) श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 86.45 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 1.20 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	87.65
– यात्रा खर्च	0.36
(ग) श्री राकेश कुमार सिन्हा	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 80.21 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.26 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	80.47
– यात्रा खर्च	0.90
(घ) श्री अमित कुमार सिंह	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 49.15 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.21 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	49.36
– यात्रा खर्च	2.61
(ड.) श्री अनुज कुमार	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 22.29 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.07 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	22.36
– यात्रा खर्च	0.63
(च) श्री एस.चार्ल्स	
– पारिश्रमिक (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अनुसार 55.09 लाख रु. वेतन एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत 0.03 लाख रु. की अनुलब्धियां सम्मिलित हैं)	55.12
– यात्रा खर्च	2.36



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ  
(iv) ट्रस्ट के साथ लेनदेन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	ट्रस्ट का नाम	वित्त वर्ष 2021-22
क.	के.भ.नि. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	6588.68
ख.	के.भ.नि. का परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) ट्रस्ट	2887.71
ग.	के.भ.नि. कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	641.45
घ.	के.भ.नि. कर्मचारी हितकारी ट्रस्ट	437.78
ड.	के.भ.नि. कर्मचारी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	1505.76

### 10. प्रति शेयर आय

वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या से वर्ष में इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को विभाजित करके मूल और मिश्रित ईपीएस राशि की निम्नानुसार गणना की जाती है:—

मूल एवं मिश्रित	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
क) वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ख) वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,80,210	6,80,210
ग) वर्ष के दौरान शेष इक्विटी शेयरों की वेटिड औसत संख्या	6,80,210	6,80,210
घ) प्रत्येक इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रु. में)	1000/-	1000/-
ड.) इक्विटी अंशधारियों के लिए उपलब्ध कर पश्चात् लाभ (राशि रु. में)	4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
प्रति इक्विटी शेयर आय – मूल (रु. में)	6623.80	6,441.75
प्रति इक्विटी शेयर आय – डायल्यूटेड (रु. में)	6623.80	6,441.75

नोट: बकाया शेयरों की संख्या की गणना निम्नानुसार की गई है:—

(663950 पूरी तरह से प्रदत्त शेयर \* 1000 / 1000) जमा (81300 आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर \* 200 / 1000)

### 11. आय पर कर

- इस वर्ष कर व्यय 13917.35 लाख रु. (गत वर्ष 12737.63 लाख रु.) हुआ जिसमें 12878.96 लाख रु. वर्तमान कर, आस्थगित कर 1043.30 लाख रु. और पिछले वर्ष का कर समायोजन 4.91 लाख रु. (क्रेडिट) समाविष्ट है।
- आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थागित कर देयताओं को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे बंद करने हेतु कानून लागू करने योग्य अधिकार हैं। दिनांक 31.03.2022 को निवल आस्थगित कर देयता 8400.96 लाख रु. (गत वर्ष 7357.66 लाख रु.) है जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

(लाख रु. में)

आस्थगित कर देयताएं		2021-22	2020-21
क.	स्थायी परिसम्पत्तियों के खंड में मूल्यहास और अन्य अंतर	17556.38	17648.92
ख.	आयकर प्रतिपूर्ति पर प्रोद्भूत ब्याज	(39.42)	0.00
<b>कुल</b>		<b>17516.96</b>	<b>17648.92</b>
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियां</b>			
क.	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	6510.43	7458.13
ख.	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	19.87	151.47
ग.	छुट्टी नकदीकरण, विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, दर, कर एवं शुल्क आदि	1884.28	1686.47
घ.	अनिश्चित देयताओं के लिए प्रावधान	701.42	995.19
<b>कुल</b>		<b>9116.00</b>	<b>10291.26</b>
<b>आस्थगित कर देयताएं (निवल)</b>		<b>8400.96</b>	<b>7357.66</b>

iii. अपीलीय अधिकारी के अनुकूल निर्णयों को देखते हुए निर्धारण वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए दिनांक 31.03.2022 को आयकर विभाग से 5693.94 लाख रु. वसूली योग्य राशि है। इसकी वसूली आयकर विभाग से की जा रही है।

iv. निगम ने कराधान नियम (संशोधित) अधिनियम, 2019 द्वारा शुरू किए गए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमति योग्य विकल्प का प्रयोग किया है।

12. सहायक/संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी

(क) निगम की अपनी सहायक कम्पनी, सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लि., (सीआरडब्ल्यूसी) में 4056.00 लाख रु. की 100 प्रतिशत इक्विटी है, इनके लेखों के अनुसार वित्तीय विवरण निम्नानुसार हैं:

(लाख रु. में)

विवरण	2021-22 (लेखा परीक्षित)	2020-21 (लेखा परीक्षित)
सकल राजस्व	12854.61	9813.29
सकल व्यय	8600.74	7222.76
कर पूर्व लाभ	4253.87	2590.53
कर पश्चात् लाभ	3165.27	1936.84
परिसम्पत्तियां	23136.99	21926.77
पूंजी एवं आरक्षित	16806.90	14491.63
देयताएं	6330.09	7435.14
आकस्मिक देयता	2514.32	1038.53



**अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ**

- (ख) निगम ने वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 की धारा 19(2) के संबंध में अपनी सहयोगी अर्थात् 19 राज्य भंडारण निगमों (एसडब्ल्यूसी) की अंशपूजी में निवेश किया है। इन एसडब्ल्यूसी के दिनांक 31.3.2022 को लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त न होने के कारण इनकी परिसम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं, आय तथा व्यय में निगम के शेयर को प्रकट नहीं किया गया है।
- (ग) वेअरहाउसिंग कारपोरेशंस अधिनियम, 1962 जिसके तहत निगम का गठन हुआ है, के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार एवं प्रस्तुत करने की विशेष आवश्यकता बताई नहीं गई है। परिणामस्वरूप इन्हें तैयार नहीं किया गया है।

**13. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ**

- i) वर्ष के प्रारम्भ एवं अंत में सकल अग्रणीत राशि, संचित परिशोधन राशि और वर्ष के प्रारम्भ एवं अन्त में अमूर्त परिसम्पत्तियों की अग्रणीत राशि का समाशोधन 'स्थायी परिसम्पत्तियाँ' की अनुसूची- II में दिया गया है।
- ii) वर्ष 2005-06 में, निगम ने श्रेणी-I मार्गों पर कटनेर ट्रेनों के संचालन के लिए भारतीय रेलवे को 5000 लाख रु. के पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और दिनांक 04.01.2007 को निगम और भारतीय रेल के बीच एक रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे केन्द्रीय भण्डारण निगम वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए कटनेर ट्रेन चलाने का पात्र है जो उसी तारीख से प्रारंभ भी हो गया है। 5000 लाख रु. की पंजीकरण शुल्क को अमूर्त परिसम्पत्ति समझा गया है। अतः कटनेर ट्रेनों को चलाने के लिए भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ करने की तारीख से 20 वर्ष की (उपयोगी अवधि) के लिए परिशोधित किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2022 को केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा भारतीय रेलवे को 1187.50 लाख रु. (गत वर्ष 1437.50 लाख रु.) पंजीकरण शुल्क की अपरिशोधित राशि का भुगतान किया गया।

**14. परिसम्पत्तियों में क्षीणता**

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान कोई क्षीणता हानि नहीं हुई है।

**15. आकस्मिक देयताएं एवं गारन्टी**

(लाख रु.में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	प्रारंभ पर कमी	वर्ष के दौरान वृद्धि	31.03.2022 के अनुसार
(क)	निगम के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और इनमें निगम के विरुद्ध आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों एवं अन्यो के द्वारा किए गए वह दावे शामिल हैं जो मध्यस्थता/न्यायालय में हैं।				
	i) केन्द्रीय सरकार के विभाग	2431.81	687.31	1945.47	3689.97
	ii) राज्य सरकार के विभाग या स्थानीय निकाय	16140.25	446.92	1463.34	17156.67
	iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	3663.74	1085.22	2228.79	4807.31
	iv) अन्य (उपरोक्त में कवर नहीं)	27842.39	541.03	1848.83	29150.19
	कुल (क)	50078.19	2760.48	7486.43	54804.14
गारंटी				31.03.2021	31.03.2022
(ख)	बैंक गारंटी के लिए दी गई काउंटर गारंटी			394.97	445.52
(ग)	कस्टम विभाग को प्रस्तुत किए गए अभिरक्षक गारंटी बांड			470531.75	537633.75

## अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

देयता, यदि कोई हो, जो कुछ कर्मचारियों/भूतपूर्व कर्मचारियों के विवादित दावों; जमाकर्ताओं/ठेकेदारों/गोदाम के मालिकों के साथ मध्यस्थम मामलों तथा ब्याज/दण्ड/कानूनी खर्चों के कारण हो सकती है और जो राशि निश्चित नहीं है, उन्हें आकस्मिक देयताओं में प्रकट नहीं किया गया है।	
निगम द्वारा विवादित दावों के संबंध में मुख्य आकस्मिक देयताएं कुल दावों का 2 प्रतिशत से अधिक हैं जो उपरोक्त कम संख्या (क) में शामिल की गई, निम्नानुसार हैं :	
(i)	सै.वे. टीडब्ल्यू- I, टीडब्ल्यू- II, एम.एस.जेठा एवं वडाला के संबंध में ब्याज सहित किराए का बकाया, दरें एवं करों आदि के लिए मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए 12850.00 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।
(ii)	सीएफएस-कालम्बोली में ट्रेन लिंकड सुविधा के निर्माण खर्च, गोदाम किराया, घरेलू प्रचालन प्रभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 6456.75 लाख रु. तथा उस पर 1599.46 लाख रु. ब्याज का दावा।
(iii)	आईसीडी-लोनी में निगम द्वारा कंटेनर ट्रेन चलाने पर जांच प्रभारों, सेवा प्रभारों, भूमि किराया, हैंडलिंग प्रभार, ईंधन अधिभार आदि के संबंध में सामो द्वारा 5131.85 लाख रु. के दावे तथा उस पर ब्याज का दावा।
(iv)	पूर्व स्ट्रैटेजिक एलाइंस मैनेजमेंट ऑपरेटर (सामो) पीपीडब्ल्यूपीएल द्वारा सीएफएस- व्हाइटफील्ड पर 4113.11 लाख रु. का दावा।
(v)	कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा वर्ष के लिए 31.03.22 तक लाइसेंस शुल्क अंतर के लिए किए गए 2152.20 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।
(vi)	चर्चगेट, मुम्बई के किराये में कम लाभ के कारण मकान मालिक मै. बल्डोता ब्रदर्स ट्रस्ट द्वारा 1514.93 लाख रु. का दावा।
(vii)	भंडारण एवं मार्गस्थ हानियों के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया गया 1373.97 लाख रु. का दावा।
(viii)	कोलकाता (श्यामा प्रसाद मुखर्जी) पोर्ट ट्रस्ट द्वारा स्ट्रैंड बैंक रोड पर गोदाम किराये के लिए 1448.66 लाख रु. का दावा।
(ix)	सीएफएस व्हाइटफील्ड के संपत्ति कर के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा 1065.81 लाख रु. के दावे के लिए निगम के साथ विवाद है।

### 16. खर्चों का प्रावधान एवं पूंजी कार्य

“प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों” पर ए.एस. 29 के अनुपालन में खर्च एवं पूंजी कार्य के लिए प्रावधान पर अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है:-

(लाख रु.में)

अथशेष 01.04.2021 को	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान प्रयोग/खर्च/वापिस की गई राशि	अंत शेष 31.03.2022 को
6271.65	2800.43	4052.33	5019.75*

\* पूंजी कार्य के लिए 2232.81 लाख रु.का प्रावधान शामिल हैं।

### 17. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण बट्टे खाते में

निगम ने लाभ और हानि खाते में प्रभारित करके अशोध्य और संदिग्ध ऋण (ऐसे मामलों में जहां वसूली योग्य राशि के विरुद्ध प्रावधान मौजूद है) को बट्टे खाते में डाल दिया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, बट्टे खाते में डाले गए कुल अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि 4262.45 लाख रु. है, जिसमें से 4105.37 लाख रु. वसूली योग्य राशियों से संबंधित है, जिसके विरुद्ध अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बहीखातों में विद्यमान था और 157.08 लाख रु. की राशि अशोध्य ऋणों से संबंधित है जो प्रत्यक्ष रूप से लाभ और हानि खाते से प्रभारित है, जिसके विरुद्ध कोई प्रावधान नहीं है।



## अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

### 18. गत वर्ष की शेष राशि का पुनर्वर्गीकरण

- (i) सीएसआर खर्च को छोड़कर गत वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुनः तैयार, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- (ii) गत वर्ष देय सांविधिक देय (अनुसूची संख्या v-बकाया देयताएं) के तहत सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों और छुट्टी लाभों के प्रावधान को दर्शाया गया था। चूंकि ये वेतन और भत्तों से संबंधित हैं, इन्हें अनुसूची संख्या VI में "वेतन और भत्तों के प्रावधान" के तहत पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- (iii) पीसीएस व्यय जो कि गत वर्ष अनुसूची संख्या XIX-"विविध व्यय" के तहत दर्शाये गए थे, को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और लाभ और हानि खाते में एक अलग लाइन आइटम के रूप में दर्शाया गया है।
- (iv) समूह सावधि बीमा के लिए देय बीमा दावा और देयता गत वर्ष के तहत "विविध लेनदारों" के तहत दर्शाया गया था (अनुसूची संख्या v-बकाया देयताएं) को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और "अन्य देयताओं" के तहत दर्शाया गया है।

### 19. बकाया पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्य, अग्रिम और व्यापार देय के तहत दिखाए गए बकाया पुष्टिकरण के अधीन हैं। निगम पार्टियों को पुष्टि के लिए पत्र भेज रहा है। निगम को इसकी वसूली/भुगतान के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की उम्मीद नहीं है। यदि कोई विसंगति दर्ज की जाती है तो उचित समाधान और अंततः समायोजन, यदि कोई हो, किया जाएगा।

### 20. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सुस्थिर विकास (एसडी)

निगमित सामाजिक दायित्व और सुस्थिरता पर लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 21.10.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ नं.15(13)/2013-डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों सहित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार निगम को वर्ष 2021-22 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व पर 793.58 लाख रुपये की राशि खर्च करना अपेक्षित था।

वर्ष के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत खर्च की गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रु. में)

क्रम सं.	विवरण	नकद भुगतान	भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी भी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अलावा कोई अन्य उद्देश्य	802.52	-	802.52
क.	वित्तीय वर्ष 2020-21 की अव्ययित राशि	-	-	-
ख.	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय की गई राशि	802.52	-	802.52

**नोट :** सीएसआर व्यय केन्द्रीय भण्डारण निगम की सामान्य व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा नहीं है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 802.52 लाख रुपये के सीएसआर व्यय को लाभ-हानि विनियोग खाते के माध्यम से लाभ में से विनियोजित किया गया है।

### 21. हितकारी निधि

हितकारी निधि की स्थापना वर्ष 1989-90 में कर्मचारी कल्याण के उद्देश्य से की गई थी। हितकारी निधि के





## अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

प्रबंधन हेतु हितकारी निधि ट्रस्ट की स्थापना की गई तथा ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए एवं 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट हेतु पंजीकरण किया। वर्ष के दौरान 450.56 लाख रु. (गत वर्ष 438.17 लाख रु.) अर्थात् कर-पश्चात् लाभ का 1% हितकारी निधि के लिए आरक्षित में विनियोजित किया गया। वर्ष के दौरान हितकारी निधि ट्रस्ट में 438.17 लाख रु. का योगदान किया गया था। निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद 31.03.2022 को हितकारी निधि में शेष आरक्षित 450.56 लाख रु. (गत वर्ष 437.78 लाख रु.) को हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान कर दिया जाएगा।

### 22. लाभांश

- (i) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, निगम ने अपने निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से 14124.82 लाख रुपये के लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित लाभांश को आईसीएआई द्वारा जारी एएस 4 (पैरा 14) के अनुसार बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 12711.81 लाख रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
- (ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निगम ने अपने अंशधारियों को निम्नलिखित लाभांश का भुगतान किया है:-
- क. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 1590.68 लाख रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरिम लाभांश के रूप में 11556.20 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देय लाभांश की राशि 13146.88 लाख रुपये है।
- ख. प्रशासनिक मंत्रालय के दिनांक 19 अगस्त 2021 के पत्र सं. 9-40/2018-एसजी-I के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 680.45 लाख रुपये अतिरिक्त लाभांश का भुगतान किया गया है। निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय से एजीएम की मंजूरी के साथ दिनांक 02.11.2020 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान से छूट के लिए और उन्हें कर पश्चात् लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए दीपम को अपना अनुरोध अग्रपिहित करने का अनुरोध किया था। इसे मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।
- ग. प्रशासनिक मंत्रालय के 12 जनवरी, 2022 के पत्र सं. 9-40/2018-एसजी-I (362902) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अतिरिक्त लाभांश 3114.01 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अपने निवल मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान से छूट के लिए और उन्हें कर पश्चात् लाभ (पीएटी) का 30 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए दीपम से अनुरोध किया था। इसे दीपम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

### 23. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(लाख रु. में)

मद सं.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत अपेक्षित प्रकटन	31.03.2022 को	31.03.2021 को
i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है :		
	(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	2229.65	शून्य
	(ख) उपर्युक्त पर देय ब्याज	शून्य	शून्य



अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

ii)	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	0.066	शून्य
iii)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना किया गया है)	शून्य	शून्य
iv)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत तक प्रोदभूत तथा भुगतान न की गई ब्याज राशि	0.073	शून्य
v)	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक, जब एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के उद्देश्य से उपर्युक्त अनुसार देय ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की जाती है।	शून्य	शून्य

ulw % उपर्युक्त जानकारी उन पार्टियों के संबंध में दी गई है जिनकी पहचान निगम के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर की गई है।

**24. वेअरहाउसिंग निधि**

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन, 1962 की धारा 16 के अनुसार निगम द्वारा वेअरहाउसिंग निधि का रख-रखाव किया जा रहा था जिसका वर्ष 2010-11 में पूरी तरह उपयोग हो गया था। अतः इसके लिए कोई लेखा तैयार नहीं किया गया।

**25. खातों का प्रारूप**

- निगम केन्द्रीय भण्डारण निगम नियम, 1963 के नियम 45 के तहत सुझाये गए फॉर्मेट में वार्षिक लेखा और बैलेंस शीट का वार्षिक विवरण तैयार कर रहा है जिसमें शामिल हैं :
  - वेअरहाउसिंग फंड का वार्षिक लेखा जिसमें शामिल हैं :-
    - फॉर्म "ए ए" के रूप में बैलेंस शीट
    - फॉर्म "बी" में आय और व्यय खाता; तथा
  - सामान्य निधि का वार्षिक लेखा जिसमें शामिल हैं:-
    - फॉर्म "सी" में बैलेंस शीट
    - फॉर्म "डी" में लाभ और हानि लेखा;
    - फॉर्म "ई" में लाभ और हानि विनियोग लेखा
- गत कुछ वर्षों में इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों में विभिन्न परिवर्तनों के कारण, वार्षिक लेखा विवरण और बैलेंस शीट में बेहतर प्रस्तुति और प्रकटन के लिए एक लाइन आइटम जोड़ा गया/हटाया गया (प्रासंगिक नहीं)
- निगम के निदेशक मंडल ने 02.07.2021 को आयोजित अपनी 360 वीं बैठक में सीडब्ल्यूसी (वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशंस अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित) को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी में बदलने



## अनुसूची- XXIX: लेखों के अंग के रूप में टिप्पणियाँ

के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, निगम को कंपनी ट्रांसफर और अधिकृत करने के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट (डीसीएन) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को भेज दिया गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

- 26. सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) का केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) में विलय**
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने दिनांक 06.07.2021 (12.07.2021 को प्राप्त) के पत्र संख्या एफ.नं. 9-32/2020-एसजी-1 द्वारा रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) का केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के साथ विलय पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत कराया है। तत्पश्चात, रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड द्वारा 13.08.2021 को आयोजित अपनी 75वीं निदेशक मंडल की बैठक में और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा 01.09.2021 को आयोजित अपनी 363वीं निदेशक मंडल की बैठक में विलय की योजना को मंजूरी दी गई थी।

तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत 30.09.2021 को कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमओसीए) विलय के लिए आवेदन दिया गया था। एमओसीए ने सीआरडब्ल्यूसी द्वारा दायर आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2021 के माध्यम से एनसीएलटी को आवेदन स्थानांतरित करने के निर्देश के साथ वापस कर दिया। सीडब्ल्यूसी के साथ सीआरडब्ल्यूसी के विलय का आवेदन 22.11.2021 को एनसीएलटी, दिल्ली बेंच के पास दायर किया गया था। फिलहाल मामला एनसीएलटी में लंबित है।

प्रशासनिक मंत्रालय को उनके पत्र में दिए गए निदेश के अनुसार इस संबंध में की गई कार्रवाई पर प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भेजी जा रही है।

## 27. कोविड-19 महामारी का प्रभाव

कोविड-19 महामारी के प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा 11 मार्च, 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। भारत में दूसरी लहर मार्च, 2021 में शुरू हुई और अप्रैल, 2021 में ये चरम सीमा पर थी। पहली लहर की तुलना में, दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई। पहली लहर के दौरान, भारत सरकार ने मामलों के बढ़ने से पहले तुरंत देशव्यापी लॉकडाउन, अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध और कई अन्य सख्त उपाय (कोविड उपयुक्त व्यवहार) लागू कर दिए थे। दूसरी लहर के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया गया था, बल्कि इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता के आधार पर लगाया गया था।

निगम ने भी स्थिति की बारीकी से निगरानी की और मानव जाति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए। निगम ने अपने संचालनों को बनाए रखा और निरंतर कारोबार जारी रखा। वर्ष के दौरान निगम के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

- 28.** निगम के पास पट्टेदार के रूप में कोई परिचालन पट्टा व्यवस्था नहीं है और अतः आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 19 के अनुसार किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है।



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी-प्रवाह विवरण

विवरण	इस वर्ष		गत वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
<b>क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:</b>				
कर पूर्व निवल लाभ		5,89,73,12,275		5,65,55,06,691
समायोजन के लिए :				
मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं क्षीणता हानि	92,68,15,959		85,34,91,696	
पूर्व अवधि मूल्य ह्रास	38,71,666		1,66,81,174	
पीआरएमएस की पूर्व सेवा लागत का परिशोधन	-		86,62,258	
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-		65,03,85,175	
ब्याज खर्च	76,45,504		89,23,058	
परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि/परिसंपत्तियां बट्टे खाते में	3,67,15,829		2,40,85,620	
सीएसआर एवं सुस्थिर विकास	(8,02,51,711)		-	
बट्टे खाते में डाली जाने वाली प्रक्रिया	14,873		-	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में	42,62,45,623		4,70,21,225	
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	(11,67,173)		(1,01,23,731)	
राज्य भंडारण निगमों से लाभांश आय	(23,75,10,583)		(11,73,18,374)	
सीआरडब्ल्यूसी से लाभांश आय	(8,50,00,000)		(12,39,64,760)	
ब्याज आय	(54,82,51,821)		(55,19,03,939)	
विदेशी मुद्रा विनिमय में अन्तर	(4,18,046)		3,43,040	
अधिक देयताएं/पुरांकित/समायोजित	(96,14,97,190)		(10,12,91,876)	
अतिरिक्त मूल्यह्रास पुरांकित/समायोजित	(17,04,408)		(7,56,049)	
		<b>(51,44,91,478)</b>		<b>70,42,34,517</b>
<b>कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ</b>		<b>5,38,28,20,797</b>		<b>6,35,97,41,208</b>
व्यापार तथा अन्य प्राप्तियाँ	(2,13,39,45,787)		5,01,18,875	
इन्वेंटरीज	(37,92,543)		(1,69,99,615)	
सहायक कंपनी (सीआरडब्ल्यूसी) को देय/वसूली योग्य राशि	-		9,492	
देयताएं तथा प्रावधान	28,65,39,339		(3,22,35,54,737)	
		<b>(1,85,11,98,991)</b>		<b>(3,19,04,25,985)</b>
<b>प्रचालन कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी</b>		<b>3,53,16,21,806</b>		<b>3,16,93,15,223</b>
आयकर प्रदत्त		<b>(72,73,08,979)</b>		<b>(18,69,28,527)</b>
<b>प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)</b>		<b>2,80,43,12,827</b>		<b>2,98,23,86,696</b>
<b>ख निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह</b>				
डब्ल्यूआईपी सहित स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(2,48,11,34,262)		(2,10,44,74,818)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति	(86,62,102)		2,70,55,898	
पीआईएलएच में निवेश	-		4,38,44,803	
छुट्टी लाभ निधि निवेश	-		1,22,52,78,504	
सीआरडब्ल्यूसी को दिया गया ऋण	6,62,17,717		(3,88,00,000)	
एसडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	23,75,10,583		11,73,18,374	



## 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष का नकदी-प्रवाह विवरण

विवरण	इस वर्ष		गत वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
सीआरडब्ल्यूसी से प्राप्त लाभांश	8,50,00,000		12,39,64,760	
प्राप्त ब्याज	54,36,51,369		68,48,72,987	
<b>निवेश कार्यक्रमों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ख)</b>		<b>(1,55,74,16,695)</b>		<b>7,90,60,508</b>
<b>ग वित्तीय कार्यक्रमों से नकदी प्रवाह</b>				
हितकारी निधि ट्रस्ट को भुगतान	(4,37,77,961)		(3,72,32,353)	
भारत सरकार को वापसी किया गया अनुदान	(5,41,00,000)		-	
प्रदत्त ब्याज	(8,45,42,055)		(35,14,900)	
प्रदत्त लाभांश	(1,80,94,19,316)		(1,11,61,54,333)	
<b>वित्तीय कार्यक्रमों में (प्रयुक्त) निवल नकदी (ग)</b>		<b>(1,99,18,39,332)</b>		<b>(1,15,69,01,586)</b>
<b>घ नकदी में निवल वृद्धि एवं समकक्ष नकदी (क+ख+ग)</b>		<b>(74,49,43,200)</b>		<b>1,90,45,45,618</b>
<b>ड वर्ष के आरंभ में नकदी एवं समकक्ष नकदी</b>		<b>9,20,42,22,203</b>		<b>7,29,96,76,585</b>
<b>वर्ष के अंत में नकदी एवं समकक्ष नकदी #</b>	<b>D + E</b>	<b>8,45,92,79,003</b>		<b>9,20,42,22,203</b>
<b># नकदी एवं बैंक शेष</b>				
नकदी एवं बैंक में 73569.41 लाख ₹ (गत वर्ष 75472.65 लाख ₹) का जमा शामिल		8,45,92,79,003		9,20,42,22,203
<b>कुल</b>		<b>8,45,92,79,003</b>		<b>9,20,42,22,203</b>

जहां कहीं आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत एवं पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

उपर्युक्त संदर्भित लेखों का अभिन्न भाग है  
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

(अनुज कुमार)  
निदेशक (वित्त)

(अरुण कुमार श्रीवास्तव)  
प्रबंध निदेशक

इसी तारीख को हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार  
कृते जे.के. सरावगी एण्ड कंपनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
एफआरएन: 006836 सी



(लक्ष्मण स्वरूप खण्डेलवाल)

पार्टनर

सदस्य सं. 009878

स्थान: ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)

दिनांक: 11.06.2022



केन्द्रीय भंडारण निगम

भारत के नियंत्रक एवं  
महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

2021-22



सीएफएस वाईटफिल्ड, बैंगलुरु



31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम के लेखों पर वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम की सामान्य निधि के वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी निगम के प्रबंधन की है। वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(3) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय यानि दि इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(5) के अधीन इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। दिनांक 11 जून, 2022 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा करने का वक्तव्य दिया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से वेअरहाउसिंग कॉरपोरेशन्स अधिनियम, 1962 की धारा 31(8) के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम की सामान्य निधि के संबंध में वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों की कार्यप्रणाली के कागजात को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांचों, निगम के कार्मिकों एवं लेखों के कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड की जांच-पड़ताल तक सीमित हैं।

अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जिससे अधिनियम की धारा 31(5) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक दिया जाए।

भारत के नियंत्रक एवं  
महालेखा परीक्षक के लिए एवं  
उनकी ओर से

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 19.09.2022

(कीर्ति तिवारी)  
महानिदेशक, लेखा परीक्षा  
(कृषि, खाद्य और जल संसाधन)

सैन्ट्रल वेअरहाउसों की सूची

एवं उनकी भण्डारण क्षमता

(आंकड़े मी. टन में)

31.03.2022 तक

**LIST OF CENTRAL WAREHOUSES**

**AND THEIR CAPACITY**

(Figures in Metric Tonnes)

AS ON 31.03.2022







क्षेत्र – अहमदाबाद  
REGION : AHMEDABAD

राज्य – गुजरात  
STATE : GUJARAT

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अहमदाबाद Ahmedabad	अहमदाबाद Ahmedabad	22422	0	0	0	22422
2	अहमदाबाद Ahmedabad	ईशानपुर Isanpur	0	0	6736	0	6736
3	अमरेली Amreli	पिपावाव Pipavav	60876	0	8925	0	69801
4	आनन्द Anand	आनन्द Anand	5663	0	0	0	5663
5	आनन्द Anand	वाडोड Vadod	20810	0	0	0	20810
6	भरुच Bharuch	झगडिया Jhagadia	0	0	0	0	0
8	भावनगर Bhavnagar	भावनगर Bhavnagar	16351	0	0	0	16351
9	जामनगर Jamnagar	जामनगर Jamnagar	24618	0	0	0	24618
10	जूनागढ़ Junagadh	पीईजी मालिया हतीना PEG Maliya Hatina	25000	0	0	0	25000
11	खेड़ा Kheda	नडियाड Nadiad	10202	0	8410	0	18612
11	खेड़ा Kheda	पीईजी नडियाड PEG Nadiad	5000	0	0	0	5000
12	कच्छ Kutch	सीएफएस कांडला पोर्ट CFS Kandla Port	5043	21273	0	0	26316
13	कच्छ Kutch	सीएफएस मुन्द्रा CFS Mundra	33625	87375	0	0	121000
14	कच्छ Kutch	गांधीधाम (हायर्ड) Gandhidham (Hired)	0	0	32378	0	32378
15	कच्छ Kutch	गांधीधाम (हायर्ड)(सीसीआई) Gandhidham (Hired) [CCI]	0	0	0	4839	4839
16	कच्छ Kutch	मुन्द्रा Mundra	85816	0	0	0	85816
17	राजकोट Rajkot	राजकोट Rajkot	29059	0	0	0	29059
18	सूरत Surat	सूरत Surat	25171	0	0	0	25171
19	वडोदरा Vadodara	बड़ौदा-1 Baroda-1	19619	0	0	0	19619
20	वडोदरा Vadodara	आईसीडी-दशरथ ICD Dashrath	0	0	17553	0	17553

क्षेत्र – अहमदाबाद  
REGION : AHMEDABADराज्य – गुजरात  
STATE : GUJARAT

21	वड़ोदरा Vadodara	कराचिया Karachia	17075	5566	0	631	23272
22	वलसाड Valsad	आईसीडी-वालवाडा ICD Valvada	0	0	22200	0	22200
		<b>कुल (22) TOTAL (22)</b>	406350	114214	96202	5470	622236

\* सीसीआई प्रबंधन क्षमता

\*CCI MANAGEMENT CAPACITY

क्षेत्र – बेंगलूरु  
REGION : BENGALURUराज्य – कर्नाटक  
STATE : KARNATAKA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बेंगलूरु Bangaluru	बेंगलूरु-I/ एपीएमसी Bangaluru-I/ Apmc	25535	6626	0	0	32161
2	बेंगलूरु Bangaluru	आर.वी.लेआउट / बेंगलूरु-V R.V. Layout/ Bang-v	5469	0	0	0	5469
3	बेंगलूरु Bangaluru	सीएफएस, व्हाइटफील्ड CFS, Whitefield	24080	31740	0	0	55820
4	बेंगलूरु Bangaluru	दोधाबल्लापुरा Doddaballapura	0	0	4317	0	4317
5	बेलगाम Belgaum	बेलगाम Belgaum	15950	48	0	0	15998
6	बेलगाम Belgaum	सोनदत्ती Soundatti	9000	0	0	0	9000
7	बिदर Bidar	बिदर Bidar	24920	0	0	0	24920
8	दक्षिण कन्नड़ Dakshin Kannada	माननगुड्डा Mannagudda	13410	2869	0	0	16279
9	दक्षिण कन्नड़ Dakshin Kannada	पानाम्बुर (सीएफएस) Panambur (CFS)	15248	0	0	0	15248
10	दावणगेरे Davangere	दावणगेरे Davangere	23313	0	0	0	23313
11	धारवाड़ Dharwad	धारवाड़ Dharwad	23333	0	0	0	23333
12	धारवाड़ Dharwad	हुबली Hubli	19311	0	0	0	19311
13	गडग Gadag	गडग-II Gadag-II	34712	0	0	0	34712
14	गडग Gadag	गडग-I Gadag-I	23500	0	0	0	23500
15	गडग Gadag	नारगुण्ड Nargund	10000	0	0	0	10000



क्षेत्र – बेंगलूरु  
REGION : BENGALURU

राज्य – कर्नाटक  
STATE : KARNATAKA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
16	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-I Gulbarga-I	9780	0	0	0	9780
17	गुलबर्गा Gulbarga	गुलबर्गा-II Gulbarga-II	84369	0	0	0	84369
18	गुलबर्गा Gulbarga	सेदम Sedam	3000	0	0	0	3000
19	मंड्या Mandya	मंड्या Mandya	0	0	5500	0	5500
20	रायचूर Raichur	रायचूर Raichur	0	0	10100	0	10100
21	शिमोगा Shimoga	शिकारीपुर Shikaripur	10500	0	0	0	10500
22	शिमोगा Shimoga	शिमोगा Shimoga	0	0	8691	0	8691
23	तुमकुर Tumkur	तुमकुर Tumkur	25480	0	0	0	25480
24	विजयनगर Vijaynagar	होस्पेट Hospete	0	0	11700	0	11700
		<b>कुल (24) TOTAL : (24)</b>	<b>400910</b>	<b>41283</b>	<b>40308</b>	<b>0</b>	<b>482501</b>

क्षेत्र – भोपाल  
REGION : BHOPAL

राज्य – मध्य प्रदेश  
STATE : MADHYA PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बालाघाट Balaghat	बालाघाट Balaghat	21750	0	0	0	21750
2	भिंड Bhind	भिंड Bhind	21123	0	0	0	21123
3	भिंड Bhind	मालनपुर Malanpur	16000	0	0	0	16000
4	भोपाल Bhopal	भोपाल-I Bhopal-I	43045	0	0	0	43045
5	भोपाल Bhopal	भोपाल-II Bhopal-II	0	0	8962	0	8962
6	बुरहानपुर Burhanpur	बुरहानपुर Burhanpur	27541	0	0	0	27541
7	छत्तरपुर Chhatarpur	छत्तरपुर Chhatarpur	0	0	3070	0	3070



क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
8	छिंदवाड़ा Chhindwara	छिंदवाड़ा Chhindwara	20600	0	0	0	20600
9	धार Dhar	पिथमपुर Pithampur	17845	0	0	0	17845
10	ग्वालियर Gwalior	ग्वालियर Gwalior	21196	0	0	0	21196
11	होशंगाबाद Hoshangabad	सोहागपुर Sohagpur	5948	0	0	0	5948
12	इंदौर Indore	इंदौर- I Indore -I	16098	167	0	0	16265
13	इंदौर Indore	इंदौर -III Indore-III	18500	0	0	0	18500
14	इंदौर Indore	इंदौर -IV Indore-IV	19731	0	0	0	19731
15	इंदौर Indore	इंदौर -V Indore-IV	22182	555	0	0	22737
16	इंदौर Indore	सांवेर Sanwer	7825	0	0	0	7825
17	कटनी Katni	कटनी Katni	28278	0	0	0	28278
18	खण्डवा Khandwa	खण्डवा-बी.डी Khandwa B.D	103400	0	0	0	103400
19	मुरैना Morena	मुरैना-I Morena-I	31776	0	0	0	31776
20	मुरैना Morena	मुरैना-II Morena-II	43380	0	0	0	43380
21	नरसिंहपुर Narsinghpur	नरसिंहपुर Narsinghpur	29434	0	0	0	29434
22	शाजापुर Shajapur	मक्सी Maksi	32867	0	0	0	32867
23	श्योपुरकलां Sheopurkalan	श्योपुरकलां -I Sheopurkalan-I	13987	0	0	0	13987
24	श्योपुरकलां Sheopurkalan	श्योपुरकलां -II Sheopurkalan-II	40930	0	0	0	40930
		<b>कुल (24) TOTAL: (24)</b>	<b>603436</b>	<b>722</b>	<b>12032</b>	<b>0</b>	<b>616190</b>



क्षेत्र – भोपाल

राज्य – छत्तीसगढ़

REGION : BHOPAL

STATE : CHHATTISGARH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बलोदा बाजार Baloda Bazar	भाटापारा-I Bhatapara-I	28735	0	0	0	28735
2	बलोदा बाजार Baloda Bazar	भाटापारा-II Bhatapara-II	35162	0	0	0	35162
3	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर-I Bilaspur-I	33269	0	0	0	33269
4	बिलासपुर Bilaspur	बिलासपुर -II Bilaspur-II	42400	0	0	0	42400
5	धमतरी Dhamtari	धमतरी Dhamtari	12528	0	0	0	12528
6	रायगढ़ Raigarh	रायगढ़-I Raigarh-I	13885	0	0	0	13885
7	रायगढ़ Raigarh	रायगढ़-II Raigarh-II	37144	0	0	0	37144
8	रायपुर Raipur	रायपुर-I Raipur-I	23108	0	0	0	23108
9	रायपुर Raipur	रायपुर-III Raipur-III	33446	0	0	0	33446
10	रायपुर Raipur	रायपुर-IV Raipur-IV	21678	0	0	0	21678
		<b>कुल (10) TOTAL : (10)</b>	<b>281355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281355</b>
		<b>**क्षेत्र की कुल क्षमता (35) **REGTOTAL: (35)</b>	<b>884791</b>	<b>722</b>	<b>12032</b>	<b>0</b>	<b>897545</b>

क्षेत्र – चंडीगढ़

राज्य – पंजाब

REGION : CHANDIGARH

STATE : PUNJAB

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अंबाला Ambala	नारायणगढ़ Naraingarh	36656	0	0	0	36656
2	भिवानी Bhiwani	भिवानी Bhiwani	0	0	15985	0	15985
3	भिवानी Bhiwani	चरखी दादरी Charkhi Dadri	16431	0	0	0	16431
4	फतेहाबाद Fatehabad	फतेहाबाद Fatehabad	0	0	5200	528	5728
5	फतेहाबाद Fatehabad	टोहना Tohana	30450	0	0	0	30450



क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
6	गुडगांव Gurgaon	गुडगांव Gurgaon	19335	2446	0	0	21781
7	हिसार Hissar	हिसार Hissar	28757	0	0	77	28834
8	हिसार Hissar	मण्डी आदमपुर Mandi Adampur	17250	0	0	0	17250
9	हिसार Hissar	उकलाना Uklana	0	0	5000	0	5000
10	जींद Jind	बीबीपुर Bibipur	15312	0	0	0	15312
11	जींद Jind	नरवाना Narwana	6000	0	0	0	6000
12	कैथल Kaithal	कैथल Kaithal	32016	0	0	0	32016
13	करनाल Karnal	असंध Assandh	28115	0	0	0	28115
14	करनाल Karnal	इन्द्री Indri	18502	0	0	0	18502
15	करनाल Karnal	करनाल-I Karnal -I	14434	0	21403	0	35837
16	करनाल Karnal	करनाल-III Karnal - III	89363	0	0	0	89363
17	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	0	0	5000	0	5000
18	कुरुक्षेत्र Kurukshetra	लाडवा Ladwa	28884	0	1634	0	30518
19	रोहतक Rohtak	रोहतक Rohtak	0	0	6693	0	6693
20	सिरसा Sirsa	सिरसा Sirsa	23752	0	0	0	23752
21	सोनीपत Sonapat	बरही Barhi	30596	7968	7968	0	46532
22	सोनीपत Sonapat	गोहाना Gohana	0	0	9915	0	9915
23	सोनीपत Sonapat	कुंडली Kundli	5250	749	0	0	5999
24	सोनीपत Sonapat	सोनीपत Sonapat	21901	0	0	0	21901
25	यमुनानगर Yamunanagar	जगाधरी Jagadhri	35670	0	9373	0	45043
		<b>कुल (25) ** TOTAL ** (25)</b>	<b>498674</b>	<b>11163</b>	<b>88171</b>	<b>605</b>	<b>598613</b>



क्षेत्र – चंडीगढ़

राज्य – चंडीगढ़ (यू.टी.)

REGION : CHANDIGARH

STATE : CHANDIGARH (U.T.)

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	चंडीगढ़ (के.शा.प्र.) Chandigarh (U.T.)	चंडीगढ़ Chandigarh	11634	54	0	0	11688
		<b>**कुल (1) **TOTAL (1)</b>	<b>1306524</b>	<b>12309</b>	<b>170777</b>	<b>605</b>	<b>1490215</b>

क्षेत्र – चंडीगढ़

राज्य – पंजाब

REGION : CHANDIGARH

STATE : PUNJAB

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अमृतसर Amritsar	अमृतसर बीडी Amritsar BD	68453	0	0	0	68453
2	अमृतसर Amritsar	अमृतसर वल्लाह Amritsar Vallah	25056	0	0	0	25056
3	अमृतसर Amritsar	आईसीपी अमृतसर ICP Amritsar	0	0	54714	0	54714
4	भटिंडा Bathinda	भटिंडा Bathinda	55085	0	0	0	55085
5	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	मण्डी गोविन्दगढ़ Mandi Gobindgarh	21750	0	0	0	21750
6	फतेहगढ़ साहब Fatehgarh Sahib	सरहिन्द Sirhind	17748	0	0	0	17748
7	फाजिल्का Fazilka	अबोहर-I Abohar-I	28219	0	0	0	28219
8	फाजिल्का Fazilka	अबोहर-II Abohar-II	0	0	10392	0	10392
9	फाजिल्का Fazilka	फाजिल्का Fazilka	13190	0	0	0	13190
10	गुरदासपुर Gurdaspur	गुरदासपुर Gurdaspur	9918	0	0	0	9918
11	गुरदासपुर Gurdaspur	पठानकोट बीडी Pathankot BD	52560	0	0	0	52560
12	होशियारपुर Hoshiarpur	गढ़शंकर Garshankar	18618	0	0	0	18618
13	होशियारपुर Hoshiarpur	होशियारपुर Hoshiarpur	18792	0	0	0	18792
14	जालंधर Jalandhar	भोगपुर Bhogpur	18474	0	0	0	18474



क्षेत्र – चंडीगढ़

REGION : CHANDIGARH

राज्य – हरियाणा

STATE : HARYANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
15	लुधियाना Ludhiana	लुधियाना Ludhiana	14553	0	0	0	14553
16	मानसा Mansa	मानसा Mansa	23229	0	7500	0	30729
17	मोगा Moga	अजीतवाल Ajitwal	0	0	10000	0	10000
18	मोगा Moga	मोगा-I Moga-I	20842	0	0	0	20842
19	मोगा Moga	मोगा-II Moga-II	137199	0	0	0	137199
20	मोहाली Mohali	मोहाली Mohali	21954	1092	0	0	23046
21	मुक्तसर Muktsar	मुक्तसर Muktsar	14094	0	0	0	14094
22	पटियाला Patiala	नाभा Nabha	14529	0	0	0	14529
23	पटियाला Patiala	नाभा बीडी Nabha BD	150388	0	0	0	150388
24	रोपड़ Ropar	चेनालोन Chanalon	18792	0	0	0	18792
25	रोपड़ Ropar	रोपड़ Ropar	22098	0	0	0	22098
			28900	6373	0		35273
		कुल (25) TOTAL : (25)	785541	1092	82606	0	869239

क्षेत्र – चंडीगढ़

REGION : CHANDIGARH

राज्य – हिमाचल प्रदेश

STATE : HIMACHAL PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	कांगड़ा Kangra	देहरा Dehra	5220	0	0	0	5220
2	मण्डी Mandi	मण्डी Mandi	2323	0	0	0	2323
3	सोलन Solan	सोलन Solan	3132	0	0	0	3132
		कुल (3) TOTAL : (3)	10675	0	0	0	10675
		क्षेत्र की कुल क्षमता (55) REGION TOTAL : (55)	1101897	520295	43595	0	1665787





क्षेत्र – चेन्नई

REGION : CHENNAI

राज्य – तमिलनाडु

STATE : TAMILNADU

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	चेन्नई Chennai	रोयापुरम Royapuram	5000	0	0	0	5000
2	चेन्नई Chennai	विरुगम्बकम / सीएफएस Virugambakam / CFS	58020	8063	0	0	66083
3	कोयम्बतूर Coimbatore	कोयम्बतूर Coimbatore	7500	2439	0	0	9939
4	कोयम्बतूर Coimbatore	सिंगनाल्लूर Singanallur	20368	0	0	0	20368
5	कुड्डालोर Cuddalore	चिदम्बरम Chidambaram	20400	0	0	0	20400
6	कुड्डालोर Cuddalore	कुड्डालोर Cuddalore	16000	0	0	0	16000
7	इरोड Erode	इरोड Erode	11620	0	0	0	11620
8	इरोड Erode	मूलापलयम Moolapalayam	14440	0	0	0	14440
9	कांचीपुरम Kancheepuram	क्रोमपेट Chromepet	76096	747	0	0	76843
10	कांचीपुरम Kancheepuram	एमईपीजेड MEPZ	5541	0	0	0	5541
11	कन्याकुमारी Kanyakumari	नागरकोइल Nagercoil	17180	0	0	0	17180
12	कृष्णागिरी Krishangiri	होसुर Hosur	35901	72	0	0	35973
13	मदुरै Madurai	मदुरै Madurai	41460	714	0	0	42174
14	थंजावुर Thanjavur	कुम्बाकोणम Kumbakonam	14050	0	0	0	14050
15	थंजावुर Thanjavur	थंजावुर Thanjavur	83500	78	0	0	83578
16	थिरुवल्लूर Thiruvallur	तिरुवोट्टियूर-डीपीई Thiruvottiyur- DPE	0	0	31108	0	31108
17	थिरुवल्लूर Thiruvarur	मनारगुडुडी Mannargudi	50600	0	0	0	50600
18	थूथुकुडुडी Thoothukudi	थूथुकुडुडी / सीएफएस Thoothukudi / CFS	25290	0	0	0	25290
19	थूथुकुडुडी Thoothukudi	तूतीकोरिन / डीपीई Tuticorin / DPE	0	0	19200	0	19200
20	तिरुपुर Tiruppur	उदमलपेट Udumalpet	5840	0	0	0	5840
21	थिरुवल्लूर Tiruvallur	अम्बातूर Ambattur	6098	54	0	0	6152



क्षेत्र – चेन्नई

REGION : CHENNAI

राज्य – तमिलनाडु

STATE : TAMILNADU

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
22	थिरुवल्लूर Tiruvallur	माधवरम सीएफएस Madhavaram CFS	10000	0	0	0	10000
23	त्रिचि Trichy	त्रिचि Trichy	107630	42165	0	0	149795
24	विरुधुनगर Virudhunagar	विरुधुनगर Virudhunagar	21230	23	0	0	21253
		<b>कुल (24) ** TOTAL (24)</b>	<b>653764</b>	<b>54355</b>	<b>50308</b>	<b>0</b>	<b>758427</b>

क्षेत्र – चेन्नई

REGION : CHENNAI

राज्य – पुडुचेरी

STATE : PUDUCHERY

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	पांडिचेरी (के.शा.प्र.) Pondicherry (UT)	पुडुचेरी Pondicherry	7350	36	0	0	7386
		<b>**कुल (1) **TOTAL (1)</b>	<b>663814</b>	<b>54391</b>	<b>50308</b>	<b>0</b>	<b>768513</b>

क्षेत्र – चेन्नई

REGION : CHENNAI

राज्य – अण्डमान एवं निकोबार

STATE : ANDAMAN &amp; NICOBAR ISLAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (के.शा.प्र.) Andaman & Nicobar Island (UT)	पोर्ट ब्लेयर Port Blair	2700	0	0	0	2700
		<b>कुल (1) TOTAL : (1)</b>	<b>2700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>

क्षेत्र – दिल्ली

REGION : DELHI

राज्य – दिल्ली

STATE : DELHI

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	दिल्ली (पूर्वी) Delhi (East)	पटपडगंज-आईसीडी Patparganj-ICD	17424	5350	0	0	22774
2	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नांगलोई Nangloi	0	0	5522	0	5522



क्षेत्र – दिल्ली

REGION : DELHI

राज्य – दिल्ली

STATE : DELHI

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
3	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	नरेला Narela	14800	1666	0	0	16466
4	दिल्ली (बाहरी) Delhi (Outer)	टी-3 एबीडब्ल्यू पालम T3 ABW Palam	0	0	470	0	470
5	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	कीर्ति नगर Kirti Nagar	19025	0	0	0	19025
6	दिल्ली (सदर) Delhi (Sadar)	आर.पी.बाग R.P.Bagh	36574	3577	0	0	40151
7	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला-I Okhla-I	5000	1714	0	0	6714
8	दिल्ली (दक्षिण) Delhi (South)	ओखला-II Okhla-II	11819	0	3313	0	15132
		<b>**कुल (8) **TOTAL (8)</b>	<b>104642</b>	<b>12307</b>	<b>9305</b>	<b>0</b>	<b>126254</b>

क्षेत्र – दिल्ली

REGION : DELHI

राज्य – उत्तर प्रदेश

STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	गौतमबुद्ध नगर G.B.Nagar	ग्रेटर नोएडा-I GRT. Noida-I	35060	99	0	0	35159
2	गौतमबुद्ध नगर G.B.Nagar	कासना Kasna	16882	0	0	0	16882
3	गाजियाबाद Ghaziabad	लोनी-आईसीडी Loni-ICD	36300	77107	0	0	113407
4	गौतमबुद्ध नगर G.B. Nagar	नोएडा (एनएसईजेड) Noida(NSEZ)	2025	0	810	0	2835
5	गौतमबुद्ध नगर G.B. Nagar	नोएडा (सेक्टर-68) Noida(SEC-68)	15000	0	0	0	15000
6	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद -I (एमएन) Sahibabad-I (MN)	6878	0	0	0	6878
7	गाजियाबाद Ghaziabad	साहिबाबाद-II Sahibabad-II	21142	0	0	0	21142
8	गौतमबुद्ध नगर G.B.Nagar	सूरजपुर (यू.पी.)-I Surajpur (UP)-I	23072	995	0	0	24067
		<b>**कुल (8) **TOTAL (8)</b>	<b>156359</b>	<b>78201</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>235370</b>
		<b>**कुल (16) **REGTOTAL: (16)</b>	<b>261001</b>	<b>90508</b>	<b>10115</b>	<b>0</b>	<b>361624</b>

NOIDA 1410 MT COSTD. ADD DUE TO MAZENIN FLOOR CONSTRUCTION IN PAST.

पूर्व में मेजनिल तल निर्माण के कारण जोड़ा गया। नोएडा 1410 मी. टन निर्मित।



क्षेत्र – गुवाहाटी  
REGION : GUWAHATI

राज्य – असम  
STATE : ASSAM

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बारपेटा Barpeta	सोरभोग Sorbhog	19566	0	0	0	19566
2	बंगाईगाँव Bongaigaon	एफएसडी, जोगीघोपा FSD, Jogighopa	0	0	8840	0	8840
3	कछार Cachar	सिलचर Silchar	0	0	4727	0	4727
4	धेमाजी Dhemaji	जोनाई Jonai	0	0	2504	0	2504
5	धुबरी Dhubri	धुबरी Dhubri	13044	0	0	0	13044
6	जोरहाट Jorhat	जोरहाट-I Jorhat-I	12382	0	0	0	12382
7	जोरहाट Jorhat	जोरहाट-II Jorhat-II	5140	60	0	0	5200
8	कामरूप Kamrup	अमीनगांव Amingaon	20100	2679	0	0	22779
9	कामरूप Kamrup	अमीनगांव-II Amingaon-II	0	0	8808	0	8808
10	कामरूप Kamrup	मालीगांव Maligaon	10891	696	0	0	11587
11	कामरूप (एम) Kamrup (M)	एफएसडी,आजारा ओपन यार्ड Fsd, Azara Open Yard	0	9895	4377	0	14272
12	करीमगंज Karimganj	एफएसडी, लाला बाजार Fsd, Lalabazar	0	0	5724	0	5724
13	करीमगंज Karimganj	एफएसडी, नीलम बाजार Fsd, Nilambazar	0	0	5544	0	5544
		<b>कुल (13) TOTAL : (13)</b>	<b>81123</b>	<b>13330</b>	<b>40524</b>	<b>0</b>	<b>134977</b>

क्षेत्र – गुवाहाटी  
REGION : GUWAHATI

राज्य – मणिपुर  
STATE : MANIPUR

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	दीमापुर Dimapur	दीमापुर Dimapur	16238	0	0	0	16238
		<b>कुल (1) TOTAL : (1)</b>	<b>16238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16238</b>



क्षेत्र – गुवाहाटी  
REGION : GUWAHATI

राज्य – मणिपुर  
STATE : MANIPUR

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	इंफाल Imphal	एफएसडी, बिष्णुपुर FSD, Bishnupur	0	0	5568	0	5568
2	इंफाल Imphal	इंफाल Imphal	0	0	1816	0	1816
		<b>कुल (2) TOTAL : (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7384</b>	<b>0</b>	<b>7384</b>

क्षेत्र – गुवाहाटी  
REGION : GUWAHATI

राज्य – त्रिपुरा  
STATE : TRIPURA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अगरतला पश्चिम Agartala West	अगरतला (एच) Agartala (H)	18806	2095	0	0	20901
2	अगरतला पश्चिम Agartala West	अगरतला (सी.एस.) Agartala (CS)	4420	0	0	0	4420
3	गोमती Gomati	एफएसडी, चंद्रपुर FSD, Chandrapur	0	0	6264	0	6264
		<b>कुल (2) TOTAL : (2)</b>	<b>23226</b>	<b>2095</b>	<b>6264</b>	<b>0</b>	<b>31585</b>
		<b>कुल क्षेत्र REGION TOAL</b>	<b>120587</b>	<b>15425</b>	<b>58168</b>	<b>0</b>	<b>194180</b>

क्षेत्र – गुवाहाटी  
REGION : GUWAHATI

राज्य – अरुणाचल प्रदेश  
STATE : ARUNACHAL PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	लोहित Lohit	तेजु Tezu	0	0	3996	0	3996
		<b>कुल (1) TOTAL : (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3996</b>	<b>0</b>	<b>3996</b>



क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अनंथपुर Ananthapur	अनंथपुर Ananthapur	0	0	7700	0	7700
2	चित्तूर Chittoor	रेनीगुन्टा Renigunta	20000	0	0	0	20000
3	गोदावरी (पूर्व) Godawari (EAST)	काकीनाडा Kakinada	30000	0	0	0	30000
4	गोदावरी (पूर्व) Godawari (EAST)	राजामुन्दी Rajahmundry	50000	0	0	0	50000
5	गोदावरी (पश्चिम) Godawari (WEST)	ताडेपल्लीगुडेम Tadepalligudem	72000	0	0	0	72000
6	गुन्टूर Guntur	दुगिराला Duggirala	10850	0	0	0	10850
7	गुन्टूर Guntur	गुन्टूर Guntur	27920	0	0	0	27920
8	गुन्टूर Guntur	पेदकाकानी Pedakakani	75750	0	0	0	75750
9	गुन्टूर Guntur	सत्तेनपल्ली Sattenapally	10000	0	0	0	10000
10	गुन्टूर Guntur	वाडलामुडी-I Vadlamudi-I	35000	0	0	0	35000
11	कडपा Kadapa	कडपा Kadapa	25000	0	0	0	25000
12	कृष्णा Krishna	गुडिवाड Gudivada	40000	0	0	0	40000
13	कृष्णा Krishna	कैकलुर Kaikalur	24853	0	0	0	24853
14	कृष्णा Krishna	मछलीपटनम Machilipatnam	49030	0	0	0	49030
15	कृष्णा Krishna	निदामानुर Nidamanur	47500	0	0	0	47500
16	कृष्णा Krishna	रायनापाडु Rayanapadu	64160	0	0	0	64160
17	कृष्णा Krishna	विजयवाड़ा-II Vijayawada-II	15000	0	0	0	15000
18	कुर्नूल Kurnool	अडोनी Adoni	22520	0	3128	0	25648
19	कुर्नूल Kurnool	नंदीकोटकुर Nandikotkur	10000	0	0	0	10000
20	कुर्नूल Kurnool	नंदयाल Nandyal	43000	0	0	0	43000



क्षेत्र – हैदराबाद

राज्य – आंध्र प्रदेश

REGION : HYDERABAD

STATE : ANDHRA PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
21	नेल्लोर Nellore	नेल्लोर Nellore	48000	0	0	0	48000
22	प्रकाशम Prakasam	ओंगोल Ongole	10000	0	0	0	10000
23	विजाग Vizag	अनकापल्ली Anakapally	15000	0	0	0	15000
24	विजाग Vizag	सीएफएस, विजाग CFS, Vizag	8335	40860	0	0	49195
25	विजाग Vizag	विशाखापट्टनम-I Visakhapatnam-I	13500	0	0	0	13500
		<b>कुल (25) TOTAL : (25)</b>	<b>767418</b>	<b>40860</b>	<b>10828</b>	<b>0</b>	<b>819106</b>
		<b>कुल क्षेत्र REGION TOTAL</b>	<b>1249326</b>	<b>40860</b>	<b>59823</b>	<b>0</b>	<b>1350009</b>

क्षेत्र – हैदराबाद

राज्य – तेलंगाना

REGION : HYDERABAD

STATE : TELANGANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अदीलाबाद Adilabad	अदीलाबाद Adilabad	35000	0	10050	0	45050
2	हैदराबाद Hyderabad	नामपल्ली Nampally	12500	0	0	0	12500
3	जनगांव Jangaon	जनगांव Jangaon	7590	0	0	0	7590
3A	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर-I Karimnagar-I	33878	0	0	0	33878
4	करीमनगर Karimnagar	करीमनगर-II Karimnagar-II	37584	0	0	0	37584
5	महबूबनगर Mahaboobnagar	गडवाल Gadwal	21716	0	5000	0	26716
6	महबूबनगर Mahaboobnagar	महबूबनगर Mahaboobnagar	43705	0	0	0	43705
7	मेडक Medak	मेडक Medak	11566	0	0	0	11566
8	नालगोण्डा Nalgonda	चित्त्याल Chityal	8600	0	0	0	8600
9	नालगोण्डा Nalgonda	सिद्धिपेट Siddipet	19165	0	0	0	19165



क्षेत्र – हैदराबाद  
REGION : HYDERABAD

राज्य – तेलंगाना  
STATE : TELANGANA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
10	नेल्लोर Nellore	बोधन Bodhan	73505	0	0	0	73505
11	निजामाबाद Nizamabad	सारंगपुर Sarangapur	46323	0	0	0	46323
12	निजामाबाद Nizamabad	निजामाबाद Nizamabad	38338	0	0	0	38338
13	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस, कुकटपल्ली CFS, Kukatpally	0	0	22882	0	22882
14	रंगारेड्डी Rangareddi	सीएफएस, कुकटपल्ली बांडेड CFS, Kukatpally(B)	0	0	5716	0	5716
15	रंगारेड्डी Rangareddi	फलाईओवर सनथनगर FO, Sanathnagar	0	0	5347	0	5347
16	सूर्यपेट Suryapet	सूर्यपेट Suryapet	65961	0	0	0	65961
17	वारंगल Warangal	वारंगल Warangal	26477	0	0	0	26477
		<b>कुल (17) TOTAL : (17)</b>	<b>481908</b>	<b>0</b>	<b>48995</b>	<b>0</b>	<b>530903</b>

क्षेत्र – जयपुर  
REGION : JAIPUR

राज्य – राजस्थान  
STATE : RAJASTHAN

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अजमेर Ajmer	ब्यावर Beawar	0	0	14849	0	14849
2	अजमेर Ajmer	ब्यावर-II Beawar-II	0	0	5274	0	5274
3	बांसवाड़ा Banswara	कुशलगढ़ Kushalgarh	3400	0	0	0	3400
4	बाड़मेर Barmer	बाड़मेर Barmer	0	0	4928	0	4928
5	भरतपुर Bharatpur	भरतपुर Bharatpur	15124	3586	0	0	18710
6	बीकानेर Bikaner	बीकानेर -I Bikaner-I	27875	0	0	0	27875
7	बीकानेर Bikaner	बीकानेर -II Bikaner-II	35634	0	0	0	35634
8	चोमू Chomu	चोमू Chomu	35080	0	0	0	35080





क्षेत्र – जयपुर  
REGION : JAIPUR

राज्य – राजस्थान  
STATE : RAJASTHAN

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
9	चुरु Churu	सादुलपुर Sadulpur	0	0	4620	0	4620
10	गंगानगर Ganganagar	केसरीसिंहपुर Kesrisinghpur	0	0	12332	0	12332
11	गंगानगर Ganganagar	सूरतगढ़ Suratgarh	0	0	23450	0	23450
12	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़-I Hanumangarh -I	23060	0	0	0	23060
13	हनुमानगढ़ Hanumangarh	हनुमानगढ़-II Hanumangarh -II	56079	0	0	0	56079
14	हनुमानगढ़ Hanumangarh	टिब्बी Tibbi	0	0	20993	0	20993
15	जयपुर Jaipur	कोटपुतली Kotputli	19788	0	0	0	19788
16	जयपुर Jaipur	सीतापुर-I Sitapura-I	6800	359	0	0	7159
17	जयपुर Jaipur	सीतापुर-II Sitapura-II	43162	0	0	0	43162
18	झुंझनू Jhunjhunu	झुंझनू Jhunjhunu	23946	0	0	0	23946
19	जोधपुर Jodhpur	जोधपुर Jodhpur	0	0	11529	0	11529
20	कोटा Kota	बारन Baran	33640	0	0	0	33640
21	कोटा Kota	कोटा-I Kota-I	34399	0	0	0	34399
22	कोटा Kota	कोटा-II Kota-II	47940	450	0	0	48390
23	कोटा Kota	कोटा-III Kota-III	37940	0	0	0	37940
24	नागौर Nagaur	नागौर Nagaur	0	0	10761	0	10761
25	नागौर Nagaur	पर्बतसर Parbatsar	0	0	28093	0	28093
26	सीकर Sikar	सीकर Sikar	28320	0	0	0	28320
27	सीकर Sikar	श्रीमाधोपुर Srimadhopur	22344	0	0	0	22344
28	श्रीगंगानगर Sriganganagar	रायसिंहनगर Raisinghnagar	0	0	19950	0	19950



क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
29	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर-I Sriganganagar-I	27121	0	0	0	27121
30	श्रीगंगानगर Sriganganagar	श्रीगंगानगर-II Sriganganagar-II	37542	1919	0	0	39461
31	टोंक Tonk	देवली Deoli	18820	0	0	0	18820
32	उदयपुर Udaipur	उदयपुर Udaipur	8450	0	0	0	8450
		<b>**कुल (32) **TOTAL (32)</b>	<b>586464</b>	<b>6314</b>	<b>156779</b>	<b>0</b>	<b>749557</b>

क्षेत्र – कोच्चि

REGION : KOCHI

राज्य – केरला

STATE : KERALA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	एर्नाकुलम Ernakulam	एडाथला Edathala	11700	0	0	0	11700
2	एर्नाकुलम Ernakulam	एर्नाकुलम Ernakulam	14065	0	0	0	14065
3	एर्नाकुलम Ernakulam	कक्कानाड Kakkanad	21850	143	0	0	21993
4	एर्नाकुलम Ernakulam	कोच्चि Kochi	5030	0	0	0	5030
5	कन्नूर Kannur	कन्नूर Kannur	9590	0	0	0	9590
6	कन्नूर Kannur	थालास्सेरी Thalassery	10000	0	0	0	10000
7	कोझिकोड Kozhikode	कोझिकोड Kozhikode	12254	23	0	0	12277
8	मल्लापुरम Malappuram	कक्कनचेरी Kakkancherry	14300	0	0	0	14300
9	पालाकड Palakkad	कांजीकोड Kanjikode	20000	0	0	0	20000
10	पथानमथिट्टा Pathanamthitta	कुन्नमथानम Kunnamthanam	13864	0	0	0	13864
11	त्रिचुर Trichur	त्रिचुर Trichur	32590	615	0	0	33205
		त्रिवेन्द्रम Trivandrum	20264	0	0	0	20264
		<b>कुल (12) TOTAL (12)</b>	<b>185507</b>	<b>781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186288</b>



क्षेत्र – कोलकाता  
REGION : KOLKATA

राज्य – पश्चिम बंगाल  
STATE : WEST BENGAL

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	बोनहुगली Bonhooghly	31110	3766	0	0	34876
2	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	आईसीपी पैट्रपोल ICP Petrapole	5402	194008	0	0	199410
3	24 परगना (एन) 24 Parganas (N)	पानीहाटी Panihat	34400	0	0	0	34400
4	बांकुरा Bankura	बिशनपुर Bishnupur	16000	0	0	0	16000
5	बर्दवान Burdwan	बर्दवान Burdwan	5405	0	19683	0	25088
6	बर्दवान Burdwan	सरुल Sarul	34968	0	0	0	34968
7	कूच बिहार Coochbehar	कूच बिहार Coochbehar	6460	0	0	0	6460
8	दार्जिलिंग Darjeeling	माटीगरा Matigara	5000	1793	0	0	6793
9	हुगली Hooghly	मोगरा Mogra	11500	0	0	0	11500
10	हावड़ा Howrah	पंचपारा Panchpara	18120	1793	0	0	19913
11	जलपाईगुड़ी Jalpaiguri	रानीनगर Raninagar	20000	0	0	0	20000
12	कोलकाता Kolkata	सीएफएस-कोलकाता CFS-Kolkata	19730	30750	0	0	50480
13	कोलकाता Kolkata	आयात-निर्यात Import-Export	35250	16544	0	0	51794
14	कोलकाता Kolkata	एस.बी. रोड S.B.Road	0	0	6092	0	6092
15	कोलकाता Kolkata	टी.टी. रोड T.T. Road	4183	0	4825	0	9008
16	मालदा Malda	मालदा Malda	18664	0	0	0	18664
17	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	दुर्गाचक Durgachak	32400	0	0	0	32400
18	मिदनापुर (पूर्व) Midnapore (E)	हल्दिया Haldia	15000	0	0	0	15000
19	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	बेलदा Belda	5645	0	0	0	5645
20	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	सी.के. रोड C.K. Road	31600	0	0	0	31600



क्षेत्र – कोलकाता  
REGION : KOLKATA

राज्य – पश्चिम बंगाल  
STATE : WEST BENGAL

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity	
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired			
21	मिदनापुर (पश्चिम) Midnapore (W)	खड़गपुर Kharagpur	39210	0	0	0	39210	
22	मुर्शिदाबाद Murshidabad	बरहामपुर Berhampore	31600	0	0	0	31600	
23	मुर्शिदाबाद Murshidabad	सरगाछी Sargachi	19112	0	0	0	19112	
24	उलुबेरिया Uluberia	उलुबेरिया Uluberia	37590	0	0	0	37590	
		<b>कुल (24) TOTAL : (24)</b>	<b>478349</b>	<b>248654</b>	<b>30600</b>	<b>0</b>	<b>757603</b>	
		*क्षमता एलपीएआई से सौंप दिया *Capacity Handed Over From LPAI						

क्षेत्र – लखनऊ  
REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तर प्रदेश  
STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बहराइच Bahraich	बहराइच Bahraich	11570	0	0	0	11570
2	बलिया Ballia	बलिया Ballia	44463	24	0	0	44487
3	बांदा Banda	बांदा Banda	9050	0	0	0	9050
4	बस्ती Basti	बस्ती Basti	41042	0	0	0	41042
5	बिजनौर Bijnore	बिजनौर Bijnore	24572	0	0	0	24572
6	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद-I Jahangirabad-I	10868	0	0	0	10868
7	बुलन्दशहर Bulandshahar	जहांगीराबाद-II Jahangirabad-II	15756	0	0	0	15756
8	इटावा Etawah	इटावा Etawah	24941	0	0	0	24941
9	फैजाबाद Faizabad	फैजाबाद Faizabad	8910	0	0	0	8910
10	गौतमबुद्ध नगर Gautam Buddha Ngr	दादरी Dadri	19000	0	0	0	19000

क्षेत्र – लखनऊ

राज्य – उत्तर प्रदेश

REGION : LUCKNOW

STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
11	गाजियाबाद Ghaziabad	गाजियाबाद-I Ghaziabad-I	16920	5770	0	0	22690
12	गोरखपुर Gorakhpur	गोरखपुर Gorakhpur	34015	831	8000	0	42846
13	हरदोई Hardoi	हरदोई Hardoi	48656	0	0	0	48656
14	जौनपुर Jaunpur	शाहगंज Shahganj	57037	0	3500	0	60537
15	झाँसी Jhansi	चिरगांव Chirgaon	14450	0	0	0	14450
16	झाँसी Jhansi	झाँसी Jhansi	15240	0	0	0	15240
17	कानपुर Kanpur	कानपुर-सीबी Kanpur-CB	0	0	4677	0	4677
18	कानपुर Kanpur	कानपुर आईसीडी Kanpur-ICD	5000	3575	0	0	8575
19	खीरी Kheeri	गोला गोकरनाथ Gola Gokarnath	17973	0	0	0	17973
20	लखनऊ Lucknow	लखनऊ-I Lucknow-I	26400	1538	0	0	27938
21	लखनऊ Lucknow	लखनऊ-II Lucknow-II	7500	0	0	0	7500
22	मऊनाथ भंजन Maunath Bhanjan	मऊनाथ भंजन Maunath Bhanjan	17185	0	0	0	17185
23	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी-I Chandausi-I	17732	0	0	0	17732
24	मुरादाबाद Moradabad	चंदौसी-II Chandausi-II	11520	0	0	0	11520
25	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फर नगर बीडी (पीएफटी) Muz. Nagar BD (PFT)	141651	0	0	0	141651
26	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	मुजफ्फर नगर-I Muzaffar Nagar-I	31450	24	0	0	31474
27	मुजफ्फर नगर Muzaffar Nagar	शामली Shamli	5000	0	0	0	5000
28	पीलीभीत Pilibhit	बीसलपुर Bisalpur	10584	0	0	0	10584
29	प्रयागराज Prayagraj	नैनी Naini	28400	0	0	0	28400
30	रामपुर Rampur	रामपुर Rampur	27370	0	0	0	27370



क्षेत्र – लखनऊ

REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तर प्रदेश

STATE : UTTAR PRADESH

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
31	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर बीडी Saharanpur BD	64462	0	9373	0	73835
32	सहारनपुर Saharanpur	सहारनपुर-I Saharanpur -I	28272	0	0	0	28272
33	संत रविदास नगर Sant Ravi Das Ngr	भदोही Bhadohi	15708	0	0	0	15708
34	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	शाहजहाँपुर Shahjahanpur	51744	0	0	0	51744
35	सिद्धार्थनगर Siddharthnagar	डुमरियागंज Dumariaganj	11664	0	0	0	11664
36	सोनभद्र Sonbhadra	रॉबर्टसगंज Robertsaganj	5760	0	0	0	5760
		<b>कुल (36) TOTAL : (36)</b>	<b>921865</b>	<b>11762</b>	<b>25550</b>	<b>0</b>	<b>959177</b>

क्षेत्र – लखनऊ

REGION : LUCKNOW

राज्य – उत्तराखण्ड

STATE : UTTARAKHAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	देहरादून Dehradun	देहरादून (नेपाली फार्म) Dehradun (Nepali farm)	0	0	5357	0	5357
2	पौड़ी Pauri	श्रीनगर Sri Nagar	8716	0	0	0	8716
3	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Ngr	बाजपुर Bazpur	14000	0	0	0	14000
4	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Ngr	जसपुर Jaspur	17528	0	0	0	17528
5	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Ngr	काशीपुर-I Kashipur-I	14329	0	0	0	14329
6	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Ngr	काशीपुर -II Kashipur-II	12354	0	0	0	12354
7	ऊधम सिंह नगर Udham Singh Ngr	खटीमा Khatima	8100	0	6758	0	14858
		<b>कुल (7) TOTAL : (7)</b>	<b>75027</b>	<b>0</b>	<b>12115</b>	<b>0</b>	<b>87142</b>
		<b>कुल क्षेत्र TOTAL REGION</b>	<b>996892</b>	<b>11762</b>	<b>37665</b>	<b>0</b>	<b>1046319</b>



क्षेत्र – मुंबई

REGION : MUMBAI

राज्य – महाराष्ट्र

STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	अहमदनगर Ahmednagar	पुनतांबा Puntamba	0	0	13192	0	13192
2	अकोला Akola	अकोला-I Akola-I	17420	0	2544	0	19964
3	अकोला Akola	अकोला-II Akola-II	27400	0	0	0	27400
4	अमरावती Amravati	अमरावती Amravati	28920	354	0	0	29274
5	अमरावती Amravati	बडनेरा (पीईजी) Badnera (PEG)	0	0	25000	0	25000
6	औरंगाबाद Aurangabad	चिकलथाना Chikalthana	6122	29	11678	0	17829
7	औरंगाबाद Aurangabd	मालीवाडा Maliwada	0	0	25000	0	25000
8	औरंगाबाद Aurangabd	वालुज-आईसीडी Waluj-ICD	4947	359	0	0	5306
9	गोंदिया Gondia	गोंदिया-I Gondia-I	11550	0	0	0	11550
10	गोंदिया Gondia	गोंदिया-II Gondia-II	16264	0	0	0	16264
11	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर-I Kolhapur-I	14145	0	0	0	14145
12	कोल्हापुर Kolhapur	कोल्हापुर-II Kolhapur-II	20000	0	0	0	20000
13	नागपुर Nagpur	नागपुर Nagpur	17850	482	0	0	18332
14	नांदेड़ Nanded	नांदेड़ Nanded	0	0	28995	0	28995
15	नासिक Nashik	अम्बड (नासिक) Ambad (Nasik)	10000	0	0	0	10000
16	नासिक Nashik	नासिक रोड Nasik Road	20182	0	0	0	20182
17	पुणे Pune	आईसीडी पुणे ICD Pune	12500	596	0	0	13096
18	सांगली Sangli	मिराज (जी) Miraj (G)	10000	0	0	0	10000
19	सांगली Sangli	मिराज बीडी Miraj BD	80000	0	0	0	80000
20	सांगली Sangli	सांगली Sangli	16060	0	0	0	16060

क्षेत्र – मुंबई  
REGION : MUMBAIराज्य – महाराष्ट्र  
STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
21	थाणे Thane	अम्बरनाथ Ambernath	5000	0	0	0	5000
22	वाशी Vashi	वाशी Vashi	76890	3020	395	0	80305
23	वाशिम Washim	वाशिम (पीईजी) Washim (PEG)	0	0	30000	0	30000
24	यवतमाल Yavatmal	यवतमाल Yavatmal	23714	0	0	0	23714
		<b>कुल (24) TOTAL : (24)</b>	<b>418964</b>	<b>4840</b>	<b>136804</b>	<b>0</b>	<b>560608</b>

क्षेत्र – मुंबई  
REGION : MUMBAIराज्य – महाराष्ट्र  
STATE : MAHARASHTRA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	रायगढ़ Raigad	सीएफएस-डी नोड CFS-D'Node	78163	0	0	0	78163
2	रायगढ़ Raigad	सीएफएस-डिस्ट्री पार्क CFS-Distripark	33050	84561	0	0	117611
3	रायगढ़ Raigad	सीएफएस-लॉजिस्टिक्स पार्क CFS Logistics park	50451	300000	0	0	350451
4	रायगढ़ Raigad	सीएफएस-इम्पेक्स पार्क CFS-Impex park	11808	40350	0	0	52158
5	रायगढ़ Raigad	आईआरटी-कालम्बोली IRT- Kalamboli	9500	33890	0	0	43390
		<b>कुल (5) TOTAL : (5)</b>	<b>182972</b>	<b>458801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641773</b>

क्षेत्र – मुंबई  
REGION : MUMBAIराज्य – गोवा  
STATE : GOA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	गोवा Goa	आईसीडी-वरना गोवा ICD- Verna Goa	12882	3051	0	0	15933
2	गोवा Goa	एसीसी सदा गोवा ACC Sada Goa	13166	0	0	0	13166
2		<b>कुल (2) TOTAL : (2)</b>	<b>26048</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29099</b>
		<b>कुल क्षेत्र REGION TOTAL</b>	<b>627984</b>	<b>466692</b>	<b>136804</b>	<b>0</b>	<b>1231480</b>





क्षेत्र – पटना  
REGION : PATNA

राज्य – बिहार  
STATE : BIHAR

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	दरभंगा Darbhanga	दरभंगा Darbhanga	6700	0	0	0	6700
2	कैमूर Kaimur	मोहनिया Mohania	4950	0	5652	0	10602
3	कटिहार Katihar	कटिहार Katihar	8525	0	0	0	8525
4	किशनगंज Kishanganj	किशनगंज Kishanganj	12900	0	0	0	12900
5	मधेपुरा Madhepura	मधेपुरा Madhepura	4683	0	0	0	4683
6	मुंगेर Munger	खगड़िया Khagaria	10000	0	0	0	10000
7	मुंगेर Munger	मुंगेर Munger	21265	0	0	0	21265
8	पटना Patna	मोकामा Mokama	5000	1884	0	0	6884
9	पटना Patna	मुसल्लापुर Musallapur	7487	1214	6595	0	15296
10	पटना Patna	पटना सिटी Patna City	6500	0	0	0	6500
11	पटना Patna	फतुहा Fatuha	4500	1884	0	0	6384
12	रोहतास Rohtas	नोखा Nokha	6220	0	0	0	6220
13	समस्तीपुर Samastipur	समस्तीपुर Samastipur	18626	0	0	0	18626
14	सिवान Siwan	सिवान Siwan	0	0	20310	0	20310
15	सुपौल Supaul	सुपौल Supaul	7300	0	0	0	7300
16	पश्चिमी चम्पारण West Champran	बेतिया Bettiah	25000	0	0	0	25000
		**कुल (16) ** TOTAL (16)	149656	4982	32557	0	187195



क्षेत्र – पटना

REGION : PATNA

राज्य – झारखण्ड

STATE : JHARKHAND

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	धनबाद Dhanbad	सिंदरी Sindri	0	0	9422	0	9422
2	हजारी बाग Hazaribagh	हजारी बाग Hazaribagh	18827	942	0	0	19769
3	जमशेदपुर Jamshedpur	जमशेदपुर Jamshedpur	7018	876	13557	0	21451
4	रांची Ranchi	रांची Ranchi	15448	3089	11513	0	30050
5	पश्चिम सिंहभूम West Singhbhum	चाईबासा Chaibasa	0	0	4704	0	4704
		<b>**कुल (5) ** TOTAL (5)</b>	<b>41293</b>	<b>4907</b>	<b>39196</b>	<b>0</b>	<b>85396</b>

क्षेत्र – पटना

REGION : PATNA

राज्य – ओडिशा

STATE : ODISHA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
1	बालासोर Balasore	बालासोर-I Balasore-I	12308	0	0	0	12308
2	बालासोर Balasore	बालासोर-II Balasore-II	12246	0	0	0	12246
3	बरगढ़ Bargarh	बरगढ़ Bargarh	11493	0	0	0	11493
4	बरगढ़ Bargarh	केंदुपल्ली-I Kendupalli-I	24969	0	0	0	24969
5	बरगढ़ Bargarh	केंदुपल्ली -II Kendupalli-II	28623	0	0	0	28623
6	भद्रक Bhadrak	बलजीतपाड़ा Baljitpada	12528	0	0	0	12528
7	बोलनगीर Bolangir	बोलनगीर Bolangir	37410	0	0	0	37410
8	कटक Cuttack	चौद्धवार Choudwar	16450	0	0	0	16450
9	कटक Cuttack	कटक Cuttack	16400	0	0	0	16400
10	गंजम Ganjam	अस्का Aska	12528	0	0	0	12528
11	गंजम Ganjam	बेरहामपुर Berhampur	49740	1884	0	0	51624



क्षेत्र – पटना  
REGION : PATNA

राज्य – ओडिशा  
STATE : ODISHA

क्रम सं. S. No.	जिला DISTRICT	वेअरहाउस WAREHOUSE	क्षमता (मीट्रिक टन) CAPACITY (Metric tonnes)			सीसीआई किराए की CCI Hired	कुल क्षमता Total Capacity
			निर्मित Const.	खुली Open	किराए की Hired		
12	जाजपुर Jajpur	जाजपुर रोड Jajpur Road	9726	1884	0	0	11610
13	कालाहांडी Kalahandi	जूनागढ़ Junagarh	35078	0	0	0	35078
14	कालाहांडी Kalahandi	कोकसारा Koksara	13776	0	0	0	13776
15	केंद्रपाड़ा Kendrapara	मारसाघई Marsaghai	12528	3768	0	0	16296
16	खोर्धा Khordha	जटनी Jatni	16897	16150	0	0	33047
17	कोरापुट Koraput	जयपोर Jeypore	19018	0	0	0	19018
18	नवरंगपुर Nabarangpur	नवरंगपुर Nabarangpur	12528	0	0	0	12528
19	सखी गोपाल Sakhi Gopal	सखी गोपाल Sakhi Gopal	0	0	5653	0	5653
20	संभलपुर Sambhalpur	कालामाटी Kalamati	12528	5562	0	0	18090
21	सोनपुर Sonepur	रायगड़ा Rayagada	11400	0	1996	0	13396
22	सोनपुर Sonepur	सोनपुर Sonepur	12528	0	0	0	12528
23	सुन्दरगढ़ Sunder Garh	राउरकेला Raurkela	0	0	10053	0	10053
		<b>कुल (23) TOTAL : (23)</b>	<b>390702</b>	<b>29248</b>	<b>17702</b>	<b>0</b>	<b>437652</b>
		<b>**क्षेत्र की कुल क्षमता: (44) **REGION TOTAL:</b>	<b>581651</b>	<b>39137</b>	<b>89455</b>	<b>0</b>	<b>710243</b>
424		<b>कुल योग (424) GRAND TOTAL : (424)</b>	<b>8750150</b>	<b>1143052</b>	<b>949036</b>	<b>6075</b>	<b>10848313</b>

No. of Warehouses 424  
वेयरहाउसों की संख्या 424



# Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

No. CWC/B&C/ AGM/2022

Dated: 24th August, 2022

## NOTICE

Pursuant to Section 13(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 read with Regulation 20 of the Central Warehousing Corporation (General) Regulations, 1965 and in compliance with The Ministry of Corporate Affairs (MCA) general circular The general circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 read with general circular No. 20/2020 dated 05.05.2020 regarding the clarification on holding AGM through VC or other means, issued in the wake of the prevailing COVID situation and social distancing norms to be followed, notice is hereby given that the 60th Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of Central Warehousing Corporation will be held at Corporate Office, CWC, Warehousing Bhawan, 4/1 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi through Video Conferencing/Other Audio Visual means (VC/OAVM) at 12.00 hrs on 24.09.2022 to transact the following business:-

1. To discuss and adopt the Annual Accounts of the Corporation for the Financial Year 2021-22 and Auditor's Report, thereon, together with the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation during the year 2021-22.
2. To confirm payment of interim dividend and declare final dividend for the Financial Year 2021-22.
3. To approve the compliance note of the Corporation for FY 2021-22, on the guidelines on capital restructuring of CPSEs issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), Ministry of Finance, Govt. of India vide OM No. 5/2/2016-Policy dated 27th May, 2016.
4. Any other matter with the permission of the Chair.

For participation in the meeting through Video Conferencing/Other Audio Visual means (VC/OAVM), the participant has to send the Proxy-Form (having hologram) (Original-1) alongwith a copy of resolution duly signed under the seal of the certifying officer. The Proxy-Form(Original-1)/ Resolution duly filled needs to be send through post/courier well in advance so that the same reaches the office of Secretary, CWC, 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi, latest by 1700 hours on 20th September 2022. It is requested to refer to the attached Annexure-A, which contains detailed instruction in reference to the virtual meeting to be carried out through (VC/OAVM).

Owing to prevailing COVID situation and in order to ensure timely submission/receipt of Proxy Form (Original-1)/ Resolution at CWC besides sending through post/courier, shareholders are advised to send the duly filled proxy form having hologram duly scanned through e-mail at secycwc@cewacor.nic.in or on Whatsapp no+91-9971236904.

Upon receipt of Form Proxy-1/ Resolution, the VC link for attending the meeting shall be shared by Central Warehousing Corporation through e-mail/ mobile number provided in the Form Proxy-1 / Resolution by 10:00 hours on 24.09.2022. It must be ensured that the mobile is having the facility of Whatsapp in the mobile number of participant.

The successful login into the Virtual Meeting by shareholder, confirms their presence in e-AGM, for reckoning attendance.

### Note

Relevant Provisions of the Act, Rules & General Regulations

- a) No shareholder or proxy holder shall attend or vote at Annual General Meeting of Corporation unless a copy of the duly certified resolution signed under the seal of the certifying officer and the Form Proxy- 1(in Original) in the prescribed form specially for the purpose of voting at the Annual General Meeting and Resolution submitted through Post & reached at the Corporate Office of the Corporation on or before 1700 hours of 20th September, 2022. As, such the Proxy/ Resolution deposited after 20th September, 2022 and prior to the date of notice i.e. 24th August, 2022 will not be entertained. (Regulation 31 & 32 of the CWC (General) Regulations, 1965).
- b) The Share Register of the Corporation shall remain closed for 30 days from 26th August, 2022 to 24th September, 2022 (Rule 21 of the Warehousing Corporation Rules, 1963)
- c) As per Rules, there is no provision for payment of TA/DA to the representative of the shareholding institutions, who may attend the Annual General Meeting of the Shareholders of the Central Warehousing Corporation scheduled to be held on 24.09.2022 at 12:00 hours.

Yours truly,

  
(Jessy Jacob)  
Secretary

टेलीफोन नं.: 26966268, 26566107/124 फैक्स नं.: 26518013  
जन-जन के लिए भण्डारण / Warehousing for Every One

निगमित कार्यालय 4 / 1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016  
Corporate Office: 4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016  
ईपीबीएक्स EPBX: 011-26566107, एक्स. Extn. 263 ई-मेल E-mail: secycwc@cewacor.nic.in, वेब web: www.cewacor.nic.in



## MISSION

To provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner.

## VISION

To emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

## OBJECTIVES

- To meet changing needs of agriculture, trade, industry and other sectors by providing scientific warehousing and related infrastructural facilities.
- To reduce losses during warehousing, handling and distribution.
- To be a major player in providing pest control services using environment friendly methods.
- To assist in implementation of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 with a view to expand credit potential of Warehoused goods through banking institutions and NBFCs.
- To plan and diversify across the logistics value chain, through forward and backward integration in areas such as port handling, procurement and distribution, cold chain, warehousing financing, 3PL, consultancy services, multi-modal transport, etc.
- To achieve global presence in the warehousing and logistics field.
- To plan and implement Human Resource Development programmes to improve commitment, motivation and productivity of employees for achieving customer satisfaction.



## HIGHLIGHTS OF PERFORMANCE DURING 2021-22

1. The Corporation has achieved the turnover of Rs.2232.20 crore during 2021-22 as against Rs.2168.13 crore in the last year.
2. During the financial year 2021-22, the profit Before Tax is Rs. 589.73 crore as against Rs 565.55 crore in the last year. The profit after Tax is Rs. 450.56 crore as against Rs. 438.17 crore in the last year.
3. Overall capacity utilization of food grains was 55.33 lakh MT during this year as against 49.92 lakh MT during the last year.
4. Additional storage capacity of 3,45,354 MT constructed at 35 locations in 14 states.
5. Dividend for FY 2021-22 is @5% of its net worth amounting to Rs.141.25 crore has been paid.
6. Earned revenue of Rs.40.89 crore from Pest Control Services.



Shri Sudhanshu Pandey, IAS Secretary (F&PD) along with Shri Ashok K.K. Meena, IAS, CMD (FCI) and Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director CWC inaugurating Central warehouse at KIADB on 7th October, 2022



### Performance Highlights-Consistent Growth During Last 5 years

(Rs. in Crore)

S N	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	Total Income	1582.94	1604.62	1727.63	2168.13	2232.20
1a	Operating Income	1502.09	1519.51	1612.30	2056.75	2130.56
1b	Other Income	80.85	85.11	115.33	111.38	101.64
2	Expenses	1417.17	1291.26	1236.66	1514.67	1548.64
3	Interest	4.40	1.04	0.82	0.89	0.76
4	Depreciation & Amortisation	133.75	86.90	80.48	87.02	93.07
5	Earning Before Tax (EBT)	27.62	225.42	409.67	565.55	589.73
6	Earning before Interest and Taxes (EBIT)	32.02	226.46	410.49	566.44	590.49
7	Profit After Tax (PAT)	31.88	163.61	372.32	438.17	450.56
8	Earning before Interest, Tax and Depreciation/ Amortization (EBITDA)	165.77	313.36	490.97	653.46	683.56
9	EBITDA as a percentage of Revenue	10.47	19.53	28.42	30.14	30.62
10	Dividend for the year	31.88	49.08	118.47	131.47	141.25
10a	Dividend as %age of PAT	100.00	30.00	31.82	30.00	31.35
10b	Dividend as %age of Net Worth	1.66	2.41	5.01	5.12	5.00
10c	Dividend as %age of Share Capital	46.87	72.16	174.17	193.28	207.66
11	Total Assets	3010.27	2942.84	3317.58	3384.91	3638.54
12	Asset Turnover Ratio (%)	52.58	54.53	52.08	64.05	61.35
13	Share Capital	68.02	68.02	68.02	68.02	68.02
14	Reserve & Surplus	1856.51	1965.42	2298.58	2499.88	2756.94
15	Trade Receivables	409.31	309.75	250.36	170.26	295.75
16	Trade Receivables as Number of Days of Revenue from Operations	99	74	57	30	51



S N	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
17	Number of Employees as on 31st March	3570	3042	2880	2642	2288
18	Income per Employee	0.44	0.53	0.60	0.82	0.98
19	Average Capacity Utilisation (%)	78.73	82.91	84.35	87.09	89.57
20	Current Ratio (%)	1.57	1.63	1.80	1.87	1.99
21	Net Worth	1923.23	2032.36	2365.73	2567.90	2824.96
22	Average Net Worth	1923.38	1977.80	2199.05	2467.25	2696.43
23	Return on Net Worth (%)	1.66	8.27	16.93	17.76	16.71
24	Total Capital Employed	1923.23	2032.36	2365.73	2567.90	2824.96
25	Return on Capital Employed (%)	1.66	11.14	17.35	22.06	20.90
26	Earning Per Share (EPS) (Amount in Rs.)	468.68	2405.29	5473.60	6441.75	6623.80



Sh Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, Sh. Amit Kumar Singh, Director (M&CP) and Sh Anuj Kumar, Director (Finance) Interacting with Shareholders on occasion of 60th Annual General Meeting



# CHAIRMAN'S ADDRESS



Sh. Virendra Singh, (Chairman of AGM 2021-22) addressing the shareholders on the occasion of 60<sup>th</sup> Annual general Meeting on 24<sup>th</sup> September, 2022



## Dear Shareholders,

I warmly welcome each one of you to the 60th Annual General Meeting of your Corporation. It is a pleasure to connect with you all, and – it is a privilege to host you today. I thank you for your continued trust, encouragement and unequivocal support to the Corporation and its Management.

It is really appreciable that your Corporation is emerging stronger and healthier and is scaling new heights. I do have full faith in our team work and dedication. We are continuing our journey towards a bright and prosperous future by continuously growing and evolving according to the times.

The Directors' Report and the Audited Accounts for the Financial Year ended March 31, 2022 have been circulated to you and, with your consent, I shall take them as read. Before I speak to you about the performance of your Corporation, let me briefly touch upon the current trends prevailing in the economic scenario and the Warehousing Sector in which your Corporation is operating.

### Economic Scenario

The Indian warehousing market has garnered attention from global and domestic institutional investors over the years. Warehousing is a crucial part of the supply chain for businesses that are engaged in manufacturing, importing, exporting, and transporting of physical goods. From being mere holding places of stock or low-grade godowns, warehouses have transformed into smart buildings replete with insulation, ventilation, climate-proofing, surveillance and standard safety procedures, and IT infrastructure. From a largely unorganized, asset-heavy industry, warehousing has also undergone an evolution in India, especially after a multitude of factors like the expansion of pharmaceutical, e-commerce, and manufacturing sectors. The growth can also be attributed to favourable government policies in recent years and an increase in the spate of institutional investments.

Incidentally, the Corona virus pandemic which broke out in 2020 has only managed to accelerate the pace of development, investments, and technological advancement in the warehousing sector.

India's warehousing sector is gradually picking up pace with massive investments. A lot of capital is allocated to the technological infrastructure of the warehouse, to ensure automation and efficient operations.

### Government Policies

Warehousing and logistic sector is expected to grow further and attract investment on the back of the government's plan to set up multimodal logistic parks and other initiatives to connect urban transport seamlessly.

The Union Budget 2022 emphasised the execution of PM GatiShakti National Master Plan encompassing the seven engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity and logistics efficiency.

The projects pertaining to these seven engines in the National Infrastructure Pipeline (NIP) will be aligned with the PM GatiShakti framework. The touchstone of the Master Plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and the location of projects and initiatives to connect urban transport to railways will give the much needed boost to new warehousing and logistics facilities across the country.



## Technological improvements in warehousing

Technology is an ever-evolving and ever-influential part of our everyday lives – and it's advancing so quickly that it can be difficult to predict what is coming next. This sentiment is particularly true regarding the fields of warehousing, distribution, and logistics. If you purchase, or influence purchases, within your operation, you've been well aware of the emergence of the "smart warehouse." Once regarded as a buzzword, or even a far-fetched pipe dream, the smart warehouse is becoming a reality, backed by ready-to-purchase technologies that are changing the way warehouses do business.

## Financial Highlights

The turnover of your Corporation for the year 2021-22 is Rs. 2232.20 crore as compared to Rs. 2168.13 crore in the previous year amounting to increase of Rs. 64.07 crore i.e., increase of 2.95% over the previous year. Profit before Tax for the year 2021-22 is Rs. 589.73 crore as against Rs. 565.55 crore in the previous year i.e. increase of 4.28%. The Profit after Tax for the year 2021-22 is Rs. 450.56 crore as against Rs. 438.17 crore in the previous year, showing an increase of 2.83%.

## Operational Performance

Your Corporation has operated 424 warehouses with a total operational storage capacity of 102.63 lakh MT (excluding management capacity). This includes 39 Custom Bonded warehouses, 21 CFSs/ DPEs/ICDs, one Integrated Rail Terminal- Kalamboli, one Air Cargo Complex (ACC) – Goa, one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) – IGI International Airport, Palam, Delhi, one Temperature Controlled Unit -Vashi, two Integrated Check Posts (ICPs) - Attari and Petrapole. During the year, 3.45 Lakh MT additional storage capacity has been constructed at 35 locations in 14 States and 1.23 Lakh MT capacity was upgraded in 45 existing warehouses in line with plan of upgrading the warehouses. Thus during the year in all 4.68 Lakh MT capacity was created/upgraded against the target of 3.83 Lakh MT under the Asset Monetization.

The Corporation has recorded average capacity utilization of 89.57% during the FY 2021-22 as against 87.09% in the previous year.

## Information Technology:

Your Corporation has taken several steps for digitization of its operations such as :-

E-Litigation portal, Data Leak Prevention, Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations, automation of board level meetings and other IT tools have found a permanent home for growing successfully in the warehouse industry.

Further with incorporation of Warehouse Management System (WMS), warehouses are designed to support all distribution activities and provide efficiencies and real-time information throughout the operations.

## Quality Management

At present your Corporation is certified under ISO 9001:2015 (QMS: Quality Management Systems), 14001:2015 (EMS: Environmental Management System), 45001:2018 (OHSAS: Occupational Health & Safety Management System) and ABMS 37001:2016 (ABMS: Anti-Bribery Management System). The Corporation has also initiated implementation of Safety Audit under ISO norms at all Regional Offices/Warehouses for Fire, Burglary, Accident and Earthquake etc.



## Future Outlook

It is predicted that due to technological innovations and other environmental changes, the basic infrastructure of the warehousing is bound to change. It will be divided into two parts i.e. (1) storage and handling agri-produces in bulk alongwith the processing and value addition units and (2) Storage, packaging, processing, handling and distribution facilities of finished & white/brown goods.

Keeping this in view, CWC will identify the areas where bulk storage infrastructure (like Silos) can be created with 100% automation. Apart from this, CWC will also try to venture into the logistics of such commodities both through rail and road.

The second type of infrastructure which CWC perceived will be for finished goods mainly procured, stored and distributed by e-commerce companies. Therefore, CWC will upgrade these facilities as per the needs of e-commerce backed with automation.

Through consolidating Warehouse Operations, creating flexible warehouse design and operations, use of Artificial Intelligence & other IT tools etc. the corporation is on the right path of evolving and transforming with the global scenario.

## State Warehousing Corporations

As on 31st March, 2022, there are 19 State Warehousing Corporations. Your Corporation holds 50% equity in these 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with the respective State Governments holding the remaining 50% of the equity. As on 31st March, 2022 these SWCs were operating with the network of 2190 warehouses with an aggregate storage capacity of 502.60 lakh MT.

## Subsidiary Company : Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC)

Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) is a wholly owned subsidiary of the Corporation since 2007. The corporation has invested Rs 40.56 crore in its equity. CRWC is running 20 Railside Warehouse Complexes (RWCs) with a total storage capacity of 3.55 Lakh MT and rated capacity of 2.59 Lakh MT. During the year 2021-22, CRWC has contributed Rs. 8.50 crore dividend to the Central Warehousing Corporation. On 06.07.2021, the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution has communicated the Cabinet approval for merger of CRWC with CWC and necessary action is being taken for implementation of the same.

## Corporate Social Responsibility and Corporate Governance

Your Corporation is carrying out CSR activities as per the directions of Department of Public Enterprises (DPE). The corporation has spent Rs. 802.52 lakh in various CSR activities during the year. The Corporation has adhered to the Corporate Governance Guidelines while fulfilling its Corporate Governance Responsibilities for the Stakeholders. The compliance certificate received from the statutory auditors is given as a part of the Directors' report for the year 2021-22.

## Awards & Accolades

Your corporation has been awarded second Prize for Best Publication of "BhandaranBharati" in-house journal for the year 2021 and Regional office, Guwahati was also awarded prize for the year 2021-22 by TOLIC (Undertaking) for excellent work in Official Language.



## Acknowledgment

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to all the stakeholders i.e. our shareholders, depositors, suppliers, strategic partners, bankers, insurers for their trust and support. I would like to thank our major depositors like Food Corporation of India, State Civil Supplies Corporations, NAFED, Cotton Corporation of India and especially the farming community for their continued support and patronage. I assure to give better services in the coming years.

I would like to express my gratitude to the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Government of India for their support and guidance.

I would especially like to thank all the employees for taking the Corporation to new heights continuously.

I thank you again for your continued support. I would like to assure on behalf of the Board of Directors and Management that we will continue to provide maximum facilities to all our stakeholders.

Thank you, Jai Hind.



CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

## DIRECTORS' REPORT



Central Warehouse Ahmadabad-I



## DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors are pleased to present their report on the business and operations of the Central Warehousing Corporation (CWC) and the Statement of Accounts for the financial year ended on 31st March, 2022 along with Reports on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development, Corporate Governance with the Auditors' Compliance Certificate thereon, Audited Statements of Accounts together with the Auditors' Report and Comments on the Accounts by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India. You will be pleased to know that your Corporation has given a good Financial Performance during FY 2021-22 and achieved highest ever Turnover and profit.

### 1. FINANCIAL RESULTS

(Rs. in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Revenue from Operations	2130.56	2056.75
Other Income	101.64	111.38
Total Income	2232.20	2168.13
Total Expenses	1642.47	1602.58
Operating Profit	488.08	454.16
Profit Before Tax (PBT)	589.73	565.55
Profit Before Depreciation & Tax (PBDT)	682.80	652.57
Profit After Tax (PAT)	450.56	438.17
Capital Employed	2824.96	2567.90
Net Worth	2824.96	2567.90
Average Net Worth	2696.43	2467.25
CAPEX	253.04	239.66
CAPEX by the end of 3rd Quarter i.e. 31st December	188.56	123.52
Dividend Paid / Payable	141.25	131.47
Dividend/Profit After Tax (%)	31.35	30.00
Operating Profit/Revenue from Operations (%)	22.91	22.08
PAT/Net Worth (%)	15.95	17.06
PAT/Average Net Worth (%)	16.71	17.75
Dividend/Net Worth (%)	5.00	5.12
Trade Receivable as number of days of Revenue from Operations	51	30



### 1.1 FINANCIAL HIGHLIGHTS

The turnover of your Corporation for the year 2021-22 is Rs. 2232.20 crore as compared to Rs. 2168.13 crore in the previous year amounting to increase of Rs. 64.07 crore i.e., increase of 2.95% over the previous year. Profit before Tax for the year 2021-22 is Rs. 589.73 crore as against Rs. 565.55 crore in the previous year i.e. increase of 4.28%. The Profit after Tax for the year 2021-22 is Rs. 450.56 crore as against Rs. 438.17 crore in the previous year, showing an increase of 2.83%.

### 1.2 DIVIDEND


For the financial year 2021-22, the Board has already paid interim dividend of Rs. 127.12 Crore and proposed a final dividend of Rs. 14.13 Crore Totaling Rs.141.25 Crore @ 5% of its Net Worth of Rs. 2824.96 Crore. The corporation is following the guidelines issued by Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) vide its OM dated 27.05.2016 for payment of dividend which provides for payment of minimum annual dividend @30% of Profit After Tax or 5% of Net Worth, whichever is higher. Corporation has paid total Dividend of Rs.180.97 Crore during the year 2021-22 consisting of Rs.127.12 crore for the FY 2021-22, Rs.15.91 crore for FY 2020-21, Rs.6.80 crore for FY 2019-20 and Rs. 31.14 crore for FY 2015-16 as approved by the Board / AGM. The proposed dividend of Rs.14.13 Crore payable for the year 2021-22 has not been accounted in the books as per AS 4 (Para 14) issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

### 1.3. REDUCTION IN LOGISTIC COST

The Corporation has been increasing its efficiency over a period of time and the logistic cost incurred by CWC has reduced which would benefit the logistic sector in general farmers and traders of foodgrains in particular. The storage charges payable by FCI to CWC has reduced from Rs. 5.39 per bag per month for FY 2018-19 to Rs. 4.96 per bag per month for FY 2020-21.

A comparative charge of the storage charges payable by FCI to CWC is as under:

S. No.	Financial Year	Amount per bag per month (In Rs.)
1	2018-19	5.39
2	2019-20	5.07
3	2020-21	4.96







## 2. OPERATIONAL PERFORMANCE

2.1 Your Corporation has operated 424 warehouses with a total operational storage capacity of 102.63 lakh MT (excluding management capacity). This includes 39 Custom Bonded warehouses, 21 CFSs/DPEs/ICDs, one Integrated Rail Terminal- Kalamboli, one Air Cargo Complex (ACC) – Goa, one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) – IGI International Airport, Palam, Delhi, one Temperature Controlled Unit -Vashi, two Integrated Check Posts (ICPs) - Attari and Petrapole. During the year, 3,45,354 MT additional storage capacity has been constructed.

The average capacity utilization during the year under report was 89.57% as against 87.09% during 2021-22. The physical performance of the Corporation during the year under report as against the preceding two years is as under: -


S.No.	Particulars	2021-22	2020-21	2019-20
1	Average operational capacity (Lakh MT)	114.58	106.78	100.18
2	Average Capacity Utilization (Lakh MT)	102.63	93.00	84.50
3	Average Capacity Utilization (%)	89.57	87.09	84.35

The average commodity wise utilisation for FY 2021-22 are as under:

Sl No.	Particulars	2021-22
1.	Average operational capacity (Lakh MT)	114.58
2.	Average Capacity Utilization (Lakh MT)	102.63
3.	Average Capacity Utilization (%)	89.57
4.	Average Commodity-wise Utilization (Lakh MT)	
(i)	Food grains	55.33
(ii)	Dedicated warehousing	15.67
(iii)	Cotton	12.76
(iv)	CFS/ICD & ICP	14.68
(v)	Other Commodities	4.19
(vi)	Total	102.63

### 2.2 Operation of ICDs/CFSs/ACC/ABW

In spite of stiff competition and increase in 'Direct Port Delivery' of Containers at major ports, your Corporation handled 8.77 lakh TEUs during the year under report at its 21 Container Freight Stations (CFSs)/ Direct Port Entry (DPEs)/Inland Clearance Depots (ICDs). Your Corporation also operated one Air Cargo Complex (ACC) at Goa and one Accompanied Baggage Warehouse (ABW) at IGI Airport, Delhi during the year.



### 2.3 Cargo Terminals & Integrated Check Posts (ICP)

The management of the Cargo Terminal of the Integrated Check Post (ICP) at Attari (near Amritsar on Indo Pak border) has been entrusted to your Corporation by the Land Port Authority of India (LPAI). The performance of this ICP has been affected due to movement restriction on Indo-Pak border and the facility recorded 100% occupancy and earned gross revenue of Rs.8.93 crore during 2021-22.

Land Customs Station (LCS) at Petrapole (West Bengal) on the Indo Bangladesh border facilitating the Import/Export trade with Bangladesh through land route has been converted into Integrated Check Post (ICP) on 12th February, 2016. The management of this facility of ICP, Petrapole has been entrusted by Land Port Authority of India (LPAI) to your Corporation on long term basis. During the year under review, the facility recorded 113% capacity utilization and it earned gross revenue of Rs. 23.54 crore.

### 2.4 Container Rail Transportation (CRT) Operations

EXIM containers are being transported from various ports namely, JNPT, Pipavav and Mundra, to and from ICD TKD in an arrangement with CONCOR. The corporation has signed an agreement with M/s ACTL on 07.10.2021 for transportation of EXIM containers between ICD-PPG and Gateway Ports through ICD-ACTL, Ballabgarh during the year 2021-22. The Corporation had also continued handling of cargo transported by Rail at IRT, Kalamboli which started in the FY-2018-19.

### 2.5 Registration of warehouses under Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007.

The Corporation had 344 warehouses registered with WDRA as on 31.03.2022 with the objective to facilitate the farmers and others in availing credit facilities on the strength of electronic Negotiable Warehouse Receipts (e-NWRs) issued through such WDRA registered warehouses.

Further, 37 CWC warehouses were notified as Sub Market Yards in Telangana and Andhra Pradesh. These warehouses were also linked with E-NAM and will work as Mandi Yards where a farmer can store and sell their produce. Also, 24 Central warehouses of CWC in Haryana and CW-Puducherry have been declared as trade area by Govt. of Haryana in the month of November, 2020 and Govt. of Puducherry under the Farmers Produce trade and Commerce Act, 2020. Further 21 Central Warehouses of Jaipur Region in Rajasthan were declared as Mandi Yard for warehouse based sale.



Sh. Arun Kumar Shrivastava, Managing Director along with other Directors presenting 65<sup>th</sup> Annual Report on the occasion of 60<sup>th</sup> Annual General Meeting on 24<sup>th</sup> September, 2022

## 2.6 Development of Private Freight Terminal (PFT)

Corporation is operating three PFTs at Bamanheri, Nabha and Kalamboli. The Corporation is in the process of converting the existing infrastructure into Greenfield PFT at Vashi and Brownfield PFT at Miraj (Maharashtra).

## 2.7 Goods Train Handled at IRT Kalamboli and PFT Bamanheri

During the year total 274 goods trains were handled at IRT Kalamboli and 52 goods trains were handled at PFT Bamanheri.

## 3. CAPITAL STRUCTURE

During the year under report, the authorized and paid-up capital of the Corporation remained unchanged at Rs. 100 crore and Rs. 68.02 crore respectively. The shareholding pattern remained unchanged. The shareholders are the Government of India, State Bank of India, other Scheduled Banks, Cooperative Societies, Insurance Companies and Recognized Associations/Companies dealing in agricultural produce. The shareholding pattern of the Corporation is as follows: -

SN	PARTICULARS	AMOUNT (Rs. in crores)	PERCENTAGE SHARE (%)
1	Central Government	37.42	55.02
2	State Bank of India	14.74	21.67
3	Other Scheduled Banks	10.92	16.05
4	Insurance Companies	04.78	7.02



5	Share Holding Institutions in Cooperative Sector	0.15	0.23
6	Recognized associations dealing in Agriculture produce or any other notified commodity	0.01	0.01

#### 4. CAPITAL EXPENDITURE

Capital expenditure of Rs.253.04 crore was incurred on construction of new warehousing capacity / upgradation of existing warehousing capacity, acquisition of land, IT infrastructure, furniture, and other equipment's. During the year 2021-22, additional storage capacity of 3,45,354 MT was constructed at 35 locations in 14 States. During the year, 1,22,922 MT capacity was upgraded in 45 existing warehouses in line with plan of upgrading the warehouses. Thus during the year in all 4.68 Lakh MT capacity was created/upgraded against the target of 3.83 Lakh MT under the Asset Monetization Details of centre-wise capacity addition are given below: -

#### CAPACITY HANDED OVER DURING 2021-22

S. N.	Region	State	Centre	Capacity (MT)
1	Ahmedabad	Gujrat	CW,Karachia	1382
2	Ahmedabad	Gujrat	CW,Shahalam	12000
3	Bangalore	Karnataka	CW,Davengere	1500
4	Bangalore	Karnataka	CW,Sedam	7645
5	Bangalore	Karnataka	CW,Hubli	12267
6	Bangalore	Karnataka	CW, KIADB	126583
7	Bhopal	Madhya Pradesh	CW,Chindwara	13063
8	Chandigarh	Himachal	CwMandi	612
9	Chandigarh	Himachal	CW,Dehra	3231
10	Chandigarh	Punjab	Nabha	12528
11	Chennai	Tamil Nadu	Cw Madurai	1048
12	Chennai	Tamil Nadu	Madhavaram	4720
13	Chennai	Tamil Nadu	Trichy	6264
14	Chennai	Tamil Nadu	Thanjavur	2800
15	Guwahati	Tripura	Jorhat	843
16	Hyderabad	Andhra Pradesh	CwAnakapalli	6264
17	Hyderabad	Andhra Pradesh	CW,Vizag-I	8062
18	Hyderabad	Andhra Pradesh	CW,Kadappa	6264
19	Hyderabad	Andhra Pradesh	CW,Vijaiwada	9300
20	Hyderabad	Telangana	CW,Bodhan	3237
21	Jaipur	Rajasthan	CW Baran	12654
22	Jaipur	Rajasthan	CW Kotputli	9155



S. N.	Region	State	Centre	Capacity (MT)
23	Jaipur	Rajasthan	CW Sikar	6903
24	Jaipur	Rajasthan	CW Hanumangarh	3020
25	Jaipur	Rajasthan	CW, Chomu	13805
26	Kochi	Kerala	CW Thalassery	12522
27	Lucknow	Uttar Pradesh	CW Bahraich	1839
28	Lucknow	Uttar Pradesh	CW Basti	2016
29	Lucknow	Uttar Pradesh	BD-Muzaffarnagar-PFT	15155
30	Lucknow	Uttar Pradesh	Lucknow-II	1616
31	Lucknow	Uttar Pradesh	Robertsganj	1839
32	Mumbai	Maharashtra	CW, Nagpur	7435
33	Mumbai	Maharashtra	CW, Ambad Nasik	8039
34	Patna	Odisha	CW, Bargarh	1147
35	Patna	Odisha	CW Jatni	8596
			<b>Total</b>	<b>345354</b>
36	Upgradation of Warehouses (45)			122922
			<b>GRAND TOTAL</b>	<b>468276</b>

Upgradation works at 65 warehouses are in progress as on 31.03.2022. Corporation has initiated action to construct additional storage capacity of around 3.84 LMT over vacant land in CW Complexes across the country during the year 2022-23.

The private investment of Rs.90.69 crore has been made against the target of Rs.25.00 crore by e-Commerce, Cold Chain and Mobile Tower Companies in CWC's existing Land and Godowns under the Asset Monetization.

## 5. INFORMATION TECHNOLOGY

**5.1 Warehouse Management System (WMS)**, a cloud-based application has been implemented at all warehouses of the corporation for managing all activities of Warehousing and the same has been duly integrated with e-invoicing, financial accounting and banking solutions. New features have been included for "Customer Feedback", management warehousing, business economy reports, integration with WDRA repositories etc. during the year.

**5.2 CCTV Surveillance System** has been installed at 418 locations PAN India to strengthen the security of the warehouses. Live CCTV web feed of 310 warehouses has been made available on corporate website.

**5.3 Bill Tracking System (BTS)** has been implemented for CWC and CRWC to track the movement of bills and status of payment online through one platform.

**5.4 HRMS application** has been implemented for employees payroll and employees self service which includes Annual performance Appraisal report, probation completion reports, Leave,



attendance, travel requests, reimbursements of Modules for online Probation clearance, online regularization of Official Duty, Laptop/Mobile purchase & reimbursement etc. The HRMS application has also been implemented for CRWC. CWC's Handy HR mobile application, for marking attendance online through geo-fencing, has been made live for CRWC at Corporate Office, New Delhi.

**5.5 E-Litigation portal** has been made live for online monitoring of pending court cases/arbitration cases.

**5.6** Software has been made live for automating **online generation of Monthly Performance Reports** for all Divisions at Corporate Office.

**5.7 Data Leak Prevention (DLP)** software has been implemented in systems at CO and all ROs. It monitors the activities at the concerned PC/laptop and ensures data security.

**5.8 Sea Cargo Manifest and Transshipment Regulations (SCMTR)** has been implemented at 10 locations across PAN India. **e-Vault software**, for registering and monitoring customs related cases/queries, has been made live.

**5.9** An updated career portal has been made live and **online submission of applications** has been enabled for the posts of Consultant and Advisor through Career Portal for CO and all ROs. **Career Portal has been made live for CRWC** and online submission of applications has been enabled for the posts of Consultant and Advisor through Career Portal. Revamped career portal, along with **integration with payment gateway**, has been launched for induction of lateral entries.

**5.10 ICD/CFS software has been implemented at the CFS/ICDs for managing the operations at CFS/ICDs and raising the invoices for the services provided. The software is integrated with accounting applications. B2C UPI QR codes on e-invoicing** has been implemented to allow customers to pay invoice through UPI.

**5.11 Phase-I of Warehouse Aggregation Portal** of the Corporation has been made live to provide a one stop digital solution by providing on-demand warehousing space for all kind of business requirements varying from Government Organizations to Private depositors, e-commerce companies where customers can find and book space at their desired location.

**5.12 Security Audit Compliance software** made live for Inspection Division. The Division is responsible to maintain the security compliances in the Corporation for which necessary monitoring and record keeping is important. The software enables the Division to proactively monitor and take necessary actions in case of any non-compliance.

**5.13 The Corporation has launched e-Book "Satarkta Samvedan 2021" digitally. The digital calendar and digital diary for the year 2022 were also launched.**

**5.14 Launched e-office transactions' monitoring module** to monitor the usage of e-office by the employees, accessible to MD, Directors, HODs and RMs.

**5.15 Launched Robotic Process Automation (RPA)** for automating training process at Corporate Office.

**5.16 Launched dynamic re-designed corporate website.**

**5.17 Contract Management System** has been implemented for Engineering Division for automated tracking of each stage of engineering contracts.



**5.18 Third party module**, for allowing the depositors to see their current stocks, to know the current status of their cargo, to pay the unpaid invoices by using the payment gateway and for various other self-services, has been implemented at CFS Whitefield.

**5.19 Software for automation of board level meetings** has been implemented.

**5.20** The Internal Audit Application, for automating the processes being undertaken by I/A Division, has been made live. This has automated the processes of the I/A Division along with paperless working, enabling the issuance of reports, submission of replies, and its compliances in a single window concept. The auditor as well as the auditee has ease of submitting their replies/comments/compliance through portal resulting in faster movement as well as tracking of reports. The reports can be accessed from anywhere and at any time through the modality of the portal. The application not only brings transparency but also eases monitoring, accessibility, and reduces the dwell time of the audit cycle.

## 6. STANDARDISATION/CERTIFICATIONS

At present your Corporation is certified under ISO 9001:2015 (QMS: Quality Management Systems), 14001:2015 (EMS: Environmental Management System), 45001:2018 (OHSAS: Occupational Health & Safety Management System) and ABMS 37001:2016 (ABMS: Anti-Bribery Management System).

The Corporation has also initiated implementation of Safety Audit under ISO norms at all Regional Offices/Warehouses for Fire, Burglary, Accident and Earthquake etc. The corporation has also initiated to upgrade the warehouses in respect of infrastructure, safety and environment. The employees of the Corporation have been provided training regarding various ISO certifications.

## 7. WHOLLY OWNED SUBSIDIARY COMPANY (CRWC)

Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) is a wholly owned subsidiary of Central Warehousing Corporation, incorporated in the Year 2007 and it received the certificate for commencement of business on 24th July, 2007. CWC has invested Rs. 40.56 Crore as equity in CRWC. CRWC operates 20 Railside Warehouse Complexes in the country with the storage capacity of 3.55 Lakh MT. The performance highlights of CRWC are as under:

### 7.1 Income and Profit

CRWC has achieved an excellent growth in the operating and financial performance and achieved the highest ever turnover and profit after tax during the year. The total income of the company increased by 31% to Rs. 128.55 crore as against Rs. 98.12 crore in FY 2020-21. Profit after tax (PAT) for the year also increased by 63% to Rs. 31.65 crores as against Rs.19.37 crore in FY 2020-21.


(Rs in Crore)

Particulars	2021-22	2020-21
Turnover	128.55	98.12
Profit Before Tax (PBT)	42.54	25.91
Profit After Tax (PAT)	31.65	19.37
Dividend for the year	9.50	7.50



## 7.2 Physical performance

As on March 31, 2022, CRWC operated 20 Railside warehouse complexes with a total operational storage capacity of 3.55 LMT and rated capacity of 2.59 LMT. The average capacity utilization for the year 2021-22 is 97.89 % as compared to 72.06 % in the year 2020-21 based on revenue (PMT). Your Company has handled 63.02 LMTs in FY 2021-22 as against 48.63 LMTs in FY 2020-21.



## 7.3 Projects under construction:

### a) **Railside Warehouse Complex at Mancheswar, Odissa**

The contract for construction work of RWC at Mancheswar with 9500 MT capacity was awarded in March, 2020 and M/s RITES limited has been appointed as project management consultant for the project. Construction of same is under progress and planned to be completed by December, 2022.

### b) **Railside Warehouse Complex at Gandhidham, Gujarat**

The contract for construction work of RWC at Gandhidham, Gujarat with 13500 MT capacity has been awarded in June, 2021 and M/s RITES limited has been appointed as project management consultant for the project. Construction has started in May, 2021 and planned to be completed by December, 2022.

### c) **Railside Warehouse Complex at Sankrail, West Bengal**

The contract for construction work of RWC at Sankrail, West Bengal with 13500 MT capacity was awarded in June, 2021. However, the awarded work has been foreclosed due to redesigning of Structure and fresh tender is being invited. It is planned to be completed by December, 2023.

### d) **Railside Warehouse Complex at Ghaziabad, U.P.**

The Construction work of additional warehouse at existing RWC at Ghaziabad, U.P. with 7500 MT capacity was awarded in November, 2021. The Construction work is underway and planned to be completed by November, 2022.

### e) **Goods shed at Bhopatpur, U. P.:**

The Work order for Development of Goods shed freight terminal between Shahjanpur and Pilibhit Station over Izzatnagar Division was awarded in October, 2021 and is under process. The same is planned to be completed by July, 2022.





## 7.4 New Projects planned for Construction:

### (a) Revised Tripartite MOU with Ministry of Railways

Revised Tripartite MOU amongst Ministry of Railways, CWC and CRWC has been signed on 14.05.2021 which has offered a wider scope and business prospects for CRWC for expansion. As per revised MoU, CRWC has mandate to construct and operate Railside Warehouse Complexes, Silos, Steel Yards, Liquid Tanks at Railway siding/ any of the railway side/ anywhere on Goods Shed Area. Recently, Ministry of Railways vide its letter dated 2012/TC(FM)/23/09 dated 08.04.2022 has approved following ten locations for development of Railside Warehouse Complexes: -

Location	State
Chariali	Assam
Asarwa and Vatva	Gujarat
Jirania	Tripura
Jagannathpur and Cuttack	Orissa
Nandganj and Dohna	Uttar Pradesh
Changra Bandha and Hasimara	West Bengal

(b) **Tripartite MOU with Konkan Railways Corporation Limited (KRCL):** As a part of Gati Shakti Mission a tripartite MoU signed amongst CRWC, CWC and KRCL was signed on 04.03.2022 for development and maintenance of goods shed and Railside Warehouse Complexes (RWCs) on the lands owned and controlled by KRCL at various railway stations/ goods-shed as well as at other locations (within goods-shed/ nearby area) for meeting the logistics requirement of its customers and to provide better services. List of 12 locations under KRCL are as follows: -

Location	State
Chiplun, Ratnagiri, Zarap, Khed, Karanjadi and Indapur	Maharashtra
Verna	Goa
Karwar, Ankola, Udupi, Thokur and Surathkal	Karnataka

Project Management consultancy (PMC) for these projects has been awarded to M/s RITES Limited.

### (c) FARM- Gate Projects:

As per the MOU signed with APAMB, Govt. of Arunachal Pradesh for setting up of FARM GATE Logistics in Arunachal Pradesh in three Districts of Arunachal Pradesh viz. Lower Subansiri, Changlang and Lohit, the State Government has approved for giving 100% CAPEX and CRWC shall operate the facility with 50% - 50% sharing of profits. During the reporting period, CRWC has received 150.00 Lakhs from APAMB towards capital investment (1st Feb 2022). The tender process for setting up the Farm gate logistics has been initiated. The project is under implementation and is likely to be completed by September 2022.

## 7.5 Legal Compliances

All compliances were made with regard to Companies Act, 2013 and other statutory obligations. The Corporate Governance and Risk Management were scrupulously followed.



## 7.6 Merger of CRWC with CWC

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution vide letter no. F.No.9-32/2020-SG-I dated 06.07.2021 (received on 12.07.2021) has conveyed the approval of Union Cabinet on the merger of Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) with Central Warehousing Corporation (CWC). Thereafter, Scheme of merger was approved by CRWC in its 75<sup>th</sup> BoD meeting held on 13.08.2021 and by CWC in its 363<sup>rd</sup> BoD meeting held on 01.09.2021.

Accordingly, application for merger has been filed with NCLT. The matter is currently pending at NCLT. CWC is exploring alternative ways to implement the Cabinet decision i.e. transfer of Business entity with all assets and liabilities through slump sale or gift deed and subsequently wind up the CRWC.

## 8. STATE WAREHOUSING CORPORATIONS (SWCs)

As on 31st March, 2022, there are 19 State Warehousing Corporations. Your Corporation holds 50% equity in these 19 State Warehousing Corporations (SWCs) with the respective State Governments holding the remaining 50% of the equity. As on 31st March, 2022 these SWCs were operating with the network of 2190 warehouses with an aggregate storage capacity of 502.60 lakh MT.

Details of the storage capacity operated by SWCs are given below and at Annex-I

(Capacity in lakh MT)

Storage Capacity	2021-22	2020-21	2019-20
Owned (Constructed)	195.55	190.74	195.72
Hired (Covered)	223.84	179.20	76.70
Plinth	44.91	35.77	9.68
Management Warehousing	38.30	33.41	115.14
Total	502.60	439.12	397.24
No. of Warehouses	2190	2203	2093

As on 31st March, 2022, the aggregate investment by your Corporation in the equity of the SWCs stood at Rs. 61.79 crore. The details of investment in SWCs are given at Annex -II. During the year under report, 12 SWCs held their AGMs and an amount of Rs. 23.75 crore has been received as dividend. The details of the dividend declared by the SWCs and amount received by the Corporation are given at Annex III.

## 9. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

**9.1** Your Corporation believes that its success depends on alignment and performance of its dedicated workforce. In order to create value for the organization and based on the long-time plan and current realities, the focus during the year was mainly in the following domain:

- Enhancing employee productivity to reach the best-in-class levels and improve profitability by striving for competitive wage cost. To develop leadership and manage talent and employee performance across all levels of the work force.
- As on 31st March, 2022, the total strength of employees stood at 2288 as against 2642 at the end of preceding year. Your Corporation has a balanced and young workforce with best across industry average employee age of about 40 years. This dynamic and progressive workforce supplement the vision of an innovation oriented and technology driven organization.



- The Corporation adheres to Government of India guidelines regarding provisions for SC, ST and OBC categories. SCs and STs (excluding Safaiwala) constitute 29.16 % of the total workforce of the Corporation.
- The group-wise human resource strength as on 31st March, 2022 is as under:

Group	Total Employees	SCs	STs	Total SC/ST	SCs/ STs (%)
A	277	52	32	84	30.32
B	706	139	48	187	26.49
C	1150	198	111	309	26.87
D (exclusive Safaiwala)	91	18	12	30	32.97
Total	2224	407	203	610	27.42
D (Safaiwala)	64	34	0	34	53.13
Grand Total	2288	441	203	644	28.15

## 9.2 Learning & Development

Your Corporation adjusts learning management practices and solutions in line with the growth of productivity. Your Corporation continued to invest in enhancing professional skills and competencies of its employees. With the objective of enhancing the functional and leadership competencies, extensive training programmes for employees in line with the business requirement of the Corporation, both in the areas of general management and specialist skill development were planned and executed.

During the year, a number of need based training programmes were conducted in different functional areas for the employees that were also availed by the officials of State Warehousing Corporations (SWCs). The details of training programs during 2021-22 (within India) are appended below: -

S. No.	Nature of training	No. of Officials Trained at CO & Hapur			No. of Officials trained at ROs			Total
		CWC	SWC	Others	CWC	SWC	Others	
1.	In-House Program at CO & Hapur - 42 Nos. & 09 RO	1099	-	02	80	-	-	1181
2.	08 Special Training Programs at IGMRI, Hapur on payment basis	29	35	117	-	-	-	181
3.	02 Special Training Program at IGMRI, Hapur on non-payment basis	-	34	24	-	-	-	58
4.	02 Special Training Programs on behalf of WDRA on payment basis	49	-	18	-	-	-	67
5.	Nominations to other Institutes	509	-	-	-	-	-	509
<b>Total</b>		<b>1686</b>	<b>69</b>	<b>161</b>	<b>80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1996</b>




Residential Training Program on Warehouse Management Solutions  
at IGMRI, Hapur

Despite the COVID-19 pandemic, Corporation meticulously conducted 36 virtual training programs that were tailor made to suit and adapt to the requirements of all the rungs of employees of the Corporation.

Warehouse Management System (WMS) module and its various dimensions introduced in the Corporation for efficient upkeep, documentation & maintenance of stock of notified and allied commodities at warehouse. Besides, training programmes on E-Office & Leadership Development were also held. Corporation signed an MoU with the Department of Food and Public Distribution on 25th October, 2012 (renewed on 31st May, 2018 for further 05 years) for taking over the facilities of IGMRI, Hapur for developing as a 'Centre of Excellence' for training in post-harvest management of foodgrains and other agricultural commodities.

The Training Institute at IGMRI Campus, Hapur had started functioning w.e.f. 8th May, 2013. During the year 2021-22, CWC conducted 54 In-House Training for the employees of the Corporation & SWCs in different functional areas for the benefit of FCI, CWC, SWCs, State Government agencies, Private Entrepreneurs and WDRA sponsored agencies.

During the year, Corporation had trained 277 participants (including 67 sponsored by WDRA) of other Departments/SWCs/Institutes/private participants in different training programmes and realized Rs. 37,47,467/- (including GST) towards course fee & hostel charges. The total man-days for various training program for the FY 2021-22 turned out to be 6,752.



### 9.3 SWACHH BHARAT MISSION

The Corporation observed Swachhata Pakhwada -2022 across all the Regional Offices from 16.02.2022 to 28.02.2022. During this period, various activities i.e. essay competition organized on Importance of ‘Hygiene and sanitation’, Distribution of Jute Bags among the mass to promote awareness over minimizing the use of Plastic Bags in day-to-day life, placing banners in Corporate Office, Regional Offices and Field Units over observance of Swachhata Pakhwada -2022, and intense cleanliness drive by staff in offices and near-by areas etc. were undertaken.

### 9.4 POSHAN MAAH

Central Warehousing Corporation celebrated the 4th Rashtriya Poshan Maah -2021 during the month of September -2021. Under the Poshan Maah program, various activities were undertaken i.e. Tree plantation drive in offices & field units, online webinar on topic ‘5-minute Yoga protocol’ at workplace,



Director (Pers), Director (MCP), Director (Finance) and other officials of the Corporation participating in cleanliness drive on “Swachhata Pakhwada”



CWC Officials distributing Poshan Kits at Aagan Wadi, Andrews Ganj on the Occasion of Poshan Maah Programme.

Quiz competition was organized on topic “benefits of fortified rice’ and Distribution of Nutrition kits were undertaken among the under-privileged women & children .

#### 9.5 COVID - 19 MANAGEMENT IN CWC

To contain the spread of Covid - 19 in offices, periodical RT- PCR tests were carried out for the regular as well as outsourced staff working in offices & field units. This would identify even the asymptomatic Covid-19 patients and ensure safety and well-being of staff at work place. On four occasions on-site Covid -19 vaccination camps were organized at the corporate office in which total 861 persons were administered first and second covid-19 vaccination. They were CWC Regular staff & their family members and outsourced staff, DFPD staff and Nafed staff. Daily sanitizing of work place, vehicles were undertaken and during weekends deep sanitization of whole office building done to ensure safe & healthy environment in office. Covid -19 appropriate behavior guidelines were strictly followed. Along with other equipments, CWC also purchased 03 oxygen concentrators for emergent use.

#### 9.6 AZADI KA AMRIT MAHOTSAV (AKAM)

Central Warehousing Corporation followed the instructions issued by the Dept. of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution towards organizing the AKAM to Commemorate 75th year of Indian Independence. CWC formulated a program in which 75 events are to be celebrated at 75 different locations based upon the 75 different themes i.e unsung heroes of Indian freedom movement. As on 31st March, 2022, CWC had successfully organized 54 events out of total 75 events under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. This also includes 06 quality enriched program which is performed in the form of Nukkad Natak with the help of local artists.

#### 9.7 FOUNDATION DAY

For Business Promotion CWC organized a cricket Match with Big Basket which was played at Siri Fort Sports Complex on 06.03.2022. Executives from both organizations were present during the match. The game was played in a very friendly manner. It was a very exciting match & had a thrilling finish. Big Basket won the match in the final over. Director M&CP gave away the prizes to both the teams.



Corporation was awarded second prize for Best Publication of ‘Bhandaran Bharti’ in-house journal for the year 2021 from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC)

## 9.8 INDUSTRIAL RELATIONS

The management of your Corporation believes in a process of open and transparent consultation with collective participation of all concerned. The Industrial Relations during the year 2021-22 remained cordial and no incident of Industrial unrest or strike occurred.

## 10. SPECIAL ACHIEVEMENTS

Your Corporation continued to excel in fields of its activities and was a proud recipient of the following awards: -

**10.1** During the year under report your Corporation was awarded second prize for Best Publication of ‘Bhandaran Bharti’ in-house journal for the year 2021 from Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Delhi. Regional office, Guwahati was also awarded prize for the year 2021-22 by TOLIC (Undertaking) for excellent work in Official Language.

## 11. TECHNICAL & QUALITY CONTROL

### 11.1 QUALITY CONTROL AND PRESERVATION

Our Corporation being a premier organization for scientific storage is making utmost efforts to preserve the stock of its valued depositors in good condition till its delivery, subject to natural shrinkage, moisture driage and calamities beyond its control. The qualified and trained technical personnel of the Corporation maintain the quality of stocks by undertaking timely prophylactic and curative treatment as and when required.



The detail of work undertaken during the year 2021-22 is as under: -

S.No.	Particulars	In lakh MT
1	Quantity of stock prophylactic treatment	464.06
2	Quantity of stock fumigated including Initial Fumigation	170.46

### 11.2 SAMPLE ANALYSIS AT LABORATORIES

Analysis of food grain stocks are being done regularly during receipt, storage and at the time of delivery. In order to have verification of the quality of the stocks received at the warehouse, some of the samples drawn during inspection are referred to Central Warehousing Corporation Grain Analysis Laboratories situated at Chandigarh, Hyderabad and Ahmedabad. During the year 2021-22, 975 nos. of samples were analyzed.

### 11.3 FARMERS EXTENSION SERVICE SCHEME

The basic objective of this scheme is to create awareness amongst the farmers about scientific storage of food grains, use of public warehouses and assisting the farming community to get loans against pledge of the warehouse receipt. This scheme is being operated through 255 warehouses throughout the country. During the year 2021-22, 5716 number of villages was visited and 229843 farmers were educated. The farmers were imparted training for minimizing the post-Harvest losses. Besides, in order to acquaint the farmers about benefits of Warehousing (Development & Regulation) Act, 2007 and e-Negotiable Warehouse Receipt system, 20 special training programmes were conducted in which 1000 farmers participated.

### 11.4 QUARANTINE FUMIGATION

Food grain stock as and when received at the warehouse in infested condition is subjected to quarantine fumigation. During the year under report, the Corporation under took the quarantine fumigation of 27838 MT of stocks.



Training of Farmers under Farmer extension Scheme at CW-1, Raipur.





Curative and Prophylactic treatment of food grain stocked

### 11.5 STORAGE LOSSES

The storage loss/gain in case of food grain stocks during the storage period is a natural phenomenon and depends upon the climatic factors. During the year 2021-22, storage losses were kept to bare minimum and stood at 0.02 % by proper storage and preservation techniques.

### 12. PEST CONTROL SERVICES

Since 1968, the Corporation has been providing Pest Control Services for the benefit of Farmers, Traders, Exporters, Importers, Shipping Agents, etc. The services have also been extended for Railway coaches, Aircrafts, Export and Import Cargo in Containers and Ships, Airports, Hospitals, Hotels & Restaurants, Educational institutions, Banks and other public/private institutions. The Corporation earned revenue of Rs.40.89 crore in the year 2021-22 from Pest Control activity. Due to the outbreak of COVID-19, the Disinfection service emerged as a distinct segment and generated revenue of Rs. 14.59 crore by providing facility at more than 200 organizations. An amount of Rs. 17.83 crore was earned from the segment of General Disinfestation which includes services like spraying work, mosquito control, cockroach control, rodent control, etc. Similarly, the Corporation earned Rs. 5.44 crore from various Fumigation services such as container fumigation, aircraft fumigation, ship fumigation, and commodity fumigation during the year 2021-22. The Corporation also generated revenue of Rs. 3.03 crore towards vector control & anti-termite treatment and is making consistent efforts in other segments of services like Weed, Bed-bug and Lizard control.

### 13. RESEARCH AND DEVELOPMENT

Over the years, the Research and Development Sub-division of the Corporation has formulated 'Code of Storage Practices' for more than 200 commodities including agricultural produce, industrial chemicals and other notified commodities. It has also been working on improving existing storage practices to provide guidelines to the field units to maintain quality of the stock. During the year under report, the following Research and Development activities were undertaken:

- a. A collaborative study of FCI/CWC/SWC on determination & recommendation of storage loss/gain norms in foodgrains entrusted to Indian Council of Agriculture Research (ICAR) New Delhi with the objective to identify the extent of losses/gain in Rice & Wheat has been completed and the new norms for storage loss/gain for rice & wheat has been implemented.
- b. CO<sub>2</sub> Fumigation study on Rice stock has been successfully conducted at CW Mohali. Further study



Sh Virendra Singh, Chairman along with Sh Arun Kumar Shrivastava, Managing Director and other Directors releasing the “ Bhandaran Bharati- Rajbhasha Visheshank” on the occasion of 60<sup>th</sup> Annual general Meeting on 24<sup>th</sup> September, 2022

on Hermetic storage/ CO<sub>2</sub> fumigation on high value commodities is being planned at 3 locations for FY 2022-23.

- c. Set up of temperature controlled warehouses for storage of Onions and other horticultural commodities have been initiated.
- d. Study on use of alternate dunnage (Poly pallets) in CWC warehouses is being conducted on trial basis for storage of food grain in CWC Warehouses. An amount of Rs.1177.22 Lakh has been spent on procurement of Polly Pallets for this purpose.

#### 14. RAJBHASHA

To ensure implementation of Rajbhasha policy of the Government of India, your Corporation has taken several steps to promote usage of Hindi in Official work. During the year, Quarterly meetings of Official Language Implementation Committee in the Corporate Office as well as various Regional Offices were held regularly to review the progress made and check out activities to enhance the Hindi correspondence as per target fixed in the Annual Programme by the Official Language Department. During the year, 04 full day Hindi workshops were conducted on quarterly basis at Corporate Office in which 83 officers and staff participated.

During the year, Corporation has published two issues of the half yearly in- house magazine “Bhandaran Bharati’ in which one issue is published as “Bhandaran Special’ and other issue as “Rajbhasha Special’. Articles on scientific warehousing and other subjects as well as various activities were also published in these magazines. “Bhandaran Bharati - Rajbhasha special issue’ was published and released during the Annual General Meeting of the shareholders of the Corporation held on 28th September, 2021. In addition, Hindi Fortnight was also observed in the month of September, 2021



throughout the Corporation. During the period, two competitions relating to progressive use of Hindi were held and 11 cash prizes were awarded to the winners. Besides, cash prizes were also awarded to 15 officials for doing maximum noting / drafting and 04 officers for dictation in Hindi. Three divisions of the corporate office were also awarded Rajbhasha Shield for doing commendable work in Hindi. In order to encourage the field units for greater use of Hindi as Official Language the best performing regional offices are presented with trophies every year.

During the year under report, the Corporation had received second Prize for Best Publication of "Bhandaran Bharati" in-house journal for the year 2021 and Regional office, Guwahati was also awarded prize for the year 2021-22 by TOLIC (Undertaking) for excellent work in Official Language.

During the year 2021-22, to promote Official Language Hindi, two days Rajbhasha Kaushal Vikas Prashikshan Programme was organized on 14-15 March, 2022 through virtual media on All India level basis for the official dealing in Official Language policy implementation and translation work at CO, RO and at Warehouses in which 37 participants attended the programme.

During the year 2021-22, E-inspections were carried out of RO, Lucknow and Patna by CO. RO, Hyderabad and Chandigarh were also inspected manually by CO. Moreover, Regional Office, Hyderabad and Bhopal were inspected by the second sub-committee of Parliament of Official Language on 27.09.2021 and 02.03.2022, respectively. During the inspection, all the Committee members expressed satisfaction over the progressive use of Hindi in Regional offices.

## 15. VIGILANCE

During the year 2021-22, Vigilance Division undertook 09 preventive checks, 16 surprise checks and 07 CTEs under preventive vigilance. Emphasis was laid on expeditious completion of disciplinary proceedings. Investigation in 06 cases was completed during the year. Major penalty proceedings in 04 cases involving 13 officials and minor penalty proceedings in 07 cases involving 21 officials were initiated. As a result of concerted efforts, 06 cases of minor penalty involving 19 officials and 05 cases of major penalty involving 09 officials were decided during the period. A sum of Rs.11.98 lakhs approx. have been recovered from the contractors due to preventive checks.

Vigilance Awareness Week was observed from 26.10.2021 to 01.11.2021. On this occasion 21st edition of book titled "Satarkta Samvedan" containing articles on vigilance matters including important CVC circulars was released. In order to sensitize the officials of Corporation on vigilance matters, greater emphasis has been laid on implementing CVC guidelines towards improving vigilance administration by leveraging technology, to create a culture of transparency through effective use of e-governance tools. Based on the deficiencies noticed during the preventive checks, investigation and inquiry proceedings, guidelines on system improvements have been issued.

CWC is first to get Anti-Bribery Management System (ABMS) certification out of all the PSUs on 27.10.2020. Now we have completed one year and First year audit had also been conducted successfully. The surveillance audit for the second year by BIS was conducted in the month of December 2021 and January 2022. The training on administrative vigilance for IO/PO was conducted from 16.09.2021 to 17.09.2021. Vigilance Coordinators were nominated by the Vigilance Division in every Region and in various Divisions at Corporate Office to percolate vigilance awareness to the grass root level of the organization apart from expediting the vigilance related matters.

## 16. INTERNAL AUDIT, INTERNAL CONTROL SYSTEMS

**16.1** The Corporation has robust systems and processes, commensurate with the nature and size of



the corporation, in place for smooth, effective and efficient conduct of business operations, reliability of financial reporting, safeguarding of assets and compliances with relevant laws and regulations.

It has well documented system of internal financial controls, in the form of delegation of powers, policies and procedures, manuals, guidelines that cover critical as well as important activities of financial and other operating functions. These are designed and formulated to ensure compliance to the internal financial controls, regulatory and statutory provisions as well as to provide highest level of corporate governance.

In order to ensure that all checks and balances are in place and internal control systems are in order, regular and exhaustive internal audits are conducted by the experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with the Corporation's own Internal Audit Division. Besides, the Corporation has Audit Committee, being Board Level sub-committee, which keeps close watch on various aspects of the audit including planning, monitoring progress thereon.

**16.2** The corporation has an efficient system of internal controls for achieving the following business objectives: -

Efficiency and effectiveness of business operations;

Safeguarding of assets from unauthorized access, use and disposition;

Accuracy and promptness of financial reporting;

Compliance with the laid down policies and procedures; and

Compliance with various laws and regulations.

**16.3** Your corporation during the financial year 2021-22 moved upward on following;

**16.3.1** Conducting Internal Audit through Virtual Mode:

During the Financial year, audit of 189 units have been carried out as per the plan approved by the Board Level Sub-Committee. Exploring the possibility of conducting the Internal Audit through virtual mode in the Pandemic total 38 units have been audited through virtual mode using various e-tools.

**16.3.2 Digitization of Internal Audit:**

Moving a step towards digitization, for the first time in the history of the Corporation, the internal audit reports of all 189 units were issued and made available through the Internal Audit Portal.

The processing of the Internal Audit Report as well as progress is being monitored through the Internal Audit Portal only.

**16.3.3 Third Party review of Internal Audit Manual:**

The assignment of Review of the Internal Audit Manual, which was more than a decade old as directed by the audit committee for third party review was awarded on 07.03.2022.

## **17. GENERAL AND TECHNICAL INSPECTIONS**

During the Financial Year- 2021-22, 418 General Inspections have been conducted in all 14 Regions and 100% target has been achieved and during the year 1165 technical inspections have been conducted.



## 18. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Right to information Act, 2005(RTI) has been implemented in Corporation with the Group General Manager(pers.) at the Corporate Office as the Central Public Information Officer(CPIO) , and the Regional Managers designated as the PIOs. The Director (Personnel) is the Appellate Authority, a Nodal officer and a Transparency Officer designated under the RTI Act, 2005. The names of AA/CPIO/PIO/Nodal Officer, AGM (Pers.)/Transparency officer are displayed on the website of Corporation. During the year 2021-22 under report, 253 applications seeking information under the RTI Act were received and disposed off. Further, 68 appeals were also received by the Appellate Authority and disposed off.

## 19. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Your Directors hereby confirms that:

In the preparation of the Annual Accounts for the year ended as on March 31, 2022, the relevant accounting standards have been followed and there has been no material departure. The accounting policies have been selected and applied consistently and judgments and estimates made are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation as at March 31, 2022 and of the Profit of the Corporation for the year ended on that date.

Proper and sufficient care has been taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Warehousing Corporations Act, 1962 and the rules framed there under for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

The annual accounts for the financial year ended March 31, 2022 have been prepared on a "going concern" basis.

The internal financial controls to be followed by the Corporation have been laid down and the same were adequate and were operating effectively.

Proper system has been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 20. CSR AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES

The corporation is engaging in CSR activities for all round development, betterment and upliftment of the Society. Engaging in CSR activities is not only mandatory, it also improves the image of the Corporation as a caring socially responsible Organization with compassion, consideration and empathy for the society. The corporation has embedded the CSR vision into the business vision.

Corporation has adopted DPE guidelines on CSR issued vide OM dated 21.10.2014, OM dated 10.12.2018 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021. Department of Public Enterprises, Govt. of India has declared "Healthcare & Nutrition with special focus on Covid related measures including setting up makeshift hospitals and temporary Covid Care Facilities" as the common theme for undertaking CSR activities for FY 2021-22. The corporation is taking up CSR expenditure in the aspirational districts declared by Govt. of India.

The corporation was required to spend Rs. 793.58 lakh on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development activities during financial year 2021-22.



The corporation has spent Rs. 802.52 lakh .The said amount has been spent on procurement of ambulances, Insulated Vaccine Carrier Vans, Medical Loading Vehicles, ICU Beds, pediatric ICU cots, electric Scooters to ANMs and other medical equipment ie X-ray machines , ECG machines ,pulse oxi-meters etc, Construction and upgradation of Model Anganwadi Centers , installation of minor irrigation systems and installation of Oxygen Pipeline , setting up of makeshift Covid care centers , maternity wards and setting up of green corridor at railway tracks. A report on CSR and sustainable development activities is placed at Annex-A.

## 21. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS REPORT

Supply chains are the backbone of any country's economy. In 2020, the pandemic disrupted supply chains as the demand for logistics support dropped in the wake of the lockdown. In 2021, there were different challenges, but the overall recovery has been quite encouraging. In fact, in many areas, the demand has risen so sharply that it caused bottlenecks due to a supply gap. Leasing in the warehousing segment is expected to breach the Pre-Covid level and reach a new high, on the back of continued expansion of e-commerce and 3PL firms against the backdrop of macro-economic recovery and rise in online retail penetration.

A lot of push is being given to make India a \$5 trillion economy by 2024-2025. As manufacturing, e-commerce and D2C retail segments grow, this goal has become increasingly achievable. However, we need to take the right steps towards building technology-driven warehousing and transportation facilities to make it happen. Therefore, as we move in 2023, there is a need to make our supply chains resilient and dynamic by focusing on the following points.

### Growth of Warehousing in India

The warehousing sector in India has been on a high growth trajectory in recent years. Its first major stimulus came through the introduction of the GST regime in 2017, which saw the sector growing from 35 million sqft (MSF) during 2015-17 to 77 MSF over 2018-20. And since last year Covid-19 has been accelerating its rise as one of India's sunrise sectors, with analysts expecting leasing activity to touch new highs as the pandemic reinforces the need for a robust supply chain. The Indian Warehousing Market is estimated at \$12.2 billion in 2020 and expected to grow to \$19.5 billion by 2025.

Even before Covid-19, global manufacturing was witnessing a visible shift towards alternative hubs. Thanks to improved domestic capabilities in recent years, India has increasingly become an active player in the global manufacturing supply chain. This has been supported by government initiatives such as Make in India, Aatma Nirbhar Bharat and the PLI scheme. "As a result, demand in the industrial and warehousing (I&W) sector has surged, making it one of the key growth drivers of the logistics sector.

Another factor driving the warehousing story is the exponential growth in e-commerce and online shopping, which has propelled businesses to ramp up supply and storage to improve delivery. Official policies like the establishment of logistics parks and free trade warehouse zones are expected to spur market growth in the coming years. Emergence of 3PL and super grid logistics is another factor that will fuel growth.

### Market insights:

In FY 2020, the warehousing market was valued at INR 1050 billion. In terms of space requirement, it stood at 265 million square feet in FY 2021. The total revenue is projected to reach INR 2243.79 billion



in 2026, expanding at a CAGR of 10.90%. The space requirement is expected to reach 483 million square feet in 2026, expanding at a CAGR of 12.77%. The top six cities with modern warehousing capacity are Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Delhi and Pune.

### Segment insights:

In 2021, the Third-Party Logistics (3PL) sector acquired the maximum warehousing space, followed by e-commerce. The 3PL, e-commerce, FMCD, FMCG, and retail sectors acquired 31%, 31%, 5%, 5%, 4% of warehousing space, respectively. The FMCD, FMCG, and retail sectors outsource their space requirements to 3PL players. Therefore, their warehousing space requirement is less than that of 3PL sector.

### COVID-19 impact analysis:

While demand in other commercial real estate asset classes like hospitality, retail and office have been severely impacted during the previous year, the warehousing market has been relatively less adversely impacted.

- E-commerce sector growth accelerates due to pandemic restrictions.
- Increase in inventory levels to address stock-outs.
- Consolidation takes a backseat as players re-strategize supply chain.
- Benefit to India from decentralization of global manufacturing.
- Cold chain warehousing gains ground.
- In-city warehousing to ride on accelerated e-commerce demand
- Institutionalization of warehousing segment to accelerate
- Need for warehousing automation Increases
- Secondary warehousing markets receive further boost in growth

### Supply and Leasing of Warehousing Space in India

Driven by demand from 3PL, e-commerce and manufacturing sectors, industrial and warehousing space absorption saw a 35 per cent year-on-year growth across Tier-I cities of India in 2021. Absorption in 2020 was to the tune of 26 million.

Supply of new spaces saw over 64 per cent jump year-on-year in the Tier-I cities that primarily include Delhi-NCR, Bengaluru, Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Kolkata and Pune, to 36 million sqft, up from the 22 million sqft, in the year-ago period.

Among cities, Delhi-NCR reported the highest supply addition and absorption to the tune of 11.4 million sqft and 8.1 million sqft, respectively. This was followed by Mumbai, where supply was to the tune of 7.5 million sqft, while absorption was around 6.0 million sq ft. Over 60 per cent of the demand was driven by 3PL and e-commerce sectors; followed by the manufacturing sector at 14 per cent. The FMCG and retail sector – put together – accounted for around 13 per cent of the absorption requirement.



The warehousing space stock in Tier I cities stood at 266 million sqft in 2021. This is expected to reach 304 million sqft in 2022 and 345 million sqft in 2023, indicating a YoY growth of over 14 per cent and over 13 per cent, respectively.

Vacancy levels in Tier I cities have increased to 9.4 per cent in 2021 (up from 8.4 per cent in 2020).

Among Tier II & Tier III cities such as Rajpura, Lucknow, Coimbatore, Jaipur, Guwahati, Bhubaneswar, Nagpur, Kochi/Ernakulam, Indore, Hosur, and Patna witnessed around 8.6 million sq. ft of absorption in 2021.

Coimbatore, followed by Hosur, Rajpura and Indore were among the most popular small-town destinations that witnessed absorption of over 1 million sqft of space.

## REDUCTION IN LOGISTICS COST

The Indian logistics sector is highly fragmented, and at nearly 14 percent, the logistics costs in India are among the highest in the world. If we have to compete at an international level, this cost needs to be brought down to a single digit. There are upcoming centrally funded infrastructure projects that support in reducing the costs of logistics. These are industrial corridor projects such as: • Delhi-Mumbai - Industrial Corridor (DMIC) • Chennai - Bangalore Industrial Corridor (CBIC) • Mumbai - Bangalore Industrial Corridor (MBIC) • Amritsar - Delhi - Kolkata Industrial Corridor (AKIC). In addition, infrastructure initiatives such as the development of dedicated freight corridor and Bharatmala have improved rail and road network connectivity in major cities and towns. A number of new expressways are also proposed under these projects.

## PM Gati Shakti Master Plan

A National Master Plan for Multi Modal Infrastructure Connectivity to Economic Zones, 16 Ministries & departments will be part of it to ensure faster implementation of projects and keep costs under control.

PM Gati Shakti Master Plan will give big boost to warehousing, logistics; slash shipping costs. PM Gati Shakti will encompass the seven engines for multi-modal connectivity for the states with speedier implementation of development projects through technology to facilitate faster movement of people and goods through Rs 20,000 crore financed by the govt to speed up this project. Further, the 100 PM Gati Shakti Cargo terminals to be developed over the next 3 years will provide much impetus to the logistics sector.

Budget 2022-23 is being looked at quite the booster for the infrastructure industry with focus on PM Gati Shakti National Master Plan for Multi-Modal Connectivity aimed at coordinated planning and execution of infrastructure projects mainly by bringing down the logistics costs.

## Competition Analysis

The Indian warehousing industry is highly fragmented with several unorganized players operating in the market. Organized players in the industry account for only 10% of the total market, whereas around 90% of the warehousing space in the country is controlled by unorganized players who manage small-sized warehouses with less/no mechanization. The sector is still at a nascent stage, with the availability of skilled manpower being a challenge, like in other sectors where India adapted fast after entering late, Indian warehousing will catch up to world standards in the next 2-3 years.





## FUTURE OUTLOOK

### WHAT CWC IS VISUALIZING & PLANNING

#### (i) Change in the infrastructure

It is predicted that due to above mentioned changes/innovations the basic infrastructure of the warehousing is bound to change. It will be divided into two parts i.e. (1) storage and handling agri-produces in bulk alongwith the processing and value addition units and (2) Storage, packaging, processing, handling and distribution facilities of finished & white/brown goods.

- A. Keeping this in view, CWC will identify the areas where bulk storage infrastructure (like Silos) can be created with 100% automation. Apart, from this CWC will also try to venture into the logistics of such commodities both through rail and road. It has been perceived that PDS will going to be change or may lose its sanctity if the market gets open and hence distribution of direct foodgrains will be stopped and processed material will be going to become more popular among the consumers. Hence, CWC will also try to set up processing units in its agri-warehouses from where direct finished/processed material can be supplied meeting the demand of the area.

For such facilities, the pattern of use of chemicals for preservations has to be changed. CWC will try to make use of bio-chemicals, eco-friendlier and more effective for preserving the stock for longer period. Hermetic treatment, use of CO<sub>2</sub> etc. in place of current/existing chemicals will be prime focus.

- B. The second type of infrastructure which CWC perceived will be for finished goods mainly procured, stored and distributed by e-commerce companies. At present e-commerce business is mainly flourishing in tier I & II cities. It will definitely reach to all kind of cities/rural areas in the coming years. Most of CWC facilities were created keeping the foodgrain storage in view hence are mainly in Tier III & IV cities. These facilities, in times to come, will be the hot cake for e-commerce companies. Therefore, CWC will upgrade these facilities as per the needs of e-commerce backed with automation, AI and available technologies at that time for such kind of infrastructure/business.

During the year 2021-22 CWC has given space of almost 6.5 Lakh Sqm to e-commerce companies at 158 locations. CWC is targeting to double the same during 2022-23.

#### (ii) Other modern storage facilities

It is perceived that demand of perishable/cooked food will be going to increase in the times to come. Therefore, CWC has to focus on creation of cold storage/CAMA stores and such other facilities near the production and consumption areas.

The Farm-Gate storage facilities will be focused more where all kind of grading, processing, packaging and distribution services can be provided under single roof.

A significant investment is required in building cold-storage facilities across the country as the current facilities are inadequate to meet the rising demand. The government must focus on building or streamlining financing of such facilities as it will also ease access to food, medicines, vaccines and other pharma products in the years to come. CWC is planning to construct cold storage facilities for storage of onion and other perishable items at Nashik, Indore, Surajpur, RP Bagh and Vashi. CWC has also awarded work for construction of cold storage at CW, Baroda-I of approx 600 MT capacity on Build Operate Transfer (BOT) basis.



### (iii) Consolidating Warehouse Operation

More and more centralized warehousing facilities will be preferred in order to achieve economic advantages and executing multiple warehouse operations at a single facility. Keeping this in view CWC will also try to provide single big warehouse infrastructure at the outskirts of almost all the big urban areas from where the needs of local population can be catered.

CWC will also try to organize the un-organized warehouse sector bringing all kind of warehousing infrastructure/facilities owned by public, private/individuals on single platform so that overall warehousing infrastructure in the country can be put to use optimally and support the overall economy of the country.

### (iv) Creating flexible warehouse design and operations

Consumer demands and habits are bound to change frequently and hence there will be need of re-designing the warehouse making it more flexible in order to use the space in best possible way, ensuring efficient work flow, and keeping warehouse ready for new and better products. CWC will try to explore new designs which can bring flexibility into the warehouse operation.

This will be achieved through R&D, including engineering IT, Finance, marketing, customer's services and feedback etc. The design will help in flexible interaction of warehouse operations and product flow in order to enhance the overall productivity.

Just-In-Time will be the focus of all the warehousing agencies in the times to come. Making a shift from conventional warehousing operations, CWC has to redesign its warehousing operations to speed-up the product flow among the supply chain. It will be done through bench marketing, the current warehousing operations and establish no targets for further improvement.

### (v) Use of Artificial Intelligence & other IT tools

Definitely the change which we are perceiving in the coming years will going to impact the overall supply chain and that cannot be matched without proper use of Information technology. CWC will try to evolve/re-design its warehouse management systems in order to match the prevailing demand during these years. The system will try to manage everything inside a warehouse starting from space, labour, equipment, tasks, material flow etc. in order to move the inventory to the market in most efficient way.

Apart from this, better tracking tools, barcoding radio frequency communication system, artificial intelligence etc. will be used/explored to achieve utmost accuracy and increase productivity in the warehouses.

## Vision 2025

To provide reliable, cost effective, value added and integrated warehousing and logistics solution in a socially responsible and environment friendly manner. Ensure ease of doing business by expanding & upgrading storage capacities, computerization and simplification of procedures. Contribute towards farmer's welfare by providing scientific storage training, creating silos, introducing environment friendly chemicals for pest control and fumigation. Strategic initiatives under the Corporate Plan for the period 2020-25 include addition of new storage capacity to the tune of 17.46 LMT planned at 102 locations by March 2025. Warehouses with WDRA accreditation to be got notified as Mandi yard & Trade area to facilitate Warehouse based farm produce trade to benefit farmers and supplement the



efforts of GoI to double the income of farmers by 2022, diversification into PFT, Cold Storage, Silos etc. With the strong mandate of Government of India and also in line with the changing times in the Warehousing industry, CWC has taken the resolve to shift focus from conventional Food Grain storage to other modern Warehousing facilities such as setting up of Agri Processing units, setting up of Multi Model Logistics Parks/ PFT's, Expansion of E-commerce warehousing business in Tier-II and Tier-III cities, Setting up of cold chain units through our own / through private investments, Acting as agent for Companies and Government for procurement of specific commodities and also venturing into Transportation business.

The prospects of Indian Warehousing market present a golden opportunity for our corporation to expand leaps and bounds in the coming years and the Corporation is fully geared up to make use of this opportunity. Our corporation is also fully prepared to meet the challenges thrown by the competitors by taking innovative steps in marketing and meeting customer's expectations towards reliable and cost-effective value-added services to customers.

Our corporation is standing at very strong fundamentals and is creating a very robust infrastructure for handling the need of the warehousing industry in the country. We are very hopeful that we will manage to meet the ambitious targets set in Memorandum of Understanding signed by the Corporation for the year 2022-23 with the Govt. of India.

### **21.1 INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY**

The Corporation has robust Internal Control Systems and processes in place for smooth and efficient conduct of business and it complies with relevant laws and regulations. It has well documented system of internal financial controls in place, in the form of delegation of powers, policies and procedures, manuals, guidelines that cover critical as well as important activities of financial and other operating functions. These are designed to ensure compliance to the internal financial controls and to ensure regulatory and statutory compliances as well as to provide highest level of corporate governance. Our corporation has robust systems and processes in place for smooth, effective and efficient conduct of business operations, reliability of financial reporting, safeguarding of assets and compliance with relevant laws and regulations.

In order to ensure that all checks and balances are in place and all internal control systems are in order, regular and exhaustive internal audits are conducted by the experienced firms of Chartered Accountants in close co-ordination with the Corporation's own Internal Audit Division. Besides, the Corporation has one committee of the Board viz. Audit Committee to keep a close watch on compliances with Internal Control Systems and their adequacy.

Our corporation has an efficient system of internal controls for achieving the following business objectives: -

- Efficiency and effectiveness of business operations;
- Safeguarding of assets from unauthorized access, use and disposition;
- Accuracy and promptness of financial reporting;
- Compliance with the laid down policies and procedures; and
- Compliance with various laws and regulations.



## 21.2 SWOT ANALYSIS

The major strength of the Corporation is its vast network of 424 warehouses spread across the length and breadth of the country, diversified activities, committed and competent manpower. To promote warehousing infrastructure in difficult terrains i.e North Eastern Region, UT of Jammu & Kashmir, Ladakh and A&N Islands MoU signed with FCI for constructing warehouses of total 16704 MT capacity at 04 locations. The Corporation has storage facility for diversified commodities, wide clientele base which includes FCI, NAFED, Cotton Corporation of India, State civil supplies corporation, Fertilizer companies, Ecommerce companies like Big basket, Amazon, Reliance, Industrial goods, FMCGs and has core competency in Agri Warehousing, ICD/CFS, Bonded Facilities, Container train operations, ICP operations, Air cargo operations and pest control services managed by its trained and experienced technical manpower. Its core strength is in the field of scientific warehousing. CWC has added 3.45 LMT of storage capacity and attracted private investment of Rs. 90 Crores during the year 2021-22. CWC is doing a Paradigm shift to focus value added services then just providing warehousing. However, the Corporation is presently operating in highly competitive service sector and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri warehousing, industrial warehousing, operation of CFSs/ICDs, ICPs, CRT operations and PCS operations.

**Strength:** The major strength of the Corporation is its strategic presence of warehouses which are easily accessible, the distribution network and customer service levels available to its customers through wide network of warehouses, robust storage management software (WMS), diversified commodity portfolio, wide clientele base, Maximum no. of WDRA registered warehouses and core competency in storage and preservation of food grain stocks at warehouses. Corporation is a major player in providing pest control services using environment friendly methods managed by its trained technical manpower. CWC has standardized all WHs by registering all 345 WHs under WDRA.

The Corporation being an ISO certified organization for Quality, Environment and Safety is preferred by clients for storage of their goods and services. Training of employees is organized at regular intervals for better performance and providing them with latest techniques and knowledge in the field of scientific storage.

**Weaknesses:** Ageing infrastructure, staff attrition due to retirement and lack of presence in all districts of the country especially in new industrial logistics hubs along Delhi- Mumbai industrial corridor and major cities are the main concerns for the Corporation. All out efforts are being made for creation of new warehousing infrastructure on existing vacant lands, purchase of new land parcels for construction of new warehouses or hiring of warehouses from private warehouse owners under Asset Light model, fresh recruitment, maintain and upgrade the existing infrastructure with major thrust being given to create additional infrastructure.

**Opportunities:** Opening up of ICPs and Land Custom Stations by the government for promotion of border trade with neighboring countries provides opportunity for the Corporation to manage these facilities. Currently two ICP's are being managed by the Corporation. Since LPAI is in process of setting up a greater number of ICPs, the Corporation is looking forward for getting further opportunities in this sector. Corporation has established Private Freight Terminal at Nabha, Bamanheri and Kalamboli and two more PFTs are under process at Vashi and Miraj. These will provide additional business in existing warehousing complexes.

E-commerce has gained its foothold in the country and it is expected that in coming days with the penetration of internet connectivity, the e-commerce business will grow substantially. Creation of Logistics Park to cater to the needs of particular industry so as to provide uniform services across a



group of Customers through development of integrated facilities for steel cargo yard, development of integrated facilities for paddy processing etc. Total 30 locations in Tier-I cities identified and made food grain free. Corporation has an opportunity to tap this growing market with its Pan India presence.

The Corporation offers Consultancy Services / Training for the construction of warehousing infrastructure to other agencies. Warehouse Management System (WMS) is being developed and is already installed at many warehouses. The Corporation proposes to improve warehousing efficiency by construction of multi storied godowns and Cold storage units at few identified places. DOS and e-APAR modules have been developed for better transparency.

**Threats:** Corporation presently is operating in a highly competitive business environment and is facing intense competition in all its business verticals such as Agri Warehousing, Industrial Warehousing, Container Freight Stations (CFSs) / Inland Clearance Depots (ICDs), Container Rail Transportation (CRT). In the field of Agri warehousing, the competition has become more intense in view of entry of more and more organized & big players, high input costs of CWC in comparison to lower input costs of private warehouse provider and various incentives successfully rolled out by the Government of India in form of PEG tax incentives, capital investment subsidy, etc. to incentivize private sector participation in creation of storage capacity for food grains and other agri-commodities.

## 22. RISK & CONCERNS

Your Corporation is conscious and sensitive to the challenges posed to its business by the events unfolding in domestic business environment including competitors which could give rise to substantive risks. With this in view, your corporation has constituted a Board Level Risk Management Committee, Corporate Level Risk Management Committee and also RO Level Risk Management Committees to help the Corporation to efficiently manage risk, sustain growth and create value for the stakeholders. During the year under report, the Risk Management Policy has also been covered under the ISO Certified document.

The Corporation adopted the Risk Management Policy as per guidelines of the Department of Public Enterprises with the approval of the Board of Directors in its meeting held on 5th March, 2014. Since then the risk management has matured in the Corporation. The policy provides guidance for the management of the business risks across the Corporation. It focuses on ensuring that the risks are identified, evaluated and mitigated within a given time frame on a regular basis.

Corporate Level Risk Management Committee has to oversee the implementation of Risk Management Policy which is monitored by a Board Level Risk Management Committee (BLRMC). Corporate Level Risk Management Committee reviews the risks and its mitigation status twice in financial year on half yearly basis and reports the same to Chief Risk Officer of the Corporation. Chief Risk Officer prepares a Risk Report and places it before the Board of Directors for its review along with action taken report of previous year on the risks identified.

Key risks being faced by the Corporation are analyzed in detail by the Risk Management Committee. Major risk areas are regularly reviewed by the Corporate Level and Board Level Risk Management Committee.

## 23. PERFORMANCE ON TARGETS OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

The Corporation had signed the MoU stipulated annual performance targets for CWC and CRWC on consolidated basis for financial and non-financial parameters for financial year 2021-22 with the Department of Food & Public Distribution, Government of India on 01.02.2022. The Consolidated



Targets (CWC+CRWC) includes the financial as well as non-financial parameters (100 Marks) and also the Compliance Parameters (Negative 12 Marks). The performance on the MoU Targets, based on the audited accounts is annexed at Annex- A - MoU.

#### 24. ACKNOWLEDGEMENTS

Your Directors express their gratitude for continued co-operation, support and guidance in effective management of affairs of the Corporation provided by the Government of India, in particular the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution and above all the customers who have patronized the services provided by your Corporation. The Board also places on record its gratitude to the outgoing Chairman Shri Atish Chandra and Shri S. Charles, Director (Finance) for their valuable contribution during their tenure on the Board of the Corporation and to all the stakeholders for their unstinted support.

Last but not the least, your Directors would like to place on record its deep and sincere appreciation for the hard work, dedication, valuable contribution and unstinted efforts by the team of the Corporation in steering the Corporation towards excellent performance and ensuring that it achieves greater milestones.

The Board of Directors would also like to assure that your Corporation would continue to make best efforts for fulfilling its objectives and continue improving its performance and productivity at all levels for satisfaction of its stakeholders.

For and on behalf of the Board of Directors

**(Arun Kumar Shrivastava)**  
Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 26.07.2022



## ANNEX-I

**STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CENTRES AND STORAGE CAPACITY (CONST. HIRED, PLINTH & MANAGEMENT) AVAILABLE WITH THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31<sup>st</sup> March, 2022.**

(Cap. in lakh MT).

Sr. No	Name of SWC	No. of Centres	Const	Hired	Plinth	Management	Total Capacity	Occupancy	
								Total	% age.
1.	A.P	148	8.23	1.90	--	5.83	15.96	11.54	72
2.	Assam	42	1.89	0.11		--	2.00	1.29	65
3.	Bihar	67	5.20	0.94	-	2.20	8.34	7.86	94
4.	Chhatisgarh	135	16.27	3.78	--	--	20.05	18.77	94
5.	Gujarat	45	1.43	3.48	--	--	4.91	4.02	82
6.	Haryana	112	16.42	2.01	--	--	18.43	10.86	59
7.	Karnataka	159	16.97	0.44	--	--	17.41	10.09	58
8.	Kerala	55	1.98	0.37	--	--	2.35	2.11	90
9.	MPWLC	278	23.24	168.23	42.72		234.19	140.47	60
10.	Maharashtra	205	16.53	1.68	--	1.55	19.76	14.00	71
11.	Meghalaya	6	0.18	--	--		0.18	0.16	89
12.	Odisha	69	5.20	0.10	--		5.30	4.01	76
13.	Punjab	120	27.08	23.94	2.17	--	53.19	49.36	93
14.	Rajasthan	93	13.43	1.04	--	--	14.47	9.19	64
15.	Tamil Nadu	60	7.61	0.15	--	--	7.76	6.71	86
16.	Telangana	280	5.19	7.94	--	15.73	28.86	29.68	103
17.	U.P	161	26.32	2.68	0.02	11.11	40.13	34.98	87
18.	Uttarakhand	14	1.01	0.29	--	--	1.30	1.15	88
19.	West Bengal	141	1.37	4.76	--	1.88	8.01	7.15	89
	<b>Total</b>	<b>2190</b>	<b>195.55</b>	<b>223.84</b>	<b>44.91</b>	<b>38.30</b>	<b>502.60</b>	<b>363.40</b>	<b>72</b>



### INVESTMENT (AT COST) IN SHARE CAPITAL OF STATE WAREHOUSING CORPORATIONS AS ON 31-03-2022.

Sl. No	Name of State Warehousing Corporation (SWC)	No. of Shares		Amount (Rupees)	
		Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21	Current Year 2021-22	Previous Year 2020-21
1.	Andhra Pradesh	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2.	Telangana	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
3.	Assam	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
4.	Bihar	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
5.	Chhattisgarh	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
6.	Gujarat	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
7.	Haryana	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
8.	Karnataka	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
9.	Kerala	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
10.	MPWLC \$	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
11.	Maharashtra *	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
12.	Meghalaya	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
13.	Orissa	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
14.	Punjab	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
15.	Rajasthan	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
16.	Tamil Nadu	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
17.	Uttar Pradesh	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18.	Uttarakhand	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19.	West Bengal	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
	<b>Total (A)</b>	<b>62,03,624</b>	<b>62,03,624</b>	<b>61,79,38,400</b>	<b>61,79,38,400</b>

- # \$ Corporation had invested Rs. 480 lakh in Madhya Pradesh State Warehousing Corporation (MPSWC) which was bifurcated into Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC) and Chhattisgarh State Warehousing Corporation (CSWC). Further equity of Rs. 50 lakh each was given to these two SWCs. The contribution to the equity share capital made prior to the bifurcation is being treated by MPWLC as Loan upto 2011-12 and as capital w.e.f. 2012-13, but this has not been agreed by the Corporation as the equity cannot be converted into loan. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution issued a notification dated 16.11.2012 for apportionment of paid up share capital of MPSWC to MPWLC (68.35%) and CSWC (31.65%) and for paying dividend @ 20% of the equity and also reconfirmed the same vide letter no. 7-01/2013-SG dated 06.03.2014. The issue is not yet resolved.
- \*Includes 24,240 share issued by Maharashtra State Warehousing Corporation as Bonus Shares during the year 1996-97.
- The investments held in the State Warehousing Corporation are not transferable without prior approval of the Govt. of India.





## CORPORATION DIVISION

## STATEMENT SHOWING THE ANNUAL GENERAL MEETINGS HELD, DIVIDEND DECLARED AND RECEIVED BY THE STATE WAREHOUSING CORPORATIONS DURING THE YEAR 2021-22.

S. No.	Name of the State Warehousing Corporation	Year of AGM held or to be held AGM Since	Date of AGM	CWC's Investment (Amt. in Rs)	Dividend Declared		
					Rate in %	Amt. Due	Amount Received till date
1	Andhra Pradesh	2015-16	-	2,61,50,200	Interim Dividend 2019-20	-	2,32,52,898
2	Assam	2017-18	-	5,47,00,000	-	-	-
3	Bihar	2013-14 2014-15	13.07.2021	3,20,99,400	20% of Available Profit	-	47,58,376
4	Chhattisgarh	2019-20	-	2,01,92,000	20% of Equity For the year 2018-19	-	40,38,400
5	Gujarat	2013-14	-	2,00,00,000	-	-	-
6	Haryana	2018-19	16.06.2021	2,92,03,700	15% of PAT	-	3,02,40,830
7	Karnataka	2020-21	18.03.2022	3,90,00,000	-	-	-
8	Kerala	2019-20	10.03.2022	5,75,00,000	-	-	-
9	MPWLC	2019-20	25.02.2022	3,78,08,000	32% of Equity	-	1,20,98,560
10	Maharashtra	2020-21	30.09.2021	4,11,32,000	5.08% of PAT	-	1,90,00,000
11	Meghalaya	2018-19	06.10.2021	1,22,56,200	-	-	-
12	Odisha	2018-19	-	1,80,00,000	-	-	-
13	Punjab	2017-18	30.06.2021	4,00,00,000	-	-	-
14	Rajasthan	2020-21	10.02.2022	3,92,63,000	50% of Equity	-	1,96,31,500
15	Tamil Nadu	2019-20	29.09.2021	3,80,50,000	30% of PAT Interim Dividend (2020-21)	-	1,80,83,263 1,80,82,676
16	Telangana	2015-16	-	1,86,88,900	Interim Dividend 2020-21	-	7,50,00,000
17	Uttar Pradesh	2017-18	08.12.2021	5,39,77,000	24% of Equity	-	1,29,54,480
18	Uttarakhand	2015-16 2016-17 2017-18	24.12.2021	18,48,000	Interim Dividend (2021-22)	-	3,69,600
19	West Bengal	2017-18	-	3,80,70,000	-	-	-
		<b>Total</b>		<b>61,79,38,400</b>			<b>23,75,10,583</b>



MoU Targets and Achievements (Consolidated) for the year 2021-22 [Annex- A - MoU]								
S. N.	Parameter	Unit	Marks	Actuals 2020-21 (Consolidated CWC+ CRWC)	MoU Targets 2021-22	Actuals 2021-22	SCORE 2021-22	Remarks
1	Revenue from Operations	Rs. Crore	10	2148.83	2170.00	2257.31	10.00	
2	Assets Turnover Ratio	%	5	62.88	63.61	61.87	4.86	
3	EBITDA as a % of Revenue	%	10	30.40	30.01	31.23	10.00	
4	Return on Net Worth	%	10	17.53	17.34	18.91	10.00	
5	Return on Capital Employed	%	5	21.85	21.57	21.49	4.98	
6	Increase in Earning Per Share over previous year (10%)	%	15	6726	7399	7931	15.00	
7	Capacity Utilisation %	%	25	87	87	89.76	25.00	
8	Trade Receivables as number of days of Revenue from Operations	Number of Days	5	31	31	50	0.00	
9.1	CAPEX	Rs. Crore	10	252.34	226.00	275.63	10.00	
9.2	CAPEX achievement till end of 3 <sup>rd</sup> quarter (31 <sup>st</sup> December)=90% of Target	Rs. Crore	3		203.00	208.58	3.00	
10	Expenditure on R&D/ Innovations Initiatives as % of PBT for FY 2021-22 (Rs.13.79 Crore to be incurred incl CRWC).	%	2		13.79	13.47	1.95	
	<b>Total</b>		<b>100</b>			<b>Excellent</b>	<b>94.79</b>	



	NEGATIVE MARKS (COMPLIANCE PARAMETERS)	Unit	Marks	Target	Achievement	Source/Verification
1	Total Procurement from GeM Portal {Procurement of Goods and Services through GeM Portal during the year as per GeM/Total Procurement of Goods and Services during the previous year as per Sambandh Portal*100}	%	2	25	62.91	Administrative Ministry on the basis of GeM Portal and Sambandh Portal. In case of CWC procurement of Rs.123 Crore for FY 2020-21 is recorded in Sambandh Portal. Procurement through GeM Portal during 2021-22 is Rs.76.18 Crore (Achievement is 61.93%)
2	Compliance of DPE Guidelines on select matters		2			CWC has complied with all these DPE guidelines and the certificate of compliances/BoD Agenda and Minutes are enclosed for reference. (Administrative Ministry on the basis of CAG Reports etc.)
(i)	Pay Revision guidelines and Review of Profitability of CPSEs for Pay Revision				Complied	
(ii)	Expenditure Management Economy Measures and Rationalisation of Expenditure				Complied	
(iii)	Guidelines on Accessible India Campaign (Sugamya Bharat Abhiyan)				Complied	
(iv)	Guidelines on implementation of the Apprenticeship Act, 1961				Complied	
(v)	Guidelines issued from time to time on CSR Expenditure by CPSEs				Complied	
3	Compliance of provisions in the Companies Act, 2013 (or SEBI (LODR) regulations in case of listed companies on Corporate Governance such as:		3			Annual Report 2021-22 (Administrative Ministry on the basis of CAG/Statutory/Secretarial Auditor Report(s))
(i)	Composition of Board of Directors				Complied	
(ii)	Board Committees (Audit Committee etc.)				Complied	
(iii)	Holding Board Meetings				Complied	
(iv)	Related Party Transaction				Complied	
(v)	Disclosure and Transparency				Complied	
4	Targets given by DIPAM/NITI Aayog		2			Administrative Ministry on the basis of confirmation from DIPAM/NITI Aayog. Additional Capacity including upgradation of warehouses of 4.68 LMT is completed during the year 2021-22 against the target of 3.83 LMT. As regards private investment it is Rs.90.69 Crore as against the target of Rs.25 Crore.
(i)	Dividend Payout				Complied	
(ii)	Assets Monetization Milestones				Complied	
(iii)	Specific Disinvestments Milestones				No Target	



	<b>NEGATIVE MARKS (COMPLIANCE PARAMETERS)</b>	<b>Unit</b>	<b>Marks</b>	<b>Target</b>	<b>Achievement</b>	<b>Source/Verification</b>
5	Procurement and timely payment to Micro Small and Medium Enterprises {Procurement of Goods or Services through MSEs (including 4% from SC/ST MSEs and 3% from Women MSEs) during the year as per Sambandh Portal/Total Procurement of Goods and Services during the year as per Samabandh Portal*100}	%	2	25	35.01	Administrative Ministry on the basis of Sambandh Portal (Upto 31.03.22 procurement through MSEs is 34.80% out of which 4.91% is from SC/ST MSEs and 34.67% from Women MSEs
6	Steps and initiative taken for Health & Safety Improvement of Human Resources (Target to be prescribed by the Administrative Ministry)		1		Complied	Ministry to DPE vide OM dated 21.09.2021 has forwarded the following targets to DPE:  (i) Getting 75% of staff vaccinated - By March' 2022 Compliance: 99.25% Staff were vaccinated (22.05.21/03.07.2021/14.08.2021 & 25.09.2021  ii) Periodical RTPCR testing done to identify even the asymptomatic patients to prevent spread of COVID19 at work place for both staff and outsourced personnel- Target is 3 No. of Tests. CWC has complied with the targets. (RTPCR Test of the Regular as well as outsourced staff was conducted on 16.04.2021/22.05.2021 & 07/01/2022)
	<b>Total</b>		<b>12</b>			



**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**

# Report on Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Activities for FY 2021-22



Purchase of Ambulance and Loading Vehicle for Principal Medical Officer, District Hospital,  
Dholpur, Rajasthan by CWC



## THE ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31.03.2022

### 1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

1.1. CWC has a great sense of responsibility and sensitivity towards CSR and is conscious of meeting its social obligations. Committed to Sustainable and Inclusive growth of the society, Corporation has adopted guidelines issued by DPE on CSR and Sustainability vide OM dated 21.10.2014 along with provisions contained in Section 135 of Companies Act, 2013, Schedule-VII of the Act, CSR Rules, 2014 and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021. CWC aims to achieve following vision and mission from CSR through the activities mentioned below:

- CSR VISION

“Inclusive growth of society with attention to People, Planet and Philanthropy’

- CSR MISSION

- Inclusive growth of society with attention to development of weaker section of society and aspirational districts of country in alignment of national priorities. This will include activities in the fields of:

(i) Providing safe drinking water, healthcare & sanitation

(ii) Promotion of education / skill development programmes

(iii) Empowering women, differently-abled and economically backward groups.

(iv) Infrastructural development.

### 2. Composition of CSR Committee

S. N.	Name of Director	Designation/Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Sh. Suresh Warior	Chairman, Independent Director	03	03
2.	Sh. Rakesh Kumar Sinha	Member, Director (Personnel)	03	03
3.	Shri B Raghvendra Rao	Member, Nominee Director	03	03

3. Provide the web-link where Composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company :-

[https://cewacor.nic.in/MasterStatic/Corporate\\_Social\\_Responsibility](https://cewacor.nic.in/MasterStatic/Corporate_Social_Responsibility)



4. Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable (attach the report) :- Not Applicable
5. Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any

Sl. No.	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1.	2020-21	NIL	NIL

6. Average net profit of the company as per section 135 (5).

Financial Year	Net Profit (Rs.)
2018-19	222,55,08,417
2019-20	408,68,99,252
2020-21	559,12,59,536
Average net Profit	396,78,89,068

7. (a) Two percent of average net profit of the company as per section 135 (5)	Rs. 793.58 Lakh
(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.	NIL
(c) Amount required to be set off for the financial year, if any	NIL
(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b- 7c).	<b>Rs. 793.58 Lakh</b>

8. (a) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs. Lakh)	Amount Unspent (in Rs.)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount (Rs. In Lakh)	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount (Rs. In lakh)	Date of transfer.
802.52	-	-			

- (b) Details of CSR amount spent against **ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
S. N.	Name of the Project.	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in Lakh Rs.).	Amount spent in the current financial Year (in Lakh Rs.).	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135 (6) (in Lakh Rs.).	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No) Name	Mode of Implementation -Through Implementing Agency	
				State	District						CSR Regn. No.	
1	Purchase of 2 Ambulances for different Covid clinics.	(i)	Yes	Madhaya Pradesh	Chhatar-pur	2 Years	24.00	12.00	-	Yes	NA	NA



2	Purchase of different materials for Community Health Centre.	(i)	Yes	Madhya Pradesh	Panna	2 Years	10.00	5.00	-	Yes	NA	NA
3	Purchase of different materials for Shaskiya Kanya Madhyamik Shala.	(ii)	Yes	Madhya Pradesh	Panna	2 Years	9.44	4.72	-	Yes	NA	NA
4	Providing Green corridor for on railway tracks for Environment Sustainability.	(iv)	Yes	Delhi	Delhi	2 Years	25.00	12.50	-	Yes	NA	NA
5	Construction of 1 No. of model Anganwadi Center	(i)	Yes	Arunachal Pradesh	Namsai	2 Years	20.00	10.00	-	Yes	NA	NA
6	Transforming of 10 Nos of Govt Anganwadi Centre into Model Anganwadi Centres	(i)	Yes	Assam	Barpeta	2 Years	10.00	5.00	-	Yes	NA	NA
7	Construction of 10 bedded ward	(i)	Yes	Assam	Karim ganj	2 Years	20.75	10.37	-	Yes	NA	NA
8	Construction of 4 No. of model Anganwadi Center	(i)	Yes	Assam	Majuli	2 Years	20.00	10.00	-	Yes	NA	NA
9	Up gradation of existing 3 Anganwadi Centres to Model Anganwadi Centres	(i)	Yes	Manipur	Imphal	2 Years	20.00	10.00	-	Yes	NA	NA
10	Construction of Covid Maternity Care	(i)	Yes	Assam	Cachar	2 Years	62.97	31.49	-	Yes	NA	NA
11	Transforming 2 Govt Anganwadis into Model Anganwadi and Procurement of 1 No. of Tube Sealer.	(i)	Yes	Assam	Udalguri	2 Years	20.00	10.00	-	Yes	NA	NA
12	Setting up of Dialysis machines for treating COVID patients at Tata Trust Government Hospital, Kasargod	(i)	Yes	Kerala	Kasaragod	2 Years	20.00	20.00	-	Yes	NA	NA
13	Procurement of 02 Digital X-ray machines and 04 ECG machines at Covid First Line Treatment Centres	(i)	Yes	Kerala	Kollam	2 Years	9.40	04.70	-	Yes	NA	NA
14	Setting up of Covid/ Post Covid treatment facilities at Family Health Centre, Beypore.	(i)	Yes	Kerala	Kozhikode	2 Years	10.00	05.00	-	Yes	NA	NA
15	Procurement of 18 automatic roti maker for Kasturba Gandhi Baalika Awasiya Vidyalaya in Rajasthan.	(i)	Yes	Rajasthan	Baran, Dholpur, Hanumangarh, Jaisalmer, Karauli and Sirohi	2 Years	53.69	26.84	-	Yes	NA	NA
16	Setting up of Hospital Beds, purchase of mattresses, ABG machines, Dead Body Carrier and setting up of Mortuary.	(i)	Yes	Odisha	Kalahandi	2 Years	30.90	15.45	-	Yes	NA	NA
17	Setting Up of 2 nos of identical Post Covid Care Centre at Lohardaga, Jharkhand	(i)	Yes	Jharkhand	Lohardaga	2 Years	29.99	15.00	-	Yes	NA	NA
18	Setting up of 20 bedded Paediatric ICU in District Hospital .	(i)	Yes	Jharkhand	Chatra	2 Years	30.08	15.04	-	Yes	NA	NA
19	Strengthening of the District Covid Hospital at Malakangiri , Odisha	(i)	Yes	Odisha	Malakan-giri	2 Years	33.15	16.58	-	Yes	NA	NA
20	Installation of Oxygen Pipeline in CHC Borio, Sahibganj and Procurement of 8 HFNC (High Flow Nasal Connula) for use in Sadar Hospital & Community Health Centre.	(i)	Yes	Jharkhand	Sahibganj	2 Years	30.00	15.00	-	Yes	NA	NA





21	Establishment of 10 bedded Paediatric Covid Hospital .	(i)	Yes	Odisha	Nabarangpur	2 Years	35.07	17.54	-	Yes	NA	NA
22	Procurement of 20 Radiant Warmer, 2 Portable X-Ray, 60 Bed Side Locker, 20 Glucometer with Strips, 10 BiPAP with Compressor, 8 Emergency Crash Cart Trolley, 30 PICU Beds, 30 Mattresses.	(i)	Yes	Jharkhand	Simdega	2 Years	30.70	15.35	-	Yes	NA	NA
23	Setting up of 20 bedded COVID ward with total 162 beds	(i)	Yes	Jharkhand	Palamu	2 Years	29.97	14.99	-	Yes	NA	NA
24	Construction of Community Health Centre at Behtapalar Panchayat, Badagaon	(i)	Yes	Uttar Pradesh	Jhansi	2 Years	20	10.00	-	Yes	NA	NA
25	Construction of Model ICDS centre at Sang Khola, East Sikkim.	(i)	Yes	Sikkim	Gangtok	2 Years	7.57	3.79	-	Yes	NA	NA
26	Transformation of 1 No of Govt Anganwadi to Model Anganwadi	(i)	Yes	Manipur	Senapati	2 Years	10.00	5.00	-	Yes	NA	NA
							622.68	321.36	-			

(c) Details of CSR amount spent against **other than ongoing projects** for the financial year:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
				State	District			Name	CSR Regn. No.
S. N.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	Local area (Yes/No).	Location of the project.		Amount spent for the project (in lakh Rs.).	Mode of implementation Direct (Yes/No).	Mode of implementation - Through implementing agency.	
1.	Covid OPD & Testing lab under Resubelpara	(i)	Yes	Meghalaya	North Garo Hills	7.50	Yes	NA	NA
2	Transforming of 5 Nos of Govt Anganwadi Centre into Model Anganwadi Centres	(i)	Yes	Mizoram	Lunglei	6.50	Yes	NA	NA
3	Setting up of Makeshift Hospital at District hospital and Strengthening of COVID care facilities with equipment's & Consumables	(i)	Yes	Mizoram	Mamit	20.00	Yes	NA	NA
4	2 Medical Mobile Unit with equipment	(i)	Yes	Tripura	North Tripura	20.00	Yes	NA	NA
5	Procurement of 1 unit of Mobile Medical Unit Vehicle	(i)	Yes	Tripura	South Tripura	20.00	Yes	NA	NA
6	1 no. of 100m X-RAY machine with accessories & other misc. expenses	(i)	Yes	Assam	Dhubri	40.00	Yes	NA	NA



7	Construction of 100 bedded temporary makeshift covid care centre at Aibawk PFC	(i)	Yes	Mizoram	Aizawl	20.00	Yes	NA	NA
8	Construction of Health Care and Nutrition Centre at Gangtok and Construction of Model ICDS centre at Sang Khola, East Sikkim.	(i)	Yes	Sikkim	Gangtok	12.43	Yes	NA	NA
9	Transformation of 2 No of Govt Anganwadi to Model Anganwadi and Procurement of 25 KVA Generator	(i)	Yes	Manipur	Senapati	15.00	Yes	NA	NA
10	Distribution of items for increasing cultivation	(iv)	Yes	Telangana	Wanaparthy	39.66	Yes	NA	NA
11	Ambulance & Medicine Loading Vehicle	(i)	Yes	Rajasthan	Dholpur	31.00	Yes	NA	NA
12	Procurement of Medical Equipments at District Hospital, Sirohi, Rajasthan	(i)	Yes	Rajasthan	Sirohi	15.00	Yes	NA	NA
13	Purchase 1 Ambulance at PHC Koyla for Rs. 14 lakh.	(i)	Yes	Rajasthan	Baran	13.97	Yes	NA	NA
14	Purchase of advance life support ambulance TATA-01 no for Rs. 26 Lakh and Loading vehicle for inter hospital distribution of medicines for Rs. 5 lakh.	(i)	Yes	Rajasthan	Jaisalmer	31.00	Yes	NA	NA
15	Setting up of Medical Gas Pipeline and construction of Oxygen manifold room	(i)	Yes	Kerala	Kottayam	7.00	Yes	NA	NA
16	Observation beds with oxygen facility and critical equipments, Fever and post covid Clinic.	(i)	Yes	Kerala	Ernakulam	9.95	Yes	NA	NA
17	Setting up of Covid/ Post Covid facilities at Family Health Centre, Binanipuram, Aluva, Ernakulam.	(i)	Yes	Kerala	Ernakulam	10.00	Yes	NA	NA
18	Setting Up of Paediatric Intensive Care Unit in District Hospital.	(i)	Yes	Kerala	Idukki	7.08	Yes	NA	NA
19	Setting Up of Pediatric ICU Cots // Fever Clinic and post covid care and rehabilitation.	(i)	Yes	Kerala	Wayanad	7.00	Yes	NA	NA



20	Purchase of 1 Insulated Vaccine Carrier Van (Mahindra Jayo Chasis) for Rs. 19 lakh + Registration & Insurance for Rs. 1 lakh in Pathanamthitta District, Kerala.	(i)	Yes	Kochi	Pathanamthitta	20.00	Yes	NA	NA
21	Purchase of ICU beds in 5 covid hospitals	(i)	Yes	Uttar Pradsh	Jhansi	35.91	Yes	NA	NA
22	Procurement of Electric Scooter in West Singhbhum District for Auxiliary Nurse Midwife (ANM)	(i)	Yes	Bihar	West Singhbhum	30.19	Yes	NA	NA
23	2 Nos of Microtome (Rs. 7,50,000/- each ) and 1 No of Tissue Processor (Rs. 13,00,000/-)	(i)	Yes	Bihar	Ranchi	26.97	Yes	NA	NA
24	Construction of Anganwadi and Procurement of Medical Equipments for covid care	(i)	Yes	Manipur	Chandel	20.00	Yes	NA	NA
25	Enhancing Covid Care at PHC Kurumathur(Kannur District)	(i)	Yes	Kerala	Kannur	15.00	Yes	NA	NA
<b>Total</b>						<b>481.16</b>			

- (d) Amount spent in Administrative Overheads NIL
- (e) Amount spent on Impact Assessment, if applicable NIL
- (f) Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e) Rs. 802.52 Lakh
- (g) Excess amount for set off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in Rs. lakh)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	793.58
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	802.52
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	8.94
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years[(iii)-(iv)]	8.94

9. (a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years:



Sl. No.	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs. Lakh)	Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs. Lakh)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (In Rs. Lakh)
				Name of the Fund	Amount (in Rs Lakh).	Date of transfer.	
1	2018-19	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
2	2019-20	143.73	103.39	PM CARES	40.34	03.04.2020	NIL
3	2020-21	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
	TOTAL	143.73	103.39		40.34		


(b) Details of CSR amount spent in the financial year for **ongoing projects** of the preceding financial year(s):


Sl. No.	Project ID.	Name of the Project.	Financial Year in which the project was commenced.	Project duration.	Total amount allocated for the project (in Rs. Lakh).	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs. Lakh).	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs. Lakh)	Status of the project - Completed/ Ongoing
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NIL								

10. In case of creation or acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year (**asset-wise details**):

(i) Date of creation or acquisition of the capital asset(s).	NIL
(ii) Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.	NIL
(iii) Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.	NIL
(iv) Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset).	NIL

11. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per section 135 (5).	Spent entire amount as per requirements of the Act.
--	---

Signature  
  
 (Arun Kumar Shrivastava)  
 Managing Director

Signature  
  
 (Suresh Warrior)  
 (Chairman CSR  
 Committee)

Place: New Delhi  
 Dated: 26/07/2022



## CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

# CORPORATE GOVERNANCE



Sh Arun Kumar Shrivastava, Managing Director presenting Bouquet to Sh Virendra Singh (Chairman of AGM 2021-22) and Ms. Jessy Jacob, Secretary, CWC addressing the shareholders on the occasion of 60th Annual general Meeting on 24th September, 2022



## 1. CORPORATION'S CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

The objective of the Central Warehousing Corporation (CWC) in relation to Corporate Governance is to enhance shareholders value in long run by ensuring transparency, proper disclosures and reporting in a manner so as to comply with the statutory regulations and also promote ethical conduct across the organization. CWC believes in good governance through trusteeship, empowerment and accountability of the management while remaining proactive to implement the Government policies.

CWC operates with the mission to provide reliable, cost-effective, value-added and integrated warehousing and logistics solutions in a socially responsible and environment friendly manner. The vision of the Corporation is to emerge as a leading market facilitator by providing integrated warehousing infrastructure and other logistics services, supporting India's growing economy with emphasis on stakeholder satisfaction.

Corporation has complied with the guidelines of the Corporate Governance to help fulfil its corporate governance responsibilities towards stakeholders.

## 2. COMPOSITION OF THE BOARD

The Board of Directors of the Corporation has been constituted under Section 7(1) of the Warehousing Corporations Act, 1962 and has a mix of Functional, Nominee and Independent Directors. The Board comprises of six part-time Directors including Chairman nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India, one Independent Director nominated by the State Bank of India being a shareholder, three Directors elected by the respective class of shareholders, three Functional Directors and a Managing Director appointed by the Government of India.

The composition of the Board as on 31.03.2022 was as under:

S. No.	Name of Director	Category	Sl. No.	Directorship in other Boards	Sl. No.	Sub-Committee of Board of which Member/ Chairman
1.	Shri Atish Chandra, IAS-Chairman w.e.f. 23.07.2021	Nominee	(i)	Food Corporation of India	(i) (i)	Chairman - Executive Committee, CWC Chairman - Executive Committee, FCI
2.	Ms. Nandita Gupta	Nominee	(i)	CRWC Ltd.	(i)	Member - Executive Committee, CWC
3.	Shri Virendra Singh	Independent		NIL	(i)	Chairman- HR Sub Committee, CWC
4.	Shri K.V. Pradeep Kumar	Independent		NIL	(i) (ii) (iii) (iv)	Chairman - Remuneration Committee, CWC Member - Audit Committee, CWC Member - Executive Committee, CWC Member - HR Sub-committee, CWC
5.	Shri B. Raghvendra Rao	Independent		NIL	(i)	Member - CSR Committee, CWC



6.	Shri. Mukul N. Dandige	Independent	(i)	Central Bank House Finance Limited	(i)	Member- Credit Management Committee, CBHFL
					(ii)	Member - Risk Management Committee, CBHFL
7.	Shri. Rajendra Kumar P	Independent	(i)	International Chamber of GST Professionals	(i)	Chairman - Audit Committee, CWC
					(ii)	Member - Remuneration Committee, CWC
			(iii)			Member - Board Level Risk Management Committee, CWC
			(ii)	Jumbo Bag Limited	(i)	Member - Nomination Committee, JBL
					(ii)	Member - Remuneration Committee, JBL
8.	Shri Suresh Warior	Independent		NIL	(i)	Chairman - CSR Committee, CWC
					(ii)	Member - Remuneration Committee, CWC
					(iii)	Member - Board Level Risk Management Committee, CWC
					(iv)	Member - HR Sub-committee, CWC
9.	Smt. Anupama Singh Lodhi	Independent	(i)	Srishti Srijan Minerals Pvt. Ltd.	(i)	Chairperson - Board Level Risk Management Committee, CWC
					(ii)	Member - Audit Committee, CWC
10.	Shri Dinesh Dubey w.e.f. 25.11.2021	Independent		NIL		NIL
11.	Shri Arun Kumar Shrivastava	Functional	(i)	CRWC	(i)	Member - Executive Committee of CWC
					(i)	Member - CSR Committee of CRWC
					(ii)	Member - Remuneration Committee of CRWC
					(iii)	Member - Risk Management Committee of CRWC
					(iv)	Member - Audit Committee of CRWC
			(ii)	Food Corporation of India	(i)	Member - Audit Committee of FCI
					(ii)	Member - Member of the Board Level Risk Management Committee of FCI.



12.	Shri Rakesh Kumar Sinha	Functional	(i) (ii) (iii)	Uttar Pradesh, SWC Maharashtra, SWC Bihar, SWC	(i)  (ii)	Member - CSR Committee of CWC Member - HR-Sub Committee, CWC
13.	Shri Amit Kumar Singh	Functional	(i) (ii) (iii)	Haryana, SWC Meghalaya, SWC Tamil Nadu Warehousing Corporation		NIL
14.	Shri Anuj Kumar w.e.f. 01.11.2021	Functional	(i) (ii) (iii)	Karnataka, SWC Odisha, SWC MPWLC		NIL

### CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:

During the year under report, the following changes in the Board of Directors took place:

- (i) Shri Atish Chandra, IAS was nominated by the administrative ministry on the Board of Central Warehousing Corporation on 23.07.2021 as Chairman in place of Shri D. V. Prasad, IAS.
- (ii) Shri Anuj Kumar, Director (Finance), joined the Board on 01.11.2021 on his appointment by the Govt. of India in place of Shri S. Charles, Director (Finance).
- (iii) Shri Dinesh Dubey, Non-Official Director was nominated by the administrative ministry on the Board of Central Warehousing Corporation on 25.11.2021.

During the year under report, the following changes took place:

#### (a) Directors who relinquished the charge

Name	Date of Relieving	Category
Shri S. Charles	30.04.2021	Functional Director

#### (b) Directors who joined:

Name	Date of joining	Category
Shri Atish Chandra	23.07.2021	Nominee Director
Shri Anuj Kumar	01.11.2021	Functional Director
Shri Dinesh Dubey	25.11.2021	Independent Director

### 3. REMUNERATION OF DIRECTORS

CWC is a Government of India Undertaking in which the Managing Director and three Functional Directors are appointed by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Govt of India on their respective pay scales with perquisites. The Managing Director and the Functional Directors are appointed for a period of five years or till the date of their superannuation or until further orders, whichever is earlier. Non-official part-time Independent Directors are nominated by the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution or elected by the respective class of shareholders (Co-operative Societies, Insurance Companies etc, and other Scheduled Banks respectively) for a period of





three years. The sitting fee paid to the non-official Directors is Rs. 10,000/- for attending each meeting of the Board & Sub-committees of the Board (i.e. Executive Committee, Audit Committee, HR Sub Committee, Remuneration Committee, Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability and Board level Risk Management Committee).

The details of the remuneration paid to the Directors during 2021-22 are given below:

(i) **NON-OFFICIAL DIRECTORS (Independent):**

Name	Designation	Sitting fees (Rs.)
Shri Virendra Singh	Director	1,90,000/-
Shri K.V.Pradeep Kumar	Director	3,10,000/-
Shri Rajendra Kumar P	Director	2,10,000/-
Shri Suresh Warior	Director	2,50,000/-
Smt. Anupama Singh Lodhi	Director	2,10,000/-
Shri Dinesh Dubey	Director	40,000/-

(ii) **PART - TIME DIRECTORS (Nominee and Independent):**

Name	Designation	Sitting fees (Rs.)
Shri Atish Chandra, IAS	Director (Nominee)	NIL
Ms. Nandita Gupta (IAS)	Director (Nominee)	NIL
Shri B. Raghvendra Rao	Director (Independent)	NIL
Shri Mukul N. Dandige	Director (Independent)	NIL

**(II) FUNCTIONAL DIRECTORS:**

Remuneration to Managing Director / Whole-time Directors

S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD					TOTAL Amount (Rs. in Lakh)
		Sh. Arun Kumar Shrivastava, MD, 12186K	Sh. Savarimuthu Charles, Director (Finance), 12183E	Sh. Rakesh Kumar Sinha Director (Personnel), 12189D	Sh. Amit Kumar Singh, Director (M&CP), 16492E	Sh. Anuj Kumar, Director (Finance), 20024	
			Retired on 30.04.2021			Joined CWC on 01.11.2021	
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	54.02	29.30	53.09	49.15	22.29	207.85
(b)	PRP	32.43	25.79	27.12	0.00	0.00	85.34
(c)	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income-tax Act, 1961	1.20	0.03	0.26	0.21	0.07	1.77



(d)	Profits in lieu of salary under section 17 (3) of the Income-tax Act, 1961	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Gross Salary Total (a+b+c+d)</b>	<b>87.65</b>	<b>55.12</b>	<b>80.47</b>	<b>49.36</b>	<b>22.36</b>	<b>294.96</b>

Sh. Arun Kumar Shrivastava, MD has held the additional charge of Director (Finance) from 01.05.2021 to 31.10.2021.

#### 4. BOARD MEETINGS:

The meeting of the Board of Directors are generally held at least once in a quarter at the Corporate Office of the Corporation or at place decided by the Board of Directors and are scheduled well in advance. The meetings of the Board of Directors are governed by a structured agenda and any member of the Board is free to recommend inclusion of any subject matter in the agenda for deliberations. Detailed agenda papers are circulated, in advance to the extent possible, to facilitate the Directors to take considered decisions.

The Attendance of Directors at the Board meetings held during the year under report and at the 59<sup>th</sup> Annual General Meeting held on the 28th September, 2021 was as under:

Name of Director	Category	31.05.21	15.06.21	02.07.21	09.07.21	16.08.21	01.09.21	27.09.21	27.10.21	10.12.21	06.01.22	18.01.22	23.03.22	No. of Board meeting attended	Whether present during the AGM on 28.09.21
Shri Atish Chandra, IAS Chairman, CWC, (add. Charge)	Nominee Director	NA	NA	NA	NA	✓	VC	VC	VC	VC	VC	X	X	6/8	Yes
Ms. Nandita Gupta, IAS	Nominee Director	VC	X	X	X	VC	X	VC	VC	VC	VC	X	X	6/12	No
Shri Virendra Singh	Independent Director	VC	✓	✓	VC	✓	✓	✓	VC	✓	VC	✓	✓	12/12	Yes
Shri K.V. Pradeep Kumar	Independent Director	VC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12	Yes
Shri B. Raghvendra Rao	Independent Director	VC	X	VC	VC	VC	X	X	X	X	X	VC	X	5/12	Yes
Shri Mukul N. Dandige	Independent Director	X	VC	X	VC	X	X	X	VC	X	X	VC	VC	5/12	No
Shri Rajendra Kumar P	Independent Director	VC	✓	✓	✓	✓	VC	VC	X	✓	VC	VC	✓	11/12	Yes
Shri Suresh Warior	Independent Director	VC	✓	✓	✓	VC	✓	✓	VC	✓	✓	✓	✓	12/12	Yes
Smt. Anupama Singh Lodhi	Independent Director	VC	✓	✓	✓	✓	VC	✓	VC	✓	✓	VC	✓	12/12	Yes
Shri Dinesh Dubey	Independent Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	4/4	NA
Shri Arun Kumar Shrivastava Managing Director	Functional Director	VC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	VC	12/12	Yes
Shri Rakesh Kumar Sinha	Functional Director	VC	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	11/12	Yes
Shri Amit Kumar Singh	Functional Director	VC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12/12	Yes
Shri Anuj Kumar	Functional Director	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	4/4	NA



- ✓ -Meeting attended  
 NA - Not applicable (not in position)  
 X - Meeting not attended  
 VC - Video conferencing

## 5. COMMITTEES OF THE BOARD: -

The Board of Directors has constituted the following committees with their distinct role, authority and accountability:

- Executive Committee
  - Audit Committee
  - Remuneration Committee
  - Committee on Corporate Social Responsibility & Sustainability
  - Committee on Risk Management
  - Committee on HR-Sub Committee
- (a) **Executive Committee**

The Executive Committee (EC) constituted under Section 12 of the Warehousing Corporations Act, 1962 consists of the part time Chairman, Managing Director and two members elected by the Board from among the Directors. During the year 2021-22, the EC met 04 times as per details given below:-

S. No.	Date of Meeting	Members present	Chairman
1.	23.06.2021	Ms. Nandita Gupta, IAS (Through VC) Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Arun Kumar Shrivastava	Ms. Nandita Gupta, IAS was chosen as Chairperson for the meeting.
2.	01.10.2021	Ms. Nandita Gupta, IAS (Through VC) Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Arun Kumar Shrivastava	Shri Atish Chandra, IAS (Through VC)
3.	03.03.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Arun Kumar Shrivastava (Through VC)	Shri Atish Chandra, IAS (Through VC)
4.	08.03.2022	Ms. Nandita Gupta, IAS (Through VC) Shri K.V. Pradeep Kumar (Through VC) Shri Arun Kumar Shrivastava (Through VC)	Shri Atish Chandra, IAS (Through VC)

(b) **Audit Committee**

The Audit Committee constituted by the Board of Directors comprises of three Independent Directors



as its members with one of the Independent Directors as the Chairman of the Audit Committee. The terms of reference of the Audit Committee include overseeing the audit function, reviewing critical findings, ensuring compliance with accounting standards and concurring financial statements before being submitted to the Board. And also the investment of surplus funds of the Corporation, level of funds available with the Corporation & outstanding, Factors to determine the commercial viability of projects & Accounting system followed in the Corporation. During the year 2021-22, the Audit Committee had seven meetings as given below: -

S. No.	Date of meeting	Members present	Chairman
1.	22.06.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi	Sh. Rajendra Kumar P
2.	06.07.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi	Sh. Rajendra Kumar P
3.	06.09.2021 & 07.09.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi (Through VC on 06.09.2021)	Sh. Rajendra Kumar P
4.	15.11.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi (Through VC)	Sh. Rajendra Kumar P
5.	14.02.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi	Sh. Rajendra Kumar P
6.	28.02.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi	Sh. Rajendra Kumar P
7.	23.03.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Smt. Anupama Singh Lodhi	Sh. Rajendra Kumar P

Director (Finance) attended last four meetings w.e.f. 15.11.2021 as special invitee to assist the Audit Committee during its deliberations.

Central Statutory Auditors attended six meetings as special invitee to assist the Audit Committee during its deliberations.

**(c) Remuneration Committee**

The Remuneration Committee (RC) of the Board, comprises of three Independent Directors with an Independent Director as the Chairman. During the year 2021-22, one meeting of the Remuneration committee was held. The details of the meetings of the Remuneration Committee are as under:

S. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1.	22.10.2021	Shri Suresh Warior Shri Rajendra Kumar P	Sh.K.V.Pradeep Kumar

GGM (Personnel) attended the meeting of Remuneration Committee as special invitee to assist the Remuneration Committee during its deliberations.

**(d) Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability**



The Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability comprises of two Independent Directors, Director (Personnel) with an Independent Director as the Chairman. During the year 2021-22, three meetings of the Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability were held. The details of the meetings of the Committee on Corporate Social Responsibility and Sustainability are as under:

S. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1.	12.08.2021	Shri B. Raghvendra Rao (Through VC) Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Suresh Warior (Through VC)
2.	22.09.2021	Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Suresh Warior (Through VC)
3.	12.01.2022	Shri B. Raghvendra Rao (Through VC) Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Suresh Warior (Through VC)

#### (e) Committee on Risk Management

The Committee on Risk Management comprises of three Independent Directors as members. Out of them one shall be the Chairman.

During the year 2021-22, two meetings of the Committee on Risk Management were held as detailed below:

S. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1.	09.12.2021	Shri Rajendra Kumar P Shri Suresh Warior	Smt. Anupama Singh Lodhi
2.	24.03.2022	Shri Rajendra Kumar P (Through VC) Shri Suresh Warior	Smt. Anupama Singh Lodhi

#### (f) Committee on HR-Sub Committee

During the year 2021-22, seven meetings of the Committee on HR-Sub Committee were held as detailed below:

S. No.	Date of meeting	Members Present	Chairman
1.	04.10.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh
2.	22.10.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh
3.	21.12.2021	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh
4.	19.01.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh



5.	08.02.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh
6.	22.02.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh
7.	10.03.2022	Shri K.V. Pradeep Kumar Shri Suresh Warior Shri Rakesh Kumar Sinha	Shri Virendra Singh

GGM (Personnel) attended the meeting as special invitees to assist the HR-Sub Committee during its deliberations.

## 6. ANNUAL GENERAL MEETING

The Annual General Meetings of the Corporation are held at the Corporate Office of the Corporation. The details of such meetings held during the past three financial years are as under:

AGM	Date and Time	Venue	Special Resolution passed
57 <sup>th</sup> AGM	28.09.2019- 11.00 AM	Corporate Office, New Delhi	Nil
58 <sup>th</sup> AGM	28.09.2020- 12.00 PM	Corporate Office, New Delhi	Nil
59 <sup>th</sup> AGM	28.09.2021- 12.00 PM	Corporate Office, New Delhi	Nil

## 7. CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board members and senior management personnel of the Corporation. The Code is posted on the website of the Corporation. All the Board members and senior management personally confirmed compliance with the Code.

## 8. WHISTLE BLOWER POLICY

The Whistle Blower Policy has been in place in the Corporation since June, 2004.

## 9. SUBSIDIARY COMPANY

The CWC has formed a 100% owned subsidiary company namely Central Railside Warehouse Company Ltd. (CRWC) for development and operation of Railside Warehousing Complexes (RWCs). CRWC Ltd. was incorporated on 10<sup>th</sup> July, 2007 and received certificate for commencement of business on 24<sup>th</sup> July, 2007. CWC has subscribed Rs. 40.56 crore as share capital of CRWC.

As per Chapter 6 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs), issued by Department of Public Enterprises on 4<sup>th</sup> May, 2010, only those subsidiaries, whose turnover or net worth is not less than 20% of the turnover or net worth respectively of the holding company in the immediate preceding accounting year may be treated as subsidiary companies. CRWC Ltd., the subsidiary of CWC does not come under the ambit of this definition of subsidiary company. Hence, it is not applicable to CWC.



## 10. DISCLOSURES

- (i) During the year, there were no transactions of material nature with the Directors or the management or their relatives that had potential conflict with the interest of the Corporation.
- (ii) The details of related party disclosures have been covered as part of notes to accounts.
- (iii) The Corporation follows Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- (iv) None of the Independent Directors had any pecuniary relationship or transactions with the Corporation during the financial year under report.
- (v) The Board periodically reviews Compliance Reports of all the laws applicable to the Corporation. During the last three years, there has been no instance of penalty imposed on the Corporation by any statutory authority owing to non-compliance under applicable laws.
- (vi) The Corporation has taken measures to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE). In accordance with the guidelines, Corporation has evolved a Code of Business Conduct and Ethics for its Board members and senior management personnel.
- (vii) No item of expenditure has been debited to books of accounts, which is not for the purpose of business. No expenses, which are personal in nature, have been incurred for the Board of Directors and top management except which are contractual obligations as per their terms of appointment and to facilitate the office working.
- (viii) The Risk Management Policy of the Corporation has been approved by the Board. The stocks stored at the Warehouses, including in ICDs/CFSs, are adequately insured against all risks such as fire, flood, theft, burglary, riots, strikes, civil commotion, etc. Besides, in order to ensure safe storage and preservation, as a risk assessment and minimization measure, the Corporation has in place a system of periodic inspection, audit and preventive checks by the Vigilance Division.

## 11. AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance during the year. The Compliance Certificate on Corporate Governance issued by the auditors of the Corporation is given at the end of this report.

## 12. SHAREHOLDERS' INFORMATION

**Means of communication:** The annual results of the Corporation are announced within six months of the end of financial year, and are also posted on the website of the Corporation, [www.cewacor.nic.in](http://www.cewacor.nic.in).

**Annual General Meeting:** The 60th Annual General Meeting of the Corporation is scheduled to be held on the 24 September 2022 at 12.00 hrs. **through video conferencing.**

**Dates of Book Closure:** The Share Transfer Books and Register of Members shall remain closed from 26 August 2022 to 24 September 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and declaration of dividend at the Annual General Meeting.

**Dividend Payment:** The details of the dividend paid (excluding dividend distribution tax) during the



last three years are as under:

Year	Amount of Dividend (Rs. in Crores)	Percentage of the paid-up capital (in%)
2019-20 (Final Dividend for the FY 2018-19)	25.29	37.20
2020-21 (Interim Dividend for FY 2019-20) - 12-May-2020	64.98	95.59
2020 - 21 (Final Dividend for FY 2019 - 20) - 27-Oct-2020	46.70	68.70
2020 - 21 (Interim Dividend for FY 2020 - 21) - 02-Dec-2020	115.56	170.00
2021-22 (Final Dividend for FY 2020-21) - 25-Oct-2021	15.91	23.40
2021-22 (Additional Dividend for FY 2019-20) -25-Oct-2021	6.80	10.01
2021-22 (1 <sup>st</sup> Interim Dividend for FY 2021-22) -05-Jan-2022	53.70	79.00
2021-22 (Additional Dividend for FY 2015-16) - 29-Jan-2022	31.14	45.81
2021-22 (2 <sup>nd</sup> Interim Dividend for FY 2021-22) -31-March-2022	73.42	108.00

**Share Transfer System:** The shares of the Central Warehousing Corporation are not transferable except to the specified classes of shareholders in accordance with the regulations made under the Warehousing Corporations Act, 1962. The shareholding of various categories of shareholders as on 31.03.2022 is as follows:

Category	No. of shares held	Shareholding Percentage of total paid up capital (in %)
Central Government	3,74,250	55.02
State Bank of India	1,77,140	21.75
Other Scheduled Banks	1,40,848	15.99
Cooperative Societies	1482	0.21
Insurance Companies	51,454	7.02
Others	76	0.01
<b>Total</b>	<b>7,45,250</b>	<b>100.00</b>

For and on behalf of the Board of Directors

**Secretary**

Address for communication:

The Secretary,

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

Place: New Delhi

Dated: 26/07/2022





**JK Sarawgi & Company**  
Chartered Accountants

[www.jksco.in](http://www.jksco.in)

### COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To  
The Shareholders,  
Central Warehousing Corporation  
New Delhi

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Central Warehousing Corporation for the year ended 31<sup>st</sup> March 2022, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (Guidelines), as issued by the Department of Public Enterprises (DPE).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination as carried out with the guidance Note of Corporate Governance issued by the Institute of Chartered Accountants of India, was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor in expression of opinion on the financial Statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines subject to the following:-

1. During the year, 3 (Three) Directors have joined the Board and 1 (one) Director retired.
2. Shri S. Charles, is retired from the post of Director (Finance) w.e.f. 30.04.2021
3. Shri Atish Chandra, IAS is appointed as Chairman on the Board in place of Shri D.V. Prasad, (IAS) on dated 23.07.2021.
4. Shri Anuj Kumar is appointed as Director (Finance) on the Board in place of Shri S. Charles, Director (Finance) on dated 01.11.2021.
5. Shri Dinesh Dubey is appointed as Non-official Director (Independent) on the Board on dated 25.11.2021.
6. Shri Arun Kumar Shrivastava, Managing Director is holding additional charge of Director (Finance) from 01.05.2021 and continued up to 31.10.2021.
7. Minutes of Board level committees are placed before the Board of Directors after confirmation in their ensuing meeting, which effect the Management control.



Branches : Ahmedabad, Chennai, Jaipur, Kanpur, Kolkata, Mumbai,  
Chandigarh, Bangalore, Bhopal, Mandi, Faridabad

91, Siddhartha Enclave, Near Ashram Chowk, New Delhi-110014  
Ph.: 011 42828734, 42828735, 42828736 Fax : 011-42828035  
MSME UAN : DL08E0009318

E-mail : [delhi@jksco.in](mailto:delhi@jksco.in)



We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the corporation nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Corporation.

For J K Sarawgi & Company  
Chartered Accountants

FRN: 006836



(L.S. Khandewal)

Partner

UDIN: 22009878AQMLRC6236

M. No. 009878

Place : New Delhi

Date : 01.09.2022



**Central Warehousing Corporation**  
(A Govt. of India Undertaking)

## **Auditors' Report**





## JK Sarawgi & Company

Chartered Accountants

### INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

TO  
THE SHAREHOLDERS OF  
CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

#### Report on Financial Statements

#### Opinion

We have audited the Financial Statements of M/s Central Warehousing Corporation ("the Corporation") for the General Fund, which comprise the Balance Sheet as at March 31<sup>st</sup>, 2022 and the Profit and Loss Account, Cash flow statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (herein after referred to as Financial Statements).

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Financial Statements, give the information required by the Warehousing Corporation Rules, 1963 and applicable Accounting Standards issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India, of the state of affairs (Financial position) of the Corporation as at 31st March, 2022 and its profits (Financial performance) and its cash flows for the year ended on that date.

#### Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the entity in accordance with the Code of ethics issued by ICAI that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

#### Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters in the financial statements:

- (a) Note No. 03 of Schedule II regarding lease deeds/title deeds of 45 land sites of valued Rs. 7449 lakh, and 39 Flats valued of Rs. 211.66 Lakhs, yet to be executed further.
- (b) Note No. 04 of Schedule II regarding 13 Leasehold lands in possession of Corporation, Lease periods whereof expired and lease rent on existing basis is being paid.
- (c) Note No. 01 of Schedule XXIX with respect to effect in change in Accounting Policy No. 9(a), 9(b), 9(e), 10, 14, 19, 25 29(b) and introduction of new Accounting Policy No. 16(f) and 33. Special attention to introduction of New Accounting Policy No. 16(f) on account which effect on reduction



of revenue stated in the Note and not considered in Financial Statement, though covered under 'Events after Balance Sheet Date'.

- (d) Note No. 6 of Schedule XXIX regarding refund of No. 2 Government grants with interest as stipulated
- (e) Note No. 16 of Schedule XXIX regarding Provisions, Contingent liabilities which includes Provision written back by creating contingent liability on reassessment of provision of earlier years.
- (f) Note No. 17 of Schedule XXIX regarding writing off Bad debts from provisions made earlier years Rs. 4105.37 Lakhs and additionally directly debited Rs. 157.08 Lakhs.
- (g) Note No. 19 of Schedule XXIX regarding debit balances due from Trade Receivables, other recoverable; and credit balances due against supplies /services /expenses are subject to confirmations / reconciliations and consequential impact thereof on assessment/ reassessment thereof.
- (h) Note No. 23 of Schedule XXIX regarding compliance under MSMED Act, for which Corporation has introduced Invoice Tracking System.
- (i) Note No. 25 of Schedule XXIX regarding format of Accounts prescribed under Central Warehousing Corporation Rules, 1963 and variations therefrom for better presentation in accordance with Accounting Standards issued by ICAI.
- (j) Note No. 25 (3) of Schedule XXIX regarding conversion of corporation (under Warehousing Corporation Act, 1962) to Company (under Companies Act, 2013), which is under process in Ministry of CA, Food & PD.
- (k) Note No. 26 of Schedule XXIX regarding merger of Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) with Central Warehousing Corporation (CWC) which is currently pending at NCLT.
- (l) Note No. 27 of Schedule XXIX regarding impact of COVID - 19 Pandemic and continuation as going concern and maintenance/preparation of Accounts on that basis.

Our opinion is not modified in respect of above matters.

#### Other matter

We did not audit the Financial Statements of 10 Regional offices of East, West and South zone included in the Financial Statements of the Corporation, whose Financial statements reflected total assets of **Rs.1924.26 Crores** as at 31<sup>st</sup> March,2022 and total revenue of **Rs. 1514.09 Crores** for the year ended on that date, as considered in the Financial Statements of these Regional Offices, have been audited by the respective Regional Offices Auditors, whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as relates to the amounts and disclosure included in respect of these Regional Offices, is based solely on the reports of such Regional Offices Auditors.

Our opinion is not modified in respect of other matter.



## Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The management of the Corporation is responsible for the matters with respect to the preparation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with Warehousing Corporation Act 1962 read with Central Warehousing Corporation Rules, 1963 for safeguarding the assets of the Corporation and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Corporation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern including impact of pandemic (COVID-19), if any, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Corporation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Corporation's financial reporting process.

## Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

We have obtained an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of Corporation Internal Control.

## Report on other legal and Regulatory Requirements

1. We enclose our report in terms of Section 143(5) of the Companies Act, 2013 on the basis of such check of the Books and records of the Corporation as considered appropriate and according to the information and explanations given to us in the Annexure 'A' on the directions and sub-directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
2. Subject to observations stated above read with accounting policies and notes to the financial statements, we report that:-



- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our Audit.
- b) In our opinion, proper books of account as required under section 31(1) of The Warehousing Corporation Act, 1962 read with Rule 45 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963 have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.
- c) The reports on the accounts of 10 Regional offices of the Corporation audited by other Auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing the report.
- d) The Balance Sheet, the Profit & loss Account, and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

**For J K Sarawgi & Company**

Chartered Accountants

F.R.N. 006836C



**(Laxman Swaroop Khandelwal)**

Partner

M.No. 009878

Place : Rishikesh (Uttarakhand)

Dated : 11.06.2022

UDIN : 22009878AKVPLQ1516

**"ANNEXTURE A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Referred to in paragraph 1 under 'report on Other legal Regulatory Requirements' section of our report of even date to the members of Central warehousing Corporation on the financial statements for the year ended March 31, 2022.

S. No.	Directions u/s 143(5) of the Companies Act, 2013	Auditor's Reply on the action taken on the directions																		
1	Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	<p>As per the information and explanation given to us, the Corporation has a system in place to process all accounting transactions through IT System i.e 'Tally ERP-9'</p> <p>Based on the audit procedures carried out and as per the information and explanations given to us, no accounting transactions have been processed/Carried out outside IT systems. Accounting of all Regional Offices / Accounting Units is done on Tally ERP and consolidated at Corporate Office through Tally ERP-9 software. There are no implications on the integrity of the accounts.</p>																		
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case lender is a Government company, then this direction also applicable for Statutory auditor of lender company).	There are no loans appearing in the books of the Corporation and as such the same is not applicable.																		
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from central/state Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviations.	<p>No grant was received during the year 2021-22 The details of receipts, utilization and returned of government grants during 2021-22 and their balances as on 31.03.2022 are as under:</p> <p style="text-align: right;">₹ in lakh</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S. N.</th> <th>Purpose</th> <th>Center Name</th> <th>Opening balance (Rs. in lakh)</th> <th>Grant Returned</th> <th>Closing Balance</th> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Capital Grant</b></td> <td></td> <td><b>a</b></td> <td><b>b</b></td> <td><b>c=(a-b)</b></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Construction of godown at Purakkad, Alleppey-received from Government of Kerala (#a) FY 2014-15</td> <td>CW. Purakkad</td> <td>488.00</td> <td>-</td> <td>488.00</td> </tr> </tbody> </table>	S. N.	Purpose	Center Name	Opening balance (Rs. in lakh)	Grant Returned	Closing Balance		<b>Capital Grant</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a-b)</b>	1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey-received from Government of Kerala (#a) FY 2014-15	CW. Purakkad	488.00	-	488.00
S. N.	Purpose	Center Name	Opening balance (Rs. in lakh)	Grant Returned	Closing Balance															
	<b>Capital Grant</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a-b)</b>															
1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey-received from Government of Kerala (#a) FY 2014-15	CW. Purakkad	488.00	-	488.00															





2	Setting up of CFS at Pipavav (Gujarat) -received from Ministry of Commerce & Industry (#b) FY 2011-12	CFS Pipavav	155.64	155.64	-
3	Modernization and automation of facility at ICD-Patparganj (Delhi) - received from Ministry of Commerce & Industry (#b) FY 2012-13	ICD Par-parganj	385.36	385.36	-
<b>Total Grant</b>			<b>1029.00</b>	<b>541.00</b>	<b>488.00</b>

#Note:

a) Corporation has approached Chief Secretary, Govt. of Kerala for according permission to continue the godown construction at Purakkad of Alappuzha district (for which the Govt Grant was sanctioned), by way of making an amendment in the 'Kerala Conservation of Paddy land and Wet land Act 2008' so that no government organization shall require any sort of permission for proceeding with construction in any wet land. Matter is under active consideration in the office of Chief Secretary, Govt of Kerala

b) As per the directions of Ministry of Commerce & Industry vide their letter dated 24.02.2022, Grants of ₹155.64 lakh and ₹385.36 lakh were returned to the Ministry on 02.03.2022 along with interest of ₹684.33 Lakhs and excess interest provision of earlier years of ₹ 78.23 Lakhs has been written back.

For J K Sarawgi & Company  
Chartered Accountants  
F.R.N. 006836C



*Laxman Swaroop Khandelwal*

**(Laxman Swaroop Khandelwal)**  
Partner  
M.No. 009878

Place: Rishikesh (Uttarakhand)  
Dated : 11.06.2022  
UDIN : 22009878AKVPLQ1516



ICD DASHRATH-I



**Central Warehousing Corporation**

**Balance Sheet and  
Profit & Loss Account  
(General Fund)**

**65<sup>th</sup> Annual Report  
2021-22**

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION****BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)**

CAPITAL & LIABILITIES	As per Schedule	AS AT	AS AT
		31.03.2022	31.03.2021
		₹	₹
Share Capital	I	68,02,10,000	68,02,10,000
Reserves			
- Reserve Fund Under Section 30(1)	IV	27,56,94,32,731	24,99,88,24,328
- Reserve for Bad & Doubtful Debts	IV	2,58,67,76,761	2,96,33,39,748
- Other Reserves	IV		
- Reserve for Benevolent Fund		4,50,55,781	4,37,77,961
Grant from Govt. of India		4,88,00,000	10,29,00,000
Outstanding Liabilities & Provisions			
- Outstanding Liabilities	V	5,49,11,16,709	5,92,86,25,132
- Provision for Pay & Allowances	VI	42,13,84,213	39,45,99,845
Deferred Tax Liability (Net)		84,00,95,897	73,57,66,341
Provision for Income Tax		1,28,78,96,018	96,33,20,011
Unclaimed Dividend		13,47,782	11,04,933
<b>TOTAL</b>		<b>38,97,21,15,892</b>	<b>36,81,24,68,299</b>

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company  
Chartered Accountants  
FRN: 006836C



(Laxman Swaroop Khandelwal)  
Partner  
M. No. 009878

Place: Rishikesh (Uttarakhand)  
Dated : 11.06.2022



## BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)

PROPERTY & ASSETS	As per Schedule	AS AT	
		31.03.2022	31.03.2021
		₹	₹
Fixed Assets	II	19,25,05,03,698	17,72,52,54,080
Investments (at Cost)	III		
- State warehousing corporations		61,79,38,400	61,79,38,400
- Others		48,88,89,773	48,88,89,773
Income accrued on Investments		-	3,54,32,640
Current Assets			
- Stores and spares	VII	8,28,85,401	7,90,92,858
- Warehousing & other charges accrued		82,50,96,052	93,07,94,637
- Sundry Debtors	VIII		
Considered good		2,95,73,96,449	1,70,24,24,585
Considered doubtful		2,33,76,45,062	2,67,09,71,636
- Loans and Advances	IX		
Considered good		32,22,62,614	40,30,42,350
- Other Current Assets	X		
Considered good		3,38,10,87,741	2,69,74,69,665
Considered doubtful		24,91,31,699	25,69,35,472
Cash and Bank Balances	XI	8,45,92,79,003	9,20,42,22,203
Significant Accounting Policies	XXVIII		
Notes forming part of Accounts	XXIX		
<b>TOTAL</b>		<b>38,97,21,15,892</b>	<b>36,81,24,68,299</b>

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(ANUJ KUMAR)  
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)  
Managing Director



## PROFIT &amp; LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)

EXPENDITURE	As Per Schedule	Current Year (31.03.2022) ₹	Previous Year (31.03.2021) ₹
Warehousing Licence Fee		87,57,613	76,32,839
Consumption of Chemicals,Covers & Dunnage	XII	11,88,21,542	10,72,83,193
Pay & Allowances (with provisions)	XIII	4,31,47,13,872	4,61,68,75,087
Travelling Expenses	XIV	5,30,22,048	4,32,73,007
Establishment (Others)		1,26,95,33,503	1,32,00,32,815
Wages		20,39,24,176	20,80,84,632
Repairs & Maintenance	XV	28,48,27,793	25,86,70,730
Rent, Rates & Taxes	XVI	1,02,43,73,956	1,10,47,80,736
Insurance		21,58,36,036	18,46,02,067
Printing & Stationery		1,67,80,041	1,81,07,061
Miscellaneous Expenditure	XVII	1,07,27,02,130	90,62,85,562
Marketing Facilitation Expenses		6,03,07,79,008	5,20,46,69,485
Container Rail Transport (CRT) Operation Expenses		18,52,87,837	21,72,72,633
Pest Control Service Expense	XVIII	20,57,28,910	16,90,27,809
Bank Charges		7,17,676	6,74,595
Interest (expenses)	XIX	76,45,504	89,23,058
CSR & Sustainable Development Expenses		-	5,97,17,605
Directors' Remuneration (Fees,Travelling Allowances,etc.)		52,97,527	10,46,200
Auditors' Fee and Expenses	XX	1,06,76,996	1,08,23,032
Loss on Sale of Assets/ Assets written off		3,67,15,829	2,40,85,620
Bad Debts Written Off		42,62,45,623	4,70,21,225
Depreciation/ Amortisation		93,06,87,625	87,01,72,870
Reserve for Bad & Doubtful Debts		-	65,03,85,175
		16,42,30,75,245	16,03,94,47,036
<b>Profit for the year</b>		5,89,89,34,723	5,64,18,43,640
<b>TOTAL</b>		<b>22,32,20,09,968</b>	<b>21,68,12,90,676</b>
<b>Profit for the year</b>		5,89,89,34,723	5,64,18,43,640
Less : Prior Period Adjustments (Net)	XXI	16,22,448	(1,36,63,051)
<b>Profit Before Tax</b>		5,89,73,12,275	5,65,55,06,691
Less: Tax Expense	XXII	1,39,17,34,215	1,27,37,62,931
<b>PROFIT AFTER TAX CARRIED DOWN</b>		4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
<b>Earning Per Share</b>			
Basic		6,623.80	6,441.75
Diluted		6,623.80	6,441.75

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company  
Chartered Accountants  
FRN: 006836C



(Laxman Swaroop Khandelwal)  
Partner  
M. No. 009878

Place: Rishikesh (Uttarakhand)  
Dated : 11.06.2022



## PROFIT &amp; LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)

INCOME	As Per Schedule	Current Year (31.03.2022) ₹	Previous Year (31.03.2021) ₹
Warehousing Charges (Income)	XXIII	11,32,55,45,241	12,63,26,51,016
Marketing Facilitation Income		7,10,93,29,461	5,95,29,56,570
Income from Container Rail Transport (CRT) Operations		18,94,57,829	23,55,32,467
Income from CFSs/ICDs under Strategic Alliance		84,85,93,340	66,86,09,542
Income from Pest Control Services		40,88,68,398	46,42,71,812
Interest (income)	XXIV	54,82,51,821	55,19,03,939
Dividend Income	XXV	32,25,10,583	24,12,83,134
Miscellaneous Receipts	XXVI	60,50,84,524	82,19,10,540
Excess Liability, Provision and Depreciation Written Back	XXVII	96,32,01,598	10,20,47,925
Profit on Sale of Assets		11,67,173	1,01,23,731
<b>TOTAL</b>		<b>22,32,20,09,968</b>	<b>21,68,12,90,676</b>

Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

For and on behalf of the Board

(ANUJ KUMAR)  
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)  
Managing Director



## PROFIT &amp; LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
TO		
Appropriation to		
Other funds		
i. Reserve for Benevolent Fund	4,50,55,781	4,38,17,438
ii. Reserve for Leave Benefit Fund (Interest net of income tax liability)	-	5,25,47,994
iii. CSR & Sustainable Development (Ref. Sch.XXIX, Note-20)	8,02,51,711	
Dividend		
i. For the year (Interim)	1,27,11,81,494	1,15,56,19,540
ii. For the year 2020-21 (Final)	15,90,67,630	-
iii. For the year 2019-20	6,80,45,534	1,11,68,04,355
iv. For the year 2015-16 (Additional)	31,14,00,627	-
Reserve Fund Under Section 30(1)	2,57,05,75,283	2,01,29,54,433
<b>TOTAL</b>	<b>4,50,55,78,060</b>	<b>4,38,17,43,760</b>

As per our report of even date attached

For J.K. Sarawgi & Company  
Chartered Accountants  
FRN: 006836C



*(Laxman Swaroop Khandelwal)*  
(Laxman Swaroop Khandelwal)  
Partner  
M. No. 009878

Place: Rishikesh (Uttarakhand)  
Dated : 11.06.2022





## PROFIT &amp; LOSS APPROPRIATION ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2022 (GENERAL FUND)

PARTICULARS	CURRENT YEAR ₹	PREVIOUS YEAR ₹
BY		
Profit after Tax brought down	4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
<b>TOTAL</b>	<b>4,50,55,78,060</b>	<b>4,38,17,43,760</b>

For and on behalf of the Board

(ANUJ KUMAR)  
Director (Finance)

(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)  
Managing Director



Central Warehousing Corporation

# SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND)

## 65<sup>th</sup> Annual Report 2021-22





**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022**  
**SCHEDULE - 'T' : SHARE CAPITAL**

	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
a) Authorised 1000000 shares of ₹ 1000/- each	100,00,00,000	100,00,00,000
b) Issued 745250 shares of ₹ 1000/- each	74,52,50,000	74,52,50,000
c) Subscribed 745250 shares of ₹ 1000/- each	74,52,50,000	74,52,50,000
d) Called up & Paid up		
i) 663950 Shares of ₹ 1000/- each, fully called and paid up	66,39,50,000	66,39,50,000
ii) 81300 Shares of ₹ 1000/- each, ₹ 200/- per share called and paid up	1,62,60,000	1,62,60,000
Total	68,02,10,000	68,02,10,000

Sl. No.	SHAREHOLDERS	NO. OF SHARES	ISSUED AND SUBSCRIBED ₹	CALLED UP AND PAID-UP ₹
1	Central Government	3,74,250	37,42,50,000	37,42,50,000
2	State Bank of India	1,77,140	17,71,40,000	14,79,40,000
3	Other Scheduled Banks	1,40,848	14,08,48,000	10,87,09,600
4	Co-operative Societies	1,045	10,45,000	10,26,600
5	Insurance Companies including Life Insurance Corporation of India	51,454	5,14,54,000	4,77,74,000
6	Recognised Associations dealing in Agricultural Produce	71	71,000	71,000
7	Companies dealing in Agricultural Produce etc.	5	5,000	5,000
	<b>TOTAL</b>	7,44,813	74,48,13,000	67,97,76,200
8	Co-operative Societies (disqualified share holders) pending transfer to the permissible class of shareholders (see Note (i))	437	4,37,000	4,33,800
		7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000
	Previous Year	7,45,250	74,52,50,000	68,02,10,000

Note:

- (i) The District Central Co-op. Banks, who do not qualify to be shareholders in terms of Sec. 2(d) of The Warehousing Corporations Act, 1962, have been disqualified to be the shareholders under the permissible class of shareholders. Pending transfer of shares of these disqualified shareholders to the permissible class of shareholders, they are reflected at Sl. No.8 i.e. under Co-operative Societies (disqualified shareholders). Dividend is not payable for these shares in terms of Rule 26(3) of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963.



SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022  
SCHEDULE - 'II' : FIXED ASSETS

Sl. No.	Particulars	COST			
		Gross carrying amount as on 01.04.2021 ₹	Additions during the year ₹	Deductions/ Adjustments during the year ₹	Gross carrying amount as on 31.03.2022 ₹
<b>PROPERTY, PLANT &amp; EQUIPMENT</b>					
<b>TANGIBLE ASSETS</b>					
1	Land (Freehold)	71,96,20,966	2,19,45,115	-	74,15,66,081
2	Land (Leasehold)	3,53,59,99,730	80,10,101	-	3,54,40,09,831
3(a)	Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	92,98,35,421	65,06,55,155	1,10,83,055	1,56,94,07,521
3(b)	Floor (Cement Concrete)	21,70,99,683	23,73,40,623	87,527	45,43,52,779
3(c)	Road (Cement Concrete)	98,78,66,602	92,76,19,098	-	1,91,54,85,700
3(d)	Warehouses & Godowns and ancillaries	12,83,52,42,454	1,00,45,69,131	13,99,87,337	13,69,98,24,248
4	Container Yards	1,06,44,57,518	9,25,56,704	-	1,15,70,14,222
5	Electric Installations	61,22,32,096	5,74,95,527	1,26,990	66,96,00,633
6	Water Installations	4,27,61,528	33,61,839	10,14,368	4,51,08,999
7	Plant & Machinery	-	-	-	-
8	Office Buildings	30,00,80,061	-	17,91,090	29,82,88,971
9	Residential Flats	18,63,48,319	7,02,143	-	18,70,50,462
10	Furniture	21,51,63,160	48,78,296	30,05,581	21,70,35,875
11	Office Equipments	10,65,36,989	1,05,22,366	(19,65,839)	11,90,25,194
12	Mobile Phones	1,29,62,891	6,77,680	9,44,100	1,26,96,471
13	Vehicles	2,04,59,977	36,93,380	5,74,888	2,35,78,469
14	Laboratory Equipments	2,61,20,807	77,55,855	8,83,832	3,29,92,830
15	Disinfection Equipments	4,32,00,579	86,51,049	47,98,535	4,70,53,093
16	Construction Equipments	6,38,230	-	77,051	5,61,179
17	Other Equipments	93,61,63,575	7,33,98,700	1,35,35,341	99,60,26,934
18	Wooden Crates	3,66,10,246	1,74,49,600	34,12,955	5,06,46,891
19	Racks	1,40,36,662	10,500	21,78,962	1,18,68,200
20	Tin Trays	2,23,032	-	28,800	1,94,232
21	Railway Sidings	8,27,89,923	-	-	8,27,89,923
22	Computers & Laptops	20,45,90,437	1,93,80,468	1,01,22,937	21,38,47,968
23	H.B.L.Sheet	3,60,70,910	-	82,55,513	2,78,15,397
24	P.C.C. Blocks	45,10,374	-	-	45,10,374
25	Poly Pallets	2,34,03,151	-	-	2,34,03,151
26	Poly Pallets (R&D)	-	11,77,21,736	-	11,77,21,736
27	Convertible Plinths	1,11,30,131	-	-	1,11,30,131
28	Non Convertible Plinths	2,22,81,260	-	-	2,22,81,260
		<b>23,22,84,36,712</b>	<b>3,26,83,95,066</b>	<b>19,99,43,023</b>	<b>26,29,68,88,755</b>
29	Work-in-Progress	2,26,45,08,666	1,53,73,01,427	2,31,67,08,793	1,48,51,01,300
30	Lorry Weigh Bridge (Under Installation) / Equipment in Hand	2,44,89,823	17,44,255	55,55,585	2,06,78,493
	<b>SUB Total</b>	<b>25,51,74,35,201</b>	<b>4,80,74,40,748</b>	<b>2,52,22,07,401</b>	<b>27,80,26,68,548</b>
<b>INTANGIBLE ASSETS:</b>					
31	Reg. fee for running container trains	50,00,00,000	-	-	50,00,00,000
32	Right to use of Land	15,54,750	-	-	15,54,750
33	Software	2,72,70,964	4,71,36,129	57,50,648	6,86,56,445
34	Licence for Private Freight Terminal	1,27,48,278	-	21,83,000	1,05,65,278
	<b>SUB Total</b>	<b>54,15,73,992</b>	<b>4,71,36,129</b>	<b>79,33,648</b>	<b>58,07,76,473</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26,05,90,09,193</b>	<b>4,85,45,76,877</b>	<b>2,53,01,41,049</b>	<b>28,38,34,45,021</b>
	<b>Previous Year</b>	<b>23,66,71,40,853</b>	<b>3,71,60,49,985</b>	<b>1,32,41,81,645</b>	<b>26,05,90,09,193</b>



**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022**  
**SCHEDULE - 'II' : FIXED ASSETS**

Sl. No.	Particulars	DEPRECIATION/IMPAIRMENT/AMORTISATION				CARRYING AMOUNT/W.D.V	
		Upto 01.04.2021 ₹	For the year ₹	Written Back/ Adjusted during the year ₹	Upto 31.03.2022 ₹	As on 31.3.2022 ₹	As on 31.03.2021 ₹
<b>PROPERTY, PLANT &amp; EQUIPMENT</b>							
<b>TANGIBLE ASSETS:</b>							
1	Land (Freehold)	-	-	-	-	74,15,66,081	71,96,20,966
2	Land (Leasehold)	98,43,77,303	7,99,84,654	-	1,06,43,61,957	2,47,96,47,874	2,55,16,22,427
3(a)	Roof (Pre-coated galvalume steel sheet)	5,19,48,848	4,45,72,472	1,95,950	9,63,25,370	1,47,30,82,151	87,78,86,573
3(b)	Floor (Cement Concrete)	2,00,88,246	1,06,98,124	83,174	3,07,03,196	42,36,49,583	19,70,11,437
3(c)	Road (Cement Concrete)	6,73,70,437	5,28,95,203	-	12,02,65,640	1,79,52,20,060	92,04,96,165
3(d)	Warehouses & Godowns and ancillaries	4,51,19,24,488	50,18,86,023	8,33,19,988	4,93,04,90,523	8,76,93,33,725	8,32,33,17,966
4	Container Yards	51,54,75,997	4,03,08,994	(1,95,950)	55,59,80,941	60,10,33,281	54,89,81,521
5	Electric Installations	51,86,77,959	1,83,86,824	(1,67,569)	53,72,32,352	13,23,68,281	9,35,54,137
6	Water Installations	3,71,99,539	6,16,522	9,63,649	3,68,52,412	82,56,587	55,61,989
7	Plant & Machinery	-	-	-	-	-	-
8	Office Buildings	5,81,00,907	47,57,450	13,54,002	6,15,04,355	23,67,84,616	24,19,79,154
9	Residential Flats	7,24,94,627	29,03,889	1	7,53,98,515	11,16,51,947	11,38,53,692
10	Furniture	17,28,20,647	66,62,004	27,29,598	17,67,53,053	4,02,82,822	4,23,42,513
11	Office Equipments	6,54,02,113	1,39,44,884	(21,80,587)	8,15,27,584	3,74,97,610	4,11,34,876
12	Mobile Phones	1,02,20,409	13,26,053	8,45,802	1,07,00,660	19,95,811	27,42,482
13	Vehicles	1,57,16,998	9,24,544	5,46,144	1,60,95,398	74,83,071	47,42,979
14	Laboratory Equipments	1,86,84,522	31,87,580	7,32,200	2,11,39,902	1,18,52,928	74,36,285
15	Disinfestation Equipments	3,21,99,103	62,02,421	44,51,371	3,39,50,153	1,31,02,940	1,10,01,476
16	Construction Equipments	5,89,808	10,488	73,298	5,26,998	34,181	48,422
17	Other Equipments	47,45,29,945	7,80,80,258	1,35,56,292	53,90,53,911	45,69,73,023	46,16,33,630
18	Wooden Crates	3,63,20,920	15,70,797	42,13,500	3,36,78,217	1,69,68,674	2,89,326
19	Racks	1,31,59,524	84,475	20,68,944	1,11,75,055	6,93,145	8,77,138
20	Tin Trays	2,15,008	-	28,600	1,86,408	7,824	8,024
21	Railway Sidings	2,72,42,421	42,48,011	-	3,14,90,432	5,12,99,491	5,55,47,502
22	Computers & Laptops	16,31,13,508	1,82,75,204	93,76,562	17,20,12,150	4,18,35,818	4,14,76,929
23	H.B.L.Sheet	3,43,29,715	-	78,46,965	2,64,82,750	13,32,647	17,41,195
24	P.C.C. Blocks	5,51,243	5,45,094	-	10,96,337	34,14,037	39,59,131
25	Poly Pallets	2,15,67,771	9,18,299	-	2,24,86,070	9,17,081	18,35,380
26	Poly Pallets (R&D)	-	44,60,366	-	44,60,366	11,32,61,370	-
27	Convertible Plinths	49,71,388	5,02,183	-	54,73,571	56,56,560	61,58,743
28	Non Convertible Plinths	2,11,67,197	-	-	2,11,67,197	11,14,063	11,14,063
		<b>7,95,04,60,591</b>	<b>89,79,52,816</b>	<b>12,98,41,934</b>	<b>8,71,85,71,473</b>	<b>17,57,83,17,282</b>	<b>15,27,79,76,121</b>
29	Work-in-Progress	-	-	-	-	1,48,51,01,300	2,26,45,08,666
30	Lorry Weigh Bridge (Under Installation) / Equipment in Hand	-	-	-	-	2,06,78,493	2,44,89,823
	<b>SUB Total</b>	<b>7,95,04,60,591</b>	<b>89,79,52,816</b>	<b>12,98,41,934</b>	<b>8,71,85,71,473</b>	<b>19,08,40,97,075</b>	<b>17,56,69,74,610</b>
<b>INTANGIBLE ASSETS:</b>							
31	Reg. fee for running container trains	35,62,50,000	2,50,00,000	-	38,12,50,000	11,87,50,000	14,37,50,000
32	Right to use of Land	14,61,102	13,904	-	14,75,006	79,744	93,648
33	Software	2,14,19,574	1,05,36,044	54,61,348	2,64,94,270	4,21,62,175	58,51,390
34	Licence for Private Freight Terminal	41,63,846	10,56,528	69,800	51,50,574	54,14,704	85,84,432
	<b>SUB Total</b>	<b>38,32,94,522</b>	<b>3,66,06,476</b>	<b>55,31,148</b>	<b>41,43,69,850</b>	<b>16,64,06,623</b>	<b>15,82,79,470</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33,37,55,113</b>	<b>93,45,59,292</b>	<b>13,53,73,082</b>	<b>9,13,29,41,323</b>	<b>19,25,05,03,698</b>	<b>17,72,52,54,080</b>
	<b>Previous Year</b>	<b>7,58,96,84,911</b>	<b>85,34,91,696</b>	<b>10,94,21,494</b>	<b>8,33,37,55,113</b>	<b>17,72,52,54,080</b>	<b>16,07,74,55,942</b>



NOTES TO SCHEDULE - 'II': FIXED ASSETS

- 1) The ancillaries of Warehouses and Godowns consist of all ancillary civil Works within the Warehouse Complex like bituminous road, office block, labour shed, fencing, boundary wall, weighment cabin, lavatory block, sentry box, rain water harvesting, wire mesh steel doors.
- 2) a) The useful life of Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is independent of the useful life of warehouse and godowns and same are capitalized and depreciated separately. The warehouse & godowns on completion of their useful life are repaired or replaced as the situation may warrant. All additions to the warehouse & godowns and its ancillaries are depreciated based on their useful life i.e. 30 years.  
b) As and when the new Road (cement concrete), Roof (pre-coated Galvalume steel sheet) and Floor (Cement Concrete) is constructed, the written down value of old bituminous road, AC Roof and floor is derecognised from the books.
- 3) The lease deeds/title deeds in respect of 45 land sites (ROs - Ahmedabad-5, Bangalore-3, Patna-20, Bhopal-2, Chandigarh-2, Kolkata-2, Delhi-2, Guwahati-4, Lucknow-2, Mumbai-2, Hyderabad-1) valued at ₹ 7449 lakh are yet to be executed. In addition, lease deeds/title deeds in respect of 25 flats at Ahmedabad, 3 flats at Bhopal and 11 flats at Mumbai have not been executed which are valued at Rs. 211.66 lakhs. The liability for stamp duty on such properties has been provided as per Accounting Policy No.12.
- 4) In respect of 13 Leasehold lands in possession of the Corporation, the lease period has expired. The renewal of lease for these lands is in progress. In view of non availability of renewal premium payable, the liability for lease rent has been accounted for on the existing basis.
- 5) The forest lands at Khabli and Shimla were allotted to the Corporation on right to use basis for construction of warehouses for PDS activity. The ownership of these lands is with the Forest Department and possession is with the Corporation. The cost of these lands are shown as intangible asset as Right to Use of Land.
- 6) Department of Agriculture, Govt. of Bihar allotted lands at Munger, Khagaria and Bettiah on right to use basis to create and hold the storage infrastructure for foodgrains. The ownership of these lands is with the Department of Agriculture, Govt. of Bihar and possession is with the Corporation. Since these lands are allotted free of cost they are not shown as Intangible Assets.
- 7) The title of the land of CW Madhepura in Patna Region is with a private party, but the possession of the same is with the corporation.
- 8) For Lease hold Land at CW, Mundra in possession of corporation, lessor has disputed the use of the land for general warehousing. CWC has filed a petition in Hon'ble High Court of Gujarat and matter is subjudice.

**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022**

- 9) Depreciation amount of ₹ 9345.59 lakh (previous year ₹ 8534.92 lakh) includes prior period depreciation of ₹ 38.72 lakh (net debit) (previous year ₹ 166.81 lakh(net credit).
- 10) Land measuring 0.25 acre has been allotted free of cost by Union Government , Portblair was duly accounted for nominal value of ₹ 1/- in the Chennai Books of Accounts.
- 11) Out of 63.18 acres of land at Thanjavur,Chennai 0.5 acres was leased to FCI on annual lease rent basis.
- 12) Land measuring 11.76 acre has been taken on lease from Chennai Port Trust for 30 years for carrying business operation at CTT, Tiruvottiyur, Chennai.
- 13) During the year Poly pallets (R&D) of ₹ 1177.22 lakh were purchased for the purpose of "Research & Development".



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - 'III': INVESTMENTS (AT COST)

## (A) Long Term Investment in State Warehousing Corporations (Associates) (Investment made u/s 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962) (unquoted)

Sl. No.	Name of State Warehousing Corporations	No. of Equity Shares (Unquoted) (Face Value ₹ 100)		Amount (₹)	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1	Andhra Pradesh State Warehousing Corporation	2,61,502	2,61,502	2,61,50,200	2,61,50,200
2	Assam State Warehousing Corporation	5,47,000	5,47,000	5,47,00,000	5,47,00,000
3	Bihar State Warehousing Corporation	3,20,994	3,20,994	3,20,99,400	3,20,99,400
4	Chattisgarh State Warehousing Corporation	2,01,920	2,01,920	2,01,92,000	2,01,92,000
5	Gujarat State Warehousing Corporation	2,00,000	2,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000
6	Haryana State Warehousing Corporation	2,92,037	2,92,037	2,92,03,700	2,92,03,700
7	Karnataka State Warehousing Corporation	3,90,000	3,90,000	3,90,00,000	3,90,00,000
8	Kerala State Warehousing Corporation	5,75,000	5,75,000	5,75,00,000	5,75,00,000
9	Madhya Pradesh Warehousing and Logistic Corporation	3,78,080	3,78,080	3,78,08,000	3,78,08,000
10	Maharashtra State Warehousing Corporation(Includes 24240 Bonus Shares)	4,35,560	4,35,560	4,11,32,000	4,11,32,000
11	Meghalaya State Warehousing Corporation	1,22,562	1,22,562	1,22,56,200	1,22,56,200
12	Odisha State Warehousing Corporation	1,80,000	1,80,000	1,80,00,000	1,80,00,000
13	Punjab State Warehousing Corporation	4,00,000	4,00,000	4,00,00,000	4,00,00,000
14	Rajasthan State Warehousing Corporation	3,92,630	3,92,630	3,92,63,000	3,92,63,000
15	Tamil Nadu State Warehousing Corporation	3,80,500	3,80,500	3,80,50,000	3,80,50,000
16	Telangana State Warehousing Corporation	1,86,889	1,86,889	1,86,88,900	1,86,88,900
17	Uttar Pradesh State Warehousing Corporation	5,39,770	5,39,770	5,39,77,000	5,39,77,000
18	Uttarakhand State Warehousing Corporation	18,480	18,480	18,48,000	18,48,000
19	West Bengal State Warehousing Corporation	3,80,700	3,80,700	3,80,70,000	3,80,70,000
<b>TOTAL (A)</b>		<b>62,03,624</b>	<b>62,03,624</b>	<b>61,79,38,400</b>	<b>61,79,38,400</b>
<b>(B) Other Investments</b>					
1	<b>Investment in Subsidiary (Long Term)(Unquoted)</b>				
	Central Railside Warehouse Company Ltd., (Subsidiary)			40,55,99,900	40,55,99,900
	<b>4,05,59,990 shares having face value of ₹10 each</b>				
2	<b>Others(Long Term/Current)</b>				
a	Indian Commodity Exchange Limited (ICEX) Unquoted				
	58,963,956 shares each having face value of ₹ 5/- each.#				
	Long Term investment ( 5% shareholders in ICEX i.e.2,66,75,373 no. of shares of face value of ₹ 5 each)			3,76,80,451	3,76,80,451
	Current investment ( 6.05% shareholders in ICEX i.e. 3,22,88,583 no of shares of face value of ₹ 5 each)			4,56,09,422	4,56,09,422
<b>GRAND TOTAL (A) + (B)</b>				<b>1,10,68,28,173</b>	<b>1,10,68,28,173</b>

Note :-

- The investments held in the State Warehousing Corporations are not transferable without prior approval of the Govt. of India.
- # ICEX has allotted to the Corporation 5,89,63,956 no. equity shares of ₹ 5/- each in exchange of shares in NMCE. Corporation holds 11.05% share in the equity of ICEX. As per Regulation 17 of SECC Regulations, 2018 no person can acquire or hold more than 5% of the paid-up equity share capital in a recognized Stock Exchange. As per SEBI's circular 26th November, 2015, Corporation has taken steps to off-load its equity in ICEX so as to bring it within the prescribed limit. The compliance to this Regulation was to be made by 31st March, 2022.  
Despite efforts, equity of 6.05% has not been offloaded/ responded by any prospective buyer, being unlisted share. Accordingly, SEBI has been requested to allow holding up to 15% of shareholding in ICEX. In addition to that, request has also been made to ICEX for Buy-Back of equity over and above the present prescribed limit by SECC regulations.  
ICEX has not responded so far. SEBI has responded & extended the compliance of this regulation till 31.12.2022 vide their mail dated 24.03.2022
- In the 369th meeting of the Board of Directors held on 23.03.2022, the Board approved the additional share capital contribution amounting to ₹ 1.50 Crore to Kerala SWC, ₹ 2.53 Crore to Assam SWC and ₹ 0.91 Crore to Meghalaya SWC to make contribution equivalent to State Government's. Corporation has contributed the equity to the concerned SWC in the F.Y. 2022-23. The board did not approve the additional share capital of ₹ 12.85 Crore to Karnataka State Warehousing Corporation pending increase in their authorized capital.





## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - IV: Reserves

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
<b>1</b>	<b>Reserve Fund Under Section 30 (1)</b>		
	As per last Balance Sheet	24,99,88,24,328	
	Add: Unclaimed Dividend (more than 7 years old)	33,120	
	Add: Transfer from P & L Appropriation Account	2,57,05,75,283	24,99,88,24,328
		<u>27,56,94,32,731</u>	
<b>2</b>	<b>Reserve for Bad &amp; Doubtful Debts</b>		
<b>A</b>	<b>Trade Receivables</b>		
	As per last Balance Sheet	2,67,09,71,636	
	Add: Additional provision made	19,33,16,789	
	Less: Reserve written back	11,73,29,496	
	Less: Bad Debts written off against reserves	40,93,13,867	2,67,09,71,636
		<u>2,33,76,45,062</u>	
<b>B</b>	<b>Other Current Assets</b>		
	As per last Balance Sheet	25,69,35,472	
	Add: Additional provision made	7,35,777	
	Less: Reserve written back	73,16,445	
	Less: Bad Debts written off against reserves	12,23,105	25,69,35,472
		<u>24,91,31,699</u>	
<b>C</b>	<b>Income Accrued on Investments</b>		
	As per last Balance Sheet	3,54,32,640	
	Add: Additional provision made	-	
	Less: Reserve written back	3,54,32,640	
	Less: Bad Debts written off against reserves	-	3,54,32,640
		<u>-</u>	
<b>3</b>	<b>Other Reserves</b>		
<b>a)</b>	<b>Reserve for Benevolent Fund</b>		
	As per last Balance Sheet	4,37,77,961	
	Add: Transfer from P & L appropriation Account	4,50,55,781	
	Less: Payment to Benevolent Fund Trust	4,37,77,961	4,37,77,961
		<u>4,50,55,781</u>	

## SCHEDULE-V: Outstanding Liabilities

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Sundry Creditors (Including M.F and Projects)	1,81,22,29,077	2,21,95,40,452
2	Statutory Dues payable	27,50,27,110	29,16,07,336
3	EMD/SD from suppliers/Depositors	1,44,01,07,279	1,10,12,93,024
4	Other Liabilities	48,81,87,740	29,11,26,202
5	Deposit Refundable	14,48,89,213	23,77,54,506
6	Liability for Expenses	80,83,71,424	1,07,72,78,131
7	Provision for Expenses & Capital Works	50,19,75,489	62,71,65,175
8	Deposit Work (Others)	21,98,677	42,13,077
9	Liability for Stamp Duty	1,81,30,700	7,86,47,229
	<b>TOTAL</b>	<u>5,49,11,16,709</u>	<u>5,92,86,25,132</u>



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - VI: Provision for Pay &amp; Allowances

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Productivity Linked Incentive</b>		
	As per last Balance Sheet	2,11,99,462	
	Add: Provision made during the year	6,13,64,917	
	Less: Payment made during the year	<u>4,34,26,984</u>	2,11,99,462
2	<b>Performance Related Pay</b>		
	As per last Balance Sheet	25,58,78,232	
	Less: Transfer to Liability for PRP	25,58,78,232	
	Add: Provision made during the year	<u>26,25,78,779</u>	25,58,78,232
3	<b>Gratuity</b>		
	As per last Balance Sheet	6,01,83,773	
	Add: Provision made during the year	9,89,81,729	
	Less: Payment made to Employees Gratuity Trust	<u>15,05,67,964</u>	6,01,83,773
4	<b>LTC</b>		
	As per last Balance Sheet	2,36,31,544	
	Add: Provision made during the year	31,61,696	
	Less: Payment made during the year(Including Cash Package)	<u>67,96,395</u>	2,36,31,544
5	<b>Leave Benefit Fund</b>		
	As per last Balance Sheet	5,10,10,086	
	Add: Interest on earmarked investment	-	
	Add: Provision made during the year	7,26,81,232	
	Less: Payment made	26,33,00,467	
	Add: Recoverable from LIC	<u>13,96,09,149</u>	5,10,10,086
6	<b>Post Retirement Medical Benefit</b>		
	As per last Balance Sheet	(1,73,03,252)	
	Add: Provision made during the year	8,43,14,954	
	Less: Payment made to PRMB Trust	<u>6,07,70,646</u>	(1,73,03,252)
7	<b>Provision for Post Retirement Medical Benefit for retirees prior to 01.01.2007</b>		
			8,48,32,600
	<b>TOTAL</b>	<u><b>42,13,84,213</b></u>	<u><b>39,45,99,845</b></u>

## SCHEDULE - VII: Stores &amp; Spares:

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Stores and spares</b>		
	Chemicals & Fumigants (at lower of weighted average cost and net realisable value)	6,06,44,923	4,93,18,430
	Other Stores in hand (at lower of cost price (FIFO) and net realisable value)	2,22,40,478	2,54,31,903
	Goods in Transit	-	43,42,525
	<b>TOTAL</b>	<u><b>8,28,85,401</b></u>	<u><b>7,90,92,858</b></u>



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - VIII: Sundry Debtors

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Sundry Debtors (Warehousing Charges)</b>		
	Considered good	2,17,44,42,847	1,04,31,00,972
	Considered doubtful	<u>2,20,06,22,806</u>	2,47,95,89,052
2	<b>Sundry Debtors (Marketing Facilitation charges &amp; Others)</b>		
	Considered good	78,29,53,602	65,93,23,613
	Considered doubtful	<u>13,70,22,256</u>	19,13,82,584
	<b>TOTAL</b>	<u><b>5,29,50,41,511</b></u>	<u><b>4,37,33,96,221</b></u>

## SCHEDULE - IX : Loans and Advances

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Loan (secured) to Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)</b>		
	Considered good	13,66,82,283	20,29,00,000
2	<b>Other Advances Recoverable in cash or kind or for value to be received</b>		
	Considered good		
	a) Advances to staff	57,90,191	1,07,27,376
	b) Capital advance	1,26,32,582	1,83,72,494
	c) Other Advance	<u>16,71,57,558</u>	17,10,42,480
	<b>TOTAL</b>	<u><b>32,22,62,614</b></u>	<u><b>40,30,42,350</b></u>

## SCHEDULE - X : Other Current Assets

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Interest Accrued on Deposits and others (including saving bank accounts)</b>	14,44,66,017	13,98,65,565
2	<b>Income tax Deducted at Source</b>		
	Considered good	1,41,45,76,212	1,64,63,64,253
	Considered doubtful	<u>-</u>	37,31,632
3	<b>Recoverable from Income Tax Department</b>	56,93,93,652	62,64,995
4	<b>Other Recoverables</b>		
	(i) GST Input Tax Credit	7,56,74,408	17,73,39,970
	(ii) Insurance Claim & Salvage Expenses Recoverable		
	Considered good	49,93,63,755	
	Considered doubtful	<u>7,56,88,233</u>	27,15,47,185
	(iii) Other Recoverables		
	-Considered good	53,91,26,683	
	-Considered doubtful	<u>17,34,43,466</u>	60,55,65,194
5	<b>FDRs in hand (Contractors Securities received in the form of FDRs in favour of the Corporation)</b>	9,44,11,904	4,20,72,871
6	<b>FDRs pledged against Bank Gaurantees</b>	4,40,75,110	6,16,53,472
	<b>TOTAL</b>	<u><b>3,63,02,19,440</b></u>	<u><b>2,95,44,05,137</b></u>



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - XI : Cash &amp; Bank Balances

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	<b>Cash in Hand</b>		
	Cash in Hand/Stamps in hand	48,45,512	54,66,956
2	<b>Balance in the Banks</b>		
	<b>State Bank of India &amp; its Subsidiaries:</b>		
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts	36,89,16,743	27,51,99,637
	(ii) In Deposit Accounts	2,20,93,00,000	68,69,719
	<b>Other scheduled Banks:</b>		
	(i) In Savings/Flexi/Current Accounts	72,85,75,405	1,37,62,90,455
	(ii) In Deposit Accounts	5,14,76,41,343	7,54,03,95,436
	<b>TOTAL</b>	<b>8,45,92,79,003</b>	<b>9,20,42,22,203</b>

## SCHEDULE - XII: Consumption of Chemicals Covers &amp; Dunnage

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chemicals	8,18,02,774	6,96,50,111
2	Polythene Covers	1,56,22,836	1,11,10,185
3	Dunnage	2,13,95,932	2,65,22,897
	<b>TOTAL</b>	<b>11,88,21,542</b>	<b>10,72,83,193</b>

## SCHEDULE - XIII: Pay and Allowances (with provisions)

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	68,96,172	63,99,088
3	Functional Directors	1,60,71,032	1,18,57,226
4	Officers & other Employees	3,12,42,28,961	3,39,22,04,265
5	Contribution to Provident Fund	24,37,89,436	26,81,45,549
6	Contribution to Pension Fund	18,28,56,211	20,13,18,412
7	Contribution to Post Retirement Medical Benefit Fund	16,91,47,554	6,56,29,947
8	Death Compensation	33,82,260	3,98,19,820
	<b>Provisions:</b>		
9	Gratuity	9,82,90,755	13,62,53,778
10	Productivity Linked Incentive	6,13,64,917	2,19,96,910
11	Performance Related Pay	26,25,78,779	25,58,78,232
12	Leave Benefits	6,89,31,071	27,49,18,458
13	LTC	30,39,084	96,07,594
14	Pay Revision Provision	-	2,22,56,050
15	Compensation for Special Voluntary Retirement Scheme (SVRS)	20,35,05,935	3,05,31,928
	Less: Administrative Overhead	12,93,68,295	11,99,42,170
	<b>TOTAL</b>	<b>4,31,47,13,872</b>	<b>4,61,68,75,087</b>



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

### SCHEDULE - XIV: Travelling Expenses

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chairman	-	-
2	Managing Director	35,719	47,633
3	Functional Directors	6,50,394	81,921
4	Officers & other Employees	5,23,35,935	4,31,43,453
	<b>TOTAL</b>	<b>5,30,22,048</b>	<b>4,32,73,007</b>

### SCHEDULED - XV: Repairs & Maintenance

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Buildings	22,10,24,116	19,46,97,525
2	Equipments	6,38,03,677	6,39,73,205
	<b>TOTAL</b>	<b>28,48,27,793</b>	<b>25,86,70,730</b>

### SCHEDULE - XVI : Rent, Rates & Taxes

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Rent of Office	29,05,830	28,73,252
2	Rent of Godowns	70,35,78,816	75,42,83,538
3	Rent of Leases	16,69,63,276	15,28,19,881
4	Rates & Taxes	15,09,26,034	19,48,04,065
	<b>TOTAL</b>	<b>1,02,43,73,956</b>	<b>1,10,47,80,736</b>

**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022****SCHEDULE - XVII : Miscellaneous Expenditure**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Estt. Custom Staff	3,29,01,994	7,00,50,026
2	Staff Training Expenses	60,51,234	15,25,869
3	Publicity & Propaganda	13,43,193	2,13,600
4	Royalty	1,08,58,822	39,75,146
5	Seminars & Conferences	22,995	3,64,005
6	Business Promotion Expenses	27,36,602	21,97,993
7	Weighment Charges	69,80,084	94,50,992
8	Incentive- CMS Payment Gateway	51,159	-
9	Advertisement Expenses	1,66,12,792	1,58,79,095
10	Conveyance Charges	4,66,42,133	4,32,82,433
11	Compensation To Depositors	1,90,168	41,98,141
12	Computerisation Charges	6,09,00,812	4,16,88,387
13	Work In Progress Written Off	14,873	-
14	Entertainment	1,29,60,691	98,57,936
15	Freight & Octroi	65,62,480	49,97,642
16	Guest House Expenses	7,96,296	9,25,386
17	Inter Carting/Internal Handling	2,89,33,524	15,70,082
18	Legal Expenses	9,36,72,086	6,44,56,964
19	Newspapers,Books & Periodicals	11,53,968	10,37,385
20	Postage/ Telegram & Telex	28,29,054	36,26,193
21	Diff. In Paisa Rounding Off	(21,986)	23,046
22	Subscription & Member Fees	22,12,367	11,27,821
23	Staff Car Exp.- Petrol	29,86,991	26,11,086
24	Staff Car Exp.- Maintenance	11,17,091	7,85,545
25	Telephone Expenses	1,80,22,064	1,63,07,053
26	Water & Elec.Charges	21,49,33,593	14,64,25,531
27	Professional Charges	2,98,41,196	1,71,35,674
28	FESS Expenses	1,82,062	89,900
29	Office Expense	84,54,204	81,05,499
30	Diff. In Foreign Exchange	-	3,43,040
31	ISO Expenses	28,940	11,064
32	Un-Utilised GST Input Credit	32,18,53,495	30,64,47,947
33	Insurance Compensation Loss	56,11,169	22,54,068
34	Lab testing and other expenses for FSSAI license	16,14,965	9,58,848
35	COVID-19 Prevention measure expenses	61,44,498	78,52,682
36	Loss on investment in PILH	-	88,02,187
37	Other Miscellaneous Expenses	12,75,06,521	10,77,07,296
	<b>TOTAL</b>	<b>1,07,27,02,130</b>	<b>90,62,85,562</b>



**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022**  
**SCHEDULE - XVIII: Pest Control Service Expense**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Chemicals	5,23,56,967	4,07,24,873
2	Other Expenses	15,33,71,943	12,83,02,936
	<b>TOTAL</b>	<b>20,57,28,910</b>	<b>16,90,27,809</b>

**XIX : Interest (expenses)**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Government	-	-
2	Banks	-	-
3	Others	76,45,504	89,23,058
	<b>TOTAL</b>	<b>76,45,504</b>	<b>89,23,058</b>

**SCHEDULE - XX: Auditor's Fee and Expenses**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Audit fee	72,45,000	64,29,200
2	Travelling Expenses	15,22,436	23,43,232
3	Tax Audit Fee	15,76,000	18,01,900
4	Other Services	3,33,560	2,48,700
	<b>TOTAL</b>	<b>1,06,76,996</b>	<b>1,08,23,032</b>

**SCHEDULE - XXI: Prior Period adjustments(Net):**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Income	(26,06,340)	2,34,389
2	Expenses	42,28,788	(1,38,97,440)
	<b>TOTAL</b>	<b>16,22,448</b>	<b>(1,36,63,051)</b>

**SCHEDULE - XXII: Tax Expense**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Current Tax	1,28,78,96,018	96,33,20,011
2	Deferred Tax	10,43,29,556	40,60,41,717
3	Tax adjustment of earlier years	(4,91,359)	(9,55,98,797)
	<b>TOTAL</b>	<b>1,39,17,34,215</b>	<b>1,27,37,62,931</b>

**SCHEDULE - XXIII: Warehousing Charges (Income)**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Warehousing Charges	11,48,05,89,492	12,79,95,36,707
	Less: Discount to Co-operative Societies & others	15,50,44,251	16,68,85,691
	<b>TOTAL</b>	<b>11,32,55,45,241</b>	<b>12,63,26,51,016</b>

**SCHEDULE - XXIV: Interest (Income)**

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	From Deposits/Saving Bank A/c	43,33,71,661	44,48,73,364
2	From Loans and Advances to:		
	Staff	11,122	29,789
	Others	11,48,69,038	10,70,00,786
	<b>TOTAL</b>	<b>54,82,51,821</b>	<b>55,19,03,939</b>



## SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (GENERAL FUND) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2022

## SCHEDULE - XXV: Dividend Income

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	From investment in Associates (SWCs)	23,75,10,583	11,73,18,374
2	From investment in subsidiary (CRWC)	8,50,00,000	12,39,64,760
	<b>TOTAL</b>	<b>32,25,10,583</b>	<b>24,12,83,134</b>

## SCHEDULE-XXVI : Miscellaneous Receipts

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Operating:		
	From Engineering Consultancy Services	15,48,238	68,96,484
	Other operating Misc. Receipts	47,00,84,708	60,65,17,959
		<u>47,16,32,946</u>	<u>61,34,14,443</u>
2	Non-operating:		
	Diff. in Foreign Exchange (Net Gain )	4,18,046	-
	Other non-operating Misc. Receipts	13,30,33,532	20,84,96,097
		<u>13,34,51,578</u>	<u>20,84,96,097</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>60,50,84,524</b>	<b>82,19,10,540</b>

## SCHEDULE-XXVII : Excess Liability, Provision and Depreciation Written Back

Sl. No.	Head of Account	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
1	Excess Liability, Provision and Depreciation written back (Operating)		
	a.Excess Liability & Provision for Expenses Written Back	60,92,51,748	
	b.Excess Depreciation Written Back	17,04,408	
	c.Excess Reserve for Bad & Doubtful Debt Written Back	53,51,82,913	
	Less: Additional Provision for Bad & Doubtful Debts for the year	<u>19,40,52,566</u>	
		34,11,30,347	
2	Excess Provision written back (Non -Operating)	<u>1,11,15,095</u>	<u>10,20,47,925</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>96,32,01,598</b>	<b>10,20,47,925</b>





## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### Basis of Accounting

- (1) The Financial Statements of the Corporation have been prepared under the historical cost convention on the accrual basis of accounting in accordance with the generally accepted accounting principles in India (Indian GAAP) and comply with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India, to the extent applicable.

### Use of Estimates

- (2) The preparation of the financial statements in conformity with the Indian GAAP requires that the management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities as at the date of financial statements, and the reported amounts of revenue and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

### Inventories

- (3) Chemicals and construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value. Cost of purchase includes duties, taxes, freight and other expenses net of trade discount, rebates & other similar items.
- (4) Stores in hand i.e. Printing & Stationery, Liveries, Polythene Covers and Dunnage etc. are valued at lower of cost on first in first out basis and net realizable value.
- (5) Unserviceable/obsolete construction materials are valued at lower of yearly weighted average cost and net realizable value.
- (6) The procurement stock is valued at lower of cost and net realisable value. Cost being worked out on first in first out basis.

### Prior period expenses/income

- (7) The prior period expenses / income and prepaid expenses having value of ₹ 1,00,000/- and below for each item are recognized in the current year.

### Cash Flow Statement

- (8) a) Cash flows are reported at Enterprise level using the indirect method, prescribed in Accounting Standard (AS)-3 on "Cash Flow Statement", whereby profit/(loss) before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities are segregated based on the available information. Cash Flow Statement is not prepared at unit level.  
b) Cash & Cash equivalent comprises of Cash in hand, balance with bank and short term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

### Property, Plant & Equipment and Depreciation/Amortization

- (9) (a) The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation/amortization and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.

**SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

- (b) Depreciation/amortization on Fixed Assets (Tangible/Intangible) is charged on straight line method on the basis of useful life and residual value of assets determined by the Corporation (based on technical assessment on life of assets) as detailed below:

<b>Fixed Assets</b>	<b>Useful Life (In years)</b>	<b>Residual Value (%)</b>
<b>Property, Plant &amp; Equipment / Tangible Assets</b>		
Warehouses & Godowns and ancillaries, Container Yards, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor- Cement Concrete, Road - Cement Concrete (CC)	30	5
Convertible Plinths	30	5
Non-Convertible Plinths	5	5
Office Buildings	60	5
Residential Flats	60	5
Water & Electrical Installations	10	5
Plant & Machinery/ Railway Siding/ Lorry Weighbridge	15	5
Furniture & Fittings / Electrical Equipments	10	5
Office Equipment	5	5
Other Equipments/ Construction Equipments	6	5
Mobile Phones	3	5
HBL Sheets	4	5
Motor Vehicles/ Motor Lorries/ Motor Car	8	5
Laboratory Equipments	5	5
Disinfestation Equipments	4	5
Wooden Crates	6	5
PCC Blocks	8	5
Racks / Tin Trays	10	5
Poly Pallets	10	5
Computers	3	5
<b>Intangible Assets</b>		
Registration fee for Container Trains	20	NIL
Right to use of land	10	NIL
Computers Software	3	NIL
License Fees-Private Freight Terminal	10	NIL

The residual value, useful life/amortization period and amortization method are reviewed at each financial year end and significant changes, if any, from previous estimates are accounted for.

- (c) The depreciation on warehouses/building and ancillaries, container yard, Roof (pre-coated galvalume steel sheets), Floor(Cement Concrete), Road (Cement Concrete) and other assets



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

constructed/created over the leasehold lands is charged as per their useful life stated above, irrespective of the period of lease since the lease is generally renewed on its expiry. In case the lease of the land is not renewed, the compensation received, on these assets is adjusted against the written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted in the books.

- (d) The assets having value upto ₹ 500/- are charged to Revenue. Assets having value more than ₹ 500/- and upto ₹ 5,000/- are capitalized and depreciation thereon is charged @ 100% leaving a nominal value of ₹ 1/- for each such asset.
  - (e) Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is amortized/depreciated over the period of lease.
  - (f) Capital work in progress includes the items of Property, Plant & Equipment that are not yet ready for intended use.
  - (g) Interest on compensation for acquisition (under land acquisition proceedings) is charged to Profit & Loss account.
  - (h) Significant components of warehouse & godowns i.e. Roof (Pre-coated Galvalume Steel Sheets or equivalent), Roads (Cement Concrete) and Floor (Cement Concrete) are capitalized and depreciated separately.
- (10) Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation/Amortization on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use or as the case may be upto the month in which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed. In case of transfer of any asset from one unit to another, depreciation/amortization is charged in the books of the transferor unit upto the month of transfer. The transferee unit shall charge depreciation/amortization from the subsequent month.

### Expenditure on Land and Civil Works

- (11) Capitalisation of godowns is based on completion certificate of storage-worthiness and depreciation is charged on the basis of certificate of commissioning of the godowns.
- (12) Actual expenditure incurred in connection with the acquisition of land is capitalized along with the stamp duty payable at the prevailing rate. The necessary adjustment for the difference in the stamp duty paid and already capitalized is made in the year of payment/execution of title deed.
- (13) Expenditure on risk and cost contracts (Civil) in excess of security deposit available is charged to capital work or repair work, as the case may be pending its recovery.
- (14) The construction overheads on the capital works executed are allocated and capitalized as under:
  - (i) Works supervised by CWC@7% (seven percent) of the cost of work.
  - (ii) Works supervised through outside agency-Fee/charges payable to the agency.
- (15) Pursuant to arbitration award in a civil contract, the compensation paid/payable of a revenue nature like interest, loss of profit etc. is charged to revenue and compensation paid/payable of a



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

capital nature is to be capitalized.

### Revenue Recognition

- (16) Revenue is recognized when there is no significant uncertainty regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the service.
- a) Income from warehousing services rendered is recognized based on agreement/ arrangement with the customers as the service is performed using the;
    - (i) Completed service contract method for imported cargo on receipt/release of cargo;
    - (ii) Proportionate completion method for all other services rendered by the Corporation including income from consultancy fee/supervision fee charged on deposit work undertaken by the Corporation.
    - (iii) In respect of time barred bonds/ long standing cargo, on its realization out of the sale proceeds.
  - b) Income from sale of empties and waste (like old newspapers) are accounted for on realization basis.
  - c) Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established during the year.
  - d) The interest income is recognized when no significant uncertainty as to its measurability or collectability exists. It is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.
  - e) The reward/benefit from the Service Export of India Scheme (SEIS) to the corporation under Foreign Trade Policy 2015-20 is booked in the year of sale of the SEIS scrips issued by DGFT.
  - f) Financial impact of the retrospective revision of rate of storage charges which is fixed by the administrative ministry are accounted for in the year in which the decision of administrative ministry is received by the Corporation.

### Cost of Consumables

- (17) The cost of black polythene films, multi-layered cross laminated covers, bamboo mats, PVC floor dunnage and polythene covers and other such consumables is charged to revenue in the year of its issue for use.

### VRS Expenditure

- (18) The termination benefits (including expenditure on Voluntary retirement) are accounted for in the year they are incurred.

### Insurance Claims

- (19) The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The difference, if any, on settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company.



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

On receipt of the claim proceeds from the insurer, the amount is paid to the depositor or credited to the account of depositor, as the case may be.

### Arbitration Awards

- (20) Arbitration awards against the Corporation unless contested are accounted for. However, amounts awarded in favor of Corporation are accounted at the time of realization, owing to uncertainty of their collection.

### Accounting of claims against contractors / parties

- (21) Claims against contractors/ parties are accounted when there is a reasonable certainty of recovery.

### Unclaimed Dividend

- (22) The dividend warrants which are not encashed are shown as liability under the head "Unclaimed Dividend" irrespective of the year to which they relate.

### Foreign Currency Transactions

#### (23) Initial Recognition

Transactions denominated in foreign currency are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transactions.

#### Subsequent Recognition

As at the reporting date, non-monetary items (revenue items & fixed assets) which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

All monetary assets and liabilities (current assets & current liabilities) in foreign currency are restated using the exchange rate at the Balance Sheet date and exchange differences are recognized in the Profit and Loss Account.

### Government Grants

- (24) Government Grants are recognized when there is a reasonable assurance that the same will be received and all conditions attached will be complied with.
- (a) Capital Grants relating to specific fixed assets are reduced from the gross value of the respective assets.
  - (b) Revenue grants are recognised in the profit & loss account by reducing the related expenses.

### Investments

- (25) Investments are classified into current and Long Term investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provisions for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### Employee Benefits

- (26) a. All short term employee benefits are recognized at undiscounted amount in the accounting period in which they are incurred.
- b. The Provident Fund, Pension Fund and Post Retirement Medical Benefit Fund being defined contribution plans, amount of contribution made during the year is recognized as an expense.
- c. Employees Benefits under defined benefit plans in respect of Leave Encashment, Gratuity and LTC are recognized based on the present value of defined benefit obligation and computed based on the actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method at the year end. Actuarial liability in excess of plan assets is recognized during the year.
- d. Ex-gratia payment on death of employee in service is recognised on accrual basis in profit & loss account.

### Leases

#### (27) Operating Lease:

##### Where the Corporation is Lessor:

Leases in which the Corporation does not transfer substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Income on an operating lease is recognized in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term. Costs including depreciation are recognized as an expense in the profit and loss account.

##### Where the Corporation is a Lessee:

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight line basis over the lease term.

### Taxes on Income

- (28) a) Income Tax Expense comprises of the current tax and deferred tax. Provision for current tax is based on the assessable profit and computed in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The deferred tax is recognised, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between the taxable and accounting income / expenditure, that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods.
- b) Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. If the Corporation has carry forward unabsorbed depreciation and tax losses, deferred Tax assets are recognized only to the extent there is a virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- c) Minimum Alternative Tax ('MAT') paid in accordance with tax laws, which gives rise to future economic benefits in the form of adjustment of future income tax liability, is considered as an asset if there is convincing evidence that the corporation will pay normal tax in future. The corporation reviews the same at each balance sheet date and writes down the carrying amount of MAT credit entitlement to the extent there is no longer convincing evidence to the effect that corporation will be able to utilize that credit during the specified period.

### Intangible Assets

- (29) (a) The license fee / registration fee paid to the Indian Railways for container rail transportation is capitalized as an 'Intangible Asset' and amortized over the period of 20 years i.e. the period for which permission given by Railways, from the year of starting the operations.
- (b) The consideration paid towards lands held in possession on 'right to use' basis is capitalized as 'Intangible Asset' and amortized over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses/buildings and other assets constructed on such land, amortization as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.9(B) is charged, irrespective of the period of 'right to use'. In case the land on right to use basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.
- (c) Software which is not an integral part of related hardware is treated as an intangible asset and amortized over a period of 3 years.
- (d) The cost of license for Private Freight Terminals is amortized over a period of 10 years.

### Impairment of Assets

- (30) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognised in the prior accounting period is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

### Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

- (31) (a) Provision is recognized when corporation has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made.
- (b) Contingent liabilities in respect of claims against the corporation not acknowledged as debts are determined on the basis of information available and judgment of the management and are disclosed by way of notes to the accounts. However contingent assets are neither recognized nor disclosed.
- (c) Liabilities/Income accruing due to decisions after the date of circulation of accounts having retrospective effect are accounted for under the relevant direct head of account.



## SCHEDULE XXVIII SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

- (d) Liability on account of travelling expenditure and leave travel concession to employees where the journey commenced in current financial year but bills are awaited is provided to the extent of advance paid and necessary adjustment is made in the subsequent year when the bills are received.
- (e) Property tax, unless contested, is accounted for on the basis of demand received and information available.

### **Provision for Bad & Doubtful Debts**

- (32) The provision for bad & doubtful debts is made whenever the debtors/loans& advances are considered doubtful of recovery. However, in case of Government Parties, provision is created on expiry of 5 years period and in case of other parties, provision is created on expiry of 3 years period.

### **Write-back of Liabilities/Payable**

- (33) The liabilities are carried in the books of accounts of the Corporation for consecutive 5 Years (For Govt parties) and 3 years (For other parties) from the date the same becomes payable. In the 6th year or 4th year, as the case may be, these liabilities/trade payables are written back in the books of accounts and credited to Income (operating/non-operating) after following the due procedure.

Claim/ Actual payment (if any) arising against above liabilities in future date are booked as expenditure in the year of payment/settlement.





## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

### 1. Effect of Changes in Accounting Policies

New Policy No.	Accounting Policy (Old)	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹. in lakh )
9(a)	The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.	The items of Property, Plant & Equipment are carried at historical cost less accumulated depreciation/ amortization and accumulated impairment losses. However, fully depreciated asset is retained at residual value.	NIL (No impact)
9(b)	Depreciation on Fixed Assets is charged on straight line method on the basis of useful life and residual value of assets determined by the Corporation (based on Technician's report on life of assets) as detailed below: (Reference Schedule XXVIII Sl. No. 9(b) Property, Plant & Equipment and Depreciation/ Amorization)	Depreciation/amortization on Fixed Assets (Tangible/Intangible) is charged on straight line method on the basis of useful life and residual value of assets determined by the Corporation (based on technical assessment on life of assets) as detailed below. The residual value, useful life/ amortization period and amortization method are reviewed at each financial year end and significant changes, if any, from previous estimates are accounted for.	NIL (No impact)
9(e)	Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is depreciated over the period of lease	Cost of acquisition (premium) of land on lease and the cost of open area developed thereon is amortized/ depreciated over the period of lease	NIL (No impact)
10	Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use or as the case may be upto the month in which such asset has been sold, discarded, demolished or destroyed.	Where during the Financial year any addition has been made to any Asset, or where any asset has been sold, discarded, demolished or destroyed, the Depreciation/ Amortization on such assets shall be calculated based on useful life on pro-rata basis from the month the asset is available for use upto the month in which such asset is sold, discarded, demolished or destroyed. In case of transfer of any asset from one unit to another, depreciation/ amortization is charged in the books of the transferor unit upto the month of transfer. The transferee unit shall charge depreciation/amortization from the subsequent month.	NIL (No impact)



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

New Policy No.	Accounting Policy (Old)	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹. in lakh)
14	The construction overheads incurred on the capital works executed departmentally are allocated @7% (seven percent) of the cost of work. For capital works executed through outside agency, the fee/charges payable to the agency shall be capitalized at actual amount payable.	The construction overheads on the capital works executed are allocated and capitalized as under: (i) Works supervised by CWC @ 7% (seven percent) of the cost of work. (ii) Works supervised through outside agency-Fee/charges payable to the agency.	NIL (No impact)
16(f)	No Policy	Financial impact of the retrospective revision of rate of storage charges which is fixed by the administrative ministry are accounted for in the year in which the decision of administrative ministry is received by the Corporation.	₹. 2033.02 lakh (increase in profit) for F.Y. 2021-22
19	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The difference, if any, on settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company. The payment to the depositor is made after receipt of claim proceeds from the insurer.	The amount recoverable from Insurance Company towards insurance claim is recognized in the year the claim occurs based on the facts of each case. The difference, if any, on settlement of insurance claim is accounted for at the time of receipt of survey report/actual receipt of the claim from the Insurance Company.  On receipt of the claim proceeds from the insurer, the amount is paid to the depositor or credited to the account of depositor, as the case may be.	NIL (No impact)
25	Investments are classified into current and non-current investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provision for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.	Investments are classified into current and Long Term investments. Current investments are stated at lower of cost or fair value. Long Term investments are stated at cost and provisions for diminution in value is made only if such decline is other than temporary in the opinion of management.	NIL (No impact)



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

New Policy No.	Accounting Policy (Old)	Accounting Policy (Amended)	Effect on Profit (₹. in lakh)
29(b)	The consideration paid towards lands held in possession on 'right to use' basis is capitalized as 'Intangible Asset' and depreciated over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses/buildings and other assets constructed on such land, depreciation as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.9 (B) is charged, irrespective of the period of right to use. In case the land on 'right to use' basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.	The consideration paid towards lands held in possession on 'right to use' basis is capitalized as 'Intangible Asset' and amortized over a period of 10 years. Keeping in view the life and also technical certification, the warehouses/buildings and other assets constructed on such land, depreciation as per normal useful life mentioned in the accounting policy no.9 (B) is charged, irrespective of the period of 'right to use'. In case the land on right to use basis is taken back, compensation received on handing over of such warehouse/building and other assets constructed is adjusted against their written down value and profit or loss, if any, in the transaction is accounted for in the books accordingly.	NIL (No impact)
33	No Policy	The liabilities are carried in the books of accounts of the Corporation for consecutive 5 Years (For Govt parties) and 3 years (For other parties) from the date the same becomes payable. In the 6th year or 4th year, as the case may be, these liabilities/trade payables are written back in the books of accounts and credited to Income (operating/non-operating) after following the due procedure.  Claim/ Actual payment (if any) arising against above liabilities in future date are booked as expenditure in the year of payment/settlement.	NIL (No impact)

## 2. Capital Commitment on Civil Contracts

The estimated amount of civil contracts on capital account remaining to be executed as on 31.03.2022 is ₹18719.22 lakh (Previous year ₹11122.55 lakh).

## 3. Allocation of Engineering Overheads

As per accounting policy no.14, engineering overheads amounting to ₹1293.68 lakh (Previous year ₹1199.42 lakh) have been allocated to Capital works undertaken by the corporation during the year.

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS****4. Revenue Recognition**

a) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (vide their letter no. F.No.6-21/2019-SG-I dated 2nd February, 2022 revised the storage rates for FCI stocks on reservation basis for the year 2019-20 from ₹5.39 to ₹5.07 per bag per month. The income in respect of such stocks of ₹5726.75 Lakh for the period from 01.04.2019 to 31.03.2021 has been reversed in the current year. Income of 2021-22 is accounted at the rate of ₹ 5.07 per bag per month and this is considered as an exceptional item.

**b) Exceptional Items for the purpose of evaluation of MOU for FY 2021-22**

CWC is following the format of accounts prescribed under Rule 45 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963. There is no line item to depict aforesaid exceptional items. Accordingly, based on above, the Revenue from operations and Profit Before Tax (PBT) of the Corporation in line with the MoU guidelines issued by DPE vide OM No. M-03/0003/2020-DPE (MoU) dated 10<sup>th</sup> March, 2022 for F.Y. 2021-22 before considering the above exceptional items at 4(a) above has been recalculated and tabulated as under:

<b>F.Y. 2021-22</b>	<b>Revenue from operation (₹. in lakh)</b>	<b>Profit Before Tax (PBT) (₹. in lakh)</b>
Amount after considering exceptional items	213055.14	58973.12
Add: exceptional items	5726.75	5726.75
Amount before considering exceptional items	218781.89	64699.87

**5. Transactions in Foreign Currency**

- (a) No transactions were made in foreign currency during the year.
- (b) The net exchange difference of ₹ 4.18 lakh (Income) (previous year ₹3.43 lakh (Expense)) has been recognized during the year which relates to net payable/receivables in foreign currency.

**6. Government Grants**

The details of receipts, utilization and returned of government grants during 2021-22 and their balances as on 31.03.2022 are as under:

₹. in lakh

<b>S. No.</b>	<b>Purpose</b>	<b>Centre Name</b>	<b>Opening Balance</b>	<b>Grant Returned</b>	<b>Closing Balance</b>
	<b>Capital Grant</b>		<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a-b)</b>
1	Construction of godown at Purakkad, Alleppey-received from Government of Kerala (#a) FY 2014-15	CW, Purakkad	488.00	-	488.00
2	Setting up of CFS at Pipavav (Gujarat) -received from Ministry of Commerce & Industry (#b) FY 2011-12	CFS Pipavav	155.64	155.64	-



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

3	Modernization and automation of facility at ICD-Patparganj (Delhi) - received from Ministry of Commerce & Industry (#b) FY 2012-13	ICD Parparganj	385.36	385.36	-
	<b>Total Grant</b>		<b>1029.00</b>	<b>541.00</b>	<b>488.00</b>

# Note:

- a) Corporation has approached Chief Secretary, Govt. of Kerala for according permission to continue the godown construction at Purakkad of Alappuzha district (for which the Govt Grant was sanctioned), by way of making an amendment in the 'Kerala Conservation of Paddy land and Wet land Act 2008' so that no government organization shall require any sort of permission for proceeding with construction in any wet land. Matter is under active consideration in the office of Chief Secretary, Govt of Kerala.
- b) As per the directions of Ministry of Commerce & Industry vide their letter dated 24.02.2022, Grants of ₹155.64 lakh and ₹385.36 lakh were returned to the Ministry on 02.03.2022 along with interest of ₹684.33 Lakh and excess interest provision of earlier year of ₹78.23 Lakh has been written back.

### 7. Disclosure on Employee Benefits

#### (A) Defined Contribution Plan

- (i) a) The employer's contribution to CWC employee's provident fund for the year has been ₹ 2437.89 lakh (previous year ₹ 2681.45 lakh) and for functional directors, the amount of employer's contribution is ₹ 14.71 Lakh.
- b) The employer's contribution to CWC pension fund for the year has been ₹1828.56 lakh (previous year ₹ 2013.18 lakh) and for functional directors, the amount of employer's contribution is ₹ 11.04 Lakh.
- (ii) a) The employer's contribution to CWC Post-Retirement Medical Benefit Fund for the year has been fixed ₹ 1691.48 lakh (previous year ₹ 656.30 lakh) and for functional directors, the amount of employer's contribution is ₹ 5.14 Lakh.
- b) In PRMB scheme, the participating retired employees and existing employees of corporation are required to make annual contribution of ₹ 1500/- by group A, ₹ 1200/- by group B, ₹ 900/- by group C and ₹ 600/- by group D category of employees.

#### (B) Defined Benefit Plan

- (i) The Provision for Employee Benefits i.e. Gratuity, Leave Benefit and LTC has been made on the basis of Actuarial valuation. The Actuarial Valuation is got done at the end of the financial year.
- (ii) As on 31.03.2022, the liabilities under the Leave Encashments are funded under plan assets through qualifying Insurance Policy from the Insurance Company (LIC) duly approved by "Insurance Regulatory Development Authority (IRDA) and are accounted for on the basis of actuarial valuation made at the end of the year i.e. as on 31.03.2022. Based on actuarial valuation done, an amount of ₹1,396.09 Lakh is recoverable from LIC as on 31.03.2022.

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

(iii) In respect of employee benefits, the Corporation has no plan assets except for Gratuity and Leave Benefit. The fair value of the plan assets as per details given below:

(₹ in crore)

S.N	Particulars	Gratuity (funded)		Leave Benefit (funded)		LTC (unfunded)	
		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
	<b>Present Value of Obligation as on 1<sup>st</sup> April</b>	195.92	247.08	113.75	122.53	2.36	2.99
	Add: Interest Cost	11.65	16.80	7.06	8.33	0	0
	Add: Current Service Cost	5.70	6.56	6.95	8.27	0.31	0.97
	Add: Past Service Cost - (non-vested benefits)	0	0	0	0	0	0
	Add: Past Service Cost - (vested benefits)	0	0	0	0	0	0
	Less: Benefits Paid	(67.55)	(79.95)	(34.12)	(41.61)	(0.67)	(1.60)
	Actuarial (Gain) / Loss in Obligation (balancing figure)	3.99	5.43	0.86	16.23	0	0
	<b>Present Value of Obligation as on 31<sup>st</sup> March</b>	149.71	195.92	94.50	113.75	2.00	2.36
	<b>Fair value of Plan Assets, 1 April</b>	189.91	238.88	108.65	0	0	0
	Add: Expected return on Plan Assets	12.91	16.24	7.39	0	0	0
	Add: Contributions	15.05	15.86	23.92	108.65	0	0
	Add: Fund Transfer (Inwards)	0	0	0	0	0	0
	Less: Benefits Paid	(67.55)	(79.95)	34.12	0	0	0
	Actuarial Gain / (Loss) on Plan Assets (balancing figure)	(1.47)	(1.12)	0.21	0	0	0
	<b>Fair value of Plan Assets as on 31<sup>st</sup> March</b>	148.85	189.91	106.05	108.65	0	0
	<b>Total Actuarial Valuation Gain / (Loss) to be recognized immediately as per Standard</b>	(5.46)	(6.56)	(0.65)	(16.23)	0	0
	<b>Credit from return on Investment(Net of Tax)</b>	0	0	0	5.25	0	0
	<b>Expenses recognized in P&amp;L A/c</b>	9.90	13.68	7.27	27.58	0.31	0.97
	<b>Expenses capitalized</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Total Expenses</b>	9.90	13.68	7.27	27.58	0.31	0.97



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

- (iv) The liability of Employee Benefits has been valued by the Actuary using Projected Unit Credit (PUC) method after considering inflation, seniority, promotion and other relevant factors.
- (v) The Actuarial Assumptions used for valuation of liability for employee benefits are as under:-

Financial Assumptions	Gratuity		Leave Benefit		LTC	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
Discount Rate	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%
Expected rate of return on Plan Assets	6.76%	6.80%	6.76%	6.80%	N.A.	N.A.
Estimated Future Salary Increase	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
Mortality	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate	Indian Assured Lives Mortality 12-14 Ultimate
Attrition / Withdrawal rate per annum	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Average future working life (in years)	18.89	17.50	18.89	17.50	18.89	17.50

- (vi) The present value of the defined benefit obligation (net of plan assets) for the current year and previous four years are as under:

₹ in lakh

Defined Benefit	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
Gratuity	85.89	601.84	820.07	640.41	8605.69
Leave Benefit	(1155.03)	510.10	12252.79	12910.45	14085.90
LTC	199.97	236.32	299.26	297.13	258.41

- (vii) Corporation has taken a Group Term Insurance Plan for the regular employees of the corporation towards the Death Compensation to be paid to the legal heirs of the deceased employees as per the limits i.e. 3.5 times of the Annual Basic Pay of the respective employee subject to the minimum insurance coverage of ₹30 Lakh and maximum insurance coverage of ₹70 Lakh.

### (C) Formation of Separate Scheme/Trust for the pre 2007 retired employees.

As per the approval of the Board of Directors of CWC in its 362<sup>nd</sup> meeting held on 16.08.2021, a separate scheme/trust shall be formed in FY 2021-22 towards medical and other needs for retirees, prior to 01.01.2007, after the approval of the Administrative Ministry.

As per para5(iv) of DPE guidelines dated 08.07.2009, in the introductory year of operation of the scheme, not more than 1.5% of previous years PBT would be permissible for funding of the scheme.

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

In subsequent years, depending upon the need, contribution to the Corpus, if required would be made. However, in no case the contribution to the Corpus, in any year will exceed 1.5% of the PBT of previous year.

Since a separate scheme for the employees retired before 01.01.2007 is envisaged from FY 2021-22, a provision of ₹8,48,32,600/- being 1.5% of PBT for FY 2020-21 (₹565.55 Crore) has been made in the books of Account as per above DPE guidelines. Above amount would be sufficient to take care of annual PRMB expenses of employees retired before 01.01.2007 at par with the employees retired after 01.01.2007.

**8. Segment Reporting**

In the opinion of the management, the Corporation does not have separate reportable segment.

**9. Related Party Disclosures**

As per Accounting Standard 18, the disclosures of transaction with the related parties are given below:

**a. List of Related parties and relationship:**

Sl. No.	Name of the Related Party	Relationship
i)	Central Railside Warehouse Company Ltd.(CRWC)	Subsidiary Company
ii)	19 State Warehousing Corporations (SWCs)- (Sch.-III)	Associate
	<u>Key Management Personnel</u>	
iii)	Shri Atish Chandra	Chairman
iv)	Shri Arun Kumar Shrivastava	Managing Director
v)	Sh. Rakesh Kumar Sinha	Director (Personnel)
vi)	Shri Amit Kumar Singh	Director (M & CP)
vii)	Sh. S Charles ( till 30.04.2021)	Director (Finance)
viii)	Shri Anuj Kumar (w.e.f. 01.11.2021)	Director (Finance)

**b. Related Party Transactions:****(₹ in lakh)**

(i) CRWC ( Subsidiary Company)	2021-2022
- Investment 100% Owned Subsidiary	4056.00
-Term Loan : Opening balance as on 01.04.2022	2029.00
Add: Paid during the year	470.00
Less: Received during the year	1132.18
Closing Balance as on 31.03.2022	1366.82
-Interest Recd./Receivable: 7.35% (01.04.2021 to 19.08.2021) 7.30% (20.08.2021 to 31.03.2022)	159.74
- Dividend received	850.00





## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

- Pest Control Services provided to CRWC	0.32
- Terminal Access & Weighment Services provided to CRWC	8.31
- Office & Flat Rent and Electricity	54.33
<b>(ii) 19 State Warehousing Corporations(SWCs) ( Associates)</b>	
- Dividend income received from SWCs	2375.11
- Godown rent paid to UPSWC	8.34
- Godown rent paid to Gujarat SWC	343.92
- Godown rent paid to Karnataka SWC	2.91
- Godown rent paid to Assam SWC	7.87
- Royalty paid to Gujarat SWC	4.09
<b>(iii) Key Management Personnel</b>	
<b>a. Shri Atish Chandra</b>	NIL
<b>b. Sh. Arun Kumar Shrivastava</b>	
- Remuneration (Salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹86.45 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹1.20 lakh)	87.65
- Travelling Expenses	0.36
<b>c. Sh. Rakesh Kumar Sinha</b>	
- Remuneration (Salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹80.21 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹0.26 lakh)	80.47
- Travelling Expenses	0.90
<b>d. Sh. Amit Kumar Singh</b>	
- Remuneration (Salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹49.15 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹0.21lakh)	49.36
- Travelling Expenses	2.61
<b>e. Sh. Anuj Kumar</b>	
- Remuneration (Salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹22.29 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹0.07 lakh)	22.36
- Travelling Expenses	0.63
<b>f. Sh. S. Charles</b>	
- Remuneration (Salary as per section 17(1) of Income Tax Act,1961 ₹55.09 lakh and perquisite under section 17(2) of Income Tax Act,1961 ₹0.03 lakh)	55.12
-Travelling Expenses	2.36



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

## (iv) Transactions with Trust

(₹ in lakh)

Sl.No.	Name of Trust	FY 2021-22
a.	CWC Employees Provident Fund Trust	6588.68
b.	The CWC'S Defined Contribution Superannuating Benefit(Pension) Trust	2887.71
c.	CWC Employees Post-Retirement Medical Benefit Trust	641.45
d.	CWC Employees Benevolent Trust	437.78
e.	CWC Employees Gratuity Trust	1505.76

## 10. Earnings Per Share

Basic and diluted EPS has been calculated below by dividing the profit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of Equity shares outstanding during the year:

Basic and Diluted	Year ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2021
a) Number of Equity shares at the beginning of the year	6,80,210	6,80,210
b) Number of equity shares at the end of the year	6,80,210	6,80,210
a) Weighted average number of equity shares outstanding during the year	6,80,210	6,80,210
b) Face Value of each Equity share(In ₹)	1000/-	1000/-
e) Profit after Tax available for equity shareholders (Amount in ₹)	4,50,55,78,060	4,38,17,43,760
Earning Per Equity Share - Basic (In ₹)	6623.80	6,441.75
Earning Per Equity Share - Diluted (In ₹)	6623.80	6,441.75

**Note:** No. of Shares outstanding are calculated as under:-

(663950 fully paid shares \*1000/1000) plus (81300 partly paid shares\*200/1000)

## 11. Taxes on Income

- The tax expense for the current year is ₹ 13917.35 lakh (previous year ₹ 12737.63 lakh) which comprises of current tax of ₹ 12878.96 lakh, deferred tax of ₹ 1043.30 lakh, and tax adjustment of earlier years of ₹4.91lakh(Credit).
- The deferred tax assets and deferred tax liabilities have been set off there being a legal enforceable right to set off the same. The net deferred tax liability as on 31.3.2022 is ₹ 8400.96 lakh (previous year ₹7357.66lakh) comprising of the following:



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

₹ in lakh

Deferred Tax Liabilities		2021-22	2020-21
a.	Depreciation and other differences in block of Fixed Assets.	17556.38	17648.92
b.	Accrued interest on income tax refund	(39.42)	0.00
<b>Total</b>		<b>17516.96</b>	<b>17648.92</b>
Deferred Tax Assets			
a.	Provision for Bad & Doubtful Debts	6510.43	7458.13
b.	Provision for Gratuity	19.87	151.47
c.	Rates, Taxes & Duties, Leave Encashment, SVRS, etc.	1884.28	1686.47
d.	Provision for Unascertained Liabilities	701.42	995.19
<b>Total</b>		<b>9116.00</b>	<b>10291.26</b>
<b>Deferred Tax Liability (Net)</b>		<b>8400.96</b>	<b>7357.66</b>

- iii. In view of decisions of the Appellate Authority, the amount recoverable from Income Tax Department as on 31.3.2022 for AY 2018-19 and 2020-21 is ₹ 5693.94 lakh. The realization of same is being pursued from Income Tax Department.
- iv. The Corporation has exercised the option permitted under Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019.

## 12. Interests in Subsidiary/Joint Venture

- (a) Corporation holds 100% equity of ₹ 4056.00 lakh in its subsidiary company i.e. Central Rail side Warehouse Company Ltd., (CRWC), whose financial details as per their accounts are as under:

₹ in lakh

PARTICULARS	2021-22 (Audited)	2020-21 (Audited)
Gross Revenue	12854.61	9813.29
Gross Expenses	8600.74	7222.76
Profit before tax	4253.87	2590.53
Profit after tax	3165.27	1936.84
Assets	23136.99	21926.77
Capital & Reserves	16806.90	14491.63
Liabilities	6330.09	7435.14
Contingent Liability	2514.32	1038.53

- (b) In terms of section 19(2) of the Warehousing Corporations Act, 1962, Corporation has invested in the share capital of its Associates i.e. 19 State Warehousing Corporations (SWCs). Due to

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

non-receipt of audited accounts as on 31.03.2022 of these SWCs, the share of the Corporation in their assets, liabilities, contingent liabilities, income and expenses have not been disclosed.

- (c) No specific requirements has been stated for preparation and presentation of consolidated financial statements as per The Warehousing Corporations Act, 1962 under which corporation has been constituted. As a result, the same have not been prepared.

**13. Intangible Assets**

- i) The gross carrying amount, accumulated amount of amortization at the beginning and end of the year, reconciliation of carrying amount at the beginning and end of the year of intangible assets are stated in Schedule II on "Fixed Assets".
- ii) In the year 2005-06, Corporation paid registration fee of ₹5000 lakh to Indian Railways for running of container trains on Category-I Routes and Concessionaire Agreement was signed between CWC and Indian Railways on 04.01.2007, which entitles CWC to run the container trains for a period of 20 years from the date of commercial operations which commenced on same date. The Registration Fee of ₹5000 lakh has been shown as Intangible Asset. Therefore, the registration fee paid for running container trains is being amortized over a period of 20 years (useful life) from the date of commencement of commercial operations. The unamortized amount of Registration Fee paid by CWC to Indian Railways as on 31.03.2022 is ₹1187.50 lakh (previous year ₹1437.50 lakh).

**14. Impairment of Assets**

In the opinion of the management there has been no impairment loss during the year.

**15. Contingent Liabilities and Guarantees**

(₹ in lakh)

S. No	Particulars	As on 31.03.2021	Reduction against opening	Addition during the year	As on 31.03.2022
(a)	Claims against the Corporation not acknowledged as debts including claims of suppliers / contractors and others against the Corporation which are in arbitration / court.				
	i) Central Govt. Departments	2431.81	687.31	1945.47	3689.97
	ii) State Govt. Departments or local Bodies	16140.25	446.92	1463.34	17156.67
	iii) Central Public Sector Enterprises (CPSEs)	3663.74	1085.22	2228.79	4807.31
	iv) Others (Not Covered above)	27842.39	541.03	1848.83	29150.19
	Total (a)	50078.19	2760.48	7486.43	54804.14
<b>Guarantees</b>				<b>31.03.2021</b>	<b>31.03.2022</b>
(b)	Counter Guarantees given for Bank Guarantees			394.97	445.52
(c)	Custodian guarantee bonds furnished to Customs Department			470531.75	537633.75
Liability, if any, that may arise due to disputed claims of some of the employee(s) / ex-employee(s), arbitration cases with depositors/ contractors / godown owners and interest / penalty / legal costs is not disclosed in contingent liabilities in respect of which amounts are unascertainable.					



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

The Major Contingent Liabilities in respect of claims disputed by the corporation exceeding 2% of the total claims included in S. No.(a) above are as under:	
(i)	Claim of ₹ 12850.00 lakh made by Mumbai Port Trust towards arrears of rent, rates & taxes including interest etc. in respect of CW, TW-I, TW-II, M.S. Jetha and Wadala disputed by the corporation.
(ii)	Claim of ₹6456.75 Lakh made by SAMO at CFS-Kalamboli towards construction cost of Rail linked facility, godown rent, domestic operation charges etc. and interest thereon of ₹1599.46 lakh.
(iii)	Claim of ₹5131.85 Lakh made by SAMO at ICD-Loni towards Examination Charges, Service Charges, Ground Rent, Handling Charges, Fuel Surcharge etc. on containers moved by train by the corporation and interest thereon.
(iv)	Claim of ₹4113.11 lakh made by erstwhile strategic alliance management operator (SAMO) PPWPL at CFS - Whitefield.
(v)	Claim of ₹ 2152.20 lakh made by Kandla Port Trust towards differential license fee for the year upto 31.03.22 disputed by the corporation.
(vi)	Claim of owner M/S Baldota Brothers Trust for ₹ 1514.93 lakh in respect of mesne profit for the hired premise at Churchgate, Mumbai.
(vii)	Claims of ₹ 1373.97 lakh made by FCI against storage and transit losses.
(viii)	Claim of ₹ 1448.66 lakh made by Kolkata (Syama Prasad Mookerjee) Port Trust towards godown rent at Strand Bank Road.
(ix)	Claim of ₹ 1065.81 Lakh by Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) towards property tax of CFS Whitefield which is disputed by the corporation.

### 16. Provisions for Expenses & Capital Works

In compliance of AS 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the required information on Provision for Expenses & Capital Works are as under:

(₹in lakh)

Opening Balance as on 01.04.2021	Additions during the year	Amount used/ Incurred/reversed during the year	Closing Balance as on 31.03.2022
6271.65	2800.43	4052.33	5019.75*

\*Includes provision for capital works for ₹ 2232.81 Lakh

### 17. Bad and Doubtful Debt Written off.

The Corporation has written off the bad and doubtful debts (in cases where the provision against the recoverable amount exists) by charging to the profit and loss A/c.

During the year 2021-22, total amount of bad and doubtful debts written off is ₹ 4262.45 lakh, out of which ₹ 4105.37 lakh pertains to recoverable amounts against which provision for bad and doubtful debts existed in the books and ₹ 157.08 lakh pertains to the amount of bad debts directly charged to profit and loss A/c against which no provision existed.

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS****18. Regrouping of Previous Year Balances**

- (i) The previous year figures have been reworked, regrouped and rearranged wherever considered necessary except CSR spending.
- (ii) Provision towards Post-Retirement Medical Benefits and Leave Benefits were shown under Statutory dues payable (Schedule No.V- Outstanding Liabilities) last year. As these are related to Pay & Allowances , the same have been re-grouped under “ Provision for Pay & Allowances” in schedule No.VI – Provisions for Pay & Allowances
- (iii) PCS expenses which were appearing under Schedule No.XIX -“Miscellaneous expenses” in previous year has been re-grouped and shown in the Profit & Loss A/C as a separate line item.
- (iv) Insurance claim payable & liability towards group term insurance were shown under “sundry creditors” under previous year (Schedule No. V- Outstanding Liabilities) has been re-grouped and shown under “Other Liabilities”.

**19. Balance Confirmations**

Balances shown under trade receivable, advances and trade payables are subject to confirmations. The corporation has been sending letters for confirmation to parties. The Corporation does not expect any material dispute with respect to the recoverability/ payment of the same. In case any discrepancy is reported, due reconciliation and consequential adjustments, if any would be made.

**20. Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development (SD)**

As per guidelines issued by Department of Public Enterprise (DPE) on CSR and Sustainability vide OM No. F.No. 15 (13)/2013-DPE dated 21.10.2014 along with provisions of section 135 of Companies Act 2013; Schedule VII of the Act and Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, Corporation was required to spend during the year 2021-22 an amount of ₹ 793.58 Lakh on Corporate Social Responsibility.

The details of amount spent during the year on Corporate Social Responsibility is as under:-

(₹ in lakh)

S.No.	Particulars	Paid in Cash	Yet to be paid	Total
(i)	Construction/acquisition of any asset	-	-	-
(ii)	On purposes other than (i) above	802.52	-	802.52
a.	Unspent amount of FY 2020-21	-	-	-
b.	Spend in FY 2021-22	802.52	-	802.52

Note: CSR expenditure is not a part of normal business activity of CWC. Accordingly, CSR spend of ₹ 802.52 lakh during the financial year 2021-22 has been appropriated out of the profit through the profit & loss appropriation account.

**21. Benevolent Fund**

The Benevolent Fund established during the year 1989-90 for the purpose of staff welfare, is being



## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

managed by Benevolent Fund Trust which is registered for income tax exemption under sections 12A and 80G of the Income Tax Act, 1961. During the year, 1% of profit after tax i.e. ₹450.56 lakh (Previous year ₹438.17lakh) is appropriated to the Reserve for Benevolent Fund. During the year an amount of ₹438.17 lakh was contributed to Benevolent Fund Trust. The balance in Reserve for Benevolent Fund as on 31.03.2022 is ₹450.56 lakh (Previous year ₹437.78 lakh) which shall be paid to Benevolent Fund Trust after the approval of the Board of Directors.

### 22. Dividend

- (i) For the financial year 2021-22, Corporation proposes to pay dividend @5% of its Networth amounting to ₹14124.82 lakh. The proposed dividend for the year 2021-22 has not been accounted in the books as per AS 4 (Para 14) issued by ICAI. It has already paid interim dividend amounting to ₹12711.81 lakh during the financial year 2021-22
- (ii) During the financial year 2021-22, Corporation has paid the following dividend to its shareholders:-
  - a. Final Dividend for the financial year 2020-21 amounting to ₹1590.68 lakh was paid. During the financial year 2020-21 an amount of ₹11556.20 lakh was paid as interim dividend. The dividend payable for the financial year 2020-21 comes to ₹13146.88 lakh.
  - b. Additional Dividend for the financial year 2019-20 amounting to ₹680.45 lakh has been paid in terms of communication received from the Administrative Ministry vide letter No.9-40/2018-SG-I dated 19th August' 2021. Corporation had requested the Administrative Ministry, with the approval of AGM, vide letter dated 02.11.2020 to forward its request to DIPAM for exemption from payment of dividend @5% of its Net worth for the financial year 2019-20 and allow it to pay dividend @30% of Profit After Tax (PAT). The same was not accepted by the Ministry.
  - c. Additional Dividend for the financial year 2015-16 amounting to ₹3114.01 lakh has been paid in terms of communication received from the Administrative Ministry vide letter No.9-40/2018-SG-I (362902) dated 12th January' 2022. Corporation had applied for exemption with Department of Investment & Public Asset Management (DIPAM) from payment of dividend @5% of its Net worth for the financial year 2015-16 and allow it to pay dividend @30% of Profit After Tax (PAT). The same was not accepted by DIPAM.

### 23. Micro, Small, and Medium Enterprises

(₹in lakh)

Item No.	Disclosure required under the Micro, Small & Medium Development Act, 2006	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
i)	The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:		
	(a) Principal amount due to micro and small enterprises.	2229.65	NIL
	(b) Interest due on above	NIL	NIL

**SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS**

ii)	The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of the MSMED Act, 2006 along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year	0.066	NIL
iii)	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the MSMED Act, 2006	NIL	NIL
iv)	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	0.073	NIL
v)	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act, 2006	NIL	NIL

**Note:** The above information has been disclosed in respect of parties which have been identified on the basis of the information available with the Corporation.

**24. Warehousing Fund**

The Warehousing Fund which was being maintained by the Corporation as per section 16 of the Warehousing Corporations Act, 1962 got fully utilized in the year 2010-11, hence no accounts have been prepared for the same.

**25. Format of Accounts**

1. Corporation is preparing Annual Statement of Accounts & Balance sheet as per formats suggested under Rule 45 of Central Warehousing Corporation Rules, 1963, comprising of:
  - a. an annual account of the Warehousing Fund comprising:-
    - i. A balance sheet in form "A A"
    - ii. Income and expenditure account in Form "B"; and
  - b. an annual account of the General Fund comprising:-
    - i. a balance sheet in Form "C"
    - ii. a profit and loss account in Form "D";
    - iii. a profit and loss appropriation account in Form "E".
2. Due to various changes in the accounting standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India over the years, a line item has been added/ deleted (not relevant) for better presentation and disclosure in the Annual Statement of Accounts and Balance Sheet.
3. Board of Directors of CWC in its 360<sup>th</sup> Meeting held on 02.07.2021 has approved the proposal of





## SCHEDULE - XXIX: NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

conversion of CWC (established under the Warehousing Corporations Act, 1962) into a company registered under the Companies Act, 2013. Accordingly, Corporation has moved a Draft Cabinet Note (DCN) for transfer and vesting of Corporation to Company. Proposal is under process in Ministry of CA, Food & PD.

### 26. Merger of Central Railside Warehouse Company Limited (CRWC) with Central Warehousing Corporation(CWC)

Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, vide letter no F.NO 9-32/2020-SG-I dated 06.07.2021 (received on 12.07.2021) has conveyed the approval of Union Cabinet on the merger of Central Railside Warehouse Company Ltd( CRWC) with Central Warehousing Corporation CWC. Thereafter, Scheme of merger was approved by CRWC in its 75th BOD meeting held on 13.08.2021 and by CWC in it's 363<sup>rd</sup> BOD meeting held on 01.09.2021.

Accordingly, application for merger under section 230-232 of the Companies Act,2013 was filed with Ministry of Corporate Affairs (MoCA) on 30.09.2021.MoCA returned the application filed by CRWC vide their letter dated 20.10.2021 with direction to move application to NCLT. Application of merger of CRWC with CWC was filed with NCLT, Delhi Bench on 22.11.2021. Matter is currently pending at NCLT.

Progressive report on the action taken in this regard is being sent to Administrative Ministry as directed in their communication.

### 27. Impact of COVID - 19 Pandemic

The COVID-19 Pandemic outbreak was declared as a global pandemic by the World Health Organization (WHO) on 11<sup>th</sup> March' 2020. In India the second wave began in March, 2021 and was at peak in April, 2021 Compared to the first wave, the second wave has created more havoc. During the first wave, the Government of India immediately imposed a countrywide lockdown, restrictions on international travel and several other strict measures (COVID appropriate behaviour) before the cases could surge. During the second wave nationwide lockdown was not imposed by the Government of India but the same was imposed on need basis, by the respective State Governments.

Corporation also closely monitored the situation and took all steps which were necessary for the health and safety of mankind. Corporation maintained its operations and continued working as going concern and there was no impact on the business of the Corporation during the year.

### 28. The Corporation does not have any operating lease arrangement as a Lessor and therefore, no disclosure as per Accounting Standard 19 issued by ICAI is required.



## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	₹	₹	₹	₹
<b>A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>				
Net profit before Tax		5,89,73,12,275		5,65,55,06,691
<u>Adjustments for :</u>				
Depreciation, Amortisation & Impairment Loss	92,68,15,959		85,34,91,696	
Prior Period Depreciation	38,71,666		1,66,81,174	
Amortisation of Past Service Cost of PRMS	-		86,62,258	
Provision for Bad & Doubtful Debts	-		65,03,85,175	
Interest Expense	76,45,504		89,23,058	
Loss on sale of Assets/ Assets written off	3,67,15,829		2,40,85,620	
CSR & Sustainable Development	(8,02,51,711)		-	
Work In Progress written off	14,873		-	
Bad Debts written off	42,62,45,623		4,70,21,225	
Profit on sale of Assets	(11,67,173)		(1,01,23,731)	
Dividend Income from SWC's	(23,75,10,583)		(11,73,18,374)	
Dividend Income from CRWC	(8,50,00,000)		(12,39,64,760)	
Interest Income	(54,82,51,821)		(55,19,03,939)	
Difference in Foreign Exchange	(4,18,046)		3,43,040	
Excess Liabilities/Provisions written back/adjusted	(96,14,97,190)		(10,12,91,876)	
Excess Depreciation written back/adjusted	(17,04,408)		(7,56,049)	
		<b>(51,44,91,478)</b>		<b>70,42,34,517</b>
<b>Operating Profit before Working Capital Changes</b>		<b>5,38,28,20,797</b>		<b>6,35,97,41,208</b>
Trade and Other receivables	(2,13,39,45,787)		5,01,18,875	
Inventories	(37,92,543)		(1,69,99,615)	
Amount Payable to/Recoverable from Subsidiary (CRWC)	-		9,492	
Liabilities and Provisions	28,65,39,339		(3,22,35,54,737)	
		<b>(1,85,11,98,991)</b>		<b>(3,19,04,25,985)</b>
<b>CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		<b>3,53,16,21,806</b>		<b>3,16,93,15,223</b>
Income Tax paid		<b>(72,73,08,979)</b>		<b>(18,69,28,527)</b>
<b>NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)</b>		<b>2,80,43,12,827</b>		<b>2,98,23,86,696</b>
<b>B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:</b>				
Purchase of Fixed Assets including WIP	(2,48,11,34,262)		(2,10,44,74,818)	
Proceeds from sale of Fixed Assets	(86,62,102)		2,70,55,898	
Investment in PILH	-		4,38,44,803	
Leave Benefit Fund Investment	-		1,22,52,78,504	



## CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2022

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
	₹	₹	₹	₹
Loan to CRWC	6,62,17,717		(3,88,00,000)	
Dividend received from SWC	23,75,10,583		11,73,18,374	
Dividend received from CRWC	8,50,00,000		12,39,64,760	
Interest Received	54,36,51,369		68,48,72,987	
<b>NET CASH (USED IN) INVESTING ACTIVITIES (B)</b>		<b>(1,55,74,16,695)</b>		<b>7,90,60,508</b>
<b>C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:</b>				
Payment to Benevolent Fund Trust	(4,37,77,961)		(3,72,32,353)	
Grant refunded to Govt of India	(5,41,00,000)		-	
Interest Paid	(8,45,42,055)		(35,14,900)	
Dividend Paid	(1,80,94,19,316)		(1,11,61,54,333)	
<b>NET CASH (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (C)</b>		<b>(1,99,18,39,332)</b>		<b>(1,15,69,01,586)</b>
<b>D. NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)</b>		<b>(74,49,43,200)</b>		<b>1,90,45,45,618</b>
<b>E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>		<b>9,20,42,22,203</b>		<b>7,29,96,76,585</b>
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR #</b>	<b>D + E</b>	<b>8,45,92,79,003</b>		<b>9,20,42,22,203</b>
<b># Cash and Bank Balances</b>				
Cash and Bank includes Deposit of ₹ 73,569.41 lakh (previous year ₹ 75,472.65 lakhs)		8,45,92,79,003		9,20,42,22,203
<b>Total</b>		<b>8,45,92,79,003</b>		<b>9,20,42,22,203</b>

Previous years figures have been regrouped and rearranged wherever necessary

  
(ANUJ KUMAR)  
Director (Finance)

For and on behalf of the Board

  
(ARUN KUMAR SHRIVASTAVA)  
Managing Director

In terms of our separate report of even date

For J.K. Sarawgi & Company  
Chartered Accountants  
FRN: 006836C



(Laxman Swaroop Khandelwal)  
Partner  
M. No. 009878

Place: Rishikesh (Uttarakhand)  
Dated : 11.06.2022



**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**

**REPORT OF THE COMPTROLLER AND  
AUDITOR GENERAL OF INDIA**

**2021-22**



CFS Whitefield, Bengaluru



**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AN AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 31(8) OF THE WAREHOUSING CORPORATIONS ACT, 1962 ON THE ACCOUNTS OF CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH 2022.**

The preparation of financial statement in respect of General Fund of **Central Warehousing Corporation** for the year ended 31st March, 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Warehousing Corporations Act, 1962 is the responsibility of the management of the Corporation. The Statutory Auditors appointed by the Government of India on the advice of Comptroller and Auditor General of India under section 31(3) of the Warehousing Corporations Act, 1962 are responsible for expressing opinion on these financial statement under Section 31(5) of the Warehousing Corporations Act, 1962 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated **11<sup>th</sup> June 2022**.

I, on behalf of the Comptroller and Audit General of India, have conducted a supplementary audit under section 31(8) of the Warehousing Corporations Act, 1962 of the financial statements in respect of General Fund of **Central Warehousing Corporation** for the year ended 31st March, 2022. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and corporation personnel and a selective examination of some of the accounting records.


Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 31(5) of the Act.

**For and on the behalf of the  
Comptroller & Auditor General of India**

Place: New Delhi

Date: 19.09.2022

**(Keerti Tewari)  
Director General of Audit  
(Agriculture, Food & Water Resources)**





श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निगम कार्यालय में ध्वजारोहण करते हुए।  
Sh Arun Kumar Shrivastava, Managing Director, hosting the flag on the occasion of  
73rd Republic Day at Corporate Office.



**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION**  
(A Govt. of India Undertaking)  
“WAREHOUSING BHAWAN”

4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016  
Tel: 01126524100, E-mail: warehouse@nic.in website: www.cewacor.nic.in